

तीसरा

वर्ष



पद्मलीकेशन्स डिवीजन
मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन एण्ड व्राइकास्टिंग
भारत सरकार

प्रस्तावना

गत वर्ष भारत को बहुत-सी और गंभीर समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा । राजस्व की न्यूनता, खाद्यान्त की कमी हथये के अवमूल्यन, पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आगमन और दूसरी कठिनाइयों के कारण भारत की प्रगति में वाधा पड़ी ।

प्रस्तुत पुस्तक में भारत सरकार, राज्यों की सरकारों तथा समूचे देश के कार्यों का तथ्यपूर्ण विवरण है । पहले खंड में भारत सरकार की विविध प्रवृत्तियों का वर्णन है, दूसरे खंड में राष्ट्रीय विकास के विविध पक्षों पर सुप्रसिद्ध लेखकों की लेखनी से लिखे गए लेखों का संकलन है; तीसरे भाग में राज्यों में जो प्रगति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण है । प्रथम तथा द्वितीय खंड सरकारी रिपोर्टों के आधार पर हैं ।

आरंभ में ऐसा विचार था कि राज्यों संबंधी भाग को द्वितीय खंड में ही सम्मिलित कर दिया जाय । परिस्थितियों के कारण इस योजना पर अमल नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त यह खंड अपूर्ण भी है; क्योंकि कुछेक राज्यों ने ठीक समय पर अपनी रिपोर्टें नहीं भेजीं ।

इस अवसर पर हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया है और उनकी संख्या इतनी अधिक है, कि उनके नामों का यहां उल्लेख करना संभव नहीं ।

विषय-सूची

पहिला खण्ड

कोर्टेंस (ज्युरिसडिविशन) आर्डिनेन्स १९५० खात्र फाँजदारी अदालतों को उन अपराधों के मुकदमें मुनने का अधिकार प्रदान करता है जो कि संविधान की निधन-नूची में गिनाये गये कानूनों के विरुद्ध किए गए हैं; एक तीसरा विल अदालत की मानहानि के कानून में संशोधन करने वाला विल (कनटैम्पट आफ कोर्ट (अमैन्डमेंट) विल) पार्लमेंट के आगामी अधिवेशन में पेश करने का विचार है। इसके द्वारा उच्च न्यायालयों (हाईकोर्टों) को अधिकार हो जायगा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की हुई अदालतों की मानहानियों के भी मुकदमें मुन सकें।

समाचारपत्र सम्बन्धी कानून

मरकारु को जब जब समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता अनुभव हुई है तब तब उसने सदा, विना अपवाद के, प्रेस परामर्शदायी (एडवाइजरी) कमेटी से सलाह ली है। जहां जहां कमेटियां पहले नहीं थीं, वहां वहां अब स्थापित कर दी गई हैं।

पुलिस संगठन

भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों को अपनी पुलिम के लिए यस्तास्त्र, गोलावाहन और वेतार के यन्त्र खरीदने में सहायता दी। उसने राज्यों की सरकारों को सलाह दी कि वे अपनी पुलिस को नवीन यस्तास्त्रों और गोला वाहन आदि से सज्जित करके अधिक समर्थ बनावें।

देहली की पुलिस को पुनर्गठित करने की योजना तैयार हो रही है। इसका लक्ष्य पुलिस की सशस्त्र और अशस्त्र दोनों शाखाओं को मजबूत बनाना है और इसमें खुफिया पुलिस, सशस्त्र रिजर्व,

रहा। इम कमेटी ने अब तक दो निपोटे दी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालिज

भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा में भरती किये गए अफसरों को काम सिखाने के लिए आवृत्ति में एक सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालिज जारी किया था। इसका उद्देश्य अफसरों को कुशल प्रशिक्षण देना और उनमें आल-इन्डिया सर्विस का सदस्य होने के नामे अभिमान और उत्साह अनुभव करने की भावना जागृत करना है। इस उद्देश्य में इस संस्था ने सन्तोषजनक सफलता भी प्राप्त की है। अब तक इसमें ७८ इन्डियन पुलिस सर्विस के अफसर प्रशिक्षण नमाज़ कर चुके हैं।

तमगे और विल्ले

सरकार का विचार पुराने किस पुलिस मैडल, फायर सर्विसेज मैडल और इन्डियन पुलिस सर्विस मैडल के स्थान पर नए पदक जारी करने का है। पुलिस अफसरों के पद-सूचक विल्लों में ताज के स्थान पर राज्य का चिन्ह सिंह-स्तम्भ रखा जा चुका है। उसमें आदर्श-वाक्य कोई नहीं है। पुलिस और सेना के अफसरों में भेद करने के लिए पुलिस को केवल सफेद धातु के विल्ले दिए जाएंगे। उनकी आकृति सादी होगी और उसके बीच में कोई खांचा नहीं रहेगा।

गणराज्य दिवस पर एक भारतीय स्वतंत्रता-पदक आरंभ करने का निश्चय किया गया था। यह पदक १५ अगस्त १९४७ के पदचात भरती किये गये भारतीय पुलिस और सेनाओं के सदस्यों को दिया जायगा।

वन्दियों को अभय-दान

२६ जनवरी १०५० को सरकार ने कैदियों के लिए एक अभय-दान का ऐलान किया। जिन कैदियों को ३ मार्ग की अवधा उनसे कम की सजा मिली थी वे और १० वर्ष अवधा उनसे कम की सजा पाए हुए जिन कैदियों ने छूट को मिलाकर अपनी आनी सजा भुगत ली थी वे ढोड़ दिये गये। इन प्रकार दग वर्ष में अधिक या आजन्म कैद की सजा पाए हुए वे कैदी ढोड़ दिये गये जिन्होंने कि छूट को मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सजा भुगत ली थी। जो छूट पाने के अधिकारी नहीं थे उनको विशेष छूट दी गयी।

शस्त्र-कानून

सरकार ने आत्म रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस उदारता-पूर्वक देने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे कि कुछ प्रकार के वारूदी शस्त्र हिन्दुस्तान में ही बन सकेंगे और वैसा हो जाने पर नागरिकों को आवश्यक शस्त्र और गोला वारूद दिया जा सकेगा। विदेशों से व्यापारी जो शस्त्रास्त्र मंगाते हैं उनको यथागतित समान रूप से और बिना पक्षपात के वितरण करने का यत्न किया जाता है।

भविष्य में केवल संघ के राष्ट्रपति, राज्यों के प्रमुखों, कुर्ग निवासियों, भूतपूर्व भारतीय रियासतों के राजाओं और उनके वंशजों, ए० डी० सी० और निजी अंगरक्षकों को ही लाइसेंस के नियमों से मुक्त रखा जायगा।

न्याय-विभाग

नए संविधान पर अमल आरम्भ हो जाने के पश्चात फैडरल कोर्ट का स्वातंसर्वोच्च न्यायालय (नुप्रीम कोर्ट) ने ले लिया है। इस समय इसमें एक प्रधान न्यायाधीश और पांच न्यायाधीश हैं। जम्मू और काश्मीर के सिवाय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की व्यवस्था है। शेष सब राज्यों में संविधान के अनुसार एक एक उच्च न्यायालय रहेगा। इस बात को द्रष्टि में रख कर विविध पुराने उच्च न्यायालयों (हाई कोर्टों) के जजों की संख्या पर विचार किया गया था और उनमें से बहुत से अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के अन्यतम न्यायाधीश जस्टिस एस० आर० दास के सभापतित्व में एक कमेटी विविध उच्च न्यायालयों में वचे हुए पीछे के काम की जांच करने और उसका शीघ्र भुगतान करने के उपाय सुझाने के लिए नियत की गई थी।

केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश

सरकार ने केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों के भविष्य पर भलीभांति विचार किया है। कुर्ग के शासन के विषय में नवम्बर १९४९ में यह फैसला किया गया कि अभी उसको यथा पूर्व चलने दिया जाय। जिस (कानफ्रेन्स) सम्मेलन में यह निर्णय किया गया उसमें कुर्ग का भी एक प्रतिनिधि उपस्थित था। पंतपिपलोदा को मध्य भारत के राज्य में मिला दिया गया। अजमेर की स्थिति यथा पूर्व रखी गई। राजधानियों के अन्य नगरों के समान देहली को स्थानीय शासन के मामलों में अधिकतम स्वशासन देने का विचार है। इसके लिए आवश्यक कानून बन रहा है।

अण्डमान और निकोदार द्वीपों के चीफ कमिश्नर को १ करोड़ १० लाख २७ हजार रुपयों का एक अनुदान दिया गया। इसमें १ लाख ६६ हजार का अतिरिक्त अनुदान भी सम्मिलित है। १९५०-५१ के वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर और खेती की भूमि के विकास और मोटर गाड़ियों आदि पर १ करोड़ २५ लाख ७६ हजार २०० रुपये खर्च करने का विचार है।

१९४९-५० में इन द्वीपों की भग्नाकार को १ लाख रुपये इसलिए दिए गए कि जिन लोगों ने द्वीपों पर जापानी शासन के समय जायदादी नुकसान उठाया था उन्हें विना व्याज के ऋण दिया जा सके।

७३२ शरणार्थियों के परिवारों को दक्षिणी अण्डमान द्वीपों में वसाया गया। उनको जमीन-लगान की छूट, पूंजी, बीज, छोटे छोटे खेती के औजार और खाद की सहायता विना मूल्य दी गई। इसके अतिरिक्त कलकत्ता से पोर्टब्लेयर तक यात्रा का व्यय और मकान बनाने के लिए जमीन और आर्थिक सहायता भी दी गई। दिसम्बर १९४९ के अन्त तक १२०० एकड़ भूमि खेती करने वाले परिवारों को दी जा चुकी थी। शरणार्थी किसानों को उधर आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक किसान के परिवार को दस एकड़ जमीन मुफ्त देने, २ वर्ष तक जमीन-लगान न लेने, मकान बनाने के लिए सरकारी जंगल से लकड़ी मुफ्त काटने देने, १७९० रुपया का ऋण और अपने स्थान से अण्डमान तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देने का निश्चय किया है।

इन द्वीपों के चीफ कमिश्नर को शासन-संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए ५ सदस्यों की एक सलाहकार कौंसिल रहेगी।

पोर्टलेन्डर में एक सैन्धुल वैलफेर कोभापरेटिव गोमाण्टी (केन्द्रिक नुग्य-सुविधा सहकारी नंस्था) कपड़े बन्ने और अन्य जीवनापयोगी सामानों के वितरणार्थ बना दी गई है। हाल में पुलिस के लिए वेतार से नदेश भेजने और मंगाने की व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है। पोर्टलेन्डर और भारत के मध्य रेडियो नदेश के आदान-प्रदान की नुविधाओं का संगठन किया गया है। घण्णाथियों के पुनर्वास के अतिरिक्त आगामी वर्ष के लिए कुछ नयी योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। उनमें से कुछ ये हैं (१) इन द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच में आने जाने के लिए दूसरे जहाज की मंजूरी (२) द्वीपों के स्वास्थ्य का सर्व (३) आग वुझाने के इंजनों की खरीद (४) ट्रैकटरों और दूध के पशुओं की खरीद (५) राष्ट्रीय सैनिक दल (नैशनल कैडेट कोर) और इसी प्रकार की अन्य इकाइयों का आरंभ।

गत वर्ष जो दरगाह ल्लाजा साहिव कर्मटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट देंदी है। दरगाह को चलाने और उसका इन्तजाम करने के लिए यथा समय लावश्यक कानून पेश किया जायगा। तब तक के लिए आडिनेस द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को दरगाह का प्रबंधकर्ता नियुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के झंडे

निश्चय किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज-प्रमुखों के अपने अपने झंडे रहें।

राष्ट्रपति का झंडा आयताकार है। उसके चार भाग करके आमने सामने की जमीन सिन्धुरी और लाल रंग की रखी गई है, और चारों भागों में क्रमशः अद्योक्त स्तम्भ, एक तराजू, अजन्ता के चित्रों के

अण्डमान और निकोवार द्वीपों के चीफ कमिश्नर को १ करोड़ १० लाख २७ हजार रुपयों का एक अनुदान दिया गया। इसमें १ लाख ६६ हजार का अतिरिक्त अनुदान भी सम्मिलित है। १९५०-५१ के वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर और खेती की भूमि के विकास और मोटर गाड़ियों आदि पर १ करोड़ २५ लाख ७६ हजार २०० रुपये खर्च करने का विचार है।

१९४९-५० में इन द्वीपों की सरकार को १ लाख रुपये इसलिए दिए गए कि जिन लोगों ने द्वीपों पर जापानी शासन के समय जायदादी नुकसान उठाया था उन्हें विना व्याज के क्रृद्ध दिया जा सके।

७३२ शरणार्थियों के परिवारों को दक्षिणी अण्डमान द्वीपों में वसाया गया। उनको जमीन-लगान की छूट, पूंजी, बीज, छोटे छोटे खेती के औजार और खाद की सहायता बिना मूल्य दी गई। इसके अतिरिक्त कलकत्ता से पोर्टब्लेयर तक यात्रा का व्यय और मकान बनाने के लिए जमीन और आर्थिक सहायता भी दी गई। दिसम्बर १९४९ के अन्त तक १२०० एकड़ भूमि खेती करने वाले परिवारों को दी जा चुकी थी। शरणार्थी किसानों को उधर आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक किसान के परिवार को दस एकड़ जमीन मुफ्त देने, २ वर्ष तक जमीन-लगान न लेने, मकान बनाने के लिए सरकारी जंगल से लकड़ी मुफ्त काटने देने, १७९० रुपया का क्रृद्ध और अपने स्थान से अण्डमान तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देने का निश्चय किया है।

इन द्वीपों के चीफ कमिश्नर को शासन-संवंधी मामलों में सलाह देने के लिए ५ मदर्स्सों की एक मलाहकार कॉसिल रहेगी।

पोर्टलेयर में एक सैन्ट्रल बैलफेर कोवापर्सेटिव गोसाइटी (केन्द्रिक मुख्य-मुविधा सहकारी मंस्ता) कपड़े अम्र और अन्य जीव-नाप्योनी सामानों के वितरणार्थी बना दी गई है। हाल में पुलिस के लिए वेतार से भारत के अंदर मंगाने की व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है। पोर्टलेयर और भारत के मध्य रेडियो भन्देश के आदान-प्रदान की नुविधाओं का संगठन किया गया है। घरणाधियों के पुनर्वास के अतिरिक्त आगामी वर्ष के लिए कुछ नयी योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। उनमें से कुछ ये हैं (१) इन छीपों और मुख्य भूमि के बीच में आने जाने के लिए दूसरे जहाज की मंजूरी (२) छीपों के स्वास्थ्य का सर्वे (३) आग बुझाने के इंजनों की खरीद (४) ट्रैक्टरों और दूध के पशुओं की खरीद (५) राष्ट्रीय सैनिक दल (नैशनल कैडेट कोर) और इसी प्रकार की अन्य इकाइयों का बारंभ।

गत वर्ष जो दरगाह न्वाजा साहिव कमटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट देंदी है। दरगाह को चलाने और उसका इन्तजाम करने के लिए यथा समय आवश्यक कानून पेश किया जायगा। तब तक के लिए आडिनेंस द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को दरगाह का प्रबंधकर्ता नियुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के झंडे

निच्चय किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज-प्रमुखों के अपने अपने झंडे रहे।

राष्ट्रपति का झंडा आयताकार है। उसके चार भाग करके आमने-सामने की जमीन सिन्धूरी और लाल रंग की रखी गई है, और चारों भागों में ऋषभः अशोक स्तम्भ, एक तराजू, अजन्ता के चित्रों के

स्थान पिछड़ी हुई जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये गए हैं। कुछ नौकरियों में कुछ स्थान एंग्लोइण्डियनों के लिए भी सुरक्षित रखे जाएंगे।

अस्थायी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए १९४९ में गृह-मंत्रालय ने सैन्ट्रल सर्विस (टैम्पोरेरी सर्विस) रूल्स जारी किए थे। ऐसा निश्चय किया गया है कि जो व्यक्ति किसी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष काम कर चुके हैं और उस ग्रेड पर रहने के लिए अन्य प्रकार योग्य और उपयुक्त हैं, उनको अर्ध-स्थायी स्थिति प्रदान कर दी जाय। परन्तु अर्धस्थायिता के ये प्रमाणपत्र यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति से दिए जाएंगे।

शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों और युद्ध में सेवा किए हुए कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

राजनीतिक पीड़ितों के लिए रियासतें

ऐसा निश्चय किया गया था कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग या वर्खास्त कर दिए गए थे उन्हें सरकारी नौकरी में पुनः नियुक्ति के योग्य माना जाय। यदि वे अन्य प्रकार योग्य हों तो उनके साथ आयु की सीमा के संबंध में रियायत की जा सकती है। उनकी तनख्वाह, पैन्थान और पद की उच्चता का निश्चय करते हुए उनका पहला सेवा-काल ध्यान में रखा जायगा। यह निश्चय किया गया है कि जो राजनीतिक पीड़ित अस्थायी कर्मचारी थे और जिन्हें फिर काम पर नहीं लगाया गया उनको सेवा के पूरे किए हुए प्रत्येक वर्ष के पीछे आधे महीने की तनख्वाह के हिसाब से पारिनोंपिक दे दिया जाय।

एक योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार यूनियन प्रद्विलक संविस कमीशन टैक्निकल पदों की विविध श्रेणियों को एक मूची तैयार करेगा और उन पदों के लिए प्रार्थना पत्र भेजने के लिए उन मूची का व्यापक प्रकाशन करेगा। यह मूची प्रति वर्ष दोहराई जायगी और सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया जाएगा।

शरणार्थी

गृह-मन्त्रालय के संयुक्त सेवेटरी और डिप्टी सेवेटरी और ट्रांसफर व्युरो के एक अधिकारी की एक कमेटी योग्य शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने और अपनी सिफारियों पेश करने के लिए नियुक्त की गयी थी। इस प्रकार शरणार्थी कर्मचारियों को पुनः उपयुक्त स्थान न मिलने के अपने मामले ग्रह-मन्त्रालय के व्यान में लाने का एक अवसर प्रदान किया गया था।

आत्म-निर्भरता की ओर

१९४९ के आरम्भ में भारत सरकार ने अपने इस निर्णय की घोषणा की कि वह दिसम्बर १९५१ के पश्चात विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना सर्वथा बन्द कर देगी। इसकी पूर्ति के लिए एक व्यक्ति को केन्द्र में खाद्य-उत्पादन के कमिशनर के पद पर नियुक्त किया गया और उसको व्यापक अधिकार दिये गए। उसके नियंत्रण में एक तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति विभाग संगठित किया गया जिसका काम विविध राज्यों में खाद्य-उत्पादन की योजनाओं का समन्वय करना, आर्थिक, टैक्निकल और अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था करना और साधारणतया देश भर में खाद्य-उत्पादन के कार्यक्रमों का नियंत्रण करना है।

भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों को प्रेरित किया कि वे खाद्यान्नों का अपना अपना भाग उत्पन्न करने के लिए खेती की अधिक अच्छी विधियों और खेतों में पैदावार बढ़ाने के उपायों का अवलम्बन करें। विविध राज्यों का भाग प्रत्येक राज्य से यह जान लेने के बाद कि वह कितना उत्पादन बढ़ा सकता है नियत कर दिया गया।

भूमि का पुनर्ग्रहण

अमेरिका से जमीन तोड़ने वाले ३७५ नये भारी ट्रैक्टर और अन्य सामान न रीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने एक करोड़ डालर का अद्यूत भारत को देना स्वीकार किया। इनमें से कुछ ट्रैक्टर यहां पहुँच चुके हैं और कई गज्यों में जंगली धान से टकी हुई जमीनों को

साफ करने के लिए काम में लाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार आशा है कि १९५१ के अन्त तक ८ लाख एकड़ जमीन साफ की जा चुकेगी और उनसे देश में लगभग ३ लाख टन अम्बा का उत्पादन बढ़ जायगा।

जन १९४९ में १ लाख ३५ हजार ६३५ टन अमोनियम सल्फेट विदेशों से मंगाया गया और लगभग ६४ हजार टन भारत में तैयार किया गया। इसमें से १ लाख २३ हजार ८७० टन विविध राज्यों को विना कोई लाभ लिए बांट दिया गया। कृषि-मंत्रालय ने ७१ हजार टन अमोनियम सल्फेट चाय, जूट, कपास, और काफी आदि की खेती के लिए भी दिया।

इसके साथ ही भारत सरकार ने एक केन्द्रिक फौस्फैटिक पूल (संग्रह-केन्द्र) बना कर उसे उचित मूल्य पर फौस्फैटिक खादें बांटने का काम सीधे दिया है।

१९४९ में राज्यों की सरकारों को खाद्य-उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री विना विलम्ब दी गई। विविध राज्य सरकारों द्वारा मांगे गए लोहे और इस्पात का लगभग ५० प्रतिशत, सीमैन्ट का ७५ प्रतिशत और कोयले की मांग का यत त्रिशत पूरा किया गया।

आयात

१९४९ में ४४ लाख २० हजार टन खाद्यान्न देश में ही संग्रह कर लेने पर भी १४८ करोड़ रुपये के खाद्यान्न विदेशों से मंगाने पड़े। इस राशि में से लगभग १४ प्रतिशत मूल्य डालर-क्षेत्रों को गया।

सोवियत रूस और अर्जेन्टाइना के साथ वस्तुओं की अदल बदल का एक समझौता किया गया। सोवियत रूस ने ५५ हजार टन चाय और कच्चा जूट और एक हजार टन एरंड का तेल लेकर ८१ हजार मैट्रिक टन (२,००० पौंड का टन) गेहूँ देना स्वीकार किया। यह सब गेहूँ भारत पहुँच चुका है। अर्जेन्टाइना ने ५०,००० टन हैसियन के बदले ३ लाख ९० हजार टन गेहूँ देना स्वीकार किया। अन्य प्रथक समझौतों के अनुसार भारत ने जूट के बोरे, कच्चा जूट और चाय देकर सोवियत रूस से २० हजार टन मकई, मोरख्को से ३६ हजार टन जौ, युगोस्लाविया से २० हजार टन मकई और मिश्र से ४० हजार टन चावल मंगवाया। भारत ने पाकिस्तान को २१ हजार टन गेहूँ का मैदा देकर इसी परिमाण में गेहूँ के बीज लिए।

खाद्य-मंत्रालय ने अपना एक अधिकारी ईराक और मिश्र भेजा कि वह वहां कमशः जौ और चावल की खरीद और लदान का निरीक्षण करे। उसे ईराक से जौ का जहाज-भाड़ा ५० प्रतिशत कम करवाने में सफलता हो गई और इससे ६ लाख रुपये की बचत हुई। उसने खरीदने वाले एजेन्टों के कमीशन और निगरानी के खत्तों में कमी करवा कर भी ५०,००० रुपए की बचत की। उसके मिश्र जाने का एक लाभ यह हुआ कि उसने माल घटिया होने की कटीती १ लाख ३५ हजार रुपये की और जहाज-भाड़े में डेढ़ लाख रुपये की कमी करवा ली। आयात किए हुए इस माल में से डेढ़ लाख टन माल भारतीय जहाजों में आया। भारत सरकार को आयात किए हुए खाद्यान्नों की प्राप्ति और उनको घाटे से बेचने में १९४९-५० में लगभग २९ करोड़ ७० लाख रुपये का व्यय पड़ा।

राशनिंग

जहां कृषि-मंत्रालय खाद्य का उत्पादन बढ़ाने में लगा रहा वहां खाद्य-मंत्रालय राशनिंग की व्यवस्था स्थिर रखने का प्रयत्न करता रहा और इस प्रयोजन के लिए उसने ३७ लाख टन आयात किए हुए खाद्यान्नों का प्रयोग किया। अतिरिक्त अन्न बाले राज्यों ने अल्पान्न क्षेत्रों के लिए ३ लाख २० हजार टन माल दिया। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि बम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ में अत्यधिक दुर्लभता रही तो भी वहां भूख के कारण किसी की प्राण हानि नहीं हुई।

३१ दिसम्बर १९४९ को लगभग ३५० नगरों में नियमित और ५४० नगरों में अनियमित राशन व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७० लाख कस्त्रों और ग्रामों में वसने वाली आवादी नियमित अथवा अनियमित राशनिंग का लाभ उठा रही थी। १९४९ में जो आवादी विविध प्रकार की राशनिंग का लाभ उठा रही थी उसकी संख्या ११ करोड़ २० लाख थी। मद्रास, पश्चिमी बंगाल और त्रिवांकुर कोचीन के अतिरिक्त सब राज्यों में राशन का परिमाण ६ छंटाक प्रति व्यक्ति प्रति दिन था और इन राज्यों में पहले दै महीने तक यह परिमाण ५ छंटाक था।

भारतीय बन्दरगाहों में आयात खाद्यान्न के पहुँचने पर उसका निरीक्षण करने का यह लाभ हुआ कि भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया से घटिया किस्म का गेहूँ भेजने के कारण ३५ लाख रुपए और वर्मा तथा स्थाम से चावल खराब भेजने के कारण क्रमशः ८० हजार रुपये और ४ लाख १४ हजार ६५० रुपये की कटौती का दावा किया। निरीक्षक-विभाग के कायलिय ने औसत उचित किस्म का जो दर्जा

नियत कर दिया है उसे अधिकतर सब राज्यों की सरकारों ने अपना लिया है। इस विभाग ने सम्बद्ध राज्यों के अधिकारियों के लिए अजमेर, पटियाला, पटना, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और गोहाटी में निरीक्षण कार्य में प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

माल का गोदाम में रखना

माल इकट्ठा रखने वाले विभाग (स्टोरेज डायरेक्टरेट) ने विविध राज्य-सरकारों को अन्न की आवश्यक रक्षा करने के विषय में सलाह दी। इसने राज्य-सरकारों को कृमि-नाशक दवाइयां, धूनी देने वाली दवाइयां और खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने के लिए आवश्यक अन्य सामान प्राप्त करने में सहायता दी। पटियाला, पटना, कलकत्ता बम्बई, कानपुर और जम्मू में गोदामों में माल रखना सिखाने की कक्षाएं लगाई गयीं।

इस वर्ष ३७ लाख टन आयात किए हुए खाद्यान्न बन्दरगाहों में भीतर के विविध स्थानों को भेजे गये। एक राज्य से दूसरे राज्य को जो खाद्यान्न भेजे गये उनका परिमाण ६ लाख टन था।

अक्तूबर १९४९ के मध्य तक खरीफ की फसलों के आसार सन्तोषजनक थे। परन्तु इसके बाद उत्तर प्रदेश में अति वर्षा से, विहार में बाढ़ों से और मद्रास में आंधी और तूफानों के कारण बहुत हानि हुई। रवी की फसलों के आसार सब मिलाकर खासे हैं। १९५० में १९४९ की अपेक्षा २० लाख टन अन्न अधिक उत्पन्न होने की आशा है।

भारत सरकार ने दिग्मवर १९४९ में राजस्थान में भूमि के नीतरी जल बोर्ड का संगठन किया था। राजपूताना के रेगिस्तानों

में जो प्रारंभिक काम किया गया है उसने ज्ञात होना है कि समदरी से तिलबाड़ा तक ४० मील के प्रदेश में भूगि के नीचे मीठा पानी विद्यमान है। यह पानी बहुत बड़ी भूमि को सीचने और हजारों लोगों के पीने के लिए पर्याप्त होगा। समदरी के पास साढ़े चौदह फुट गहरा कुँआ खोदने पर २५ हजार गैलन पानी प्रति घंटा निकलता है, और इसका प्रयोग खेती के लिए किया जाता है। लूनी नदी से आध मील की दूरी पर (वार्सिंग) वरमें छारा गुदार्ह करने से १० हजार गैलन पानी प्रति घंटा निकला।

पीधों की रक्षा

बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में टिड्डियों के हमले का सामना करने के लिए सेनाओं को बुलाना पड़ा। अकेले बीकानेर में जुलाई १९४९ में टिड्डियों की संख्या १० हजार २०० प्रति वर्ग मील तक पहुंच गई थी। नवम्बर १९४९ तक टिड्डियों का आतंक रोक दिया गया था। परन्तु टिड्डियों के एक नए हमले का भय हो गया है और देश के विविध भागों में उनके २०० के लगभग छुंड देखे गये हैं।

पीधों की रक्षा के लिए खासा काम किया गया। दक्षिण में रोडोलिया गोवरोल नामक कीड़ों के पालन और प्रयोग द्वारा पीधों की महामारी के फैलाव को सफलतापूर्वक कम कर दिया गया। अजमेर में मकई, ज्वार और बाजरे की ३० एकड़ खेती में फड़का नामक टिड्डे साफ किये गए। कुर्ग में, २० हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षों और पीधों आदि पर कैंकर, डाईवैक और मौटल लीफ नामक कृमियों का नाश करने वाली दवा छिड़की गई।

कृषि-अनुसंधान फौन्सिल

भारतीय कृषि-अनुसंधान कौन्सिल ने विविध राज्यों में कृषि और पशु-पालन की तीन हजार अनुसंधान योजनाओं को आधिक सहायता दी।

टेपियोका और शकरकन्द की खेती में उन्नति के लिए अनु-संधान पर और गेहूँ के मंडूर को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह कीड़ा गेहूँ का बड़ा नुकसान करता है। कृषि और पशुपालन के अनुसंधान के परिणामों को देहली के पास दस ग्रामों में सम्मिलित रूप से प्रयोग करके देखा गया।

कटक की केन्द्रिय चावल अनुसंधान संस्था ने ७३ परीक्षण किए। अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए और संसार भर से चावलों की २,५०० किस्में इकट्ठी करके उनका रखण किया गया। इन किस्मों का अध्ययन करने से मालूम हुआ है कि इनमें से कुछ किस्में बहुत जलदी पक जाती हैं और अधिक पैदावार देती हैं। इनके बीजों को बड़ी मात्रा में तैयार करने की शीत्र ही व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्रिक आलू अनुसंधान संस्था अगस्त १९४९ में पटना से पूना ले जाई गई। पहले शिमला, मोवाली और कुफरी में आलू संवंधी अनुसंधान की जिन योजनाओं पर अमल हो रहा था उन्हें इस संस्था ने अपने हाथ में ले लिया है। संस्था का कार्यक्रम महत्वाकांक्षापूर्ण है। उसमें विविध क्षेत्रों के लिए सर्वोत्कृष्ट किस्म द्वारा अधिक फसल तैयार करने का परीक्षण फसल को लगने वाली कुई कीड़े और कीटाणु-सम्बंधी प्रमुख रोगों का निरीक्षण अन्वेषण

राजियक अनुसंधान योजनाओं पर अमल किया। विविध राज्यों के ३१ विद्यार्थी इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शूगर ट्रेवनोलीजी की विविध पाठ्यविषयों में प्रविष्ट किए गए।

कोयम्बत्तूर के गन्ना उत्पादन केन्द्र ने मिली जुली नस्ल के बहुत से बीज लेकर उनसे अच्छा गन्ना पैदा करने का काम हाथ में लिया। वहां तैयार किए हुए लगभग ५० बीज विविध राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों में परीक्षा के लिए चुने गए। अमेरिका से जो 'सोरगम' मंगाए गए थे उनकी भारतीय किस्मों के साथ कलम लगाई गई, जिससे कि जल्दी फलने वाला गन्ना तैयार किया जा सके। कीड़ों मकोड़ों और रोगों के संबंध में भी खोज जारी रही और गन्ने को खोखला कर देने वाले कीड़ों के संबंध में जानकारी इकट्ठी की गई।

भारतीय केन्द्रिक तम्बाकू कमेटी ने गन्तूर, गजामुन्द्री, नैपानी और आनन्द में अपना खोज का काम जारी रखा।

भारतीय केन्द्रीय तिलहन कमेटी ने अधिक पैदावार देने वाली किस्में तैयार करने के लिए और कीड़ों और रोगों का नियंत्रण करने के लिए विविध राज्यों में १५ योजनाओं को आर्थिक सहायता दी। कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेल पेलने के व्यवसाय का विकास करने के लिए भी कुछ योजनाओं पर अमल किया।

भारतीय नारियल कमेटी ने आगामी पांच वर्षों में १५ केन्द्रों में नारियल की नरसरियां स्थापित करने की योजनाओं का काम हाथ में लिया। ब्रावंकोर और उड़ीसा में तीन प्रादेशिक केन्द्र खोले गए। इन केन्द्रों में नारियल की खेती के कृषि और खाद संबंधी

और नियंत्रण, खेत में और गोदामों में लगने वाले कीड़ों का अनुसंधान और नियंत्रण और विहार राज्य में बीज उत्पन्न करने वाले और उन्हें प्रमाणित करने वाले संगठन का निर्माण भी सम्मिलित है। आलू के लिए अच्छे बीजों का उत्पादन, संग्रह और वितरण बहुत महत्वपूर्ण है।

कुल्लू में जून १९४२ में सब्जियां उपजाने का केन्द्र (सेन्ट्रल बेजिटेवल वर्डिंग स्टेशन) खोला गया। इसे खोलने का प्रयोजन यह है कि निजी तौर पर सब्जी बोनें वालों के लिए ऐसी मूल्यवान यूरोपियन सब्जियों के पीछे तैयार किए जाएं जो कि भारतीय अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकती हैं।

ताड़ के गुड़ का विकास करने वाले केन्द्र के कर्मचारियों के नेतृत्व में १८ राज्य अपनी विकास योजनाओं को बढ़े पैमाने पर चलाते रहे। इन योजनाओं पर कुल व्यय ८ लाख ५० हजार २४५ रुपये हुआ और केन्द्रिक सरकार ने २ लाख ५० हजार ५२३ रुपये की सहायता दी।

मितम्बर १९८९ में भारतीय मुपारी कमेटी संगठित की गई थी। उसने उपयुक्त राज्यों में मुपारी के पीथाघर स्थापित करने का काम हाथ में लिया है। जिला मलावार और उड़ीसा में मुपारी के अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। बम्बई में बैंड, नामक रोग के विषय में खोज की जा रही है। यह कमेटी विदेशों में आयात की हुई मुपारी के परिमाण और मूल्य को भी नियंत्रित करेगी।

भूमि के प्रत्येक एकड़ ने गम्भे की अधिकाधिक उगाज तैयार रखने के लिए भारतीय गम्भा कमेटी ने नात केन्द्रिक और १५

राजियक अनुसंधान योजनाओं पर अमल किया। विविध राज्यों के ३१ विद्यार्थी इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शूगर टेननोलॉजी की विविध पाठ्यविधियों में प्रविष्ट किए गए।

कोयम्बत्तूर के गन्ना उत्पादन केन्द्र ने मिली जुली नस्ल के बहुत से बीज लेकर उनसे अच्छा गन्ना पैदा करने का काम हाथ में लिया। वहां तैयार किए हुए लगभग ५० बीज विविध राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों में परीक्षा के लिए चुने गए। अमेरिका से जो 'सोरगम' मंगाए गए थे उनकी भारतीय किस्मों के साथ कलम लगाई गई, जिससे कि जल्दी फलने वाला गन्ना तैयार किया जा सके। कीड़ों मकोड़ों और रोगों के संबंध में भी खोज जारी रही और गन्ने को खोखला कर देने वाले कीड़ों के संबंध में जानकारी इकट्ठी की गई।

भारतीय केन्द्रिक तम्बाकू कमेटी ने गन्तूर, गजामुन्द्री, नैपानी और आनन्द में अपना खोज का काम जारी रखा।

भारतीय केन्द्रीय तिलहन कमेटी ने अधिक पैदावार देने वाली किस्में तैयार करने के लिए और कीड़ों और रोगों का नियंत्रण करने के लिए विविध राज्यों में १५ योजनाओं को आर्थिक सहायता दी। कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेल पेलने के व्यवसाय का विकास करने के लिए भी कुछ योजनाओं पर अमल किया।

भारतीय नारियल कमेटी ने आगामी पांच वर्षों में १५ केन्द्रों में नारियल की नरसरियां स्थापित करने की योजनाओं का काम हाथ में लिया। त्रावंकोर और उड़ीसा में तीन प्रादेशिक केन्द्र खोले गए। इन केन्द्रों में नारियल की खेती के कृषि और खाद संबंधी

परीक्षण किए गए और इन प्रदेशों से संबद्ध स्थानीय समस्याओं के संबंध में खोज की गई।

कृषि अनुसंधान इन्स्टीट्यूट

नवीदिल्ली का भारतीय कृषि अनुसंधान (इन्स्टीट्यूट) संस्था कृषिविषयक ऊँचा शिक्षण देने के लिए भारत की एक मानी हुई संस्था है। इस संस्था का सदस्य बनना भारतीय यूनिवर्सिटियों की एम॰एस॰सी॰ डिग्री प्राप्त करने के समान माना जाता है। १९४९-५० में ८७ विद्यार्थियों ने इन्स्टीट्यूट में अपना अध्ययन समाप्त किया और ५४ नए प्रविष्ट किए गए।

इन्स्टीट्यूट ने भूमि, फसलों, पशुओं, क्रिमियों और रोगों के विषय में सम्मिलित अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया। इस संस्था ने ग्रन्ती-नवंधी ग्रिजां, वीजों के परिमाण (कितने स्थान में कितना वीज दोया जाय) तथा पौधों के वीच में अन्तर, बोवार्ड, देहाती और मिट्टी को उल्टने वाले हूँडों और घास के मैदानों के मुवार के संबंध में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया।

ग्रन्ती के यन्त्रों के विभाग (एग्रीकल्चरल एंजीनियरिंग डिविजन) ने एक ऐसा देहातीहूल बनाया है जिसमें एक ही बैल-जोड़ी से हूँड की दो फल्लियां चल सकती हैं।

परीक्षणीय भूमि की मिट्टी के बहुत से नमूनों का विश्लेषण किया गया। इन्स्टीट्यूट के नमीप एक नये व्यान पर और नवंश धारी में, मिट्टी और भूमि के उपयोग का मूल्य निर्धारित करने के कार्य निर्गत किए गए।

इन्स्टीट्यूट गेहूँ और अलसी में कंडूर (रस्ट) को रोकने की ओर
मटर की एक किस्म में विल्ट को रोकने की शक्ति बढ़ाने में लगा रहा।
गेहूँ की ऐसी किस्में तैयार की गयीं जिनमें तीन प्रकार का कंडूर
(रस्ट) नहीं लगता। अलसी के भी ऐसे बीज तैयार किए गए जो
कंडूर (रस्ट) से बचे रहते हैं। राजदों में उनकी परीक्षा की जा
रही है। ये तीनों में पैदा होने वाले टमाटर की जंगली टमाटर से कलम
लगा कर एक ऐसा टमाटर तैयार किया गया जो जल्दी पक जाता
है और जिसमें विटामिन 'सी' की मात्रा अधिक होती है।

कई फुई-विनाशक औषधियों की परीक्षा की गई और उनका
मर्कई, ज्वार, वाजरा, जई, जो और आलुओं की फसलों पर सफ-
लतापूर्वक प्रयोग किया गया। पीथों, विशेषतः टमाटर और हैम्प
के विपैले तत्वों के संबंध में खोज की गई।

दै जातियों के भारतीय कीटों की सूची तैयार की गई। दालों
में लगने वाले कीड़ों का पशु-शरीर-विज्ञान की द्रष्टि से अध्ययन
किया गया। आलू के कन्द कीट के परामर्भोजी अंड का मौलिक
अध्ययन किया गया।

पशु-चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान

इजत नगर की केन्द्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था में
अध्यापन एन्ड्रियिक वस्तुओं के निर्माण और पशु-चिकित्सा तथा
पशु-पालन संबंधी अनुसंधान का कार्य जारी रहा।

इस संस्था ने गाय-बैल के रोगनाशक तरल, लीहू ज्वर तरल
और मुर्गी की चेचक के लिए स्त्राव आदि १७ प्रकार की रोगनाशक
दवाएं बनाई हैं। कुल मिलाकर ४२ करोड़ १९ लाख ९१९ खुराकें

तैयार की गयीं। इनके द्वारा लाखों पशुओं की छूत के रोगों से रक्षा हुई और लाखों रुपये की बचत हुई।

भारतीय मुर्गी पर यह देखने के लिए परीक्षण किए गए कि वह किस आयु तक उपयोगी रहती है और उसको गेहूँ और चावल की जगह क्या खिलाया जा सकता है।

बंगलौर की दुग्धशाला अनुसंधान संस्था (इण्डियन डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट) में इस वर्ष १०२ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। जो विद्यार्थी अपना इण्डियन डेयरी डिप्लोमा कोर्स का शिक्षण पूरा करके निकले उनकी जगह ३६ विद्यार्थी नये प्रविष्ट किए गए। बंगलूरु गृनिवासिटी इस संस्था को स्नातक के उपरान्त शिक्षण का केन्द्र मानती है। इस इन्स्टीट्यूट में सिन्धी, गिर और थारपारकर गोओं और मुरा भेंगों का पालन होता है। सब मिलाकर इन पशुओं की मंज्या ५८६ है। इस इन्स्टीट्यूट में त्रिम गर्भाधान का प्रक्र केन्द्र नलाया जा रहा है जिससे आस-पास के ग्रामों ने अपने पशुओं की नम्ब उम्रत करने में सहायता प्राप्त की।

मत्स्य अनुसंधान

उद्याने का मछलियों के अनुसंधान का देश के भीतर का केन्द्र (मैट्टुल इन्स्टीट्यूट फिल्मीज रिसर्च स्टेशन) बम्बई का गहरे समुद्र में मछली अनुसंधान का केन्द्र (पाइलट ट्रीप मी फिर्सिंग स्टेशन) और मदगास द्वा इन्स्टीट्यूट मीर्गिन फिल्मीज स्टेशन अपना अनुसंधान का, मछली पकड़ने का और गिरष का काम करते हैं। भारत सरकार ने इन स्टेशनों को मछलियों का उत्पादन बढ़ाने की सहायता पर बम्बल राज्य के लिए नियमन दी। वाम्बे ट्रीप-मी

फिसिग स्टेशन जो पुराना मछली पकड़ने का जहाज काम में ला रहा था उसकी जगह हालेंड से दो मछली पकड़ने के जहाज और इंगलैंड से दो 'रीकी' नौकाएं मंगाई गई हैं।

वन-विज्ञान शिक्षण

देहरादून की वन अनुसंधान संस्था (फौरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट) से संबद्ध इण्डियन फौरेस्ट रेन्जर्स कालिज और मद्रास फौरेस्ट रेन्जर्स कालिज में विद्या प्राप्त करके १२१ अफसर और २४१ रेन्जर निकले।

फौरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट की जंगलात उगाने वाली शाखा (सिल्वी कल्चर) ने अपना अनुसंधान का कार्य जारी रखा। उसका संबंध मुख्यतया फसलें तैयार करने के विविध उपायों, विविध फसलों का लेखा रखने और उनकी उत्पादन की आवश्यकताओं आदि से था। इसने इस वर्ष अनुसंधान के संबंध में १८ पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। वनस्पति विज्ञान विभाग ने सरकारी और गैर-सरकारी सूचों से प्राप्त लगभग २५०० नमूनों की शनाक्त की। इसने एक बहुत बड़े वनस्पति उद्यान को भी सुरक्षित रखा जिसमें एक लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। इनमें इस वर्ष ३४१७ नई पट्टियां बढ़ाई गईं, जिनमें दो नई श्रेणियां और सात नई जातियां थीं। इसके लकड़ियों में लगाने वाले कीड़ों के अध्ययन के विभाग ने भारतीय लकड़ियों को सड़ाने वाली फुई, साल की लकड़ी में लगाने वाले क्रिमि रोगों और नोकदार चीड़ (कोनिफर) तथा अन्य इसी प्रकार के वृक्षों के रोगों को प्रमापण करने का काम किया। काष्ट प्रोद्योगिकी संकाशन ने लकड़ियों के अध्ययन पर चार पुस्तिकाएं प्रकाशित

कीं। इस सैक्षण ने विदेशी देवदार का स्थान लेने के लिए घटिया लकड़ियों को तैयार करने की दो विधियां पूरी कीं।

प्राणविज्ञानी आपरीक्षण

भारत का जीव जन्तु संबंधी आपरीक्षण करने का उत्तरदायित्व गी कृषि मंत्रालय पर है। इस संगठन का काम अपने आधीन इकट्ठे किए हुए देश के जीव जन्तुओं के पालन पोषण, रक्षण और उनको संभालने का है। इसने चार विद्यार्थियों को प्राणविज्ञान का उच्चतम शिक्षण देकर तैयार किया है। तीन अनुसंधान के विद्यार्थियों ने डायरेक्टर के मात्रहत अनुसंधान का काम किया।

चनस्पति संबंधी आपरीक्षण

कल्कत्ता का बोर्टिनिगल सर्वे आफ इण्डिया भी कृषि-मंत्रालय के मात्रहत है। भारत के पूर्वी कोने में चिकित्सक गुण रखने वाले अनेक औपचिन्द्रिय प्रचुर मात्रा में उगते हुए पाए गये हैं। पंचमढ़ी की पश्चात्तियों में दो ऐसे प्रोत्ते जंगल भर में उगते हुए पाए गए जिनसे उड़ने वाले नेल निकल जाते हैं। अब तक ऐसा ग्याल या कि ये प्रोत्ते के बदल उत्तर-पश्चिमी हिमालय में उत्पन्न होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

इसी मंत्रालय दो अनेक नामांकित नगद्यार्थी का नामना रखता रहा। वो भी इसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भाग लेने के लिए कम्युनिटील किया। यह गाय और कृषि के मंगठन (फूट पूर्व एवं बालर और नाटररेशन) का नदम्य बना रहा। इन एजिया

और सुदूरपूर्व के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन और हिन्दू तथा प्रशांतमहासागर के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय (फिसरीज) मछलियों की कौंसिल बनवाने में सफलता हुई। फूड एण्ड एग्रिकल्चरल ऑर्गनाइजेशन ने भारत में दो प्रादेशिक कानफॉन्सें कीं, एक जंगलात के विषय में और दूसरी देहाती सहयोग के बारे में। फूड एण्ड एग्रिकल्चरल ऑर्गनाइजेशन के पांचवें अधिवेशन ने एक अतिरिक्त पण्य कमेटी का संगठन किया जो कि जरूरत मन्द देशों को अतिरिक्त पण्य की रसद का प्रवान्ध किया करेगी। भारत का प्रतिनिधि इस कमेटी का चेयरमैन चुना गया।

समाज के स्नायु-मण्डल

परिवहन के केन्द्रिक बोर्ड की स्थापना परिवहन मंत्रालय ने की थी। इसके प्रधान लक्ष्य दो हैं। सब प्रकार के परिवहन में भवित्व करना और परिवहन की योजनाओं और उन पर अमल को नाधारण आर्थिक विकास की योजनाओं से संबद्ध रखना। बोर्ड का लक्ष्य नियन्त्रण प्राथमिकता के अनुसार माल का अधिकतम फलदायक परिवहन करने के नाथ साथ परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करके रेलों का भार हल्का करना है।

आनंद में ही बोर्ड ने निश्चय किया कि इस्पात, वस्त्र और नीमेट के परिवहन के लिए पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक ऐसी कार्य प्रणाली निश्चित की गई कि जिन वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है उनकी उपेक्षा करके कोई माल न ले जाया जा सके।

गत वर्ष सड़कों के पुल बनाने और उनकी कमियों को पूरा करने के काम को सर्वाधिक प्राचमिकता दी जाती रही । पुलों की जो योजनाएं पूरी हुईं उनमें विहार में ग्रन्ट ट्रॅक रोड पर बाराकर और पुनपुन के पुल तथा उत्तर प्रदेश में चैंट ट्रॅक रोड (एन० एच० नं० २) पर बनारस में मालवीय रेलवे पुल पर सड़क का निर्माण उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त इस वर्ष महानदी की कठजुरी और कूबाखार्ड शाखाओं पर मद्रास कलकत्ता ट्रॅक रोड (एन० एच० नं० ५) पर कटक के समीप दो पुल और नल्लोर के समीप पेन्नार नदी पर एक पुल बन रहे थे ।

बनारस-केपकोमोरिन सड़क (एन० एच० नं० ७) पर पुगालुर में कावेरी नदी पर एक बड़ा पुल (२,३४६ फुट) बन रहा है । बम्बई-कलकत्ता सड़क पर (एन० एच० नं० ६) महानदी पर दो पुल बन रहे हैं । एक सम्बलपुर के पास और दूसरा रायपुर-सम्बलपुर मार्ग पर आरंग के पास । आम्बडी के पास तांसा नदी पर और बम्बई राजपूताना-देहली सड़क (एन० एच० नं० ८) पर सूर्या नदी पर भी एक एक बड़ा पुल बन रहा है । विहार राज्य में विहार-आसाम सड़क (एन० एच० नं० ३१) पर बाखरा और किटचिनिया नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं ।

बम्बई-कलकत्ता सड़क (एन० एच० नं० ६) पर ब्राम्हणी पुल पर काम आरम्भ हो चुका है । जलन्धर-दसुआ-पठानकोट रोड (एन० एच० नं० १५) पर मिर्यल के पास व्यास नदी पर एक ऐसे पुल का निर्माण आरम्भ हो चुका है जिस पर रेल पथ और सड़क अगल बगल से रहेंगी ।

राजपथ

उत्तरी विहार को आसाम से मिलाने वाली सड़क (एन०-एच० नं० ३१) पाकिस्तान का प्रदेश वचाकर बनाई गई है और आमदरमत्त के लिए खुल चुकी है।

जलन्धर-पठानकोट (एन० एच० नं० १ ए) और बम्बई-राजपूताना देहली सड़क (एन० एच० नं० ८) के तवा-तालासराय भाग में जिन स्थानों पर मार्ग बना हुआ नहीं था वहां बनाने का काम हाव में लिया जा चुका है। पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में से गुजरने वाली सड़क (एन० एच० नं० ३४) के आवश्यक नए मार्ग बनाए जा रहे हैं।

अगरतला से आसाम की सीमा तक केवल भारतीय प्रदेश में से गुजर कर जाने के लिए चूडाईवाड़ी (निपुण सीमा) अगरतला सड़क बनाई जा रही है।

इस वर्ष (१९४९-५०) केन्द्रीय राजपथ निधि से जो धन प्राप्त हुआ था उससे एक एक लाख रुपये से अधिक लागत के दृष्टान्त काम पूरे किये गये। इन सब पर कुल २४ लाख रुपया खर्च आया।

अनुसन्धान और औद्योगिक शिक्षण

इण्डियन रोड कांग्रेस की विविध कमेटियों द्वारा तैयार किए हुए कई निवन्ध और लेख उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये। इस संस्था के सदस्यों को ये पत्रिकाएं विना मूल्य और अन्य लोगों को मूल्य से दी जाती हैं।

देहली-आगरा सड़क पर ओखला के समीप सड़क अनुसन्धान संस्था (रोड रिसर्च-इन्स्टीट्यूट) की स्थापना के लिए एक जगह ले ली गई है। सड़कों के इंजीनियर के कार्यालय यें उपलब्ध सामग्री द्वारा एक अस्थायी प्रयोगशाला बनाई जा रही है। राजपथ अनुसन्धान का एक डायरेक्टर नियुक्त किया जा चुका है और टेक्निकल कार्यों के समन्वय के डाइरेक्टर (डायरेक्टर आफ टेक्निकल-ऑफिनेशन) के पद पर कोई योग्यव्यक्ति नियुक्त करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

सड़क बनाने की नयी विधियां प्रदर्शित करने वाली १४ फिल्में अनेक केन्द्रों में जनता के शिक्षण के लिए प्रदर्शित की गयीं।

केन्द्र के और राज्यों के विविध निर्माण विभागों में काम करने वाले इंजीनियरों में से चुन कर ५२ को अमेरिका भेजा गया और

उन्हें सड़क बनाने के नवीनतम उपायों का विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाया गया ।

वेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स आफ इण्डिया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें देश की सड़कों का विवरण दिया गया है । यह पुस्तिका निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) के अधिकारियों और मार्ग-निर्माण से संबद्ध अन्य सरकारी कर्मचारियों में वितरित की गई । इसमें भारत की सड़कों से सम्बद्ध आंकड़े संगृहीत हैं ।

सड़क कूटने के इंजनों के स्वदेश में निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा मार्शल्स और जसप्स नामक कारखानों को ९५० स्टीम और ४७५ डीजल रोलर बना कर सप्लाई करने का ठेका दिया गया है । ३१ मई १९५० तक ४९६ स्टीम और २२८ डीजल रोलर बनाए जा चुके थे ।

रेल और सड़क का समन्वय

सड़कों और रेल की लाइनों के समन्वय में और सड़कों द्वारा परिवहन के संगठन में महत्वपूर्ण उन्नति की जा चुकी है ।

मद्रास शहर की समस्त बस सर्विस का राष्ट्रीय करण हो चुका है । निजी स्वामित्व के समय यह सर्विस सबह मार्गों पर चल रही थी । अब सरकार इसे ३७ मार्गों पर चला रही है और लगभग तीन सौ गाड़ियां काम में आ रही हैं ।

वर्मर्ड प्रथम राज्य है जिसमें कि केन्द्र की और राज्य की सरकारों की संयुक्त पूँजी से संचालित एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन

का संगठन किया गया है। इसका लक्ष्य जनता के लिए कम वर्चली और बढ़िया 'रोड ट्रांस्पोर्ट सर्विस' की व्यवस्था करना है। दोनों सरकारों ने निश्चय कर लिया है कि मुनाफा ५ प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायगा और इसमें अधिक जो लाभ होगा उसका उपयोग यात्रियों की मुविधा, कर्मचारियों के मुख और नड़कों की उन्नति के लिए किया जायगा।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक 'डायरेक्टर बाफ ट्रांस्पोर्ट' का संगठन किया है जो कि कलकत्ता की सवारी गाड़ियों का राष्ट्रीय-करण (पसेन्जर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम) करने के अतिरिक्त राज्य में रेल और सड़क के समन्वय को भी विकसित करने की योजनाएं बनाएगा।

उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क व्यवस्था (रोडवेज आर्ग-नाइजेशन) ने कई नये रास्तों पर बस सर्विस आरम्भ की है। यह व्यवस्था राज्य के प्रायः सभी महत्वपूर्ण रास्तों पर बसें चला रही है।

पंजाब सरकार का भी सड़कों के यातायात का राष्ट्रीयकरण करने और उसकी योजना में रेलवे को वीस प्रतिशत पूँजी लगाने की इजाजत देने का विचार है। इस राज्य की सरकार ने कुछ नगरों में और कुछ ग्रामों के रास्तों पर सवारी की मोटर लाइसेंस (पसेन्जर ट्रांस्पोर्ट सर्विस) को चलाने का काम अपने महकमों द्वारा करवाना आरम्भ भी कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रायः सब रोड ट्रांस्पोर्ट सर्विसों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी है और इस समय उन्हें स्वयं चला रही है।

राज्यों की सरकारों को अपनी 'रोड ट्रांस्पोर्ट सर्विसों' का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है। रोड ट्रांस्पोर्ट के अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे परमिटों पर बिना रोक-टोक के 'अपने हस्ताक्षर करते रहें' जिससे कि विविध राज्यों और प्रदेशों में माल का आना जाना निर्वाध हो सके।

दिल्ली में सरकार ने ग्वालियर एण्ड नार्दन इण्डिया ट्रान्स्पोर्ट कम्पनी से १८० बसें लेकर उनमें १२४ नवी बसें और मिला दीं। इस समय सरकार के पास १९५ बसें सड़क पर चलने लायक हैं जिनमें १५० तो रोजाना सर्विस में चलती रहती हैं और शेष मरम्मत आदि के लिए रखी जाती हैं।

पेट्रोल का खर्च

१९४० में समस्त अविभाजित भारत का पेट्रोल का मासिक व्यय, सेना का खर्च मिला कर, ८५ लाख गैलन था। अब विभाजित भारत में, सेना का खर्च अलग कर देने पर, राशन के आधार पर मासिक व्यय मोटे हिसाब से १४० लाख गैलन होता है। १९४० में अविभाजित भारत में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या १,७०,००० थी। आज विभक्त भारत में उनकी संख्या २,८७,००० से ऊपर है।

सड़कों के नियम

सड़कों का प्रयोग करने वाले लोगों के विविध वर्गों को सड़कों के नियमों से परिचित करने के लिए हाल में भारतीय सड़कों पर मुरखा के नियम संवंधी एक पुस्तिका (इण्डियन हाइवे सेफ्टी कोड) प्रकाशित की गई है। राज्यों की सरकारें इसे स्थानीय भाषाओं

में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेंगी। उन संस्थाओं से जो सुरक्षा के नियमों की और मोटर-वालों का ध्यान खींचती हैं यह प्रार्थना की गई है वे "सेफड्राइविंग" कॉम्पिटीशन अर्थात् सुरक्षा-पूर्वक गाड़ी चलाने की प्रतियोगितायें शुरू करने की सम्भावना पर विचार करें, जिससे कि लोगों में ड्राइविंग की कुशलता बढ़े और वे सड़क का शिष्टाचार पालन करने के अभ्यासी हो जायें।

बन्दरगाहों का शासन

कलकत्ता, वम्बई और मद्रास के पुनर्गठित 'पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड' अब भी यथापूर्व, व्यापारिक चेम्बरों, और स्थानीय म्युनिस्पलिटियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा मजदूर संगठनों, भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के नामजद सदस्यों से मिलकर बनते हैं। परन्तु अब उनके निर्वाचित सदस्यों में भारतीय व्यापारिक स्वार्थों की प्रमुखता रहती है।

प्रमुख बन्दरगाहों के मजदूरों में यदि असन्तोष तथा अशान्ति फैले हुए न हों तो वे माल की सप्लाई और जनता के जीवन की आवश्यक सेवाओं को निरंतर स्थिर रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस कारण देश के मुख्य बन्दरगाहों के प्रशासनों ने श्रमिकों की अवस्थाओं में सुधार करते रहना और अपने यहां की श्रम करने की परिस्थितियों को निरन्तर अपनी द्रष्टि में रखना अपने कार्य का प्रधान अंग बना लिया है। अधिकतर मजदूरों को स्वायी कर दिया गया है, और मजदूरी के न्यूनतम दर, मंहगाई, वोनस, मकान-भाड़े के भत्ते, प्रौद्योगिकी फंड, छुट्टियों, डाक्टरी सहायता और कैल्टीन आदि के रूप में उनको पर्याप्त सहूलियतें दी गयीं हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप गत वर्ष में बन्दरगाहों के मजदूरों की कार्य-कुशलता निश्चित रूप से बढ़ी है।

१९४९ के पूर्वाधि में बम्बई के बन्दरगाह में माल की भीड़ रही। सरकार ने और बन्दरगाह के अधिकारियों ने स्थिति को सुधारने के लिए प्रबल प्रयत्न किए। माल को जल्दी उठाने, रखने और ऊँचे ढेरों में एकत्र करने के लिए विशाख उद्घाहन नामक यंत्र खरीदे गये, और विजली के केनों का बड़ी संख्या में आर्डर दिया गया। अतिरिक्त माल को संभालने के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गई। 'बौम्बे पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट' में एक नई धारा बढ़ा कर बन्दरगाह के अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि जो माल नियत समय में उठा न लिया जाय उसे वे नीलाम द्वारा बेच दें। आने वाले जहाजों का ऐसा क्रम नियत किया गया जिससे कि बन्दरगाहों में जहाजों की भीड़ न हो। इन सब उपायों से स्थिति में सुधार हुआ और सितम्बर १९४९ के अन्त तक भीड़ प्रायः साफ हो चुकी थी और किसी जहाज को धाट पर आने के लिए समुद्र में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी।

बम्बई का बन्दरगाह कराची पोर्ट ट्रस्ट के विस्थापित कर्मचारियों को निरन्तर काम पर लगाता रहा और १९४९ के अन्त तक ऐसे १४८० व्यक्ति काम पर लगाए जा चुके थे।

कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारियों ने अपने धिसे हुए यन्त्रादि को, विशेषतः समुद्र की तली में से रेत इत्यादि निकालने वाले जहाजों (ड्रेजरों) को, बदलने की व्यवस्था पूर्ण करली है। बन्दरगाह के अधिकारियों ने भारतीय आदमियों को काम सिखाने की भी एक योजना बनाई है जो पांच वर्ष में पूरी होगी।

मद्रास का पोर्ट ट्रस्ट रेत निकालने के नये यन्त्रों की परीक्षा कर रहा और रेत दूर तक फैलाने की एक योजना बना रहा है।

कोचीन के बन्दरगाह में एक सोनियर आई० सी० प्र० अधिकारी ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर का काम संभाल लिया। केन्द्रीय जलीय शक्ति सेचन तथा नीतरण आयोग (सेन्ट्रल वाटर पावर, इन्जिनियर एण्ड नैविगेशन कमीशन) किरकी के अपने केन्द्र में यह जांच करता रहा कि समुद्र की तल्ही में से रेत इत्यादि निकालने की आवश्यकता को किसी प्रकार कम किया जा सकता है या नहीं।

कांधला बन्दरगाह

इस वर्ष कांधला का नया बड़ा बन्दरगाह बनाने का काम काफी आगे बढ़ाया गया। कांधला में बड़ा बन्दरगाह बनाने के मुख्य आधार के रूप में भारतीय सर्वे विभाग इस इलाके की पैमायश का काम कर रहा है। कांधला के समुद्री नाले के जलीय (हाइड्रो-ग्राफिक सर्वे) पैमायश का काम रक्षा मन्त्रालय का समुद्री सर्वे विभाग कर रहा है। ये दोनों सर्वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। एक रेलवे अधिकारी ने इस बात का सर्वे किया है कि कांधला के बन्दरगाह में कितनी आमदारपत होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य-मन्त्रालय के अधिकारियों ने भी इस इलाके का सर्वे किया है और इस बन्दरगाह तथा नगर में स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की है। मार्च १९५२ के अन्त तक आशा है कि इस स्थान तक एक (मीटर गेज रेलवे) छोटी लाइन का निर्माण पूर्ण हो जायगा। इस सारे काम पर चार करोड़ ९ लाख रुपया खर्च होने की संभावना है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

विविध बन्दरगाहों के कामों का उचित समन्वय करने के लिए ऐसा विचार है कि भारत सरकार के सम्बद्ध मन्त्रालयों, समुद्रतट

के राज्यों, मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारियों और कांधला के डिवलपमेंट कमिशनरों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक बंदरगाहों-के राष्ट्रीय बोर्ड (नेशनल हार्बर बोर्ड) का संगठन किया जाय। यह बोर्ड सलाह देने का काम करेगा और उन सब समस्याओं पर विचार करेगा जो कि भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार द्वारा इसके सामने पेश की जायंगी।

देश के आन्तरिक जल-मार्ग

जुलाई १९४९ में देश के आन्तरिक जल मार्गों के विकास की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक प्रश्नावली बनाकर सब राज्यों की सरकारों के पास भेजी गई थी। यह प्रश्नावली केन्द्रीय जलीय शक्ति सेचन तथा नौतरण आयोग (सैन्ट्रल वाटर पावर, इरिगेशन एण्ड नैविगेशन कमीशन) की सलाह से बनाई गई थी। कई राज्यों की ओर से इस प्रश्नावली के उत्तर आने अभी घेप हैं।

एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक कमीशन ने भी भारत के आन्तरिक जल-मार्गों के विकास के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा कराना स्वीकार कर दिया है। तदनुसार मिठो औटो पौपर नामक एक जलीय यातायात के विशेषज्ञ फरवरी १९५० में देहली पहुँचे हैं। उनसे देश के आन्तरिक जल-मार्गों के विकास पर निम्न क्रम में विचार करने की प्रार्थना की गई है:—

गंगा नदी—बक्सर से इलाहाबाद तक,
धावरा नदी—वहरामधाट तक,
राष्ट्री नदी—गोरखपुर तक,
भागीरथी नदी—

महा नदी और उट्टीसा तट की नहर--
वक्षिघम नहर—
ताप्ती नदी—कफ्करापा के ५० मील ऊपर तक।

उनसे यह भी प्रार्थना की गई है कि वह देश के बतंगान आन्तरिक जल-मार्गों पर आमदरप्त बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करें और विशेषतः यह बतलावें कि यातायात के साधनों में प्रयुक्त नौकाओं में और तट के उपकरणों में क्या उन्नति की जा सकती है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

१९४९ में संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू० एन० ओ०) की आधिकात्या सामाजिक कीन्सिल की ओर से सड़कों और मोटरों के यातायात पर जिनेवा में जो अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स हुई थी उसमें भारत ने भी भाग लिया था। इस कानफरेन्स में सड़कों और मोटरों के यातायात के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए थे। इन नियमों के पश्चात, सड़कों और मोटरों के यातायात के विषय में १९२६ के नियम (कन्वेन्शन) और रोड (सिगनलों) संकेतों के विषय में १९३१ के नियम समाप्त हो गए। भारत ने रोड ट्रैफिक के कन्वेन्शन और रोड सिगनलों के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

मोटर ट्रांसपोर्ट का नियन्त्रण

परिवहन की सलाहकार की विशेष कमेटी ने मोटर ट्रांस्पोर्ट के विषय में जो नियम बनाए थे वे सितम्बर १९४९ में स्वीकृति के

लिए राज्यों की सरकारों को भेज दिए गए। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आसाम की सरकारों ने उन नियमों को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया और मद्रास, वर्मर्ड, उत्तर-प्रदेश और विहार की सरकारों ने कुछ शर्तों के साथ।

विदेशी यात्री

संसार के अनेक देश विदेशी यात्रियों से लाभ उठा रहे हैं। यूरोप के देशों को इन यात्रियों से २० से २५ अरब डालर आय होने की आशा है।

न्यूट्रिटिशन सरकार को अमेरिकन यात्रियों से १९४८ में डेढ़ करोड़ डालर की आमदनी हुई थी। यह आमदनी १९५० में बढ़ कर सात करोड़ डालर हो जाने की आशा है।

भारत में भी विदेशी यात्रियों के आकर्षण की बहुत सी वस्तुएं हैं। यात्रियों को भारत भली भाँति दिखलाने के लिए संगठन, ममन्वित प्रयत्न और सूजन-बूझ की आवश्यकता है। परिवहन-मंत्रालय ने १९४८ में इसी प्रयोजन से एक यात्री यातायात समिति (ट्रूरिस्ट ट्रैफिक कमेटी) संगठित की थी। इसमें सम्बद्ध मंत्रालयों के और यातायात तथा होटल व्यवसाय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। यह कमिटी सरकार को देश में आने वाले विदेशी यात्रियों से सम्बद्ध भव मामलों पर सलाह देगी। एक अमेरिकन यात्रा-प्रोत्साहक मंडली का भी अनियमित आधार पर संगठन किया गया है। इसमें अमेरिकन ऐक्सप्रेस कम्पनी, ट्रांस-वर्ल्ड एयरवेज, पानअमेरिकन एयर वेज और टायम्स कुक एण्ड सन नामक कम्पनियों के प्रतिनिधि नाम्भित हैं। वर्मर्ड, देहली और मद्रास में इन यात्रियों के लिए

प्रादेशिक कार्यालय खोल दिये गए हैं। एक नुस्खा है कि विदेशी यात्रियों को एक यात्री परिचय पत्र दिया जाय जिनको दित्तला कर वे साथारणतया सभी सरकारी कर्मचारियों की सहायता और विशेषतः कस्टम के दफ्तरों में अपना काम शीघ्र करा लेने और मोटरकारों के लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल मिलने आदि की विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

उत्पादन-वृद्धि

उत्पादन के नियंत्रण और आवश्यक सामान के वितरण के लिए उद्योग-तथा-रसद-मन्त्रालय के चार विशेष अधिकारी हैं। इनके नाम—टैक्सटाइल कमिशनर, आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर, कोल कमिशनर और साल्ट कंट्रोलर हैं। सीमेंट और कागज को बड़ी समस्याओं का सामना उस सीमा तक नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें मंत्रालय ने उद्योग तथा रसद के डाइरेक्टर जनरल (डायरेक्टर-जनरल आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज) के सिपुर्द किया हुआ है। इस डायरेक्टर-जनरल का क्रय-विभाग सरकार के लिए आवश्यक माल की खरीद करता है। इस कार्य में वह अपनी प्रादेशिक शाखाओं और समुद्र-पार के दो संगठनों, अर्थात्, वार्षिगटन के इण्डिया सप्लाई मिशन और लण्डन के डायरेक्टर-जनरल इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट से भी सहायता लेता है। खरीदे हुए माल की परख के लिए अलीपुर में एक परीक्षा गृह है जो कि उक्त डायरेक्टर-जनरल के मातहत अपना काम करता है। वचे हुए माल को ठिकाने लगाने का काम डायरेक्टर-जनरल-डिस्पोजल्स करता है।

१९४९ में इस मंत्रालय के संगठन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। नियंत्रणों की व्यवस्था अधिक अच्छी प्रकार करने के लिए, विशेषतः मूती कपड़ों और लोहे तथा फौलाद के नियंत्रण के लिए एक (डायरेक्टर आफ एनफोर्समेंट) कंट्रोलों पर अमल करने वाला डायरेक्टर स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्यालय देहरादून में है और यात्राएं बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, नोएम्ब्युर, कानपुर और कलकत्ता में हैं। डायरेक्टर-जनरल आफ

इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज के अन्तर्गत ही एक गृहोदयोगों का शायरेस्टर्न (डायरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज) है जिनका काम गृहोदयोगों और अन्य छोटी दस्तकारियों की देख रख करना है।

केन्द्रीय सलाहकार उद्योग-परिषद

देश की ओद्योगिक उन्नति से संबद्ध सब मामलों से निकट सम्पर्क रखने के लिए १९४८ में केन्द्रीय सलाहकार उद्योग-परिषद (सेन्ट्रल एडवायजरी कॉन्सिल आफ इन्डस्ट्रीज) की स्वापना की गई थी। १९४९ में इसकी दो बैठकें हुईं—जनवरी और जुलाई में। अपनी जुलाई की बैठक में कॉन्सिल ने एक स्थायी समिति बनाने की सिफारिश की। यह समिति सितम्बर १९४९ में बनाई गई और नवम्बर में इसकी बैठक हुई। इसने सिफारिश की कि महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए, विदेशी उनके लिए जिनका प्रभाव जनता के जीवन-निर्वाह के व्यय पर पड़ता है, उत्पादन का लक्ष्य नियत कर देने वाली कमेटियां और (वर्किंग पार्टियां) कारखानों में काम की अवस्था सुधारने वाली पार्टियां बना देनी चाहिए। तदनुसार (सुपरफौसफेटों) गन्धक के तेजाव, पावर अल्कोहल, रिफैक्टरियों, कांच, डीजल इंजनों, प्लाईवुड, ऐलुमिनियम, साइकिलों और मोटरों के टायरों तथा ट्यूबों, कागज और पेपर वोड उद्योगों के लिए लक्ष्य-निर्धारण कमेटियां बनाई गयीं। सूती कपड़ों, कोयले और भारी इंजीनियरी उद्योगों के लिए वर्किंग पार्टियां बनाई गई हैं।

सूती कपड़ा

१९४९ में कपड़े का उत्पादन ३ अरब ९० करोड़ ४० लाख गज और सूत का १ अरब ३५ करोड़ ९० लाख पौंड हुआ। १९४८

में ये संख्याएं क्रमशः ४ अरब ३१ करोड़ ९० लाख गज और १ अरब ४४ करोड़ ७० लाख पौंड थी। उत्पादन में कमी के कारण, माल के बहुत जमा हो जाने और प्रवन्ध की खराबी से खर्च बहुत बढ़ जाने के कारण कुछ मिलों को बन्द हो जाना पड़ा। माल जमा हो जाने के कारण भी कई थे। पाकिस्तान ने अन्तर-आपनिवेशिक समझौते के अनुसार कपड़ा और सूत नहीं खरीदा। राज्यों की सरकारों ने जो 'कोटा' (हिस्सा) अपने नामजद किए हुए व्यापारियों के जिम्मे लगाए थे, वे उन्होंने पूरे पूरे नहीं खरीदे।

माल का जमाव सितम्बर १९४९ में अपनी चोटी पर पहुँच गया था। तब मिलों में ३ लाख ८३ हजार ९९६ गाठें जमा थीं। इस स्थिति में सुधार करने के लिए मिलों को अपने उत्पादन की हर किस्म का एक-तिहाई भाग भारत-भर में अपनी पसन्द के लाइसेन्सदार खरीदारों को वेच देने की इजाजत दी गई। गज्यों के नामजद व्यापारियों के लिए बचा हुआ दो-तिहाई माल खरीदने को पहले से अल्प अवधि तय की गई। ये उपाय सफल हुए और फरवरी १९५० तक माल का जमाव घट कर १ लाख २७ हजार २५७ गांठ रह गया।

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अगस्त १९४९ में प्रवंध में कठिनाइयों के कारण बन्द हो गई थी। उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उसकी बी० और सी० मिलों ने काम शुरू कर दिया है। मीनाक्षी मिल्स (मथुरारी) प्रवंधकर्ताओं और मजदूरों में झगड़े के कारण बन्द हो गई थी। भारत सरकार ने उनमें नंतोपदनक समझौता करा दिया और अब मिल चालू

हो गई है। गया काटन एण्ड जूट मिल अक्टूबर १९४९ में व्याधिक कठिनाइयों और भजदूरों के भगड़ों के कारण बन्द हो गई थी। भारत सरकार की प्रेरणा पर इस मिल ने जून १९५० में काम आरम्भ करना मान लिया है।

टैरिफ बोर्ड ने सुझाव दिया था कि कुछ कुछ समय पश्चात कपड़े की मूल्य की जांच की जाय। उसके अनुसार १ फरवरी १९५० से सूती कपड़ों के मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया। अब से सूती कपड़ों का मूल्य चालू वर्ष में भारतीय रुई की विविध किस्मों के सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य और विदेशों से आयात रुई के बसली मूल्य के आधार पर नियत किया जाया करेगा। इस वर्ष जो रुई विदेशों से मंगाई गई उसका मूल्य जैंचा दिया जाने के कारण वढ़िया और अधिक वढ़िया कपड़े के मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो जाने की संभावना थी, इसलिए निश्चय किया गया कि कपड़े का मिल का मूल्य बदलने के साथ साथ वढ़िया कपड़े पर (एकसाइज ड्रूटी) उत्पादन कर सका छ प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत और अधिक वढ़िया कपड़े पर २५ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत करदी जाय। इसका फल यह हुआ कि कपड़े के मूल्य कुछ कम हो गये १ मई १९५० को कपड़े के मूल्यों में फिर आवश्यक परिवर्तन किया गया।

भारतीय रूपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण सूती कपड़े के नियर्ति में वृद्धि हुई है। सितम्बर १९४९ से दिसम्बर १९५० तक के लिए नियति का 'कोटा' परिमाण १ अरब १५ करोड़ रुपये नियत किया गया है। फरवरी से दिसम्बर १९५० तक वढ़िया और अधिक वढ़िया कपड़ों का नियर्ति निवधि करने की इजाजत

दे दी गई है। हाथ-करघों के कपड़ा को निर्वाध निर्यात करने की इजाजत है ही।

देश के विभाजन के बाद से कपड़े के कारखानों को रुई की कमी निरन्तर पड़ रही है। इसलिए नियंत्रण की एक प्रणाली निकाली गई है जिसके अनुसार हर एक मिल के लिए रुई-उत्पादक केन्द्रों में रुई का कोटा नियत कर दिया जाता है। रुई के उच्चतम और निम्नतम मूल्य भी नियत कर दिये जाते हैं। देश को कई धेनों में बाट दिया गया है। और एक धेन से दूसरे धेन में रुई का आना जाना बिना परमिट के मना है।

१९४९ में दस नई मिलों ने काम शुरू किया। उनके तकुओं की कुल संख्या १ लाख ७ हजार है और १९ नई मिलें बन रही हैं।

हाथ-करघों के कारखाने लगभग ४० करोड़ पौंड सूत खपाते और १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा बनाते हैं। अनेक कारणों से हाथ-करघों का उद्योग इन दिनों कठिनाई में से गुजर रहा है। इस व्यवसाय की सहायता करने के लिये हाथ-करघे के कपड़े का नियति निर्वाध करने दिया जाता है। परीक्षण के रूप में यह नियन्त्रण किया गया है कि उत्पादन का कुछ धेन हाथ-करघों के लिए मुरीदात कर दिया जाय। हाथ-करघों के माल को रेल-भाड़े की भी रियायत दी गई है। भारत सरकार ने, जहां तक संभव हो वहां तक, अपनी कपड़े की आवश्यकता हाथ-करघे के माल से ही पूरी करने का नियन्त्रण किया है और राज्यों की सरकारों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा है।

दस्त्र का उत्पादन

१९५० के प्रथम ५ महीनों में कपड़े और सूत का उत्पादन निम्न प्रकार था ।

१९५०

	कपड़ा (गजों में)	सूत (पौँडों में)
	अन्त में ००० छोड़ दिए	गए हैं

जनवरी	१,०२,६७३	३०,९६,७४
फरवरी	९७,१५७	२९,३९,९६
मार्च	१,०३,१३६	३१,९०,६८
अप्रैल	१,०१,१२८	३२,०४,४९
मई	१,००,१६७	३३,०५,२८

लोहा और फौलाद

१९४९ में फौलाद का उत्पादन लगभग ९ लाख २२ हजार टन हुआ । १९४८ में यह संख्या ८ लाख ५४ हजार थी । १९४९ में भारत ने ४ लाख टन फौलाद विदेशों से, मुख्यतया अमेरिका, बैलियम, ब्रिटेन और कनाडा से, मंगाया । १९४८ में आयात फौलाद का परिमाण २ लाख १८ हजार टन था । रेलों, संगठित उद्योगों और छोटे कारखानों, सबको अपनी आवश्यकता के लिए जितना फौलाद चाहिए था उतना मिल गया । इनको इस वर्ष जो फौलाद दिया गया उसका परिमाण क्रमशः ३,२१,३७१ टन ४,११,००० टन और २,०२,००० टन था । खेती के कामों के लिए दिए जाने वाले फौलाद का परिमाण क्रमशः बढ़ता गया । १९४९ की प्रथम तिमाही में १४,३६७ टन फौलाद खेती के कामों

के लिए दिया गया था। यह बढ़ते बढ़ते चीथी तिमाही में जाकर ३९,३६७ टन हो गया। वर्ष भर में सब मिला कर इन कार्मों के लिए ९४,५१६ टन फ़ौलाद दिया गया। नये कारखाने खोलने और पुरानों के विस्तार के लिए भी फ़ौलाद की मांग की पूर्ति सन्तोषजनक रही।

सरकार की साधारण नीति आवश्यक वस्तुओं के मूल्य त्रमशः कम करते जाने की है। इसकी पूर्ति के लिए दिसम्बर १९४९ से सब प्रकार के फौलादों का उच्चतम मूल्य तीस रुपया प्रति टन घटा दिया गया।

१९५० की प्रथम तिमाही में फौलाद का उत्पादन २,३५,०६१ टन हुआ। दूसरी तिमाही का अन्दाज २ लाख ३६ हजार टन का है। १९५० की प्रथम दो तिमाहियों में जो फौलाद (एलीट) किया गया उसका परिमाण ६ लाख ५२ हजार टन था। इसमें से १ लाख १५ हजार टन आयात किये हुए फौलाद से मिलने की आदा है। (डिफैन्स सर्विसों) रक्षा-विभाग और रेलों की मांग पूर्णतया पूरी करदी गई और कृषि की मांग का ४६ प्रतिशत पूरा किया गया।

भारत सरकार ने स्टील कार्पोरेशन आफ घंगाल को पांच करोड़ रुपया उधार देना मंजूर किया है। इससे यह कम्पनी अपना उत्पादन २ लाख टन बढ़ा सकेगी।

दोयला

१९५१ में दोयले का उत्पादन ३ करोड़ १४ लाख टन हुआ। १९५८ में यह नंबर २ करोड़ ९८ लाख २० हजार टन थी।

इस वर्ष कोयला ठोने की व्यवस्था में भी नुस्खार हो गया और कोयले की खानों से २ करोड़ ७९ लाख टन कोयला भेजा गया। १९४८ में २ करोड़ ५८ लाख टन भेजा गया था। १९५० के पहले ४ महीनों में कोयले के उत्पादन और बाहर भेजे गये माल की संख्याएं नम्रताः १ करोड़ ११ लाख २ हजार ९४१ टन और ८४ लाख ९२ हजार ८०० टन थीं। तमुद्र-नट एवं कोयले का लदान २ लाख टन बढ़ गया।

१९४९ में कोयले का निर्यात भी बढ़ा। आस्ट्रेलिया अब भारत का नियमित ग्राहक बन गया है। १९४९ भर भारत पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक समझौते को निभाता रहा और उसने उसको कोयले का नियत परिमाण दिया।

मद्रास की सरकार अपने राज्य में लिंगनाइट एक प्रकार के कोयले की खोज कर रही है। मध्य-प्रदेश की सरकार का विचार कामटी की खानों को एक प्राइवेट फर्म की सहायता से चलाने का है। केन्द्रीय सरकार ने एक ट्रिटिया फर्म की सहायता से इण्टियन माइनिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नामक जो कम्पनी बनाई थी उसने वोकारो की खानों में नये स्थानों पर खुदाई करके पहले के स्थानों पर खुदाई का बोझ कम कर दिया है। अब वह यही काम कारगली की कोयला खानों में कर रही है। केन्द्रिक सरकार ने आसाम की गारो पहाड़ियों की कोयला-खानों में कोयले की खोज का काम शुरू करने का निश्चय कर लिया है।

सीमेंट

सीमेंट का केन्द्र का 'कोटा' हिस्सा बढ़ा दिया है, क्योंकि केन्द्रिक सरकार को साथ के उत्पादन और शरणार्थी लोगों के

पुनर्वास आदि की मार्गों को पूरा करना पड़ता था। केन्द्र का कोटा बढ़ाने के कारण राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उत्पादन में निरन्तर उन्नति होती रही। १९४८ में १५ लाख ६० हजार टन सीमेंट बना था, १९४९ में २० लाख ६० हजार टन तैयार हुआ। इस समय देश में सीमेंट के २१ कारखाने हैं। इनकी निर्माण-सामर्थ्य ३० लाख टन प्रति वर्ष है।

१९५० की पहली तिमाही में ६ लाख ५० हजार ५७ टन सीमेंट बना। दूसरी तिमाही में भी इतना ही बनने का अन्दाजा है।

कागज और न्यूज़प्रिंट

१९४८ में ९८ हजार टन कागज और न्यूज़प्रिंट तैयार हुआ था। यह १९४९ में बढ़कर १ लाख ३ हजार २०० टन हो गया। जून १९४९ के मध्य से न्यूज़प्रिंट पर से नियंत्रण हटा लिया गया। कागज के नियंत्रण के दो वर्तमान आर्डर भी वापिस ले लिए गए हैं और कागज पर से नियंत्रण विलकुल उठा लिए जाने का मुश्वाव विचारणधीन है।

नमक

नमक की वायिक आवश्यकताओं का अन्दाजा २४ लाख ६० हजार टन है। इस भाग की तुलना में १९४७ का उत्पादन १८ लाख ८० हजार टन, १९४८ का २२ लाख ३० हजार टन और १९४९ का लगभग २० लाख टन था। १९४९ के सिवाय उत्पादन विस्तृत बढ़ना रहा है। इस वर्ष उत्पादन प्रतिकूल अनुभव लाया रखा हुआ। ऐसे उत्ताप किए गए हैं कि १९५० में उत्पादन बढ़कर २५ लाख टन हो जाय। नमक बनाने की

क्यारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नरकारी कारखानों में नमकीन पानी को नाढ़ा करने के कड़ाहों और नालियों एवं मजदूरों के स्वान पर मधीनों द्वारा नाफ़ लिया जाने लगा है। नमक की किलम को मुद्रारने के लिए नांभर स्टील में एक शोधन-यंत्र लगाने का विचार किया जा रहा है। इनकी उत्पादन सामर्थ्य २२०० टन प्रतिदिन होगी। नौराष्ट्र में घरेमान नमक के कारखानों में बगल की रेलवे लाइनें और ड्राई लाइनें विस्तृत की जा रही हैं। वेदारण्यम के नमक के कारखानों में रेलवे की लाइनों को विस्तृत किया जा रहा और रेलों को विजली में चलाने की व्यवस्था की जा रही है। वेदारण्यम से तोण्योराई तक जाने वाली नहर की तली में से कीचड़ निकाला जा रहा है। नौराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कोटाई समुद्र-तटों पर नमक के नए कारखाने खोले जा रहे हैं। वेदारण्यम की वड़ी दलदलों में से प्राकृतिक नमक (कोआपरेटिव) सहकारी व्यवस्था द्वारा ढकड़ा किया जाएगा। भारतीय-प्रमाण संस्था (इण्डियन स्टैण्डर्डेस इन्स्टीट्यूशन) के मुझाव पर नमक की न्यूनतम शुद्धता १२ प्रतिशत से बढ़ाते बढ़ाते १६ प्रतिशत तक ले जाने का निश्चय कर लिया गया है। उत्पादन के सब महत्वपूर्ण केन्द्रों में विद्लेषण की प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है। बड़ाला (बम्बई) में एक अनुसंधान केन्द्र खोला जा चुका है। यह नमक के कारखानों की विविध समस्याओं की जांच करेगा और नमक के साथ बनने वाली वस्तुओं को वरवाद न होने देने के उपायों की खोज करेगा। यह रिसर्च स्टेशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की कॉसिल (कॉसिल आफ़ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च) की नमक की अनुसंधान समिति के साथ मिलकर काम करेगा।

वम्बई के एक सरकारी नमक के कारखाने को इस रिसर्च स्टेशन के साथ लगा दिया गया है और उसे नमूने दार कारखाने की भाँति चलाया जायगा ।

जूट

पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा जूट मिलने की कठिनाइयां होते हुए भी उत्पादन का पहले से नियत स्तर पूरा होता रहा और काम के घंटे कम करके वेरोजगारी का संकट नहीं आने दिया गया ।

अन्य उद्योग

विजयी के मोटरों, ट्रांसफार्मरों, विजली के लैम्पों, वाइसिकलों ट्रिक्सियों, गन्धक के तेजाव, नुपरफास्फेटों और कास्टिक सोडा के उत्पादन में मंतोपजनक मुधार हुआ है ।

भारत में पुरजे बनाने की मशीनों का एक कारखाना खोलने में मदद देने के लिए एक स्विस फर्म के साथ नमझीता किया गया था । यह स्विस फर्म द्वारा प्रतिशत पूँजी लगा रही है । अन्दाजा है कि इस काम में १२ करोड़ रुपए व्यव होंगे । इस कारखाने के लिए जिनी जमीन की आवश्यकता होगी वह सब मैमूर की नगराएँ ने देना चाहिए तर किया है । जिस जमीन पर राज्य द्वारा न्यायिक नहीं है उसे प्राप्त किया जा रहा है ।

शिरेन द्वारा देवीहोल पहाड़ के बल्ला लिमिटेड की देवीहोल कारखाना में भास्तव्यों में पहा लाल्लाना (श्रीनगर सेवन-न्युलेटिड इंडीशन द्वारा देवीहोल द्वारा देवीहोल कार जिनके ऊपर विजयी को दीक्षित किया गया था) और जिनके भीतर नमी का अन-

न हो बनाने के लिए) खोला जायगा। आशा है कि यह फारखाना १९५२ के शुरू में माल तैयार करने लगेगा।

एक स्वीडिश फ़सं के साथ पैन्सीलिन और नल्पा-इन्स (गन्धक-वर्ग की ओपधियाँ) आदि बनाने वाला एक भूत्कारी कारखाना खोलने और चलाने के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है। इस कारखाने में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपया व्यय आयेगा।

रासायनिक खाद फा कारखाना

सींदरी का रासायनिक खाद का कारखाना प्रतिदिन १००० टन अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए खोला गया है। यह कारखाना एक प्रतिया-विशेष से चलेगा और जब बन जायगा तो संसार में अपने किस्म के सबसे बड़े कारखानों में से एक होगा।

कारखाने का निर्माण अब समाप्त होने वाला है। १९५० की अन्तिम तिमाही में इसके पूरा हो जाने की आशा है और उसके पश्चात् ६ से ९ महीने के भीतर यह पूरा उत्पादन करने लगेगा।

इस कारखाने में काम करने वाले उच्च कर्मचारियों की संख्या वर्तमान अन्दाजे के अनुसार, फोरमैनों को मिला कर, लगभग सत्तर होगी। अधिकतर पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। भर्ती किए हुओं में से २३ आदमी सींदरी के कारखाने सरीखे विदेशी कारखानों में विशेष काम सीखने के लिए भेजे गये थे और वे काम सीख कर लौट चुके हैं।

इस कारखाने के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल जलचूण शुल्वग जिप्सम कोयला और कोक हैं। इस काम के लिए उपयुक्त जिप्सम वीकानेर और जोधपुर में पाया गया है।

वम्बई के एक सरकारी नमक के कारखाने को इस रिसर्च स्टेशन के साथ लगा दिया गया है और उसे नमूने दार कारखाने की भाँति चलाया जायगा ।

जूट

पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा जूट मिलने की कठिनाइयां होते हुए भी उत्पादन का पहले से नियत स्तर पूरा होता रहा और काम के घंटे कम करके वेरोजगारी का संकट नहीं आने दिया गया ।

अन्य उद्योग

विजली के मोटरों, ट्रांसफार्मरों, विजली के लैम्पों, वाइसिकलों रिक्स्टरियों, गन्धक के तेजाव, नुपरफीस्फेटों और कास्टिक सोडा के उत्पादन में संतोषजनक मुधार हुआ है ।

भारत में पुरजे बनाने की मरीनों का एक कारखाना खोलने में मदद देने के लिए एक स्विन फर्म के साथ नमझीता किया गया था । वह स्विन फर्म दम प्रतिशत पूँजी लगा रखी है । अन्दाजा है कि इस ताम में १५ करोड़ रुपए व्यव होंगे । इस कारखाने के लिए जिनी जर्मीन की आवश्यकता होगी वह नव भैंगूर की नमगार ने देना चाहिए कहा लिया है । जिस जर्मीन पर राज्य द्वारा नियन्त्रण नहीं है उसे प्राप्त हिया जा रहा है ।

विदेश री स्टेट टेलीकॉम एन्ड केबल लिमिटेड की टेलीकॉल सामाजिक में अमरिका में पहला कारखाना (ट्राई-नॉर लोन-इन्ड्यूस्ट्रियल एंड-प्रोफेशनल टेलीकॉम) द्वारा इसी तार जिनों उपर विजली को गोपनीय किया गया है और जिसके भीतर नमी का अनुर

न हो बनाने के लिए) खोला जायगा। आदा है कि यह कारखाना १९५२ के शुरू में माल तैयार करने लगेगा।

एक स्वीडिश फंसं के साथ पैन्सीलिन और सल्पा-उम्म (गन्धक-वर्ग की औषधियां) आदि बनाने वाला एक सरकारी कारखाना खोलने और चलाने के लिए वातचीत पूरी हो चुकी है। इस कारखाने में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपया व्यय आयेगा।

रासायनिक खाद का कारखाना

सींदरी का रासायनिक खाद का कारखाना प्रतिदिन १००० टन अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए खोला गया है। यह कारखाना एक प्रशिया-विशेष से चलेगा और जब वन जायगा तो संसार में अपने किस्म के सबसे बड़े कारखानों में से एक होगा।

कारखाने का निर्माण अब समाप्त होने वाला है। १९५० की अन्तिम तिमाही में इसके पूरा हो जाने की आशा है और उसके पश्चात् ६ से ९ महीने के भीतर यह पूरा उत्पादन करने लगेगा।

इस कारखाने में काम करने वाले उच्च कर्मचारियों की संख्या वर्तमान अन्दाजे के अनुसार, फोरमैनों को मिला कर, लगभग सत्तर होगी। अधिकतर पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। भर्ती किए हुओं में से २३ आदमी सींदरी के कारखाने सरीखे विदेशी कारखानों में विशेष काम सीखने के लिए भेजे गये थे और वे काम सीख कर लौट चुके हैं।

इस कारखाने के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल जलचूर्ण शुल्विग जिप्सम कोयला और कोक हैं। इस काम के लिए उपयुक्त जिप्सम धीकानेर और जोधपुर में पाया गया है।

मूढ़म यन्त्र बनाने का कारखाना

कलकत्ते का उपर्युक्त आफिस अब से एक शताब्दी से भी अधिक पूर्व १८३० में आरंभ किया गया था।

अपनी बढ़िया भवीनरी, औजारों और कुशल कारीगरों की महायता से यह आफिस प्रायः भव प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र बना सकता है।

अब इस कानूनाने को एक नये और बड़े स्थान पर ले जाने का निश्चय कर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए इसके पुनर्गठन की द्रष्टि ने आवश्यक भूमि प्राप्त करनी गई है। दो जर्मन ट्रेलिनिंग कानूनाने के काम की निगरानी और इसकी पुनर्गठन की अनिम योजनाएँ बनाने के लिए भर्ती कर दिए गए हैं। इस कानूनाने में कम में कम नाठ प्रकार के विविध यंत्र बन रहे थे। अन्त में १९८० में ऐसे अनेक नये यंत्रों का निर्माण ज्ञात में दिया गया गया है। इन यंत्रों का विविध ज्ञान वे और इनमें से कुछ का निर्माण अन्यम द्वारा गया है। कानूनाने का उत्पादन २३ प्रतिशत वर्ष गया और उत्ता वर्ष में इनके माल की विक्री भी बाढ़े ग्यारह प्रतिशत अधिक हुई।

में हुआ था। एच० टी० २ नामक एक प्रारंभिक इंजन और एच० टी० १० नामक एक एड्युकेशन (उड़ाना नियाने का वायुयान) के विकास में अच्छी उन्नति की जा चुकी है। एच० टी० २ के दो नमूने और एक नकली एच० टी० १० यह बन रहे हैं। हाल में कम्पनी ने लड़ाकू वायुयानों का निर्माण आनंद किया है।

१९४९ में कम्पनी ने ११२ मेजर एवरफ़ोर्मों का और ४८३ हवाई एंजिनों का बोररहीलिंग किया था। इसके अतिरिक्त यदि १९५० के अन्त तक इस कारखाने ने नुधरी हुई लिल्म के ८५ रेल के डिव्हे सर्वथा धातु के बना कर दिये थे। मोटर चरों यी भी धातु की बीडियाँ बनाने का काम हाथ में किया गया है। इस कारखाने में ६२५० आदमी काम करते हैं।

प्रमाप फा विकास

इण्डियन स्टैण्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन अब तक ६६४ वस्तुओं के प्रमाप (स्टैण्डर्ड) निश्चित करने का काम हाथ में ले चुका है। अब तक इनमें से ८४ प्रमाप प्रकाशित किए गए हैं। अब तक उद्योगों के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया कि वे इस संस्था द्वारा निश्चित किए स्टैण्डर्डों को अवश्य अपना लें। एक युआव है कि उद्योगों द्वारा इन 'प्रमापों' को अपनाया जाना कानून द्वारा बाधित कर दिया जाय।

भारतीय काफ़ी बोर्ड

इस बोर्ड का संगठन काफ़ी की विक्री बढ़ाने के कानून (काफ़ी मार्केट एक्सपैन्डान एक्ट) १९४२ के अनुसार किया गया है। यह काफ़ी की विक्री और नियर्ति का नियंत्रण करता है। देश

में जितनी काफी उत्पन्न होती है उस सबका काफी बोर्ड द्वारा बनाए हुए एक (केन्द्रिक कोश) में दिया जाना आवश्यक है। स्वदेश में विक्री के लिए काफी इस कोश में से सार्वजनिक नीलामों और कौओपरेटिव सोसायटियों द्वारा दी जाती है और नियंति केवल बोर्ड द्वारा दिए हुए लाइसेंसों से हो सकता है।

१९४९-५० की फसल का नया अन्दाज २०,३६० टन है १९५०-५१ की फसल का प्रारंभिक अन्दाज १९,६६० टन है देश में काफी की वार्षिक खपत १६,००० और १७,००० टन के बीच रहती है। १९४८-४९ की फसल में से तीन हजार टन काफी इस प्रयोजन से विदेशों में भेजी गई थी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। १९४९-५० की फसल में से नियंति का परिमाण ४ हजार टन नियत किया गया है।

भारतीय रवर बोर्ड

इस बोर्ड का संगठन रवर (प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिंग) एक्ट १९४७ के अनुसार किया गया है। इसका संबंध रवर के उत्पादन और रवर के कारखानों में बने हुए माल की विक्री से है। रवर की खेती में लगी हुई भूमि के परिमाण, विविध किस्मों के उत्पादन और खपत आदि के बोर्ड पूरे पूरे आंकड़े रखता है। यह रवर के सामान के आयात के विषय में सरकार को सलाह भी देता है। देश में उत्पन्न रवर का मूल्य कानून द्वारा नियत कर दिया जाता है। बोर्ड का खर्च देश में उत्पन्न रवर पर लगाए हुए 'उपकर' से और रवर के व्यापारियों तथा निर्माताओं को दिए हुए लाइसेंसों की फीस से चलता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

यह बोर्ड १९४८ के सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड एकट के अनुसार मई १९४९ में संगठित किया गया था। उद्योग तथा रसायन-मंत्री अपने पद के कारण इसका समाप्ति होता है और उसके अतिरिक्त भारत के राज्यों, अधिकारियों और ओद्योगिक हितों के प्रतिनिधि अट्टाइस अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड ने १९४९-५० में राज्यों की सरकारों को कई विशिष्ट योजनाएं चलाने के लिए १ लाख ३९ हजार रुपये दिये थे। १९५०-५१ में कई राज्यों की सरकारों को रेशम के उत्पादन में उन्नति की स्वीकृत योजनाओं की पूर्ति के लिए ३५ हजार रुपये की विशेष सहायता दी गई। बोर्ड ने अभी तक ६ वुलेट्टन प्रकाशित की हैं, जिनमें रेशम तैयार करने के विषय में साधारण और विशेष जानकारी दी गई है। बोर्ड का एक सदस्य विशेष प्रकार की मशीने लाने और भारत में लपेटे गये रेशम के गण में सुधार के प्रयोजन से विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए जापान गया था।

गृहोद्योग

गृहोद्योगों की उन्नति का उत्तरदायित्व प्रारम्भिक रूप में राज्यों की सरकारों का है। केन्द्रिक सरकार का काम समन्वय का, मार्ग-प्रदर्शन का, शिक्षक तैयार करने का, अनुसंधान का, और नियर्ति के वाजारों को उन्नत करने का है। अप्रैल १९४९ में नई दिल्ली में एक केन्द्रीय गृहोद्योग वाणिज्य केन्द्र (सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज एम्पोरियम) खोला गया था। यह एम्पोरियम राज्यों की सरकारों से और प्रसिद्ध संस्थाओं से प्राप्त माल का प्रदर्शन और विक्रय करता है। भारतीय दस्तकारियों और गृहोद्योगों

के सामानों का प्रदर्शन करने के लिए न्यूयार्क के भारतीय ट्रेड कमिशनर के कार्यालय में एक प्रदर्शन-भवन संचालित किया जा रहा है। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान में गृहोदयोगों के विकास का अध्ययन करने और उपयुक्त मशीनें प्राप्त करने के लिए वहां गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने ३७ हजार रुपये की मशीनें खरोदीं।

खरीद

अप्रैल १९४९ से मार्च १९५० तक की अवधि में उद्योग तथा रसद के मंत्रालय ने १ अरब १७ करोड़ ७० लाख रुपये के ठेके दिए। इस राशि में से ७० करोड़ ४० लाख रुपये का व्यय डायरेक्टर-जनरल आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज ने और ४ करोड़ रुपये का व्यय टैक्सटाइल कमिशनर ने भारत में ही किया। साढ़े बारह करोड़ रुपये का व्यय वार्षिक गठन के इण्डिया सप्लाई मिशन ने और ३० करोड़ ८० लाख रुपये का व्यय लण्डन के इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने किया।

यह जांचने के लिए कि सरकार के लिए जो माल खरीदा गया है वह उचित प्रकार का है या नहीं डायरेक्टर-जनरल आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज की एक निरीक्षण शाखा भी है। यह निमणि की विधियों से सीधा सम्पर्क रखती है। इस कारण यह नए सामान के विकास में और गुण को सुधारने तथा स्थिर रखने में मूल्यवान सहायता दे सकती है।

समापन

१९४९-५० के आर्थिक वर्ष में १३ करोड़ २२ लाख रुपये का सामान बेचा गया। मार्च १९५० के अन्त तक बेचे गये माल

का मूल्य १ अरब ३५ करोड़ ७५ लाख रुपये था। वचे हुए अमेरिकन माल को मिलाकर इस माल का सरकारी वहियों में लिखित मूल्य ३ अरब ८९ करोड़ ३५ लाख रुपया था। पहली अप्रैल १९५० को सरकारी वहियों के लेखे के अनुसार वचे हुए माल का मूल्य १ अरब ५ करोड़ ६७ लाख रुपया था। लक्ष्य यह रखा गया है कि प्रति मास १० करोड़ रुपये (वहियों में लिखे) मूल्य का माल ठिकाने लगा दिया जाय और आशा है कि मार्च १९५१ तक वचा हुआ सब माल ठिकाने लग चूकेगा।

सहायता और पुनर्वास

पुनर्वास-मंत्रालय का गठन सितम्बर १९४७ में किया गया था। इसकी स्थापना देश के विभाजन के पश्चात् लोगों के सामूहिक गमनागमन की विशाल समस्या का हल करने के लिए की गई थी। ६० लाख से ऊपर गैरमुस्लिम पाकिस्तान से इधर आए, जिनमें से ३५ लाख के आगमन की व्यवस्था सरकार ने की। पुनर्वास-मंत्रालय को इन सबके लिए भोजन, वसन और आश्रय का प्रबंध करना पड़ा। इस प्रयोजन के लिए देश के अनेक भागों में रिलीफ कैम्प खोले गये।

प्रथम वर्ष में देखा गया कि इन रिलीफ कैम्पों में रहने वाले स्त्रियों और पुरुषों में से बहुत बड़ी संख्या समर्थ शरीर वालों की है और उनके कारण देश के आर्थिक साधनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने निश्चय किया कि इन रिलीफ कैम्पों को धीरे धीरे बन्द कर दिया जाय। क्रमशः पुनर्वास-मंत्रालय ने इन कैम्पों में से थोड़े थोड़े आदमियों को चुन कर उन्हें काम देना शुरू किया और मुफ्त भोजन देना बन्द कर दिया। अप्रैल १९४९ के अन्त में इन कैम्पों में रहने वालों की संख्या ९ लाख ३ हजार थी। वह मार्च १९५० तक घट कर ५ लाख २९ हजार रह गई थी। इनमें पाकिस्तान से आने वाले नये व्यक्तियों की गिनती शामिल नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों में से कैम्पों में रहने वालों की संख्या मार्च १९५० के अन्त तक १ लाख थी। इसी मियाद में जो लोग मुफ्त भोजन पा रहे थे उनकी संख्या ७ लाख

८० हजार से घट कर १ लाख रह गई। मुफ्त भोजन देना बन्द करने की नीति का प्रभाव उन ४४ हजार निर्वासित काश्मीरियों पर नहीं पड़ता जिन्हें कश्मीर के आक्रांत भागों में साधारण स्थिति कायम त्रो जाने पर उनके घरों को वापस भेज दिया जायगा।

बम्बई, मध्यप्रदेश, देहली, और उत्तरप्रदेश में कैम्पों की बड़ी संख्या को वस्तियों में परिवर्तित कर दिया गया है या किया जा रहा है। विचार यह है कि वर्षा कृतु आरंभ होने से पूर्व ही तम्बुओं में रहने वाले सब विस्थापित व्यक्तियों को मकानों में निवास का स्थान दे दिया जाय। फरीदावाद डिवेलपमेंट बोर्ड ने फरीदावाद में ४ हजार मकान बना कर अपने इलाके में तम्बुओं में रहने वाले सब विस्थापित परिवारों को वसा देने का निश्चय किया है। ३१ मार्च १९५० को १३ हजार ३२८ एक-एक कमरे वाले घर बन रहे थे, जिनमें से ६ हजार ७७० पूरे होने वाले थे। दिल्ली में एक-कमरे वाले घर आजादपुर और किसवे में बनाए जा रहे हैं। लाजघतनगर में एक-एक-कमरे-वाले १००० घर पूरे होने वाले हैं। इनमें उन सब लोगों को वसा दिया जायगा जो कि अब तम्बुओं और ऐतिहासिक स्मारकों की झारतों में रह रहे हैं। पंजाब में ४९ हजार विस्थापित व्यक्तियों को मिट्टी के मकानों में वसाया जा चुका है। कैम्पों में और कुछ बड़े शहरों की मजदूर-वस्तियों में, कैम्पों की समस्त आवादी ९० हजार को बसाने के लिए आवश्यक संख्या में मिट्टी के मकान बनाने का विचार है। बम्बई के सावर भती कैम्प में तम्बू काम में लाये जा रहे हैं। इस कैम्प के निवासियों को अहमदावाद की एक वस्ती में ले जाया जायगा जहां इनके लिए १५ सौ आधे पक्के मकान बनाए जा रहे हैं।

राजस्थान में जो लोग तम्बुओं में रह रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही मकान बनाने की नयी योजना एं पूरी करके वसा दिया जायगा।

विस्थापित काश्तकार

विस्थापित काश्तकारों को निष्कमणार्थीयों द्वारा छोड़ी हुई जमीनों पर और नई पुनर्प्राप्त भूमियों पर वसाया जा रहा है। पंजाब और पटियाला पंजाब रियासत संघ में निष्कमणार्थी जमीन को पाकिस्तान से आए हुए लोगों में वांटने के लिए एक मान कर काम किया जा रहा है। इन दोनों राज्यों में वांटने के लिए ४७ लाख ३५ हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है। परन्तु दावेदार लोग पश्चिमी पाकिस्तान में ६७ लाख ३० हजार एकड़ छोड़ कर आये हैं। फलतः लगभग पांच लाख विस्थापित व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिए उनके दावों में ऋमिक कटौती की योजना अपनानी पड़ी है। सरकार ने इन भूमियों पर कब्जा करने वालों में ऋण रूप से वांटने के लिए ११० लाख रुपये की राशि अलग रख दी है। ये ऋण उन्हें खेती के ओजार, बैल और बीज खरीदने तथा कुएं बनाने के लिए दिया जा रहा है।

अलवर और भरतपुर में मुसलमान ४ लाख १८ हजार एकड़ जमीन छोड़ कर गये थे। यहां पाकिस्तान से आए हुए गैरमुस्लिमों को वांटने के लिए केवल २ लाख ४२ हजार एकड़ उपलब्ध हैं। अब तक २९ हजार परिवार वसाये जा चुके हैं। प्रत्येक वसे हुए परिवार को बीज, बैल और ओजार खरीदने के लिए ११६२ रुपये का ऋण दिया जाता है। अब तक हिसाब मिलाकर १० लाख ५० हजार रुपये ऋण में दिए जा चुके हैं। बीकानेर में मुसलमानों की छोटी हुई २ लाख ३६ हजार एकड़ भूमि वांटने के लिए

उपलब्ध है। अजमेर, भोपाल, देहली, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, राजस्थान, सीराप्ट, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और अण्डमान में ६८ हजार काश्तकार परिवार जमीन पर वस चुके हैं।

ट्रैक्टरों का केन्द्रिक संगठन (सेन्ट्रल ट्रैक्टर औरंजाइजेशन) मध्य भारत में ९९ हजार एकड़ी और भोपाल में ४२ हजार एकड़ी भूमि पुनःग्रहण कर रहा है। इन भूमियों पर विस्थापित काश्तकारों को वसाया जा रहा है। पुनर्वास-मंत्रालय ने इन काश्तकारों को फिर वसाने के लिए १० लाख रुपये की राशि अलग रख दी है।

विस्थापित नागरिक

कस्बों और शहरों के विस्थापित व्यक्तियों का फिर वसाना बहुत भारी काम है। मंत्रालय प्रत्येक विस्थापित परिवार को मकान देने और रोजगार कमाने का अवसर प्रदान करने का यत्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त बालकों के शिक्षण, वृद्धों और असमर्थों की रक्षा और निराश्रित स्त्रियों के पालन और शिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है।

मकानों की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य वर्तमान शहरों के पड़ोंसों में नई छोटी वस्तियां वसाना है। जहां विस्थापित व्यक्ति बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गये हैं वहां आप से आप नए शहर खड़े हो रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रिक सरकार ने विविध राज्यों की सरकारों को लम्बी मियाद के ऋण दिए हैं।

१४ लाख से अधिक शहरी विस्थापित व्यक्तियों को मुहाजिरों के मकानों में वसाया जा चुका है। केन्द्रिक सरकार ने राज्यों की सरकारों को हिदायत दी है कि तम्बुओं में रहने वालों को वरसात आरंभ होने से पहले मकानों में ठहरा दिया जाय। मार्च १९५० के अन्त तक १९ हजार ९०० पक्के मकान पूरे किए जा चुके थे। और ११ हजार ३०० बन रहे थे। लगभग २३ हजार ६०० अधपक्के मकान बनाए जा चुके हैं और १० हजार ५०० बन रहे हैं।

ऋण

भारत सरकार की शहरी ऋण योजना पर अमल राज्यों की सरकारों द्वारा होता है। इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति को ५ हजार रुपये तक ऋण दिया जा सकता है। इन ऋणों पर प्रथम वर्ष कोई सूद नहीं लिया जाता और न कोई बसूली की जाती है। उसके बाद के वर्षों में तीन प्रतिशत सूद लिया जाता है। चार वर्ष के भीतर मूल भी वापिस कर देना पड़ता है। मार्च १९५० के अन्त तक राज्यों की सरकारों ने ऋणों व्यक्तियों को ५२ लाख ५० हजार रुपये और शहरी विस्थापित व्यक्तियों की १५०० कोअौपरेटिव सोसायटियों और ग्रुपों को ७ करोड़ ८० लाख रुपये ऋण दिया था। इन सोसायटियों की सदम्यन्त्रिया १७ हजार से अधिक है।

भान्त सरकार ने एक पुनर्वासि आर्थिक संगठन स्थापित किया है जो कि निमिट्ट कम्पनियों को साझे के रोजगारों को या व्यक्तियों को ५ हजार से ५० हजार तक की राशियां ऋण देता है। इस संगठन (एडमिनिस्ट्रेशन) के पास १४ हजार ८५८ प्रायंता पत्र आये थे, जिनमें ने वह ७ हजार १४१ पर कारंबाई कर

चुका है। ३ हजार ४५८ प्राथियों के लिए ४ करोड़ ४ लाख रुपए मंजूर किए गए थे। परन्तु उन्हें वस्तुतः १ करोड़ ८९ लाख रुपए दिए गए। विविध राज्यों में विस्थापित व्यापारियों को २७ हजार ८०० निष्क्रमणार्थी दूकानें दी गयीं और लगभग २५ हजार दूकाने उनके लिए नई बनाई गयीं। इन दूकानों में स्थानीय संस्थाओं और अन्य संगठनों द्वारा बनाई हुई दूकाने या म्याल शामिल नहीं हैं।

रोजगार-केन्द्र

रोजगार केन्द्रों (एम्प्लायमेंट एक्स्चेंजों) से बड़ी महायता मिली है। मार्च १९५० के अन्त तक इन एक्स्चेंजों में ५ लाख २७ हजार प्राथिना पत्र आ चुके थे और उनमें से १ लाख ३२ हजार को काम से लगाया जा चुका था। इनमें से ५५०० स्त्रियां थीं। स्पेशल एम्प्लायमेंट व्यूरो ने ११५७ उच्च विशिष्ट-योग्यता-प्राप्त विस्थापित व्यक्तियों को ऊंचे वेतनों के पदों पर लगाया। रेलों ने २५५० व्यक्तियों को काम दिया। इस प्रकार सब मिला कर ५ लाख व्यक्तियों की सेवा की गई। इनमें नौकरी पाने वालों के आश्रित भी शामिल हैं।

ट्रैनिंग (प्रशिक्षण)

पुनर्वसि-मंत्रालय के आधीन निलोखड़ी में एक (पोलिटेक्निक) विविध काम सिखाने वाली संस्था चल रही है। यह १९०० विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर चुकी है और लगभग ५०० व्यक्ति इसमें अब काम सीख रहे हैं। यहां जो काम सिखाए जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं: दर्जिगिरी, होजरी, वढ़ईगिरी, लोहारी,

वुनाई, कृषि, रंगाई, फोटोग्राफी, चमड़े का काम और छपाई आदि। तीस व्यक्तियों को सुपरखाइजर का काम सिखाने के लिए भी क्लासें लगाई गयीं।

देहली के सभी प्र अखब-की-सराय में अक्टूबर १९४९ के अन्त तक ३५० उम्मीदवारों को काम सिखलाया जा चुका था। उसके बाद इसे एक खास कारखाने में बदल दिया गया। इस केन्द्र में मंत्रालय ने जो नई मशीने जापान से खरीदी हैं उनका काम दिखलाया और जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखलाया भी जाता है। इस काम के लिए छै जापानी शिक्षक नियुक्त हैं। वे वांस के काम, यान्त्रिक खिलौनों के बनाने, और जूतों के फोटे बुनने आदि कामों में निपुण हैं।

मंत्रालय ने समाना, भट्टिडा, पटियाला, योल (पंजाब) गांधी-नगर (भोपाल) रामपुर (यू० पी०) और आजाद पुर (दिल्ली) इन मात्र स्थानों में प्रशिक्षण और काम दोनों के लिए कारखाने स्थापित। काम सीख लेने के बाद सीखे हुए आदमियों को या तो इन केन्द्रों के ही उत्पादन-विभागों में खपा लिया जाता है और या उन्हें अपना रोजगार आरम्भ करने के लिए सहायता दी जाती है। जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशीन, अन्य मामान और कच्चा माल प्राप्त करने की सुविधाएं दी जाती हैं तथा मिलाकर इन केन्द्रों में २६२५ स्थान खाली हैं। इनमें से ८०० अखब-की-सराय में हैं।

देहली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बम्बई, मध्यभारत, और राजस्थान नगरों की नगरार्गों ने भी प्रशिक्षण और काम के केन्द्र स्थापित हैं। उन केन्द्रों में उम्मीदवारों की न्यूनतम नमय में कुछ चुनी हुई वस्तुएं

तैयार करना सिखला दिया जाता है जो काम सिखलाए जाते हैं वे ऐसे होते हैं कि जिन इलाकों में उम्मीदवार बसना चाहते हैं उनमें उनकी वहुत मांग होती है। विचार यह है कि अन्त में इन केन्द्रों के उत्पादन-विभागों को उत्पादकों की कौबीपरेटिव सोसायटियों में बदल दिया जाय। मार्च १९५० के अन्त तक विविध राज्यों में १०० से ऊपर ऐसे केन्द्र काम कर रहे थे और उनमें लगभग १५००० आदमी रोजगार से लगे हुए थे। उक्त तारीख तक ११०० आदमी काम सीख चुके थे।

राज्य

व्यक्तियों की संख्या

राज्य	व्यक्तियों की संख्या
काम सीखने वाले	काम में लगे हुए

बम्बई	६२९	७२०
दिल्ली	१२८९	१७९७
मध्यभारत	३३३	५६७
पंजाब "	५३७६	१९६३
राजस्थान	५१	X
उत्तरप्रदेश	१६९५	११०७
योग	९,३७०	६,१५४

पाकिस्तान से आयी हुई निराश्रित और निर्धन स्त्रियों और बालकों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। हाल में उसने पुनरुद्धारित मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्त्रियों से उत्पन्न हुए बालकों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी अपने जिम्में ले लिया है। ये स्त्रियां स्वभावतः ऐसे बालकों से छुटकारा पाना चाहती हैं। स्त्रियों के केन्द्रों में

देश में सर्वत्र विविध दस्तकारियां सिखलाई जाती हैं। इस प्रकार के पंतिस आश्रय गृह हैं और उनमें १४ हजार ५०० स्त्रियां और बालक रहते हैं।

निर्वाह का भत्ता

भारत सरकार ने विधवाओं, निराश्रित स्त्रियों, बालकों और ऐसे व्यक्तियों को जो कि वुडापे, निर्वलता या अन्य इसी प्रकार के किसी कारण से अपनी रोजी आप नहीं कमा सकते निर्वाह के लिए भत्ते देने की एक योजना स्वीकृत की है। यह योजना विशेषतः उन स्त्रियों के लिए है जो अपने निर्वाहार्थ पाकिस्तान में छूटी हुई अपनी जायदाद की आमदनी पर आश्रित थीं और जिनके पास निर्वाह का अब कोई साधन नहीं है इस योजना के अनुसार अधिकतम २५० रुपया दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को अधिकतम साँ रुपया दिया जा सकता है। भत्ते का निश्चय यह देख कर किया जाता है कि पाकिस्तान में परिवार् को कितनी आमदनी होती थी। अकेले दिल्ली में इस प्रकार के १२ हजार ८०० प्रायंना पत्र आ चुके हैं। और २५.७५ व्यक्तियों को भत्ता दिया जा रहा है।

हरिजन

विश्वापित हरिजनों के हिनों की उपेक्षा न हो इसलिए अग्रिम भान्तीय हरिजन भेदक मंघ के आधीन एक विश्वापित हरिजन पुनर्वान बोर्ड का संगठन किया गया है। इस मंघ को केन्द्रिक मण्डार का प्रजेन्ट भाना जाना है। बोर्ड का केन्द्रिक कार्यालय दिल्ली में और प्रादेशिक कार्यालय पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बंगर्ड,

राजस्थान, मध्यभारत, झारपट्ट, और कच्छ में है। इन बोर्ड का काम विस्थापित हरिजनों के लिए मकान बनाना, कृष्ण देना और रोजगार तलाश करना है।

शिक्षण की सुविधाएं

विस्थापित वालकों को प्रारंभिक शिक्षण भारत सरकार मुफ्त देती है और इस प्रयोजन के लिए राज्यों की सरकारें जो व्यय उठाती हैं उस सबका भार भी व्यपने ऊपर ले लेती है। हाई स्कूलों की अन्तिम दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें और स्टेनग्राफी घरीदाने के लिए ७५ रुपये तक सहायता दी गई है। उनकी दृश्यूशन और परीक्षाएँ भी मांफ करदी गई हैं। कालिजों और टेक्नीकल संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी अध्ययन-काल में निवाहि के लिए और फीस आदि चुकाने के लिए कृष्ण दिये जाते हैं। ये कृष्ण द्वे वर्ष में वसूल किए जाएंगे। प्रथम वर्ष इन पर कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा और उसके पश्चात् २ प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से व्याज लिया जायगा। जो विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता चाहते हैं उनको वह दी जाती है, यदि यह निश्चय हो जाय कि पाकिस्तान में उनकी आमदनी पर्याप्त थी। मार्च १९५० के अन्त तक विस्थापित विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को कृष्ण देने के लिए ४५ लाख रुपया मंजूर किया जा चुका था।

निष्कमणार्थी सम्पत्ति

१९५० का निष्कमणार्थी सम्पत्ति प्रबंध कानून (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्युयी प्रौपर्टी एक्ट) आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त भारत के सब

राज्यों पर लागू होता है। अब इस कानून को कम कठोरता से लागू किया जाता है। किसी की जायदाद को निष्क्रमणार्थी की जायदाद घोषित करने से पूर्व उसके मालिक को नोटिस दिया जाता और अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। निष्क्रमणार्थी की परिमापा में संशोधन कर दिया गया है। पुराने आर्डिनेन्स के अनुसार जो बहुत से मुसलमान निष्क्रमणार्थी मान लिए जाते उनको नये लक्षण के अनुसार कोई कष्ट नहीं होगा।

पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमणार्थियों की बाढ़

हाल में पूर्वी पाकिस्तान में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए हैं उनके कारण भारत में आने वाले हिन्दुओं की बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है।

३१ मार्च १९५० तक ८ लाख २३ हजार हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान की ओर पार करके भारत में प्रविष्ट हो चुके थे। उनमें से ६ लाख ३३ हजार पश्चिमी बंगाल में, ८० हजार आसाम में और १ लाख त्रिपुरा में गए।

जो लोग पूर्वी बंगाल में आने आएको अनुभव करते हैं, और दूसरे आना चाहते हैं, उनके लिए भारत नगरार ने द्वारा गुर्या रखने की नीति जल्दी ही हुई है। भारत नगरार ने नव नम्बद्ध ग्रन्थों पर यह नियम लग दिया है कि इन नवीन आगलुकों के नियम और नदावला का आदि में जो अद्य रोगा उसे केन्द्रिक नगरार उठायेगा।

भारत सरकार की नीति यह है कि मुफ्त सहायता की अवधि यथाक्रिया द्वाटी रखी जाय और किसी भी अवस्था में उसे एक मास से अधिक न बढ़ने दिया जाय, क्योंकि इसके कारण न केवल अनुत्पादक व्यय में वृद्धि होती है, अपितु उससे विस्थापित व्यक्तियों का चाल-चलन भी गिर जाता है। नकदी सहायता १२ रुपया प्रति प्रौढ़ व्यक्ति और ८ रुपया प्रति बालक प्रति मास के हिसाब से दी जाती है। पात्र व्यक्तियों को वस्त्र भी मुफ्त दिए जाते हैं।

भारत सरकार के पुनर्वास-मंत्रालय ने एक जोयन्ट सैक्योटरी के आवीन कलकत्ता में अपना एक शाखा-कार्यालय खोल दिया है। पश्चिमी बंगाल, आसाम, विहार, उड़ीसा, और त्रिपुरा में जो लोग पूर्वों पाकिस्तान से आकर वसेंगे उन सबकी सब व्यवस्था यही कार्यालय करेगा।



समृद्धि के लिये साधन

१९४०-५० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए देहली में मकान बनाने की योजनाओं पर अमल होता रहा। इन योजनाओं का विवरण यह है।

(१) कौनंवालिस रोड, नई दिल्ली में मान नगर में १२० मकान अधिकारियों के लिए, इन में ८ मकान रिजर्व बैंक के लिए भी हैं।

(२) गोल्फ लिंक के समीप नई दिल्ली में ८८ मकान अधिकारियों के लिए।

(३) विलिंगडन एयरीड्रोम से दक्षिण की ओर विनय नगर में २२३२ क्वार्टर क्लास ३ की मविस के कर्मचारियों के लिए। इनमें तीन नींव क्वार्टर ड्राक व नार विभाग के कर्मचारियों के लिए और ३२० रिजर्व बैंक के लिए हैं।

(४) तीमान्युन में ३८८ क्वार्टर क्लास ३ के कर्मचारियों के लिए।

(५) लोटी कोलोनी में दक्षिण की ओर नेवानगर में १२०० क्वार्टर क्लास ८ के गन्धारी कर्मचारी के लिए। इनमें ११० रिजर्व बैंक के लिए भी है।

(६) तीमान्युन में ३२ क्वार्टर क्लास ८ के गन्धारी कर्मचारियों के लिए, और

(७) ६६५ क्वार्टर सी० पी० डबल्यू० डी० (केन्द्र के निर्माण विभाग) के "वर्क चार्जर्ड" कर्मचारियों के लिए।

केन्द्रिक निर्माण विभाग (सी० पी० डबल्यू० डी०) ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए जमीन तैयार करने और मकान बनाने का भी भारी काम अपने हाथ में लिया है। (देवो पेज ८९-९० पर की मूर्ची)

कलकत्ते में तीन बड़े औटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेन्ज (आप से आप नम्बर मिलाने वाले टेलीफोनों की केन्द्रिक इमारत) बन रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग (साइन्टिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट) की विविध संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी मकान बन रहे हैं। सींदरी के रासायनिक खाद के कारखाने, कलकत्ता की नई टकसाल और धनबाद के इण्डियन स्कूल आफ साइन्स (खानों के स्कूल) के लिए भी इमारतों का बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। उड़ीसा में काउखाइ और कटजुरी नदियों पर दो बड़े पुल बनाने के काम में अच्छी प्रगति हो चुकी है। बम्बई, नागपुर और गौहाटी में आल इण्डिया रेडियो के लिए इमारतें बनाई जा रही हैं।

नागरिक उद्योग विभाग

केन्द्रिय निर्माण विभाग (सैन्ट्रल पी० डबल्यू० डी०) का (सिविल एविएशन विंग) नागरिक उद्योग विभाग भारत में सब प्रकार के ४९ हवाई अड्डों की देख-भाल करता रहा। अगरतला, वैरकपुर, रांची और तुलिहाल के हवाई अड्डे देख-भाल के लिए हाथ में लिए गए।

दमदम में एक नया रनवे गांहाटी में, अमृतसर और लखनऊ में
उच्च रखने वाली इमारतें, देहली में एक अनुसंधान की प्रयोग
शाला और मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, तथा लखनऊ में हैंगर
(हवाई जहाजों के लिए आश्रय स्थान) बनाए गए। कई हवाई
अड्डों में टैक्सिकल प्रयोजनों के लिए कुछ इमारतें और वेतार के
भमान्वार भेजने तथा प्राप्त करने के लिए स्टेशन बनाए गए।

भारत का भूगर्भ परिमाप विभाग

विभाग के खनिज सूचना कार्यालय ने प्रतिमास ऑफिस्तन २२० प्रश्नों के उत्तर दिए।

वर्ष के आरम्भ में नए भर्ती किए हुए कर्मचारियों और विविध युनिवर्सिटियों के जियोलौजी के पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों को व्यावहारिक मैदानी प्रशिक्षण देने के लिए मैदान में काम सिखाने का कैम्प खोला गया।

इस विभाग ने तेल, कोयले, मैग्नीज, जिप्सम, लोहे, तांबे, कांच, व चीना मिट्टी, क्रोमाइट, चूने के पत्थर आदि की और भूमि के नीचे पानी की खोज के लिए तथा नदियों की घाटियों की योजनाओं के लिए २२० मैदानी अनुसंधान किए। इन अनुसंधानों से निम्नलिखित नवीन वातें मालूम हुयीं :

(१) मध्य प्रदेश के बाला घाट जिले में तिरोदी नामक स्थान पर चुम्बकीय खोज से मैग्नीज की कच्ची धातु के अज्ञात जमावों का ज्ञान हुआ।

(२) जोधपुर में गढ़े और खाइयां खोदकर जिप्सम की तालाश की गई और एक बड़ी खान का पता लगा। सौराष्ट्र के हालार जिले में छ्रिल से खोद कर एक जिप्सम की खान को देखा गया और पता लगा कि उसमें ३ करोड़ टन से ऊपर जिप्सम मौजूद है।

(३) सिगरीली की कोयला खानों में छ्रिल से खोदकर देखने पर पता लगा कि वहां पर इतना कोयला मौजूद है कि उसकी खुदाई की जा सकती है। नेपाल की डांग घाटी में जिला गोंडा के जारवा रेलवे स्टेशन से ४५ मील उत्तर की ओर कोयला होने

का पता लगा है। कोरवा की कोयला-खान में हाल में जो योज की गई उसमे मालूम हुआ कि वहां भूमि के नीचे कोयले की समृद्ध पट्टियां मौजूद हैं।

(४) मध्य प्रदेश में गाउघाट में लोहे की कच्ची धात की पट्टियों की ऊपर ने परीक्षा की गई और मालूम हुआ कि वहां की प्राक प्रक वड़ी गान में वहून ऊँची किस्म की कच्ची धातु ५० करोड़ टन तक मौजूद है।

(५) गजब्यान के बूदी जिले में वडिया किस्म की कांच खनाने के रेन का वहून परिमाण में होना पाया गया।

खानों का भारतीय कार्यालय

इस कार्यालय ने साइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशनस एण्ड डिवेलपमेंट) एकट १९४८ के सेक्यरेट ५ के अनुसार अन्तिम रूप में मिनरल कन्सेशन रूल्स और प्रैट्रोलियम कन्सेशन रूल्स को तैयार किया।

व्यूरो ने केन्द्र और राज्यों की सरकारों और खानों का व्यवसाय करने वाली प्राइवेट फर्मों को भी सलाह दी। विभाग के दो उच्च अधिकारियों ने झरिया की २० वड़ी कोयला-खानों का निरीक्षण किया। उनका लक्ष्य यह था कि खानों की व्यवस्था पूर्वक सुदार्द करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक पद्धति निर्दिष्ट करदी जाय। व्यूरो ने खानों की एक डायरेक्टरी तैयार करने का काम भी हाथ में लिया है, जिसमें उन क्षेत्रों का विवरण दिया जायगा जिनमें कि खानों के ठेके दिये जा चुके हैं और भारत के विविध राज्यों में विविध खनिज पदार्थों की तलाश के लाइसेंस दिये गए हैं।

इण्डियन स्कूल आफ साइन्स

धनवाद के इण्डियन स्कूल आफ साइन्स एण्ड एप्लायड जियो-लौजी में खान-संबंधी इंजीनियरिंग और व्यावहारिक भूगर्भ-शास्त्र का उच्च टैक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल में इन विषयों का पाठ्यक्रम चार वर्ष का है, जिसके पश्चात विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाल में सरकार ने पुर्नसंगठन समिति की सिफारिशों के अनुसार स्कूल का पुर्नगठन करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार स्कूल में नये विद्यार्थियों का प्रवेश दुगना कर दिया गया है और अध्यापकों की संख्या भी बढ़ा

संस्थाओं की विशेषज्ञ सलाहकार संस्था के रूप में काम किया। यह संस्था पैट्रोलियम और अन्य खतरनाक वस्तुओं के संग्रह तथा यातायात और सब विस्फोटक वस्तुओं के आयात तथा निर्माण संबंधी मामलों से संबंध रखती है। विस्फोटों का टैकिनकल जांच के लिए इस विभाग की सहायता बहुधा ली जाती है। यह सरकार रेलों, पोर्ट ट्रस्टों, और म्युनिसपेलिटियों को ये दुर्घटनाएं रोकने के लिए नियम बनाने में सलाह और सहायता देती है।

सिनेमेटोग्राफ़ फ़िल्म रूल्स १९४८ को लागू करने और उन्हें पालन कराने का काम भी इसी विभाग का है। आशा है कि भड़कीले सब फ़िल्मों का बड़े परिमाण में संग्रह भविष्य में वनी वस्तियों से बाहर उचित प्रकार से बनाए हुए स्थानों में ही किया जाएगा। इससे आग लग जाने पर जान और माल के लिए संकट का भय बहुत घट जायगा।

केन्द्रीय जल-शक्ति, सेचन तथा नौतरण कमीशन

पानी की ताकत, सिचाई और जलीय यातायात के केन्द्रिक कमीशन (सैन्ट्रल वाटर पावर, इरीगेशन एण्ड नैवीगेशन कमीशन) का १९४९-५० में सबसे बड़ा काम उड़ीसा के हीराकुड़ बांध की योजना के संबंध में रहा। हीराकुड़ में पावर-हाउस और कारखाने बन चुके हैं। एक सुव्यवस्थित बस्ती बस गई है। एक अनुसंधान प्रयोग शाला भी बन गई है, और गाध तथा मिट्टी जमा हो जाने, मौसमी हालात, बांध के स्थानों की भूगर्भस्थ अवस्था और इस इलाके का अंगस्थिति का अध्ययन प्रायः पूरा हो चुका है। बांध के विस्तृत डिजाइन भी प्रायः पूरे बन चुके हैं।

सेन्ट्रल वाटर पावर इंजीनियर्स एण्ड नैविगेशन कमीशन के
 साथ एक पानी की विजली की शाखा भी जोड़ दी गई है। इसने
 पानी की विजली पैदा करने वाले दो स्टेशनों के लिए मशीनों और
 अन्य भागों के उत्तराधिकारी और ड्राइंग आदि तैयार कर लिए हैं।
 मशीनों का आईर दिया जा रहा है।

है। राजस्थान के मूख्य परन्तु उपजाऊ प्रदेशों को पानी देने की संभावनाओं की खोज की जा रही है। पश्चिमी बंगाल की सरकार से गंगा पर बांध बनाने की योजना की परीक्षा का काम कमीशन ने अपने हाथ में ले लिया है।

गत वर्ष जलशक्ति विद्या, सेचन और भूमि-संरक्षण के संबंध में साधारण अनुसंधान का काम किया गया।

हीराकुड बांध और कोसी योजना के विविध कामों के लिए आवश्यक रेखा-चित्र बनाना शर्ह किया गया। हीराकुड बांध संवंधी कुछ डिजायन बनाने का काम डेनवर (अमेरिका) की इण्टरनेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी को सौंपा हुआ है। उन्हें समाप्त कराने के लिए चीफ डिजायन्स इंजीनियर कुछ मास तक अमेरिका रहा। य०० एस० ए० व्यूरो आफ रिक्लेमेशन (भूमि-उद्धारक अमेरिकन व्यूरो) ने कोसी योजना के संबंध में वोज्ञ के जो परीक्षण किए उनका विश्लेशण और निरीक्षण भी उसने किया।

सेन्ट्रल इरिगेशन बोर्ड एण्ड कमीशन (सिचाई के केन्द्रिक बोर्ड और कमीशन) के पूना स्टेशन में नदियों में नीका चलाने के विषय में अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। सढ़कों और रेलों की कुछ योजनाओं के नमूनों (माडलों) पर भी परीक्षण किए गए।

इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों ने अपनी नदी योजनाओं के संबंध में कमीशन से सलाह ली और नक्शे बनवाए।

कमीशन ने यह जानकारी एकत्र की कि सब नदी-योजनाओं के लिए किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें से

नं० १ वांध १९५२ के अन्त तक पूरा कर देने का विचार है जिससे बोकारो के पावर-प्लान्ट को ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जा सके। तिलैया वांध का काम भी चल रहा है और आशा है कि यह १९५१ के मध्य तक पूरा हो जायगा। माइथोन और पेंच पहाड़ी के वांधों के संबंध में प्रारंभिक कार्यों की प्रगति विविध मंजिलों में है। २५०० किलोवाट का कुमार धुबी पावर हाउस जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है।

तिलैया और कोनार तालावों के कारण बोकारो वस्ती के जो लोग विस्थापित हो गये उन्हें वसाने के लिए नयी जमीन तैयार की जा रही है। मधीनों से मिट्टी खोदने और ढोने वाली टुकड़ी अपना काम कर रही हैं और अगले पांच वर्ष तक १५००० एकड़े जमीन प्रतिवर्ष तैयार करने का विचार है। ४०० एकड़े निकटी जमीन चावल की और 'ताड़' की खेती के परीक्षण के काम में आ रही है।

केन्द्रिय विद्युत कमीशन

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन विद्युत शक्ति के समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी है। इसने दामोदर घाटी कारपोरेशन की अद्वितीय सहायता की। इसने बोकारो पावर-स्टेशन के निर्माण में ऐसी समस्याओं का हल करने में सहायता दी जो विशेषतः इंजीनियरों की सलाह से ही हल हो सकती थीं। उसने तिलैया हाइड्रो-पावर (पानी की शक्ति) हाउस के पावर (ताकत) तथा रिसीविंग (विजली एकत्र करने वाले) स्टेशन के लिए सब यंत्रों का हिसाब लगाने, निरीक्षण करने और उन्हें मंगाने में भी सहायता दी। इस कमीशन ने वम्बई, मध्यभारत, राजस्थान

नं० १ वांध १९५२ के अन्त तक पूरा कर देने का विचार है जिससे बोकारो के पावर-प्लान्ट को ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जा सके। तिलैया वांध का काम भी चल रहा है और आशा है कि यह १९५१ के मध्य तक पूरा हो जायगा। माइथोन और पेंच पहाड़ी के वांधों के संवंध में प्रारंभिक कार्यों की प्रगति विविध मंजिलों में है। २५०० किलोवाट का कुमार धुबी पावर हाउस जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है।

तिलैया और कोनार तालाबों के कारण बोकारो वस्ती के जो लोग विस्थापित हो गये उन्हें बसाने के लिए नयी जमीन तैयार की जा रही है। मशीनों से मिट्टी खोदने और ढोने वाली टुकड़ी अपना काम कर रही हैं और अगले पांच वर्ष तक १५००० एकड़ जमीन प्रतिवर्ष तैयार करने का विचार है। ४०० एकड़ निकटी जमीन चावल की और 'ताड़' की खेती के परीक्षण के काम में आ रही है।

केन्द्रिय विद्युत कमीशन

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन विद्युत शक्ति के समन्वित विकास के लिए उत्तरदायी है। इसने दामोदर धाटी कारपोरेशन की अद्वितीय सहायता की। इसने बोकारो पावर-स्टेशन के निर्माण में ऐसी समस्याओं का हल करने में सहायता दी जो विशेषतः इंजीनियरों की सलाह से ही हल हो सकती थीं। उसने तिलैया हाइड्रो-पावर (पानी की शक्ति) हाउस के पावर (ताकत) तथा रिसीविंग (विजली एकत्र करने वाले) स्टेशन के लिए सब यंत्रों का हिसाब लगाने, निरीक्षण करने और उन्हें मंगाने में भी सहायता दी। इस कमीशन ने बम्बई, मध्यभारत, राजस्थान

ओर हिमानल प्रदेश की सरकारों की विज्ञली की कमी को दूर करने तथा उत्तराखण्ड विज्ञली दा विनग्य वुद्धि-पूर्वक करने में भी योग्यता की ।

रमेशन ने निदी के ग्रामायनिक पाद के कारणाने में, लिंगोज्जुर, रट्टक और बिली में और हीराकुड बांध के लिए नमानामूर में रेत विद्याने का लम पूरा कर लिया । यंत्र विद्याने की आवश्यक दोषों में भाग का प्रतिस्पर्षमेंट (नाज नामान) ११०० फ्लोराट और डीज्जल जनरेटिंग प्रतिस्पर्षमेंट ११२५ फ्लोराट था ।

स्थान का नाम	विकास का क्षेत्रफल	लगभग आवादी	उन मकानों की संख्या जो कि सरकार ने विस्थापितों के लिए बनायी
१. राजेन्द्रनगर (पुस्तारोड के दक्षिण में)	१८५ एकड़	१६,५००	३८५ घर एक एक कमरे वाले, १९६८ मकान दो कमरे वाले, १०४ दुकानें दो कमरे वाले, १०४ दुकानें
२. राजेन्द्रनगर के समीप एक स्थान	३५ एकड़	२५००	३०० मकान दो दो कमरों वाले
३. पटेलनगर (एश्रीकलचरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के समीप, शादीपुर)	२१७ एकड़	१८,३००	१०५, मकान दुमंजिले, १०५ मकान तीन तीन कमरों वाले, १०० मकान दो दो कमरों वाले, ८०० घर एक एक कमरे वाले
४. किंस वै की वस्ती (पुरानी दिल्ली में माल रोड पर)	१३२ एकड़	१७,५००	३००० घर एक एक कमरे वाले, १५० दुकानें
५. मलकांगज	२६ एकड़	४०००	३३० घर एक एक कमरे वाले,
६. निजामुद्दीन गांव और उसका विस्तार	१०४ एकड़	५७५०	१० मकान दुमंजिले, तीन तीन कमरों वाले, पैकेट ५, एक मंजिले पैकेट तीन तीन कमरों वाले, १० मकान दो दो कमरों वाले

अज्ञान का निवारण

शिक्षण-मंत्रालय ने समस्त देश के लिए बुनियादी तालीम और सामाजिक शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया है। राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों की कानफरेंस ने इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया है कि सब राज्यों में एक-सा काम हो सके।

परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण इस योजना पर अमल पूरी तरह नहीं हो सका। केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों में भी आर्थिक कठिनाई के कारण मंत्रालय को बुनियादी तालीम और सामाजिक शिक्षण का अपना काम बन्द कर देना पड़ा। दिल्ली में कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही; परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा में बहुत काम नहीं हो सका।

१९४८ में नियत किए हुए यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगस्त १९४९ में दे दी। नवम्बर १९४९ में यह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई और राज्यों की सरकारों और विविध यूनिवर्सिटियों को सम्मति देने के लिए भेजी गई। सैन्ट्रल एडवायजरी बोर्ड आफ एज्यूकेशन ने भी अपनी एक विशेष बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया। सरकार का इस रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय शीघ्र हो जाने की आशा है।

छात्रवृत्तियाँ

१९४९-५० में विदेशों में छात्रवृत्तियाँ देने की योजना को पूरी तरह दोहराया गया। इन छात्र वृत्तियों का मुख्य प्रयोजन



भारत और यूनेस्को

(संयुक्त राष्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ)

इस वर्ष का एक विशेष कार्य यह था कि शिक्षण, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के लिए यूनेस्को द्वारा जो विविध संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ संपर्क रखने के प्रयोजन से उसके साथ सहयोग करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया। यह कमीशन यूनेस्को से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार को सलाह देने का काम भी करेगा। यूनेस्को के साथ भारत का सहयोग प्रगट करने वाला पहला काम यह हुआ कि इस देश ने यूनेस्को की ओर से ग्रामीण प्रौढ़ों के शिक्षण पर विचार करने के लिए एक विद्यासम्मेलन किया। एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने एशियायी देशों के प्रौढ़ लोगों में सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए साहित्य वितरित करने की सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए एक मार्गदर्शी प्रयोग शाला स्थापित करने का समझौता किया। इस प्रकार का एक केन्द्र भारतीय और अन्य एशियायी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी करने का निश्चय किया गया है।

भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्को ने समस्त संसार के लिए एक सी (ब्रेले) अन्धों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना पर विचार करने का काम हाथ में लिया है। सितम्बर १९४९ में विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि सम्मिलित था। इस विषय पर मार्च १९५० में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया। अन्धों के लिए एक

भारत और यूनेस्को

(संयुक्त राष्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ)

इस वर्ष का एक विशेष कार्य यह था कि शिक्षण, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के लिए यूनेस्को तथा जो विविध संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ संपर्क रखने के प्रयोजन से उनके साथ सहयोग करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया। यह कमीशन यूनेस्को से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार को सलाह देने का काम भी करेगा। यूनेस्को के साथ भारत का सहयोग प्रगट करने वाला पहला काम यह हुआ कि इस देश ने यूनेस्को की ओर से ग्रामीण प्रौद्योगिकी के शिक्षण पर विचार करने के लिए एक शिक्षा-सम्मेलन किया। एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने एशियायी देशों के प्रौद्योगिकी में सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए साहित्य वितरित करने की सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए एक मार्गदर्शी प्रयोग शाला स्थापित करने का समझौता किया। इस प्रकार का एक केन्द्र भारतीय और अन्य एशियायी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी करने का निश्चय किया गया है।

भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्को ने समस्त संसार के लिए एक सी (ब्रेल) अन्धों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना पर विचार करने का काम हाथ में लिया है। सितम्बर १९४९ में विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि सम्मिलित था। इस विषय पर मार्च १९५० में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया। अन्धों के लिए एक

भारत और यूनेस्को

(संयुक्त राष्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ)

इस वर्ष का एक विशेष कार्य यह था कि शिक्षण, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के लिए यूनेस्को तथा जो विविध संस्थाएं काम कर रही हैं उनके साथ ज़ंपर्क रखने के प्रयोजन से उसके साथ सहयोग करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया। यह कमीशन यूनेस्को से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार को सलाह देने का काम भी करेगा। यूनेस्को के साथ भारत का सहयोग प्रगट करने वाला पहला काम यह हुआ कि इस देश ने यूनेस्को की ओर से ग्रामीण प्रौद्योगिक शिक्षण पर विचार करने के लिए एक शिक्षा-सम्मेलन किया। एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने एशियायी देशों के प्रौढ़ लोगों में सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए साहित्य वितरित करने की सिफारिशें कीं। भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सामाजिक शिक्षण के विस्तार के लिए एक मार्गदर्शी प्रयोग शाला स्थापित करने का समझौता किया। इस प्रकार का एक केन्द्र भारतीय और अन्य एशियायी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी करने का निश्चय किया गया है।

भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्को ने समस्त संसार के लिए एक सी (ब्रेले) अन्धों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना पर विचार करने का काम हाथ में लिया है। सितम्बर १९४९ में विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि सम्मिलित था। इस विषय पर मार्च १९५० में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया। अन्धों के लिए एक

४. सोशल एण्ड वेलफ़ेयर वर्क (समाजसेवा का कार्य)

५. टीचर्स ट्रेनिंग (अध्यापकों का प्रशिक्षण)

वैदेशिक सूचना कार्यालय

वैदेशिक सूचना कार्यालय (ओवरसीज इन्फारमेंशन व्यूरो) को भारी जिम्मेवारी उठानी पड़ी। इसके तीन भाग हैं। इन्फारमेंशन सर्विस (सूचना देने वाला) पब्लिककेशन्स (प्रकाशन) और पुस्तकालय। ३६० व्यक्तियों ने कार्यालय में आकर सलाह और सूचनाएं प्राप्त की और ३५०० पूछताछें दफ्तर में आयीं।

“जनरल इन्फारमेंशन अवाउट द यू० ऐस० ए०” (अमेरिका के विषय में साधारण जानकारी) नामक एक पुस्तका प्रकाशित की गई। दो अन्य पुस्तकाएं “इलैक्ट्रिकल एंजीयनियरिंग” और “वैटरनरी साइंस” (विज्ञी की इंजीनियरिंग और पशु-विज्ञान) शीघ्र ही तैयार हो जायंगी। एक अन्य पुस्तका “आवर स्टूडेन्ट्स अन्नीड” (विदेशों में हमारे विद्यार्थी) तैयार हो रही है।

इस व्यूरो के पुस्तकालय ने विद्यार्थियों को सलाह देने वाले देश के २३ संगठनों को विदेशी यूनिवर्सिटियों और संस्थाओं के विषय में साहित्य वितरित किया। इस प्रकार ये संगठन उम्मी-दवारों को विविध क्षेत्रों के विषय में सलाह देने के लिए आवश्यक साहित्य से सज्जित हो गये। कार्यालय (व्यूरो) के पुस्तकालय ने विदेशों से प्राप्त अन्य साहित्य और भेंट की पुस्तकें भी भारतीय संस्थाओं में वितरित कीं।

भारतीय राष्ट्रीय कमीशन


भारतीय राष्ट्रीय कमीशन (इण्डियन नैशनल कमीशन) के तीन उप-कमीशन हैं। एक शिक्षण के लिए, दूसरा विज्ञान के लिए और तीसरा संस्कृति के लिए। अब कमीशन ने एक कमेटी इस प्रयोजन के लिए बैठाने का निश्चय किया है कि वह पाठ्य पुस्तकों की परीक्षा करके देखे कि वे यूनेस्को द्वारा निर्धारित कसीटी पर खरी उत्तरती हैं कि नहीं। यह कमीशन इस उद्देश्य से पाठ्य पुस्तकों को सुधारने का भी यत्न करता है कि वे राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय जान-पहचान और संसार की नागरिकता के प्रति चेतना उत्पन्न करने में सहायक हों।


इस कमीशन ने एक कमेटी नियुक्त करके उसे भारतीय भाषाओं की ऐसी पुस्तकों की एक सूची तैयार करने का काम सौंपा है जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना उचित जर्चे। इसने राष्ट्रीय पुस्तकों की एक सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का काम भी हाथ में लिया है।

इण्डियन नैशनल कमीशन का इरादा यूनेस्को की पांचवीं जनरल कानफरेंस के सामने महात्मा गांधी की शिक्षाएं उपस्थित करने का और यह प्रगट करने का भी है कि वह महापुरुष शान्ति, अहिंसा और अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय का सबसे बड़ा व्याख्याता था।

जनरल कानफरेंस का जो चौथा अधिवेशन पैरिस में हुआ था उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता प्रो० राधाकृष्णन थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने कानफरेंस के विचार विनिमय में प्रमुख भाग लिया। यूनेस्को समय समय पर अपने विशेषज्ञों की कमेटियों में भारतीयों को भी निमंत्रित करता रहा है।

गणराज्य दिवस पर
राष्ट्रपति का चुलूस





डा० राजेन्द्रप्रसाद राजधाट में
'वन महोत्सव' का समारम्भ कर रहे हैं



विस्थापितों के नगर नीलोखेरी में
एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

हिस्टौरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन” के त्रैमासिक पत्र का ‘इण्डियन आकाइव्ज’ नाम से एक विशेषांक भी प्रकाशित किया । अन्य प्रकाशनों में ‘इण्डियन हिस्टौरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन’ के २५ वें अधिवेशन दिल्ली की कार्रवाइयां और इस कमीशन के प्रथन २५ अधिवेशनों के प्रस्ताव भी शामिल हैं ।

प्रोद्योगिक शिक्षण के लिये अखिल भारतीय कौंसिल

इस कौंसिल ने अप्रैल १९४९ की अपनी बैठक में एक कमेटी इस काम के लिए नियुक्त की कि वह इन्टर-यूनिवर्सिटी बोर्ड की एक छोटी कमेटी के साथ मिलकर भारतीय यूनिवर्सिटीयों में प्रोद्योगिक (टैक्निकल) शिक्षण की स्थिति का निरीक्षण और विवेचन करे और इंजीनियरिंग और अन्य शिल्प कला संबंधी विषयों की पाठ-विधि निर्धारित करने के लिए साधारण सिद्धांतों को निश्चित करे ।

इस कौंसिल की एक छोटी कमेटी इस सुझाव पर विचार करने के लिए नियत की गई कि प्रस्तावित हायर टैक्निकल इन्स्टी-ट्यूट (घनवाद) के इण्डियन स्कूल आफ साइंस एण्ड जियोलौजी और बंगलौर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस आदि को संबद्ध करने के लिए एक नेशनल टैक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करना उचित होगा या नहीं ।

आल इण्डिया बोर्ड आफ टैक्निकल स्टडीज ने इस वर्ष खासी उन्नति की, विशेषतः शिल्पकला, वाणिज्य और प्रयोगात्मक कलाओं की विविध शाखाओं के लिए टैक्निकल शिक्षण की एक अखिल-भारतीय-योजना तैयार करने की दिशा में ।

पुरातत्व

१९४९-५० में पुरातत्व विभाग (आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट) दिल्ली के लाल किले और कुतुब मीनार, आगरे के ताजमहल, राजगीर (विहार) की सोनभंडार गुफाओं और ससराम (विहार) की शेरशाह की कब्र, शिवसागर (आसाम) के सिद्धवोल मंदिर, अनन्तगुप्त (उड़ीसा) की खण्डगिरी, और उदय गिरी गुफाओं, कांजी वर्म (मद्रास) के कैलासनाथ मंदिर और बीजापुर (बम्बई) के गोल गुम्बद आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और निरीक्षण का कार्य करता रहा।

४ जनवरी १९५० से इस विभाग ने सैन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० से ऐतिहासिक स्मारकों के साथ लगे हुए उद्यानों के प्रवंध और शासन का काम भी अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली से बाहर के भी इस प्रकार के उद्यानों का प्रवंध हाथ में लेने का विचार है।

जिला चित्तलदुर्ग का पर्यवेक्षण किया गया और १९४९-५० में शिशुपाल गढ़ में खुदाई का काम जारी रहा।

नया संविधान लागू होने के साथ ही विविध राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सब ऐतिहासिक स्मारक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में आ गए हैं। राज्यों के प्रारंभिक पर्यवेक्षण का काम हाथ में लिया गया है। अमेरिका के भारतीय दूतावास की ओर से मिस्टर रेमौण्ड वॉनियर ने एक प्रदर्शनी का संगठन किया था जिसमें मध्यकालिक भारतीय पत्थर की खुदाई के ८० (फोटो) चित्र कई केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए।

मानव-विकास अनुसंधान

१९४९-५० में ब्रावनकोर में और बिहार में और आसाम की आद्वोर पहाड़ियों में अन्वेषक दल भेजे गए।

ब्रावनकोर के दल ने कन्निकार, यूराली, मलापान्तारम, मुथुवान, पालियन और कुरावा आदि अनेक जातियों के धड़ों की विशेषताओं और शारीरिक नापों का अध्ययन करके दक्षिण भारत की जातियों के शारीरिक चिन्हों द्वारा यह पता लगाने का यत्न किया कि इन जातियों में किसका किससे क्या संबंध है।

यूनेस्को ने विविध जातियों के अध्ययन के लिए एक योजना तैयार की है और उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी वचन दिया है। इससे संसार के विविध भागों में जो सांप्रदायिक और जातीय झगड़े होते रहते हैं उनका हल करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के अनुसार मानव जाति विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एन्थ्रोपोलौजी) का डायरेक्टर और दो रिसर्च एसोसिएट मई १९४९ में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पैरिस गए थे। वहां से भारत लौटकर डायरेक्टर ने यूनेस्को की योजना को भारत में जातीय आधार पर पूरा करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक व्यवस्थाएं कीं। कलकत्ता से ४० मील पर सरिसा यूनियन में इस काम के लिए एक स्थान का चुनाव कर लिया गया है। वहां कैम्प की स्थापना करदी गई है और काम आगम्ब हो गया है।

सांस्कृतिक संवन्धों की भारतीय कॉसिल

१९४९ में सरकार ने वर्तमान इण्डो-इरानियन कलचरल कमेटी को परिवर्तित करके उसका नाम इण्डियन कॉसिल फार कलचरल रिलेशन्स अथवा सांस्कृतिक संवन्धों की भारतीय-कॉसिल रखा और उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया। यह कॉसिल एक गैर सरकारी संस्था है। परन्तु इसे अपने काम में सरकार का समर्थन प्राप्त है। इस समय इसका ध्यान मध्य-पूर्व के देशों, टर्की और सुदूरपूर्व के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्पर्कों को दृढ़ करने पर केन्द्रित है।

विदेशों में उच्च शिक्षण

१९४९-५० में ७ विद्यार्थी विदेशों में भेजे गए। छे को छात्रवृत्तियां राज्यों ने दीं और एक को केन्द्रिक सरकार ने। ३ विद्यार्थियों को केन्द्र और भेजेगा और २ को राज्य भेजेंगे। दिसम्बर १९४९ तक ३३३ विद्यार्थी केन्द्र से और २४४ राज्यों से छात्रवृत्तियां लेकर अपना अध्ययन समाप्त करके स्वदेश लौट चुके थे। इनमें से ३८६ काम पर लग गए हैं।

प्रशिक्षण संस्थाएं

अप्रैल १९४८ में केन्द्रिय शिक्षा संस्था (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एज्जुकेशन) से ६१ छात्रों ने बी० टी० और ८ ने एम० ई० डी० परीक्षा पास की। जुलाई १९४९ में ८० विद्यार्थी बी० टी० और २० एम० ई० डी० की श्रेणियों में प्रविष्ट किए गए।

गृह-प्रवंध विज्ञान की कक्षाओं में बी० एस-सी और बी०-टी० की पाठ विधि जारी करने की केन्द्रिक योजना के अनुसार

इस वर्ष से लेडी इरविन कौलिज में बी० एस-सी और बी०टी० की नई कक्षाएं जारी की जाएंगी। यह कौलिज देहली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर लिया जायगा।

सामाजिक सेवा की छात्रवृत्तियाँ

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक कार्यविभाग के कार्यक्रम के अनुसार गत वर्ष १९ भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में समाज-सेवा के कार्य का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी गयीं। इनमें से ९ छात्रों को यात्रा-व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ ने और शेष को भारत सरकार ने दिये।

१९५०-५१ के लिए भारत को २५ छात्रवृत्तियाँ दी गयीं हैं और भारत सरकार इनके विषय में अपनी सिफारिशें संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय को भेज चुकी हैं।

करनाटक संगीत का सेन्ट्रल कौलिज

मद्रास में करनाटक संगीत का सेन्ट्रल कौलिज १९४९ में खोला गया था। आरम्भ में इसकी विद्वान पाठविधि की चतुर्थ वर्ष की कक्षा में ४० विद्यार्थी थे। स्नातक होने से पूर्व की शिक्षा का उत्तदायित्व राज्यों की सरकारों पर है।

केन्द्रीय राष्ट्रीय अजायवघर

१९४८-४९ में गवर्नमेंट हाउस में जो भारतीय कला प्रदर्शनी हुई थी वही भारतीय राष्ट्रीय अजायवघर का केन्द्र बन गई है। इस समय यह गवर्नमेंट हाउस में ही रखी गयी है।

राष्ट्रीय अजायवघर को वढ़ाने और विकसित करने का विचार है। इस उद्देश्य से मंत्रालय ने जो अपील की थी उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ और उनके राजाओं, निजी संग्रहकर्ताओं, म्यूजियमों, और राज्यों की सरकारों ने अपने मूल्य-वान कलापूर्ण संग्रह राष्ट्रीय अजायवघर (नैशनल म्यूजियम) को दान कर देना अथवा उधार दे देना स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक-न्यास (ट्रस्ट)

आर्थिक कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय सांस्कृतिक (नैशनल-कलचरल) ट्रस्ट की स्थापना कर देनी पड़ी है। परन्तु सरकार ने कला, साहित्य और नृत्य के तीन विद्यालय खोलने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई कर ली है।

तदनुसार अगस्त १९४९ में भारत सरकार ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय कला सम्मेलन किया था। उसमें विख्यात कलाकार, कला के आलोचक और राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सेन्ट्रल आर्ट एडवायजरी कमेटी के विषय में एक सिफारिश पर पहले ही अमल हो चुका है।

भारतीय गणराज्य का प्रारंभिक उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में शिक्षण मंत्रालय ने एक नृत्य-नाटक का आयोजन किया था। इसमें अड्यार (मद्रास) के कला-क्षेत्र की प्रजिङ्डेंट श्रीमती रुक्मणी देवी ने अपने कलाक्षेत्र के अभिनेताओं के साथ कालीदास का 'कुमारसंभव' प्रस्तुत किया था।

कला की छात्रवृत्तियाँ

कलाकारों को उत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कला का प्रचार करने के लिए सरकार ने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स में एक प्रतिस्पर्धा करके २५००-२५०० रुपये की आठ छात्रवृत्तियाँ दी हैं।

ईस्टर्न हायर टेक्नोलौजिकल इन्स्टीट्यूट

एक चुनाव समिति ने विविध केन्द्रों में ईस्टर्न हायर टेक्नोलौजिकल इन्स्टीट्यूट के डिपार्टमेंटों के प्रमुख पदों पर प्रतिष्ठित करने के लिए ४३ उम्मीदवारों से बातचीत करली है। डाक्टर ई० वीनगार्टन नामक एक जर्मन टैक्नोलौजिस्ट, डिपार्टमेंट आफ इंजीनियरिंग के प्रमुख बन कर आ चुके हैं।

इस कौलिज के वर्कशाप के लिए जर्मन क्षतिपूर्ति के स्टाक से पर्याप्त सज्जा-सामग्री मिल गयी है और कुछ डायरेक्टर जनरल आफ डिस्पोजलस से भी ली गई हैं।

इस संस्था के लिए जगह का चुनाव कर लिया गया है और आवश्यक कर्मचारी भी नियुक्त हो गये हैं। आशा है कि संस्था अगस्त १९५० से अपना काम आरंभ कर देगी।

सेन्ट्रल फ़िल्म यूनिट

१९४९-५० में सेन्ट्रल व्यूरो आफ एज्युकेशन के फ़िल्म पुस्तकालय ने ६८४ फ़िल्में और फ़िल्म स्ट्रिप खरीदे। अब पुस्तकालय के पास सब मिला कर १००० फ़िल्में हो गई हैं। व्यूरो ने १५४२

फिल्में और फिल्मों के टुकड़े देश की विविध संस्थाओं को उधार दिए। पुस्तकालय के दो सौ नये मैम्बर बने हैं।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षण संबंधी फिल्मों के उत्पादन को उत्साहित कर रहा है। जो भारतीय फिल्म-निर्माता इस प्रकार के कार्यों में रुचि रखते हैं उनको तेहस विषयों की सूची भेजी गई थी।

सैन्ट्रल फिल्म यूनिट विविध फिल्म पुस्तकालयों और केन्द्रिक तथा राज्यों की सरकारों के पास जो शिक्षणात्मक फिल्में और फिल्मों के टुकड़े हैं, उनकी एक सूची तैयार करवा रही है।

मंत्रालय के पास जो फिल्में और फिल्मों के टुकड़े हैं, उनकी उसने एक छपी हुई सूचित प्रकाशित की है। पीछे से दो परिशिष्ट भी प्रकाशित किए गए थे।

वृनियादी तालीम

मंत्रालय ने १९४९-५० में राज्यों में वृनियादी तालीम के विस्तार पर साढ़े तेरह लाख रुपये खर्च किए। अनुदान इस आधार पर दी गई कि प्रत्येक राज्य में ६ से ८ वर्ष तक की आयु के कितने वालक हैं।

प्रौढ़ों का सामाजिक शिक्षण

फरवरी १९४९ में नयीदिल्ली में राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों की एक कानफरेन्स हुई थी, जिसमें निश्चय किया गया था कि शिक्षा-मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 'आदर्श' योजना के आधार पर सामाजिक शिक्षा की योजनाओं पर अमल करने के लिए राज्यों

को ९१ लाख रुपये बांटेगा। राज्यों की सामाजिक शिक्षा की योजनाओं को परीक्षा के पश्चात स्वीकृत किया गया। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रिक सरकार प्रौढ़ों के सामाजिक शिक्षण पर केवल ५९ लाख ६० हजार रुपये व्यय कर सकी।

वैज्ञानिक जन-शक्ति

वैज्ञानिक जन शक्ति समिति (साइन्टिफिक मैनपावर कमेटी) की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने देश की वैज्ञानिक जन-शक्ति को बढ़ाने के लिए ३ योजनाएं स्वीकार की हैं। वे ये हैं: अनुसंधान का प्रशिक्षण देने की योजना, यूनिवर्सिटियों में स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाओं में सुधार और विस्तार की योजना। इन योजनाओं पर अमल आरंभ हो चुका है। औद्योगिक शिक्षण योजना के अनुसार १५०-१५० रुपये मासिक की २५० छात्र-वृत्तियां और ७५-७५ रुपया मासिक की २०० छोटी छात्रवृत्तियां दो-दो वर्ष के लिए एंजीनियरिंग और शिल्प कला (टैक्नोलॉजी) के विद्यार्थियों को दी गयीं हैं, जिससे कि वे औद्योगिक कारखानों और सरकारी महकमों आदि में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभदायक कामों में लगने के लिए आवश्यक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। अनुसंधान की योजना के अनुसार २००-२०० रुपये मासिक की ५० बड़ी छात्रवृत्तियां और १००-१०० रुपये मासिक की १५० छोटी छात्रवृत्तियां ३ वर्ष के लिए देश की विविध यूनिवर्सिटियों और अनुसंधान संस्थाओं को दी गई हैं, जिससे कि वे युवक अनुसंधान कर्त्ताओं को नियत काल तक अनुसंधान के कार्य में लगा सकें और देश की वैज्ञानिक अनुसंधान की भागीदारी को बढ़ा सकें। यूनिवर्सिटियों में स्नातकोत्तर शिक्षण

और अनुसंधान की सुविधाओं में नुधार और विस्तार के लिए ८ यूनिवर्सिटियों को लगभग २० लाख रुपये की सहायता दी गई है। यह सहायता फिजिक्स, भौलिक विज्ञान, जीवरसायन विज्ञान वनस्पति, जीवविज्ञान, भूगर्भ, गणित तथा संख्या शास्त्र, शरीर शास्त्र और भूगोल विषयों के लिए है। एक भारतीय यूनिवर्सिटी में भूगोलिक का स्नातकोत्तर (पोस्ट-प्रेजुएट) विभाग बोल्डने के लिए भी सहायता दी गई है।

को ९१ लाख रुपये वांटेगा। राज्यों की सामाजिक योजनाओं को परीक्षा के पश्चात् स्वीकृत किया गया आर्थिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रिक सरकार प्रौढ़ों के विद्युत पर केवल ५९ लाख ६० हजार रुपये व्यय कर

वैज्ञानिक जन-शक्ति

वैज्ञानिक जन शक्ति समिति (साइन्टिफिक मैनप की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने देश की वैज्ञानि को बढ़ाने के लिए ३ योजनाएं स्वीकार की है। वे ये का प्रशिक्षण देने की योजना, यूनिवर्सिटियों में स्नात और अनुसंधान की सुविधाओं में सुधार और विस्तार। इन योजनाओं पर अमल आरंभ हो चुका है। आर्यों योजना के अनुसार १५०-१५० रुपये मासिक की वृत्तियाँ और ७५-७५ रुपया मासिक की २०० दो दो-दो वर्ष के लिए एंजीनियरिंग और शिल्प कला के विद्यार्थियों को दी गयीं हैं, जिससे कि वे औद्योगिक सरकारी महकमों आदि में व्यावहारिक प्रशिक्षणदायक कामों में लगने के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त कर सकें। अनुसंधान की योजना २००-२०० रुपये मासिक की ५० वडी छाववृत्ति १०० रुपये मासिक की १५० छोटी छाववृत्तियाँ देश की विविध यूनिवर्सिटियों और अनुसंधान नंदियों को अनुसंधान के कार्य में लगा सकें और देश की वैज्ञानिक योजनाओं में न

शस्त्रास्त्र निर्माण

यह देश शस्त्रास्त्रों में स्वावलम्बी होना चाहता है। इनके लिए गत वर्ष आर्डिनेन्स फैक्टरियों में शस्त्रास्त्र निर्माण के कायंग्रम की एक योजना तैयार की गई और उस पर अमल किया गया। साधारण निर्माण के अतिरिक्त तीनों सेनाओं की सामग्री बनाने के लिए अनेक नये परीक्षण किए गए। गत विश्व युद्ध के पद्धतात् दो फैक्टरियां बन्द हो गई थीं, वे फिर चालू की गयीं। दो नई आर्डिनेन्स फैक्टरियां पुर्जे बनाने के लिए खोली जा रही हैं। उनके काम में अच्छी प्रगति हुई।

एक कारखाना नमूने और मशीन टूल तैयार करने के लिए खोला जा रहा है। इसके लिए यंत्र विदेशों से मंगाए जा रहे हैं और इमारत का काम सन्तोषजनक प्रगति से हो रहा है।

सेना विज्ञान

देश की रक्षा की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए एक रक्षा-विज्ञान-संगठन (डिफेन्स साइन्स और्गेनाइजेशन) बनाया गया है और रक्षा-मंत्रालय में एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सरकार ने एक नीति-निधारिक बोर्ड और एक सलाहकार कमेटी नियुक्त की है।

इनमें से पहले का काम रक्षा-विज्ञान और तत्संबंधी नीति के व्यापक पहलुओं का अध्ययन सेना और वैज्ञानिक विचारों का समन्वय, रक्षा-संबंधी अनुसंधान की योजनाएं बनाना, और देश के औद्योगिक साधनों का लेखा-जोखा रखना है।

दूसरी कमेटी का काम सेनाओं की टैक्निकल और वैज्ञानिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, टैक्निकल कारखानों में अनु-संधान के कार्य से निकट संपर्क रखना, सेनाओं की प्रयोग शालाओं यूनिवर्सिटियों और अन्य संस्थाओं में रक्षा-विज्ञान के विषय में मौलिक अनुसंधान कराना और देश में साधारणतया वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति से संपर्क रखना है।

इसके पश्चात आस्त्रक्षेपिकी (दूर फेंके जाने वाले अस्त्रों का विज्ञान), वैद्युदण्विकी (विद्युत अस्त्र विज्ञान), विस्फोटक विज्ञान और रासायनिक युद्ध जैसे विशेष विषयों पर उपसमितियां नियुक्त की जायंगी।

हाल में दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक रसायन शाला की इमारत में एक रक्षाविज्ञान प्रयोग-शाला आरम्भ की गई थी। सैनिक गिर्कण डायरेक्टरेट के आधीन सैन्य विज्ञान का अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही एक केन्द्र खोलने का विचार भी है। तीनों सेनाओं में नये अफसरों के चुनाव की पद्धति की परीक्षा करने के लिए हाल में एक कमेटी नियत की गई थी। उसकी सिफारियों के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की नियुक्ति रक्षा विज्ञान संगठन (डिफेन्स माइस और्गेनाइजेशन) के एक भाग के रूप में की गई है।

चुनाव

सैनिक अधिकारियों का चुनाव यूनियन परिषद् सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं और सर्विसेज बोर्डों द्वारा निर्वाचित मनोवैज्ञानिक जांचों के परिणामों को मिलाकर किया जाता है। इसमें चुनाव ठीक और उचित होने का नियन्य ग्रहना है।

सेना में किसी की जाति या धर्म का कोई लिहाज किए विना सब वर्गों के प्रतिनिधि भरती करने के प्रयोजन से, पहले जो प्रथा विविध जातियों में से एक नियत प्रतिशत रंगहट भरती करने की और सैनिक और असैनिक जातियों में भेद करने की प्रचलित थी उसे उठा दिया गया है। अब भरती सबके लिए खुली हुई है, और एकमात्र योग्यता और शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर की जाती है।

भारतीयकरण

अब तक सेना में महत्व पूर्ण पदों पर अधिकतर ब्रिटिश अफसर नियुक्त थे। उसमें से अधिकतर के हट जाने से जो स्थान खाली हो गये थे उनको भरना आरंभ में असम्भव प्रतीत होता था।

तब तक भारतीयों को उच्च पदों का और उच्च पदों पर नियुक्तियों का कोई अनुभव नहीं था। परन्तु इन स्थानों की पूर्तियों के लिए अत्यन्त थोड़े समय की सूचना पर जिन युवक पदाधिकारियों को आदेश दिया गया उन्होंने अपना कठिन कार्य प्रशंसनीय कुशलता से किया। काश्मीर और हैदराबाद में सेना ने जो कार्य करके दिखलाया उससे उन अफसरों की संगठन और संचय-संचालन की योग्यता भलीभांति प्रकट होती है।

स्थल सेना अब प्रायः पूर्णतया राष्ट्रीय हो चुकी है। थोड़े से अपवाद स्वरूप केवल कुछ ब्रिटिश अधिकारी हैं जो अपनी विशिष्ट टैक्निकल जानकारी के कारण अपने पदों पर नियुक्त हैं। इन ब्रिटिश पदाधिकारियों के स्थान पर भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाने पर भारतीय नियुक्त कर दिये जायेंगे।

नागरिक शासन की आन्तरिक रक्षा में सहायता करने के काम करेगी ।

प्रादेशिक सेना में पैदल यूनिटों के अतिरिक्त शस्त्र मोटर दल, तोपखाने, इंजीनियरों, सिगनल व सर्विस, कोर और इलैक्ट्रिकल तथा मैकैनिकल एंजीनियरों की कोरें भी रहेंगी ।

प्रादेशिक सेना में भर्ती गत अक्तूबर में आरम्भ हुई थी । इसका संगठन अखिल भारतीय आधार पर किया गया है । इसके सैनिकों की संख्या १ लाख ३० हजार रहेगी ।

हाल में इसकी प्रांतिक इकाइयों को तीन मास तक प्रशिक्षण दिया गया था । उसमें सैनिक कुशलता का खासा उँचा दर्जा प्राप्त किया गया था ।

नैशनल कैडेट कोर

यिथित नवयुवकों की सूचि देश की रक्षा में उत्पन्न करने के लिए हैदरगढ़ाद जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त अब राज्यों में एक नैशनल कैडेट कोर का संगठन किया गया है । इसके तीन डिविजन हैं । कीलियों के विद्यार्थियों का सीनियर डिविजन, मूँछों के विद्यार्थियों का जूनियर डिविजन और एक तीसरा डिविजन लड़कियों का है ।

गत जून मास में सीनियर डिविजन में ३३६ अफगर और २२,०३८ कैडेट थे । जूनियर डिविजन में १४५५ अफगर और ४३,६५० कैडेट थे । लड़कियों के डिविजन में १ अफगर और २३३ कैडेट थी ।

सीनियर डिविजन में पैदल यूनिटों के सिवाय आर्मड, तोप-खाना, इंजीनियर, सिगनल, मैटिकल और इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल एंजीनियर कोरें भी थीं। इन सबकी संख्या ८७ थी। १ अप्रैल १९५० को पहली बार वर्म्बई और कलकत्ता में दो एयर विंग यूनिटें भी संगठित की गयीं। इनमें से हरएक में दो अफसर और ८० कैडेट रहेगे। शिक्षणसंस्थाओं में से चुन कर ४ अफसरों को जोधपुर और अम्बाला की एयर फोर्स एकेडमियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जूनियर डिविजन के यूनिटों की संख्या ४८५ है। इनमें से १८ यूनिटें ९ राज्यों में से एयर फोर्स के प्रशिक्षण के लिए चुनी गयीं और उन्होंने यह प्रशिक्षण गर्मियों की छुट्टियों के बाद प्राप्त किया। लोगों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए सेना ने नागरिकों को साधारण सैनिक शिक्षण देने की भी एक योजना आरम्भ की है। इसका आरम्भ कमाण्डर-इन-चीफ ने किया है। यह स्वयं सेवा पर निर्भर करती है। इसके लिए सरकार कोई खर्च नहीं उठाती।

जनता के सेवक

भारतीय सेना के अफसरों और सैनिकों ने इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया है कि वे न केवल देश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करते हैं अपितु जिस जनता के वे सेवक हैं उसकी सेवा भी करते हैं। जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने राष्ट्र-निर्माण के अनेक कार्य किए हैं।

खाद्य के मोर्चे पर उनकी मुहिम दुतरफा रही है। अन्न का अधिक उत्पादन और वर्वादी को रोकना। सेनाएं अपने फालतू

समय में हजारों एकड़ जमीन में खेती कर चुकी हैं और उन्होंने देश में हजारों वृक्ष लगाए हैं।

काश्मीर में और अन्य स्थानों पर सेना ने विस्थापित शरणाधियों की आवश्यकताएं पूरी करके और उन्हें पुनः वसाकर जनसेवा का बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके सिवाय सेना ने जलन्धर छावनी में जवानों और उनके परिवारों के रहने के लिए निवास-गृहों का एक माडल टाउन बनाया है। यह सुयोजित वस्ती १० हजार वर्ग गज में फैली हुई है। इसमें सब जातियों और धर्मों के जवानों के परिवार पूरे पड़ोसीचारे से रहते हैं और जीवन के मध्य उचित सुखों और सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

यह आदर्श वस्ती स्वास्थ्यप्रद और अनुकूल वातावरण में रह कर, जीवन के योग्य और उचित स्तर की रक्षा करती हुई, महात्मा गांधी के चन्नात्मक कार्यक्रम के मौलिक मिद्दातों का पालन करती है। इसका नाम जवानावाद अन्वर्थक ही रखा गया है। यह नगर उन जवानों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने कि मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का वल्लिदान कर दिया।

जल-सेना का विस्तार

भारतीय जल सेना के कमाण्डर-इन-चीफ वाइस-एडमिरल भर विल्यम लूवल्यू० ई० पेरी हैं। यह एक छोटी सेना है, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नगरान् नगरान् ने इसे आधुनिक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया है।

जलसेना को प्रभावशाली बनाने के लिए नगरान् ने दम शापित रावंदम बनाया है। इसमें अन्ती ३ फूट है, जिसमें से

एक ७,००० टन का 'दिल्ली' है। यह हाल में ब्रिटेन से खरीदा गया था। एक वायुयानवाहक है और ८ या ९ विवरणक और ढोटे जहाज हैं।

गत जनवरी में भारत की जल सेना का विस्तार किया गया था, जब कि राजपूत, राना और रंजीत नामक ३ आधुनिक विवरणक बेड़े में सम्मिलित हुए। .

प्रशिक्षण के प्रधान केन्द्र

कोचीन और विजगापटम दोनों स्वाभाविक बन्दरगाह हैं और इनके स्वतंत्र भारत के प्रधान जलसैनिक केन्द्र बन जाने की आशा है। बम्बई भारतीय जलसेना का यथापूर्व प्रधान केन्द्र बना रहेगा और आगामी कुछ वर्षों में मद्रास और कलकत्ता के जलसैनिक केन्द्रों को भी उन्नत किया जायगा।

पश्चिमी तट पर कोचीन को जलसैनिक प्रशिक्षण के लिए एक प्रधान केन्द्र बनाया जा रहा है। विलिंगंडन द्वीप में तोपखाने, जहाज चलाने और पनडुवियां को रोकने का काम सिखाने के स्कूल खोले जायेंगे। इन स्कूलों के लिए स्थायी इमारत की आधारशिला गत फरवरी में रक्षामंत्री ने रखी थी। अभी ये अस्थायी इमारतों में काम चला रहे हैं।

कोई भी आधुनिक जलसेना वायुयानों के बिना पूरी नहीं कहला सकती। इसलिए कुछ भारतीय अफसरों को जलसैनिक उड़ान का ऊँचा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया है। कुछ अन्य व्यक्तियों को अम्बाला और जोधपुर की एयर फोर्स

ऐकेडमियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के पश्चात्-जलसैनिक वायुयानों को चलाना सीख जायेंगे और चालक बन जायेंगे।

कोचीन में जलसैनिक वेडे की हवाई शाखा का अड्डा बनाया जा रहा है। जब प्रशिक्षणार्थियों का पहला ग्रुप जलसैनिक उड़ान का पहला काम सीख जायगा तब यह अपना काम आरंभ कर देगा। विलिंगंडन द्वीप का वर्तमान हवाई अड्डे का स्थान जलसैनिक हवाई केन्द्र बनाने के काम में लाया जायगा। यहां एक स्कूल हवाई उड़ान सिखाने के लिए और एक संस्था हवाई जहाजों की मरम्मत आदि का काम सिखाने के लिए भी खोली जायगी।

कोचीन जलसैनिकों को काम सिखाने के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि इसका सुन्दर बन्दरगाह और हवाई अड्डा जिस प्रकार नाहिए उसी प्रकार अब स्थित है। सिगनल और विजली के स्कूल स्थायी रूप से कोचीन से जामनगर के जाये जायेंगे।

विजगापट्टम मेर एक जलसैनिक स्कूल आरम्भ किया गया था लोनावला का मर्केनिकल ट्रेनिंग केन्द्र बढ़ा कर उसका थेए विस्तृत कर दिया गया है।

इन ट्रेनिंगकल मेंस्थाओं में अफसरों और जलसैनिकों दोनों को प्रशिक्षित किया जायगा और उसके बाद भारत को अपने जलसैनिक उच्च प्रशिक्षण के लिए एंग्लैण्ड भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मरम्मत और ट्रिटिंग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्यर्दि के शोम्याओं को विनृत और आयुनिक बनाया जायगा।

जल सैनिक अभ्यास

भारतीय जलसेना का एक स्वैच्छन अभ्यास की यात्रा के लिए जून और जुलाई १९५० में इण्डोनेशिया और मलय गया था। सिंगापुर के समीप इसने निटिश जल सेना और निटिश वायुसेना के साथ मिलकर अभ्यास किया। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री पंथित जवाहर लाल ने हरु फलैगशिप 'दिल्ली' द्वारा इण्डोनेशिया गए थे।

गत मार्च महीने में ९ भारतीय जहाजों ने ट्रिकोमाली के पास निटिश जलसेना के ईस्ट इण्डीज बेड़े के साथ मिलकर अभ्यास किया था। इसमें क्रूजर और तीनों विव्वंसक शामिल थे। मई में जलसेना और वायुसेना के सम्मिलित अभ्यास पश्चिमी तट से परे हुए। उनमें भारतीय जल-सेना के स्वैच्छन और भारतीय सेना के वर्मवर्षक और लड़ाकू वायुयानों ने भाग लिया।

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद अपने संवैधानिक अधिकार से भारत की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। गत अप्रैल में उन्होंने वर्षाई जाकर 'दिल्ली' को और जलसेना की अन्य संस्थाओं को देखा।

जलसेना दिवस

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत ने १७ दिसम्बर १९४९ को प्रथम बार जल-सेना दिवस मनाया। इसका प्रयोजन लोगों में जलसेना के प्रति रुचि उत्पन्न करना था।

२६ जनवरी १९५० से सब भारतीय जहाजों और तटवर्ती इमारतों पर उड़ने वाले ब्रिटिश जलसेनिक झंडे के स्थान पर भारतीय जलसेना का नया झंडा लगा दिया गया।

छोटी और चुस्त वायुसेना

गत १२ महीनों में भारतीय वायुसेना ने न केवल वायु का एक नया वर्ष विता दिया अपितु सर्वतोमुखी उल्लेखनीय उन्नति भी की।

यद्यपि भारतीय वायु सेना अभी छोटी है परन्तु अपने परिमाण की द्रष्टिसे उसकी प्रहार करने की सामर्थ्य उपेक्षणीय नहीं है। इस स्वतंत्र सेना के कमाण्डर-इन-चीफ एयर-मार्शल रोनेल्ड आइवली चैपमैन हैं।

भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण

उम्र वर्ष की उल्लेखनीय सफलता ममूर्ण प्रशिक्षण की नई धारा जना का आनन्द है। अब शिक्षक वर्ग, सीधने वाले कैरियरों का, उनके नमम्बन प्रशिक्षण काल में शिक्षण के माय माय नियोजन भी कर गया है। इनमें शिक्षण का तो ममय घट गया और प्रशिक्षण प्रारंभ में अच्छा निकालने लगा है। अस्थाने का प्रारंभ यान्हार ल्यार्ड ल्यूल और जोयस्ट्रुक का प्रारंभिक ल्यार्ड ल्यूल यास्ट्रुक नम्बर ३ और नम्बर ३ प्रायगकोलं प्रारंभिक कल्याण है। ये शिक्षालोग जल्दी सो दून प्रशिक्षण देते हैं। कोयम्बत्तूर के प्रत्यनिर्देशित शिक्षण दो तुमर्मिन दिन दिया गया है। यह नम्बर ३ प्रायगकोलं प्रारंभिक ल्यूल यान्हार के मर्यादित में ल्यूल

के काम की शिक्षा देता है। आधुनिक वायुसेना की रडर के बिना कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए एक रडर स्कूल खोला गया है। आधुनिकतम रडर की सज्जा प्राप्त करना और टैक्निशियनों की एक बड़ी संस्था को सिखाने का यत्न किया जा रहा है। कुछ अफसरों को विशिष्ट सिगनल ट्रेनिंग के लिए विटेन भी भेजा जा रहा है।

बंगलौर के समीप जालाहल्ली में एक टैक्निकल ट्रेनिंग कौलिज खोला गया है। इसमें अफसरों और अप्रॉन्टिसों को वायुसेना के एंजीनियरिंग का काम सम्मिलित रूप में सिखाया जाता है। इस संस्था में भारतीय वायुसेनाओं के कार्यकर्ताओं की ब्रिटिश विशेषज्ञ सहायता करते हैं। जोधपुर का एयर नेवीगेटर्स स्कूल भारतीय वायुसेना ने नेवीगेटरों की वर्तमान कमी की पूरा करने का यत्न करता है। भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण-संस्थाओं के दो अन्य भाग फ्लाइंग इन्सट्रूक्टर्स स्कूल और पेराट्रूपर्स स्कूल हैं। भारतीय वायुसेना के चालकों (पाइलटों) को लम्बी उड़ानों का और अपने अड्डों से दूर दूर के हवाई अड्डों से उड़ने का अनुभव देने के लिए उड़ाकों के ग्रुप भारत के दूर दूर भागों में भेजे जाते हैं। इस वर्ष इन टुकड़ियों ने पूर्वी भारत और आसाम में फ्लैग शोइंग यात्राएं की। इसके अतिरिक्त प्रतिमास एक माल ढोने वाला हवाई जहाज संदेशवाहक का काम करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। भारतीय वायुसेना की तीन नियमित माल ढोने की सर्विसें भारत के विविध हवाई स्टेशनों के बीच में चलती हैं।

भारतीय वायुसेना के हवाई जहाजों के यंत्रों आदि की सफाई और बड़ी मरम्मतें करने का संगठन भी पुनर्गठित किया

गया है। आदमियों की वचत करने और कुशलता में वृद्धि करने के लिए एयरक्रैफ्ट रिपेअर्स डिपो और एयरक्रैफ्ट स्टोरेज पूनिट को मिलाकर कानपुर में एक बेस रिपेयर डिपो (मुख्य मरम्मत का कारखाना) बना दिया गया है।

इस वर्ष कोई रेडिओ-वीकल ट्रांसमीटर रेडियो रडर के माथ काम करने के लिए मंगाये गए हैं। रेडियो रडर अधिकतर वायुयानों में लगे हुए हैं, जिससे कि पाइलट जिन स्टेशनों से रेडियो-वीकल मिगनल आ रहा हो उन तक सुगमता से पहुँच सकता है। इन वीकलों द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि आकाश में कोई वायुयान किस स्थान पर है। इस कार्य के लिए दो रेडियो-वीकलों पर नियंत्रण उन्हें एक चार्ट के रूप में अंकित करना पड़ता है।

भारतीय वायुसेना तुरन्त जो नवीन निर्माण कर रही है उनमें तीन न्यायी स्टेशनों का निर्माण भी है। उनमें से एक आगरा में है। जब यह बन कर पूरा हो जायगा तब यह ३५०० एकड़ी की ऊंचाई में नमायगा। उसमें एक एक उमागत टैक्सिलल और नियाम के नाम के लिए होमी और एक आयुनिक प्रयोगीलल (हवाई ब्रह्म) आयुनिक भारी और शीघ्रगामी वायुयानों के प्रयोग के लिए।

भारतीय वायुसेना दोष दोष उद्दलि कर रही है, उसका एक ग्राह व्रस्तान यह है कि दुष्ट द्वीपों में उनके वार्ताद्वयों की जगह ग्राहाकरों और उनके प्रत्याना ग्राहकों, ग्राहकाकरों और देवीद्वारा ग्राहकीय आरप्त कर दिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

गत वर्ष वैदेशिक मंत्रालय ने विदेशों में ११ नये दूतावास और एक वाणिज्य दूतावास स्थापित किए। अनुभव से ज्ञात हुआ कि अपने दूतावास आदि किराये के स्थानों पर रखने की अपेक्षा जायदाद खरीद लेने में कम व्यय होता है। इसलिए लण्डन, पैरिस, वर्न, काहिरा, रंगून, सिगापुर, न्यूयार्क, और वाशिंगटन में भारतीय मिशनों को रखने के लिए जायदादें खरीदी गयीं।

मध्यपूर्व

बगदाद में भारतीय दूतावास की स्थापना, काहिरा में हमारे दूत की स्वीकृति (जो कि सीरिया का भी दूत है) और अदन में एक कमिशनर की नियुक्ति के पश्चात अब मध्यपूर्व के प्रायः सब महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हो गये हैं। यमन की सरकार भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहती है और उसने जुलाई १९४९ में मित्रता और व्यापार की सन्धि करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था।

मिश्र के साथ एक स्थायी सन्धि और उभयपक्षीय हवाई समझौते के लिए वातचीत चल रही है। टर्की और भारत की सरकारों में व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए पत्रों का विनिमय करना तय हो चुका है। भारत और मस्कत में मित्रता और व्यापार की सन्धि के लिए वातचीत चल रही है।

वेहरेन और कुवैट में जो भारतीय रहते हैं वे अधिकतर या तो व्यापारी हैं या तेल कम्पनियों के कर्मचारी। उनके साथ

बगदाद के भारतीय दूतावास का संप्रेटरी नियन्त्रक संपर्क बनाये रखता है।

गत वर्ष १५००० तीर्थयात्रियों के लिए हज की व्यवस्था की गई और इनको सहायता देने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। इन यात्रियों की चिकित्सा की मुविधाएं बढ़ाने के लिए योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

भारत और ईरान में मिश्रता की सच्चि हो गई है। इन दोनों देशों में उभयपक्षीय हवाई समझौते की बात चीत चल रही है और ३ जून १९५० से है महीने के लिए पहले समझौते की अवधि बढ़ा दी गई है। दिसम्बर १९५१ में एक ईरानी आयिक मिशन व्यापार की संभावनाएं जानने के लिए देहली आया था। इस मिशन को व्यापार और नमूद्री यातायात की सच्चि का एक मणिकादा दे दिया गया था। वेतार (वायरलेन) के मीथे मंवंथ राने के लिए एक समझौता करने पर और टिक्की-नियोजक कोन्वेन्शन की स्वीकृति के लिए बात चीत चल रही है। एम्बेडेनियन आयल कम्पनी के जौ भारतीय कमंचारी दक्षिण ईरान में रहते हैं उनकी मुमुक्षियों के लिए नेहगन का भारतीय गजदून उत्तरगायी है।

दिल्ली में जनवरी १९५० में भारत और अफगानिस्तान में एक मिशन की संधि पर सम्झौता ढो गये। अद्वेल १९५० में एक समझौता संधि पर भी कागूल में सम्झौता ढो गया। दिसम्बर १९५१ में दोनों देशों के बीच सीधा वायरलेन मंवंथ राने के लिए एक समझौता पर सहमति के सम्मान में अप्रूप जनवरी १९५० के दसहरी ने यह मिशन घोषित कर दी गई। यह वर्ष फिरोज़ी सामर्जी का जन्मपूर्ण अवसरा बनाया एवं उसमें भाग लिये गये

था। इस अवसर पर हाकी और फुटवाल के खिलाड़ियों का एक एक भारतीय दल भी कावुल भेजा गया था और वहां भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी की गई थी।

इस वर्ष पाकिस्तान के साथ अटकी हुई सब समस्याओं को मित्रतापूर्ण बातचीत अथवा मध्यस्थता द्वारा हल करने का यत्न किया गया। सबसे महत्वपूर्ण घटना नेहरू-लियाकत समझौता था, जिस पर दिल्ली में अप्रैल १९५० में हस्ताक्षर हुए। इसके पश्चात भारत के प्रधान मंत्री ने कराची की एक औपचारिक यात्रा की। आशा है कि भारत के वार-वार के सद्भावना-संकेतों के कारण पाकिस्तान की मनोवृत्ति में अभीष्ट परिवर्तन हो जायगा और अटकी हुई शेष समस्याएं भी मित्रतापूर्वक हल हो जायंगी।

दक्षिणी-पूर्वी एशिया और सुदूरपूर्व

लंका की सरकार ने ५ अगस्त १९४९ से इण्डियन एण्ड पाकिस्तान रेजिडेण्ट्स सिटिजनशिप एक्ट अर्थात् भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का कानून लागू कर दिया। लंका के जो भारतीय अपने आपको वहां का नागरिक रजिस्टर्ड करा लेने के अधिकारी हैं उन्हें दो वर्ष के भीतर प्रार्थना पत्र दे देना पड़ेगा। लंका से भारत को रूपया भेजने के लिए १ जनवरी १९५० से परमिट के आधार पर एक नई पढ़ति लागू करदी गयी।

जनवरी १९५० में लंका में कामनवेल्थ या राष्ट्र-मंडल के प्रधानमंत्रियों की जो कानफरेन्स हुई थी उसमें भारत ने वरमा को स्वल्प अवधि के लिए दस लाख पौंड का ऋण देना स्वीकार कर

लिया था। हाल में एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल रंगून गया था और उसने वहां बरमा-सरकार के साथ उन भारतीय भू-स्वामियों को मुआवजा देने के विषय में वातचीत की जो कि बर्मी नेशनाला-इजेशन एक्ट के अनुसार भूमियों के स्वामित्व से वंचित हो गए हैं। अब तक विद्रोहियों की कार्रवाइयों के कारण वेघरवार बने हुए १३,००० भारतीयों को बरमा से स्वदेश लाया जा चुका है। इस कार्य पर भारत-सरकार का लगभग ९ लाख रुपया व्यय हुआ बरमा सरकार के स्थानच्युत भारतीय कर्मचारियों को काम पाने के लिए विविध प्रकार सहायता दी जा रही है। १३ नवम्बर १९४९ तक इनमें से १०३४ को भारत-सरकार काम पर लगा चुकी थी।

भारत और थाईलैण्ड में हवाई यातायात, मित्रता, व्यापार और समुद्री यातायात की सन्धि के विषय में वातचीत चल रही है। एक भारतीय कम्पनी को बैंकाक और उससे आगे तक हवाई सेविस चलाने के लिए अस्थायी रूप से अधिकार दिया जा चुका है। व्यय कम करने के लिए दक्षिणी थाईलैण्ड में सौंगख्ला का वाणिज्य दूतावास बन्द कर दिया गया।

मलय में आन्तरिक उपद्रव चल ही रहे हैं। मलय के भारतीयों में प्रायः सब लोग मलयी आतंककारी कार्रवाइयों से पृथक रहे हैं। परन्तु कुछ एक को एमजेन्सी रैम्पुलेशनों के मातहत नजरबन्द कर दिया गया है। बहुत से भारतीय अपने परिवारों के साथ मलयी सरकार के व्यंय पर स्वदेश लौट आए हैं।

बटाविया के भारतीय प्रधान वाणिज्य दून (कीन्युलेट-जनरल) का दर्जा बढ़ा कर नाजदूत का कर दिया गया है। इण्डोनेशियन

स्वतंत्रता के उत्सव में भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व राजकुमारी अमृतकौर ने किया था। भारतीय गणतंत्र के उद्घाटन समारोह में स्वयं डा० सुकर्णो आए थे।

सैरगों में भारतीय वाणिज्य दूत (कॉन्सल) का दर्जा बढ़ा कर प्रधान वाणिज्य दूत (कॉन्सुलेट-जनरल) का कर दिया गया है। जो भारतीय इण्डोचायना जाते थे पहले उनकी अंगुलियों की ढाप ली जाया करती थी। भारतीय कॉन्सल-जनरल ने फ्रेंच अधिकारियों से कह कर यह प्रथा समाप्त करादी है।

अक्टूबर १९४९ में पेरिंग की केन्द्रीय जन-सरकार चीन की कानून-भूमित सरकार घोषित करदी गई थी। भारत सरकार ने दिसम्बर १९४९ में इस नयी चीनी सरकार को निर्यामित रूप से स्वीकृत कर लिया। भारत और चीन में कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गये हैं और श्री० के० एम० पन्निकर को पुनः चीन में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया।

जापानी बालकों की प्रार्थना पर प्रधान मंत्री ने अपने एक सद्भावना-सन्देश के साथ एक हाथी उन्हें भेजा।

नवम्बर १९४९ में भारतीय कॉन्सुलेट-जनरल की मनीला में स्थापना की गई। भारत और फिलीपाइन्स में एक हवाई समझौते पर हस्ताक्षर हुए और मित्रता की सन्धि पर विचार हो रहा है। हांगकांग की औपनिवेशिक सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह भारतीयों के प्रवेश के लिए द्वितीय युद्ध से पूर्व की अवस्थाओं को फिर से जारी करदे और युद्ध काल में जो प्रतिवंध लगाये गये थे उन्हें हटा दें।

तिब्बत, नेपाल, सिक्खिम और भूटान

गत वर्ष एक भारतीय राजनीतिक अधिकारी सरकार की ओर से प्रथम बार लाया गया था। दूसरी ओर चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से लौटते हुए एक तिब्बती व्यापारिक मिशन व्यापारिक मामलों पर बातचीत करने के लिए देहली में रुका।

१९४९ की गर्मियों में भारत ने एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मिशन नेपाल भेजा। इसी प्रकार का एक मिशन १९५० की पहली तिमाही में नेपाल से भारत आया। नेपाल के साथ मित्रता और व्यापार की एक नयी सन्धि हो गई है। महाराजा नेपाल फरवरी १९५० में देहली पधारे।

जून १९४९ में सिक्खिम के महाराजा ने पोलिटिकल आफिसर को लिखकर अपने राज्य के शासन में भारत-सरकार से सहायता मांगी। तदनुसार पोलिटिकल आफिसर ने शासन-मूत्र अपने हाथ में ले लिए। उसके पश्चात भारत सरकार का एक पदाधिकारी दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। दीवान की सेवाएं महाराजा सिक्खिम को ऋण के रूप में दी गयीं थीं। उसकी सिफारिश पर भारत-सरकार ने सिक्खिम के जंगलात का सर्वे (पैमायश) करने और जमीन-लगात का वन्देवस्त करने के लिए आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

अगस्त १९४९ में भूटान और भारत में मित्रता की एक नयी सन्धि हो गई। भूटान की सरकार ने अपने वैदेशिक मामलों में भारत-सरकार की हिदायत पर चलना स्वीकार किया और भारत-सरकार ने कहा कि वह भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप

नहीं करेगी। पारस्परिक सद्भावना के संकेत के रूप में भारत-सरकार ने देवंगिरि नामक प्रदेश भूटान को दे दिया और प्रतिवर्ष दी जानेवाली सहायता बढ़ा कर ५ लाख रुपया करदी।

आसाम

आसाम में दुर्गम क्षेत्रों में शासन को उन्नत करने के लिए अबोर पहाड़ियों के जिले में लायमाकू में शासन का एक केन्द्र खोला गया। मिशमी पहाड़ियों के जिले में निजामधाट में एक दूसरा केन्द्र खोलने का विचार है। पासीधाट में पेंतालिस स्कूल खोले गये।

यूरोप

नवम्बर १९४९ में लिज्वन में एक भारतीय दूतावास खोला गया।

जून १९४९ में भारत के फ्रैंच उपनिवेश चन्द्र नगर के लोगों ने प्रबल वहमत से भारतीय संघ में मिलने का निश्चय किया। एक सन्धि द्वारा चन्द्र नगर को भारत में मिला लिया गया है। भारत सरकार ने फ्रैंच सरकार से ऐसी व्यवस्था करने की प्रार्थना की है जिससे कि दक्षिण भारत के ४ उपनिवेशों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत द्वारा उनके भविष्य का निश्चय किया जा सके।

अगस्त १९४९ में हेग में भारतीय दूतावास खोला गया।

आस्ट्रिया, डेनमार्क, और फिनलैण्ड में दूतावास खोल कर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। वर्न का भारतीय दूत ही आस्ट्रिया का भी दूत बनाया गया है। वीएना में एक पृथक दूत नियुक्त होने तक एक उप वाणिज्य दूतावास स्थापित कर दिया गया

है। स्वीडन के भारतीय दूत को डेनमार्क और फिनलैंड का भी दूत बना दिया गया है।

बोन के मित्र राष्ट्रीय हाई-कमाण्ड के निमंत्रण पर भारत सरकार ने अपने जर्मनी-स्थित सैनिक मिशन के प्रमुख को मित्र-राष्ट्रीय हाई कमीशन में भारतीय मिशन का प्रमुख बना दिया है।

फ्रांस का भारतीय राजदूत नार्वे का भी राजदूत बना दिया गया है। भारत और नार्वे में एक अस्थायी हवाई समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

जून १९४९ में भारत ने स्विटजरलैंड के साथ एक अस्थायी हवाई समझौता किया। गत दिसम्बर में भारत सरकार ने अपने बन स्थित दूत द्वारा रेडक्रास कोन्वेन्शन के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

निटेन का भारतीय हाईकमिशनर भारतीय प्रतिनिधित्व के प्रायः सब कर्तव्यों को पूरा करता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि अब भी लण्डन के कौमनवेल्य रिलेशन्स आफिस के हाथ में हैं। इन अपवाद-स्वरूप कर्तव्यों को भी अपने हाथ में लेने पर विचार चल रहा है। जुलाई १९४९ में निटेन का भारतीय हाई कमिशनर आयरलैंड का भी भारतीय राजदूत बना दिया गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण डबलिन के दूतावास के लिए अभी तक कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जा सके हैं।

अमेरिका और केनाटा

भारत के प्रधानमंत्री अमेन्का के प्रेजिडेंट ट्रूमैन के अतिथि होकर वहाँ गए थे। उस घटना को सर्वथर वर्ष की सर्वप्रधान घटना माना गया है।

अक्तूबर १९४९ में भारत के प्रधानमंत्री कैनेडियन सरकार के निमंत्रण पर कैनाडा गये। यत्ल किया जा रहा है कि कैनाडा में वसने के अभिलापी भारतीयों के लिए एक वार्षिक संख्या नियत करदी जाय।

भारत ने फुलन्नाइट ऐक्ट के अनुसार एक समझौते तर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐक्ट अमेरिका और भारत के पारस्परिक लाभ के लिए एक सांस्कृतिक और शिक्षण-संवंधी कार्यक्रम को पूरा करने और उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करता है। इस समझौते में ऐसी व्यवस्था है कि भारत में बच्ची हुई अमेरिकन सम्पत्ति को बेच कर जो धन उपलब्ध होगा उसमें से ४ लाख डालर तक (रुपयों में) प्रतिवर्ष इस कार्य पर व्यय किये जा सकेंगे। भारत और अमेरिका मित्रता, व्यापार, और समुद्री यातायात पर सन्धि के लिए भी वातचीत हो रही है।

दक्षिण अमेरिका

ब्राजिल के भारतीय दूतावास का व्यापारिक सैक्रेटरी पेर्ल, वेन्जुएला, कोलम्बिया, इक्वेडर, और फ्रेंच गायना में भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखता है।

अर्जेंटाइना के भारतीय दूत ने २३ जून १९४९ को अपने प्रमाण पत्र पेश कर दिए। दोनों देशों में एक समझौते के अनुसार अर्जेंटाइना भारतीय जूट के बदले गेहूँ देगा।

बोनस एयर्स के वाणिज्य दूत के कार्यक्षेत्र में युरुगुए, पेरागुए, चोलीविया और चिल्ली भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। अक्तूबर

१९४९ में अर्जेंटाइना का भारतीय दूत चिल्ली का भी भारतीय दूत बना दिया गया ।

अफ्रीका

भारत स्थित इथोपियन दूत कुछ समय तक नई दिल्ली में रहा था और भारतीय दूत कुछ समय हुआ अदीस-अवावा जा चुका है ।

एक्सचेंज बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड के फेल हो जाने के कारण ईस्ट अफ्रीका के बहुत से अफ्रीकन रूपया जमा कराने वालों का सर्वनाश हो गया । भारत सरकार ने खास तीर पर एक लाख रूपया इसलिए मंजूर किया कि पूर्वी अफ्रीका का भारतीय कमिश्नर अफ्रीकन पीड़ितों की और अधिकारी भारतीय रूपया जमा कराने वालों की धति पूर्ति कर सकें ।

गत वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की स्थिति और भी बिगड़ गई । भारतीयों को यूरोपियनों से प्रथक करने की अपनी नीति के अनुसार दक्षिण अफ्रीकन यूनियन की सरकार टेलीफोन करने के स्थान, डाकघर, और रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में प्रवेश के मार्ग आदि यूरोपियनों और गैर-यूरोपियनों के लिए ब्लड अलग खोल रही है । फरवरी १९५० में संयुक्त गण्डीय मंघ के जनरल अमेम्बली के प्रस्तावानुसार भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने केपटाउन में इस प्रयोजन ने वातचीन की थी कि एक राउण्ड ट्रेवल कानफरेन्स करने के लिए परस्पर सम्मत आधार निकाला जा गके ।

१९४९ में कुछ अफ्रीकन देशों के भारतीय, एशियन और अफ्रीकन विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने की एक योजना आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक और मित्रतापूर्ण संबंध बढ़ाना है। ७० छात्रवृत्तियां मंजूर की गयीं थीं, परन्तु केवल ६० विद्यार्थी चुने जा सके और इनमें से केवल ४३ भी भारत पहुँचे।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

आस्ट्रेलिया और भारत में हवाई सेविसों के संबंध में एक समझौते पर अमल जुलाई १९४९ से आरंभ हुआ। न्यूजीलैंड में लगभग १२०० भारतीय वसते हैं। उनमें अधिकतर किसान, दूकानदार और पेशेवर लोग हैं। उनको नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें जाति या रंग के कारण किसी कठिनाई अथवा अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता।

फिजी सरकार की जमीन के बन्दोवस्त की नीति वहां रहने वाले भारतीय काश्तकारों के हितों में वाधक है। इन कठिनाइयों की ओर भारत सरकार का ध्यान जा रहा है। भारत और फिजी के मार्ग पर अब जहाज 'सिरसा' चलने लगा है। इससे फिजी प्रवासी भारतीयों को यात्रा में स्थान आदि पाने की सुविधा पहले से अधिक हो जायेगी।

प्रकाशन-केन्द्र

अम्बी तक अंकारा, बगदाद, जाकर्ता, बोनसएयर्स, काहिरा, कैनवेरा, ढाका, कराची, कावुल, लाहौर, लण्डन, नैरोबी, ओटावा,

पेरिस, रंगून, सिगापुर, तेहरान, टोकियो और वाशिंगटन, इन उन्नीस स्थानों पर भारत के प्रकाशन केन्द्र हैं।

वैदेशिक-मंत्रालय संकेतों में अपने विदेशस्थ मिशनों को जो समाचार भेजता है उनके द्वारा वे भारतीय परिस्थितियों से परिचित रहते हैं। ये ब्राडकास्ट ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस द्वारा किए जाते हैं। मध्य-पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व आदि विभिन्न प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। और इन प्रदेशों को उपयुक्त सामग्री भेजी जा रही है। ये ब्राडकास्ट प्रतिदिन दो बार किए जाते हैं और इन्हें विदेशस्थ १९ मिशन सुनते हैं। जो मिशन इन ब्राडकास्टों को नहीं सुन सकते उनको इनकी प्रतियां वायु-मार्ग से भेज दी जाती हैं।

इनके अतिरिक्त भारतीय मिशनों द्वारा विदेशों में भारत को प्रदर्शित करने के लिए पुस्तक-पुस्तिकाएं पत्र-पत्रिकाएं और उचित किल्में भी भेजी जाती हैं। कुछ मिशनों में भारत संबंधी पुस्तकों के पुस्तकालय भी खोले गये हैं।

नई दिल्ली में एक इण्डियन कॉन्सिल आफ कल्चरल रिलेशन्स (नांस्कृतिक संबंधों की भारतीय कॉन्सिल) स्थापित की गई है और इसकी शामिल भारत और मध्य पूर्व के देशों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मिश्र, ट्वर्की और ईरान में भी नोटी गई हैं।

नई दिल्ली में स्थापित प्रशिक्षण स्कॉलरशिप ऑगेनेशन (प्रजातात्त्वी संबंधों के नंगटन) का प्रयोजन यह है कि प्रशिक्षण के

देश सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए एक दूसरे के सम्पर्क में आ सकें। भारत सरकार ने १९४९-५० में इस संघ के कार्यों के लिए १५००० रुपया दिए।

इसके अतिरिक्त विदेशों में जाने वाले भारतीय नर्तकों और कलाकारों को सब प्रकार की सहायता दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सभा सम्मेलन

अपनी भीगोलिक स्थिति और हैसियत तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी रुचि के कारण भारत को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेना पड़ता है। इस वर्ष उसके प्रतिनिधियों ने १६ अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्सों में योग दिया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्रिय संघ की जनरल असेम्बली के विचार विमर्श में पर्याप्त भाग लिया। भारत ने भूतपूर्व इटालियन उपनिवेशों का भविष्य निर्मित करने में असेम्बली में जो भाग लिया उसका विशेष रूप से निर्देश किया जा सकता है। भारत द्वारा उपस्थित किये गए प्रायः सब सुझाव इस विषय में स्वीकार कर लिये गये और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संविधान का जो मशविदा बना कर प्रस्तुत किया था वह असेम्बली द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का अंग बना लिया गया। अस्वतंत्र प्रदेशों और ट्रस्टीशिप से संबद्ध प्रश्नों को हल करने में भारत ने जो सहायता की उसकी दूर दूर तक प्रशंसा हुई।

पहली जनवरी १९५० से भारत दो वर्ष के लिए सुरक्षा-परिषद का सदस्य बन गया और तीन वर्ष के लिए उस विशेष

कमेटी का भी सदस्य हो गया जो कि अस्वतंत्र प्रदेशों के संबंध में जातव्य विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है।

जनवरी १९४९ से भारत ३ वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याधिक व सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। फरवरी १९५० में कौंसिल के दसवें अधिवेशन में श्री राम स्वामी मुदालियर उसके उपाध्यक्ष चुने गए। निरन्तर प्रथत्नों के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्रीय संघ के संक्रेटरियट में पहले से अधिक भारतीय प्रतिनिवित्व प्राप्त करने में सफलता हुई है। हाल में थ्रम-मंत्रालय के संक्रेटरी श्री एस० लाल एसिस्टेण्ट संक्रेटरी जनरलों के ८ पदों में से एक पर नियुक्त किए गए थे।



आर्थिक पुनर्जीवन

नवम्बर १९४९ में अर्थ-मंत्रालय को पुनर्गठित किया गया। इसके दो भाग हैं, एक आय और व्यय के नियंत्रण के लिए और दूसरा आर्थिक मामलों के लिए।

जनवरी १९५० के अन्त तक इन्कम टैक्स जांच कमीशन मामलों का फैसला कर चुका था। ३ करोड़ ३१ लाख रुपये की छिपी हुई आमदनियों का पता लगा। अनुमान है कि इस पर २ करोड़ २५ लाख रुपये का टैक्स लग सकता है।

१ अप्रैल १९५० को ३ लाख ४१ हजार इन्कम टैक्स के मामले विना फैसले के पड़े थे। इन मामलों को जल्दी तय का काम हाथ में लिया गया। दिसम्बर १९४९ के अन्त तक १ लाख ७५ हजार मामलों को तय किया जा चुका था।

१९४९ में सबसे अधिक महत्व पूर्ण कानून टैक्सेशन लौज (एक्सटैन्शन टु मर्ड स्टेट्स एण्ड एमेंडमेंट एक्ट) टैक्स के कानूनों को विलीन रियासतों पर लागू करने वाला एक्ट (१९४९) पास किया गया। यह एक विस्तृत कानून है जो कि आवश्यक सुधारों के साथ संवद्ध भारतीय कानूनों को विलीन की हुई रियासतों पर लागू करता है। यह इन्कम टैक्स जांच कमीशन को अधिकार देता है कि वह बीच बीच में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकें। वैकंकों कम्पनियों और व्यक्तियों को आदेश दे सके कि उनको यदि कोई ऐसी जानकारी हो जो कमीशन के काम में सहायक हो सकती

है तो वे उसे कमीशन के सामने पेश करें ; और सरकारी अधिकारियों को वही-खातों पर कब्जा करने तथा सामान की सूचियां आदि बनाने की आज्ञा दे सकें और उन्हें मुकदमे की कार्रवाइयों से बरी कर सकें ।

विलीन रियासतों की आय

सेंट्रल रेवन्यू बोर्ड ने अधिकतर विलीन की हुई रियासतों के सेंट्रल रेवन्यू से संबद्ध मामलों का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है । महकमा अफीम भी इनमें शामिल है । जो रियासतें अब तक प्रथक हैं उनका भी आर्थिक प्रशासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है ।

हीराकुड योजना

हीराकुड योजना का आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए एक पृथक नियंत्रण बनाया गया । इसका संचालन एक आर्थिक सम्बाहकार और एक चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर करते हैं । उनका मुख्य कार्यालय सम्बलपुर में है ।

नये करेन्सी नोट और सिपके

२६ जनवरी १९५० से १ रुपये के और रिजर्व बैंक आर्टिक्यू के २, ५, १०, और १०० रुपये के नये करेन्सी नोट जारी हिए गए । इन नोटों की नये डिजाइन की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें गज़ा के मिट्टी की जगह अमोक मूर्ख आया गया है । नये रुपयों, अट्टियों और चावलियों पर एक ओर अमोक मूर्ख का मिट्टी-लींग गंडा और दूसरी ओर अमोक मूर्ख की बालियां । दुअर्दी ओर अपने पर अशोक का वृषभ गंडा और एक पींग पर अमोक ता रीढ़ ।

पुनर्वांत और औद्योगिक राजस्व

पुनर्वासि राजस्व विभाग की शाखाएं कलकत्ता और वम्बई में हैं। एक उपशाखा लखनऊ में भी है। जून १९४९ में एक उपशाखा नागपुर में भी खोली गई। विस्थापित व्यक्तियों की सुविधा के लिए शिमला की शाखा को करनाल लाया गया। इस संबंध में अधिक विवरण पुनर्वासि के अध्याय में मिल सकेगा।

औद्योगिक राजस्व नियम (इन्डस्ट्रियल फाइनैन्स कार्पोरेशन) ने ४ करोड़ ६७ लाख रुपये के क्रृद्ध स्वीकार किए। इसने ४ करोड़ ८० लाख रुपये के पौंड जारी किए। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट में सुधार करके इन्डस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन को अधिकार दिया गया कि वह अपने बौंड और डिवैन्चर जारी करे और उनकी व्यवस्था का काम रिजर्व बैंक से करवा सकता है।

वैकिंग

वैकिंग पर एक अन्तर औपनिवेशिक सम्मेलन लाहौर में अप्रैल १९४९ में हुआ था। इसके निर्णयों को दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया। ये निर्णय पूर्वी और पश्चिमी पंजाब की व्यापारिक वैंकों और सहकारी संस्थाओं के विषय में थे। आशा है कि इस समझौते से वैंकों के हिसाब बदलने में, लेखों और वचे हुए पावनों को हटाने में और सहकारी संस्थाओं का देना-लेना तय करने में सहायता मिलेगी।

पश्चिमी बंगाल में कुछ वैंकों के फेल हो जाने के कारण उस राज्य की सरकार ने एक कमेटी इन वकों के शीघ्र क्रृद्ध निस्तारण

के लिए प्रभावशाली उपाय सुझाने के लिए नियत की थी। इस कमेटी की सिफारिशों की परीक्षा के पश्चात इस प्रयोजन से आवश्यक कानून बनाने का निश्चय किया गया और क्योंकि यह मामला अत्यावश्यक था इसलिए सितम्बर १९४९ में वैंकिंग कम्पनीज अमेंडमेंट आडिनेंस जारी किया गया।

भारत सरकार ने एक ग्राम वैंकिंग जांच समिति (रुरल वैंकिंग इनक्वायरी कमेटी) देहातों में वैंकिंग की सुविधाओं पर विचार करने के लिए बिठाई है। इस कमेटी की स्पोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है।

गत वर्ष आन्तरिक राजस्व विभाग के पास ३८ करोड़ ५० लाख रुपये की नयी पूँजी जारी करने के लिए ३८७ प्रार्थना पत्र आये। १९४८ में १ अरब ६७ करोड़ रुपये के लिए ४८२ प्रार्थना पत्र आए थे। गत वर्ष आए हुए प्रार्थना पत्रों में से २२७ प्रार्थना पत्र औद्योगिक कम्पनियों के थे और उन्होंने ४७ करोड़ ७० लाख रुपये की पूँजी जारी करने की प्रार्थना की थी। औद्योगिक कम्पनियों ने १६० प्रार्थना पत्र ३० करोड़ ८० लाख रुपये की पूँजी जारी करने के लिए दिए थे।

मंत्रि-मण्डन की आर्थिक कमेटी

मन्त्रिमंडल की आर्थिक कमेटी का कार्यालय इस गमव अर्थविभाग में स्थानित है। एक नैशनल इन्कम यनिट की स्थापना की गई है। प्री० महानानीचीन के नमानिन्व में विभेदज्ञों की एक कमेटी द्वारा निर्माण आव की जात कर गयी है।

दृष्टार्थ १९४९ में रोमनील्ड (गान्धीमंडल) अर्थविभिन्नों की एक नमानी इन्स्टीट्यूट में गुर्दी थी। इसमें नाइन्टीनावने की अदाकरी और

स्ट्रिलिंग की अन्य मुद्राओं में परिवर्तन के संबंध में एक नया समझौता हो गया था। भारत-पाक अदायगी के समझौते को कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखने का निश्चय किया गया।

हॉटरनैशनल फंड और बैंक

इन्टरनैशनल मौनिटरी फंड (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि) और इन्टरनैशनल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक वार्षिक गटन में सितम्बर १९४९ में हुई थी और उसमें भारतीय प्रतिनिधि को आगामी वर्ष के लिए चेयरमेन चुना गया।

रूपये का अवमूल्यन

पाउण्ड-स्ट्रिलिंग के अवमूल्यन के साथ ही भारतीय रूपये का भी उसी अनुपात में अवमूल्यन किया गया और रूपये का एक्सचेंज रेट (विनियम-दर) यथापूर्व रखा गया। पाकिस्तान ने अपने रूपये का अवमूल्यन न करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों में व्यापार और लेन देन प्रायः बन्द हो गया।

इन्टरनैशनल बैंक के साथ वातचीत करके साढ़े तीन करोड़ डालर और एक करोड़ डालर के दो क्रृष्ण क्रमशः भारतीय रेलों के विकास और भूमि के पुनरुद्धार के लिए लिये गये। एक तीसरा क्रृष्ण ढाई करोड़ डालर का वोकारो थर्मल प्रोजेक्ट के लिए लिया गया।

इस वर्ष के आरंभ में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली आया। उसके साथ दुर्लभ पदार्थों, खाद्य और कच्चे माल की सप्लाई के संबंध में अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया।

कस्टम टट्टकर और एक्साइज्ज

इस समय कस्टम हाउस मद्रास, वर्म्बर्ड, कलकत्ता और कोचीन में हैं। मद्रास, वर्म्बर्ड, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता और शिलांग में केन्द्रिक एक्साइज एकत्र करने वाले कार्यालय हैं। कस्टम-विभाग और केन्द्रिक एक्साइज विभाग में लगभग २२,००० कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से ३०० ग्रेज्युएट आफिसर हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण पुरानी भारतीय राज्यों में मिल जाना अथवा उनका शासन केन्द्र हाथ में आ जाना और पांडचेरी-कराईकाल की नीमा पर निरीक्षण को अधिक तीक्ष्ण कर देना आदि है। जो गियामतें अब तक प्रथक हैं उनके भी कस्टम और एक्साइज का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में के लिया है।

भारतीय गियामतों को शामिल कर लेने में अनेक नयी शमश्याये नहीं हो गई हैं। इनमें से अधिकतर का मंत्रिधर 'फील्ड नार्जेज' का अधिक नकं-नंगन आधार पर निर्गठन करने, गियामतों के कर्म-नारियों को गता लेने, नये इलाकों में आय के गुम्बों का विकास करने और देश में आनंदगी कस्टम व्यवस्थाओं को अधिक नकं-नंगन घर पर लाने में है।

उनमें टैक्स विभाग के कर्मनारियों की संख्या गंगा १० लाख, ११ अग्निवेंट कर्मिनर और १११ उनमें टैक्स-आदि-सर है। बंदुक वाले गाह गंगाय नमनारियों की संख्या बढ़ाने पर गिनार कर रहा है, यदोहि गियामतों तो शामिल करने ही चाहते रहे रहे रहे हैं।

अफीम

अफीम की खेती की प्रधान पट्टियां तीन हैं। गाजीपुर एजेन्सी, राजस्थान मध्यभारत और हिमाचल प्रदेश। इनमें से केवल गाजीपुर एजेन्सी पहले भारत सरकार के बाधीन थी। रियासतों का आर्थिक एकीकरण हो जाने के पश्चात् राजस्थान-मध्यभारत और हिमाचल प्रदेश में भी अफीम की खेती और तैयारी का नियंथण केन्द्रिक सरकार के हाथ में आ जायगा। गाजीपुर और नीमच के कारखानों में लगभग २२० टन अफीम तैयार होती है। इसमें से लगभग ३५ टन ब्रिटेन चली जाती थी। भारत सरकार चिकित्सक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए दुर्लभ मुद्रा के देशों को भी अफीम भेजने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है।

छापेखाने और टकसाले

सरकार के करेन्सी नोट और स्टाम्प छापने के छापेखाने और केन्द्रिक स्टाम्प स्टोर नासिक रोड में हैं। वे भारत सरकार और रिजर्व बैंक के नोट, डाक विभाग के और दूसरे स्टाम्प, दियासलाइथों आदि पर लगाने के लिए एक्साइज की पट्टियां (बैंड-रोल) और पेट्रोल के कूपन छापते हैं। टकसालों के समान ये छापेखाने विदेशी सरकारों का भी ऐसा काम हाथ में ले लेते हैं जिसकी भारत सरकार इजाजत दे देती है। हाल में फोटोग्रैव्युअर विधि से छापने की नयी मशीनों का भी आँडर दिया गया है। इस विधि से डाक के टिकट अधिक आकर्षक छप सकेंगे। उनका रंग और उसके डिजायनों का उभार अधिक आकर्षक होगा। इन छापाखानों के तीन कर्मचारी इस विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन गए हुए हैं।

अलीपुर में एक आवुनिक टक्साल बनाई जा रही है। उस पर लगभग दो करोड़ स्पए व्यय आएगा।

अब तक सरकारी टक्सालों के कर्मचारी अस्थायी रहे हैं। अब दोनों सरकारी टक्सालों में से प्रत्येक के लिए एक एक हजार का स्थायी 'कैडर' बनाया गया है। सारे संघ का आधिक एकीकरण हो जाने के कारण हैदराबाद की टक्साल को भी केन्द्रिक भरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

राष्ट्रीय बचत

गिमला में राष्ट्रीय बचत के संगठन का एक केन्द्रिक कार्यालय है। राज्यों के कार्यालय राज्यों की सरकारों के नियंत्रण में चलते हैं।

करेगा । तब इन व्ययों को अधिक भलीभांति पुनर्गठित किया जा सकेगा । मई १९५० में डा० जान मथार्ड ने वित्त-मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया । उनके स्थान पर श्रीयुत चिन्तामणि द्वारिकादास देशमुख वित्तमंत्री नियुक्त हुए । उन्होंने यह पद जून १९५० के आरंभ में ग्रहण किया ।

स्वास्थ्य और सुख

डॉक्टरों की अखिल भारतीय संस्था (आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट) बनाने की योजना पूरी न हो सकने के कारण वर्तमान संस्थाओं का ही दर्जा ऊँचा कर देने का निश्चय किया गया है। इस काम के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त की गई थी। उसने विविध संस्थाओं का दर्जा ऊँचा करके उन्हें तीन श्रेणियों में बांट देने की सिफारिश की है। इनमें प्रथम श्रेणी की संस्थाओं का दर्जा तो तुरंत ऊँचा कर दिया जायगा और शेष का कुछ जांच कर कर्त्तव्य के पश्चात्। तदनुसार १९४९-५० में बम्बई के टाटा मीमोरियल हृष्टानाल को केन्द्र रोग के विषय में गोज और अध्यापन के केन्द्र के रूप में घोषित करने के लिए ३ लाख रुपये दिए गए। और १ लाख रुपये देल्ही वृनियमिटी की क्षय-रोग संस्था (इवेवन्युओमिन इन्स्टीयूट) का होम्यो बनाने के लिए दिए गए। १९५०-५१ में बम्बई के टाटा मीमोरियल हृष्टानाल और दूसरी संस्थाओं तो दर्जा ऊँचाकरने के लिए पोने गांग लाल राजे ने अद्य नहीं दिया गया है।

कोप ने १९४९ में भारत को उच्च चिकित्सा और संबद्ध विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ३५ छात्रवृत्तियां दीं। केन्द्रिक चुनाव संस्था ने जिन विद्यार्थियों को इस शिक्षण के लिए चुना था वे विदेश जा चुके हैं। १९५० में जो ३० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी उनके लिए उम्मीदवारों से वातचौत की जा चुकी है। अन्तिम चुनाव शीघ्र ही कर लिया जायगा।

लेडी हार्डिन्ज मेडिकल कालेज और हास्पिटल

केन्द्रिक सरकार ने लेडी हार्डिज मैडिकल कालिज और हस्पताल को अपने हाथ में लेने का निश्चय कर लिया है। अभी तक इस कालिज में केवल स्त्रियां पढ़ती थीं।

इस संस्था की प्रवंध संस्था (गवर्निंग बोर्डी) द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने संस्था के सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। तदनुसार १९५०-५१ में वजट में १६ लाख २५ हजार रुपये की राशि रखी गई है।

देहली यूनिवर्सिटी ने क्षय (तपेदिक) के लिए एक पाठ्यक्रम (डिप्लोमा कोर्स) आरंभ किया है। क्षयरोग संस्था की स्थापना के लिए प्रारंभिक धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस संस्था के भवन की आधार शिला ६ अप्रैल १९४९ को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रखी जा चुकी है।

मलेरिया इन्स्टीट्यूट

रानीगंज और झरिया की कोयला खानों के क्षेत्र में मलेरिया निवारक कार्यों को अधिक उत्तेजन देने के लिए एक योजना स्वीकृत

हो चुकी है। इस प्रयोजन के लिए कोयला खान कल्याण कोष (कोल माइन्स वेलफेर फंड) ने यह मान लिया है कि १९४९-५० में तीन लाख रुपये का जो अतिरिक्त व्यय हुआ था उसे वह उठा लेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की संस्था

हमारे देश में भोजन विशेषज्ञों की बहुत न्यूनता है। इस न्यूनता को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की अखिल भारतीय संस्था (आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजिन एंड पर्टिलक हैल्थ) में कलकत्ता मैडिकल कौलिज हास्पिटल के सहयोग से भोजन-शास्त्र के शिक्षण का एक विशेष पाठ्य-क्रम आरंभ किया गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भोजन-शास्त्र के शिक्षण का प्रमाण-पत्र देगी।

सिलवर जुबली ट्यूबरकुलोसिस हास्पिटल

अभी तक दिल्ली के सिलवर जुबली ट्यूबरकुलोसिस हास्पिटल में केवल १३४ रोगियों के रखने की व्यवस्था है। इनमें से ९४ की व्यवस्था स्थायी और ४० की अस्थाई है। इसका फल यह होता है कि रोगियों को हास्पिटल में प्रवेश पाने के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। शरणार्थियों की भीड़ के कारण यह स्थिति और भी विगड़ गई है। अब इस हस्पताल में ९६ रोगी और रखने की व्यवस्था करने का विचार है।

सिन्कोना की खेती

१९४२-४३ में केन्द्रिक सरकार ने मद्रास और पश्चिमी बंगाल में त्वचल्प काल में फसल ले लेने की रुसी विवि से सिन्कोना (कुनीन

का पेड़) की खेती की एक योजना आरंभ की थी। मद्रास और पश्चिमी बंगाल में क्रमशः ३, १८६ और ९६१ एकड़ों में खेती की गई थी। बंगाल की खेती तो समाप्त करदी गई है परन्तु मद्रास की खेती के लिए केन्द्रिक सरकार का उत्तरदायित्व १९५२-५३ तक जारी रहने की संभावना है। इस योजना पर अभी तक लगभग ६८ लाख रुपया व्यय हो चुका है। मितव्यय के विचार से मद्रास सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह मद्रास की खेती को केन्द्रिक सरकार द्वारा किया गया अब तक का व्यय चुका कर अपने हाथ में ले ले।

मकानों का कारखाना

१९४८ में बने बनाए मकानों का कारखाना अपने देश में खोलने की जो योजना बनाई गई थी उस पर १९४९ में अमल किया गया। कारखाने का निर्माण मई १९४९ में आरंभ हुआ था। कारखाने की इमारत का १ लाख वर्गफुट से अधिक भूमि पर बनाई गई है और १६ लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनें मंगाकर लगाई जा चुकी हैं। नमूने के कुछ तरत्ते बना कर देखे जा चुके हैं। मकानों का और कारखानों का नक्शा इंगलैण्ड में तैयार किया गया था।

एक कमेटी बनाई गई है जिसके सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय का सेक्रेटरी और वित्त, श्रम, उद्योग तथा रसद और निर्माण तथा खान मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। इस कमेटी का सेक्रेटरी डायरेक्टर आफ हाउसिंग है। अब तक देहली की निवास-विस्तार योजनाओं में ४००० स्थान निवास के लिए तैयार हो चुके हैं और ११,००० निकट भविष्य में ही तैयार हो जाने की आशा है।

मकानों का नियमित निर्माण अगस्त १९५० के अन्त से आरंभ हो जाने की आशा है।

औषध नियंत्रण

यद्यपि राज्यों में औषधियों के निर्माण, वितरण और विक्रय पर नियंत्रण रखना राज्यों की सरकारों का काम है। परन्तु भारत में विदेशों से मंगाई हुई औषधों के स्टैंडर्ड पर और केन्द्र द्वारा साशित प्रदेशों में औषधियों के निर्माण, वितरण और विक्रय पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रिक सरकार का है। १९४० के ड्रग्स एक्ट में दवाइयों और औषधियों के अनष्टि विज्ञापन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। अब ड्रग्स एक्ट के मातहत नियुक्त ड्रग्स टैक्निकल बोर्ड ने इस विषय पर एक विल तैयार किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

औषधियों की केन्द्रिक प्रयोग शाला (सैन्ट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी) के कर्मचारियों की संख्या हाल में बढ़ा दी गई है। जिससे कि वे अपने कर्तव्यों का पालन अधिक भली प्रकार कर सकें।

औषध-भंडारों के डिपो और कारखाने

इस समय मद्रास, वम्बई और कलकत्ता में औषधियों के तीन बड़े डिपो हैं। इनमें प्रथम दो के साथ कारखाने भी हैं। इनके अतिरिक्त करनाल, रायपुर और नई दिल्ली में तीन अस्थायी डिपो हैं। करनाल का डिपो स्थायी आधार पर बढ़ाया जा रहा है जिससे कि वह उन अस्पतालों और औषधालों की आवश्यकता पूरी कर सके जिनकी आवश्यकताएं पहले लाहौर के औषध भंडार के डिपो से पूरी की जाया करती थी।

चिकित्सा का स्नातकोत्तर शिक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय बोर्ड की सिफारिश पर चिकित्सा के स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए एक अखिल-भारतीय कॉसिल का संगठन किया गया है। यह कॉसिल यूनिवर्सिटीयों में चिकित्सा के स्नातकोत्तर शिक्षण के मानदंड नियत करेगी और ऐसी सिफारिशों करेगी जिससे कि देश भर में मानदंडों की समानता और एकता रहे।

स्वदेशी चिकित्सा-पद्धतियां

स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास और नियंत्रण के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के निमित्त जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट फरवरी १९५० में दे दी। इस रिपोर्ट पर राज्यों की सरकारों के विचार जाने जां रहे हैं, और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं पर विचार करने के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक और वायोलैजिकल चिकित्सा-पद्धतियों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बिठाई गई है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

स्थानीय स्वास्थ्य-रक्षा कमेटी

स्थानीय स्वास्थ्य रक्षा कमेटी, होमोपेथिक जाँच कमेटी और कुष्ट रोग की रिपोर्टें मिल चुकी हैं और पंजाब सरकार उन पर विचार कर रही है। स्थानीय राजस्व की जाँच कमेटी (लोकल फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी) अपनी रिपोर्ट प्रायः पूरी कर चुकी है और उसने बहुत सी साक्ष्य का संग्रह किया है।

दिल्ली और अजमेर में चिकित्सा की सुविधाएं

राजधानी में चिकित्सा को सुविधाओं की उन्नत करने के लिए अस्पतालों का पुनर्गठन किया गया था और उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अस्पतालों के बाहरी रोगी विभाग सुधार कर अधिक बड़े कर दिए गए हैं। अरविन अस्पताल में रह कर इलाज कराने वाले रोगियों के लिए ४८ स्थानों की अतिरिक्त व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। अरविन अस्पताल में नर्सेज होम बनाने की भी योजना स्वीकृत हो चुकी है।

इस वर्ष से विकटोरिया जनाना अस्पताल को दिल्ली सरकार अपने हाथ में ले लेगी।

दिल्ली में छूत-छात रोगों की चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि किंग्सवे में एक अस्पताल छूत-छात रोगों की चिकित्सा के लिए बनाया जाय और उसमें १०० रोगियों के रहने का प्रबंध किया जाय।

सरकार दिल्ली में ग्रामों में भी स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निश्चय कर चुकी है और तदनुसार नजफगढ़ में एक प्रारंभिक स्वास्थ्य-केन्द्र का निर्माण आरंभ हो चुका है। इस केन्द्र को देश के अन्य भागों के लिए एक आदर्श केन्द्र की भाँति चलाने का विचार है। नजफगढ़ की वर्तमान हैल्थ यूनिट को बढ़ा दिया गया है। जिससे कि यह मातृ-कल्याण तथा वाल सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संघ के एक दल के समानान्तर कार्य कर सके।

अजमेर के विकटोरिया अस्पताल में एक क्षय-परीक्षा-केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। यह केन्द्र एक मिशन द्वारा

संचालित मदार यूनियन सैनिटोरियम के सहयोग से काम करेगा और स्थानीय सरकार जिन गरीब रोगियों को भेजेगी उनके लिए इसमें ३२ स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष ४८ हजार रुपये की सहायता दिया करेगी। रोगियों को चिकित्सा और भोजन व्यवस्था मुफ्त की जाया करेगी।

भिनाय और सख्तना, अजमेर के दो गांथों, में एक प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है।

अब तक ग्रामों के वर्तमान औषधालय कोष से चलाए जाते थे वह प्रायः समाप्त हो चुका है। इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि वह इन औषधालयों को अपने हाथ में ले ले और इनमें अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करदे।

केकड़ी में एक चलता-फिरता औषधालय (डिस्पेन्सरी) रखा जायगा जो आस-पास के स्थानों की चिकित्सा सहायता पहुँचायगा। आवश्यक साधनों से युक्त एक लौरी खरीद ली गई है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कर्मचारी भी रख लिए गए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संघ

सन् १९४९ में “विश्व स्वास्थ्य संघ” ने भारत को मलेरिया, तपेदिक, यैन रोगों और मातृ-कल्याण तथा वाल-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सलाह और प्रदर्शन की सेवाएं अपित की थीं। उक्त सहायता से मलेरिया का नियंत्रण करने के लिए चार दल मैसूर के मालनाड में, मलावार के एर्नाड में उत्तर की तराई में और उड़ीसा की जयपुर पहाड़ियों में काम कर रहे हैं।

इनमें से प्रत्येक दल में एक नेता और एक नर्स रहती है। ये चारों ही स्थान खेती के विकास की द्रष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चारों दल और भी एक वर्ष तक काम करेंगे और इनका कार्यक्षेत्र दुगना कर दिया जायगा। विश्व स्वास्थ्य संघ का एक यौनरोग निवारक दल १९४९ से हिमाचल प्रदेश में गुप्त रोगों के निवारण की नवीन विधियों का प्रदर्शन कर रहा है। इसमें एक नेता, एक सीरम का विशेषज्ञ और एक पब्लिक हैल्थ नर्स है। विश्व स्वास्थ्य संघ का एक मातृ कल्याण और बाल स्वास्थ्य-दल १९५० के आरम्भ से देहली के समीप नजफगढ़ में काम कर रहा है। इसमें एक बाल-पालन-विशेषज्ञ और एक नर्स है।

इस वर्ष के आरंभ में विश्व स्वास्थ्य संघ का मेरु-दंड के पक्षाधात के विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था जिसमें एक डाक्टर, एक दैहिक चिकित्सक और एक नर्स हैं। सम्बद्ध राज्यों की सरकारों ने इस दल के साथ काम करने के लिए भारतीय व्यक्तियों का एक समानान्तर दल संगठित कर लिया है जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय दल के लौट जाने पर उसका स्थान ले सके।

१९५० के कार्यक्रम में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संघ से हैजे और प्लेग के निवारण में सहायता मांगी है। इसके अतिरिक्त मलेरिया, तपेदिक और गुप्त रोगों आदि के लिए अतिरिक्त दल मांगे गए हैं।

मई १९५० में जो विश्व स्वास्थ्य परियद (असेम्बली) जिनेवा में हुई थी उसमें राजकुमारी अमृतकौर को संघ की अध्यक्षा निर्वाचित किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय वाल-रक्षा कोप

इस कोप (फंड) ने १९४९ में कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए साढ़े सात लाख डालर नियत किए थे। यह फंड (कोप) यंत्रों और सामान की सहायता देता है। इस राशि में से ४ लाख ४३ हजार डालर का उपयोग नई दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में तीन क्षय-निवारक केन्द्र खोलने के लिए किया जा रहा है। इस फंड का उपयोग विदेशों में छात्रवृत्तियों, स्वास्थ्य प्रचार के सामान की खरीद, खाद्य-क्रम और एरनाड के मलेरिया दल के लिए उपकरण खरीदने में भी किया गया है। इस फंड ने नियमित सहायता के अतिरिक्त तीन मलेरिया दलों के लिए लगभग डेढ़ लाख डालर का सामान भी दिया है।

भारत सरकार ने इस फंड से ७ लाख ७० हजार डालर की सहायता और भी मांगी है, जिसका उपयोग वह दिल्ली में मातृ कल्याण और वाल स्वास्थ्य, मद्रास, वम्बई और दिल्ली में 'पोलियोमाइलिटिस' के नियंत्रण, दिल्ली से बाहर मातृ-कल्याण और वाल स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार, यौन रोगों के नियंत्रण, तपेदिक की स्नातकोत्तर शिक्षा और चीड़ फाड़ (शाल्य चिकित्सा) और साधारण छात्रवृत्तियों के कामों में करना चाहती है। कलकत्ता के आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एंड पब्लिक हैल्थ में एक शिशु पालन शिक्षण केन्द्र खोलने की योजना भी तैयार करके पेश की गई है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का काम देगा और इस पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वालकों के अन्तर्राष्ट्रीय एमजेन्सी फंड को ९ लाख ३० हजार डालर का व्यय पड़ेगा।

नियति बढ़ाने की आवश्यकता

वाणिज्य-मंत्रालय भारत के वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रबल प्रयत्न करता रहा। भारत के वैदेशिक व्यापार में संतुलन बहुत प्रतिकूल होने के कारण नियति व्यापार के नियंत्रण की अपेक्षा नियति बढ़ाने पर अधिक बल देने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए नियति व्यापार के लाइसेंस देने की विधि यथाशिवित सरल कर देने का यत्न किया गया, जिससे कि कार्य में विलम्ब और कठिनाइयां कम हो जायें।

अगस्त १९४७ से पूर्व १० वैदेशिक केन्द्रों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि थे। अब लगभग ३५ केन्द्रों में हैं। वे खोए हुए बाजारों को फिर प्राप्त करने नयों को हाथ में रखने, विदेश के खरीदारों को भारत की नियति-सामर्थ्य की सूचना देने और भारत सरकार को व्यापारिक मामलों में नवीनतम सूचनाएं पहुँचाने का काम करते हैं। ये प्रतिनिधि जो रिपोर्ट भेजते हैं वे व्यापार-मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में छापी जाती हैं। व्यापारी और उनकी अविकाविक संस्थाएं और संगठन इन रिपोर्टों का उपयोग करने लगे हैं और उन्हें उपयोगी पाते हैं।

इस वर्ष भारत ने विदेशों की जिन प्रदर्शनियों में भाग लिया उन में मुख्य निर्दिश औद्योगिक मेला वूसेल्स, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला, न्यूयार्क की स्ट्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और स्टोकपोर्ट प्रदर्शनी थी; एक परीक्षण निर्माताओं द्वारा अपने व्यय पर भेजी हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी संगठित करने का भी किया गया। सितंवर १९४९ में

कुछ चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह न्यूयार्क के प्रदर्शन-भवन के लिए भेजा गया। ये वस्तुएं शो रूम में रखने से पहले न्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला में प्रदर्शित की गयीं। विस्थापित व्यक्तियों की दस्तकारी के नमूने १८ केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए।

व्यापार और तटकरों के समझौते

तट-करों और व्यापार के साधारण समझौते को मानने वाले देशों की जो तृतीय कान्फ्रेंस एप्रेल-अगस्त १९५० में ऐनेन्सी प्रांस में हुई थी उसमें भारत ने भाग लिया। इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित देशों ने एक समझौता तैयार किया जिससे कि १० और देश साधारण समझौतों में सम्मिलित होकर तटकर के संबंध में वातचीत के पश्चात जो निश्चय हो उन पर अमल कर सकें। भारत सरकार ने इस समझौते पर नवम्बर १९४९ में हस्ताक्षर कर दिए और २० मई १९५० से इसकी शर्तों पर अमल आरम्भ कर दिया।

भारत ने उक्त समझौते में सम्मिलित देशों की चतुर्थ कान्फ्रेंस में भाग लिया जो कि जिनेवा में फरवरी-अप्रेल १९५० में हुई थी। इसमें कई विषयों पर विचार किया गया। विशेष चर्चा उन प्रतिवंधों पर हुई जो कि व्यापारिक-सन्तुलन के कारण अनेक देशों में आयात-नियंत्रित पर लगा दिए थे।

साधारण समझौते में सम्मिलित देशों की ५ वीं कान्फ्रेंस नवम्बर १९५० में होगी और तटकर के विषय में आगे वातचीत टोरक्वे (इंग्लैण्ड,) में की जायगी। २८ दिसम्बर १९५० से कुछ अन्य ऐसे देशों से तटकर के संबंध में वातचीत की जायगी।

जिन्होंने कि साधारण समझौते में सम्मिलित होने की इच्छा प्रांगण की है। समझौते की शर्तों के अनुसार उसकी सूचियां संबद्ध देशों से बातचीत करके ३१ दिसम्बर १९५० के पश्चात बदली जा सकती हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर सम्मिलित देश परस्पर नई बातचीत भी चला सकते हैं। भारत साधारण समझौते की तटकर और व्यापार की शर्तों से पावन्द रहे या नहीं यह प्रश्न विचारार्थ राजकोषीय कमीशन के भी सुपुर्द किया गया था। भारत सरकार राजकोषीय “फिस्कल” कमीशन की सिफारिशों को देख कर निश्चय करेगी कि वह भावी बातचीत में भाग ले या नहीं।

उद्योगों का संरक्षण

भारत का वाणिज्य-मंत्रालय विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिए भारतीय उद्योगों को स्वल्प काल के लिए सहायता अथवा संरक्षण यथापूर्व प्रदान करता रहा। हाल में एल्यूमिनियम, फैरीना, सैंगो, मैदा, सोडा, कांच की शीटों, कपड़ा बुनने की कुछ मशीनों और प्लास्टिक तथा मोर्लिंडग पाउडर के बने हुए विजली के सामान पर संरक्षण तट कर लगाया गया है।

भारत की तट कर नीति यह है कि विदेशी माल देशी माल के साथ अनुचित प्रतिस्पर्द्धा न करने पावें और उपभोक्ताओं पर वोझ न ढालते हुए देश के सावनों का उपयोग अविकाशिक हो।

राजकोषीय (फिस्कल) कमीशन की नियुक्ति अप्रैल १९४९ में इन नीति पर आचरण से संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए की गई थी। कमीशन ने अपना विचार समाप्त कर लिया है और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सिपुर्द करदी है।

दी इण्डियन मार्केट रिव्यू और दी फोरन मार्केट रिव्यू नामक पत्रिकाओं में कुछ नये विषय बढ़ाये गये। व्यापारिक प्रकाशन शाखा ने एक नया पाक्षिक दी इंडियन ट्रेड वुलेटिन प्रकाशित करना आरम्भ किया। इस पत्र में एक नया विषय आयात नियर्ति नियंत्रण विभाग आरंभ किया गया, जिसमें कि नियंत्रण के संबंध में जानकारी विस्तारपूर्वक दी जाती है। ये विशेषांक प्रकाशित किए गए:—

आर्थिक नीति विशेषांक (इकॉनौमिकल पीलिसी नम्बर)

स्वाधीनता विशेषांक (इन्डीपैन्डेन्स नम्बर)

आयात नियंत्रण अंक (इम्पोर्ट कन्ट्रोल नम्बर)

गणराज्य उद्घाटन अंक (रिपब्लिक इनओग्युरेशन नम्बर) और वार्षिक पर्यालोचन अंक (एनुअल रिव्यु नम्बर); इस शाखा न भारतीय वस्तुओं में रुचि रखने वाली विदेशी फर्मों की कई डायरेक्टरियां और एक हैंड वुक आफ एक्सपोर्ट कन्ट्रोल भी प्रकाशित की।

व्यापारिक जानकारी

व्यापारिक जानकारी के विषय में जातव्य आंकड़ों के संग्रह और प्रकाशन का उत्तरदायित्व व्यापारिक जानकारी और आंकड़ों के डायरेक्टर जनरल (डायरेक्टर जनरल आफ कमर्शल इनटैलिजेन्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स) का है।

आर्थिक सलाहकार (इकौनौमिक एडवायजर) और आंकड़ों का संग्रहकर्ता (स्टेटिस्टिशियन) समस्त उपलब्ध आर्थिक जानकारी और आंकड़ों का अध्ययन करते, विशेष विशेष आर्थिक संमस्याओं का अनुसंधान करते, सरकार को आर्थिक और आंकड़ों

संबंधी जानकारी देते और देश के आर्थिक लाभ के मामलों में सरकार को सलाह देते हैं।

एक विभाग है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव इनटैलिजैन्स ब्रांच उसका काम भारत सरकार के सब मंत्रालयों के संबंध में अधिकृत आंकड़ों का संग्रह करना और उनको तरतीब देना, जातव्य सामग्री को नक्शों और चित्रों के रूप में पेश करना। संगृहीत आंकड़ों का अर्थ लगाना और संबद्ध मंत्रालयों को ज्ञातव्य प्रवृत्तियों की सूचना देना है। यह आंकड़ों का एक मासिक मारांश भी प्रकाशित करता है।

भारत सरकार ने एक नियंत्रित बढ़ाने वाली समिति की नियुक्ति की। इसने भारत के विविध व्यापारिक केन्द्रों का दौरा किया, प्रमुख व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों से वातचीत की और नियंत्रित व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल कर रही है।

वाणिज्य मंत्रालय ने लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं और लोहे तथा फौलाद के अनियंत्रित तैयार माल को लाइसेंस देने का काम उद्योग तथा ग्रन्द मंत्रालय से अपने हाथ में ले लिया।

केन्द्रिक चाय बोर्ड

इस बोर्ड का संगठन चाय के उत्पादकों, चाय उत्पन्न करने वाले राज्यों की सरकारों, चाय की खेती के श्रमिकों, नियन्त्रित करने वालों, व्यापारियों, व्यापार और उद्योग के चेम्बरों, चाय के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों और केन्द्रिक सरकार के

नामजद सदस्यों से मिलकर हुआ है। यह वोर्ड देश और विदेश में चाय की खपत बढ़ाने के लिए प्रचार का काम करता है। एक तदर्थ कमेटी चाय का नियंति विशेषतः दुर्लभ मुद्रा के देशों को बढ़ाने से सम्बद्ध प्रश्नों और नियंति की हुई चाय के गुणों में सुधार करने और कलकत्ता को चाय के वितरण और व्यापार के लिए संसार का प्रधान केन्द्र बनाने पर विचार करने के लिए नियंति की गई थी। यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और कलकत्ता में चाय के गोदाम बढ़ाने के लिए यत्न किया जा रहा है।

भारत सरकार ने उस पद्धति को जारी रखना स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार चाय की थोक खरीद किया करती थी। ब्रिटिश खाद्य-मंत्रालय ने चाय के भारतीय व्यापारियों के साथ ३० करोड़ ३० लाख पाउण्ड चाय सप्लाई करने के लिए ठेके किए।

भारत-पाक व्यापारिक समझौता

भारत-पाक व्यापारिक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को १९४९-५० में कच्चे जूट की ४० लाख गाठें देनी चाहिए थीं, परन्तु पाकिस्तान ने इस समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया। भारत सरकार अपने देश में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने का भरसक यत्न कर रही है। वाणिज्य-मंत्रालय ने जूट के माल के नियंति पर मूल्य का नियंत्रण कर दिया है जिससे कि नियंति करने वाले माल की अस्थायी कमी का दुरुपयोग करके जूट के नियंति-व्यापार को स्थायी धक्का न पहुँचा दें।

भारत सरकार ने हाल में पाकिस्तान के साथ एक अल्पकालिक समझौता किया है, जिसके अनुसार पाकिस्तान जुलाई १९५०

के अन्त तक ४० लाख मन अर्थात् कच्चे जूट की ८ लाख गांठें देने वाला था । उसके बदले में भारत पाकिस्तान को कुछ वस्तुएँ भेजता । अब तक कच्चे जूट की यह मात्रा भारत नहीं पहुँची है, और समझौते में जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उससे पाकिस्तान बहुत पीछे है ।

पाकिस्तान ने साढ़े चार लाख गांठें रुई की देने के विषय में भी व्यापारिक समझौते का पालन नहीं किया । सरकार ने विदेशों से कपास की १२ लाख गांठें आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा देने का निश्चय किया । कपास के ब्रिटिश कमीशन यू० के० रौ० कॉटन कमीशन के सहयोग से पूर्वी अफ्रीका की सरकार के साथ वहां की कपास की २ लाख से ऊपर गांठें खरीदने के लिए एक समझौता किया गया । छोटे रेशे की भारतीय कपास का निर्यात २ लाख गांठ तक सीमित कर दिया गया ।

जून १९४९ से भारतीय मूत्री वस्त्रों का निर्यात निरन्तर बहुत बढ़ गया है । निर्यात किए हुए वस्त्र पर से मूल्य का नियंत्रण हटा लिया गया । हाथ-करघे और पावर के करघे का कपड़ा विना किसी नियंत्रण के नियन्ति हो रहा है ।

हाल में पाकिस्तान के साथ एक अल्पकालिक व्यापारिक समझौता किया गया था । उसी प्रसंग में पाकिस्तानी कच्ची रुई खरीदने की चर्चा भी उठाई गई थी । बाद को मई १९५० के अन्त में दोनों देशों ने व्यापारिक समझौते के संबंध में वातचीत करने के लिए जो मासिक बैठक हुई उसमें भी इस प्रश्न पर फिर चर्चा की गई । पन्नु पाकिस्तानी रुई प्राप्त करने के विषय में कोई अनिम निश्चय नहीं हो सका ।

देश में माल की कमी के कारण फरवरी १९५० में मूँगफली का नियंत्रित वन्द कर देने का निश्चय किया गया। अलसी के नियंत्रित के परिमाण पर भी पावन्दी लगाई गई।

व्यापारिक जलयानों का प्रधान संचालक

इस वर्ष व्यापारिक जलयानों के प्रधान संचालक “डायरेक्टरेट जनरल आफ शिपिंग” नामक एक नया संगठन बनाया गया। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। यह व्यापारिक जहाजों के यातायात, व्यापारिक जहाजों के कानूनों पर अमल और समुद्र में जहाजों की सुरक्षा के उपायों से सम्बन्ध रखता है। यह भारतीय नाविकों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों को नियंत्रित, करता, उनके सुख स्वास्थ्य की उन्नति करता और अफसरों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ देता है। भारत में प्रकाश-स्तंभ (लाइट-हाउसों) के बनाने, सुरक्षित रखने और सुधार के लिए यही उत्तरदायी है। सरकार भारत द्वारा जहाजों और उसकी उन्नति के संबंध में जो नीति निर्धारित करती है उस पर समन्वयपूर्वक अमल करने के लिए भी यही संगठन उत्तरदायी है। भारतीय जहाजी यातायात के नियंत्रण-कर्ता, मुख्य इंजीनियर, प्रकाश-स्तंभ-विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के बम्बई स्थित टैक्निकल अधिकारियों और नाविकों की सुख-सुविधा के कार्यालय भी इसी डायरेक्टरेट-जनरल में मिला दिए गए हैं।

व्यापारिक जहाज

सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी ने अपने बेड़े में १५,७०० टन के ४ जहाज और बढ़ाए। ये चारों विजगापट्टम के जहाजी

कारखाने में बनाए गए थे। बौम्बे स्टीम नैविगेशन कम्पनी ने और इन्डियन कोओपरेटिव नैविगेशन एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी ने भी अपने लिए लगभग १०,००० टन के चार जहाज ब्रिटेन में बनवाए। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने लगभग ४,४०० टन का एक पुराना जहाज खरीदा। सरकार ने लगभग १४,४०० टन के दो जहाज भारत के प्रथम सरकारी जहाजी कार्पोरेशन के लिए खरीदे। ये दोनों भारत-आस्ट्रेलिया मार्ग पर चल रहे हैं।

भारतीय कम्पनियों के तट पर चलने वाले जहाजों का परिमाण १९४८ में १,४६,९६० टन था। यह बढ़ कर १९४९ के अन्त में २,१४,१०० टन हो गया।

ब्रिटेन और यूरोप के साथ भारत का व्यापार

दो भारतीय कम्पनियों, इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी लि० कलकत्ता और सिर्धिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी लि० बम्बई, के जहाज भारत और यूरोप के बीच चलते हैं, ये दोनों इण्डिया-यूनाइटेड किंगडम-कौण्टनेन्ट कानफरेन्स के सदस्य बन गये हैं।

समुद्र-वाही जहाजों की कमेटी

इस कमेटी ने समुद्र पर चलने वाले जहाजों को अधिक सुनक्षित, अधिक समर्थ और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यता के विषय में अधिक विश्वास उत्पन्न करने के लिए ७५ सिफारिशें की। इन कमेटी के मदस्यों में सम्बद्ध मंस्याओं के प्रतिनिधि भी महिमालित हैं और इसका चेयरमैन जहाजों का डायरेक्टर-जनरल है। इन ईक की यात्रा के सब प्रश्नों पर विचार करने और उनमें मुशार करने के लिए नियुक्त किया गया है।

नाविकों की सुख-सुविधाएं

१९४९ में एक कानून इण्डियन मर्चेंट शिपिंग (अमैण्डमेण्ट) ऐक्ट नामक पास किया गया। यह कानून केन्द्रिक सरकार को बन्दरगाहों में नाविकों के लिए रोजगार दफ्तर खोलने का अधिकार देता है। इस ऐक्ट के अनुसार सब भरती इन रोजगार दफ्तरों की मार्फत ही होनी चाहिए। यह कानून यह व्यवस्था भी करता है कि इन नौकरी-दिलाऊ दफ्तरों की व्यवस्था के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए जहाज-मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधियों के सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएं।

सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार सरकारी डाक्टर प्रति दो वर्ष पीछे अनिवार्य रूप से नाविकों की शरीर-परीक्षा किया करेंगे। वम्बई और कलकत्ता में नाविकों के लिए विशेष रोग-परीक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। अन्य हस्पतालों में नाविकों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। नाविकों का इलाज न केवल उनके सेवा-काल में, अपितु नौकरी छूटने के एक वर्ष बाद तक, मुफ्त किया जाता है।

वम्बई के नये नाविकों के होस्टल और पुराने भारतीय नाविक गृह में लगभग एक हजार नाविकों के लिए रहने का स्थान और बलब की सुविधाएं विद्यमान हैं। सरकार ने आर्गिल रोड वम्बई में एक नई इमारत ५०० नाविकों को निवास का स्थान देने के लिए बनाई है। इसका उद्घाटन शीघ्र ही किया जायगा। बहाला (कलकत्ता) में भी नाविकों के लिए एक होस्टल के लिए नक्शे बनवाए गए हैं। गत वर्ष वम्बई में नाविकों के लिए कैन्टीन खोली गई थी।

नौद्यात्रों का प्रशिक्षण

काम सिखाने का जहाज 'डफरिन' ६० एम्जीक्युटिव नौद्यात्रों (कैडेटों) को प्रशिक्षित करता है। अगस्त १९४९ में जहाजी एंजी-नियरिंग सिखाने की नई योजना के अनुसार ५० एंजीनियर अप्रैन्टिसों को वर्कशीप में काम सिखाना आरंभ किया गया। २५ को बम्बई में और २५ को कलकत्ता में। बम्बई के नौटिकल एण्ड एंजीनियरिंग कालिज ने लगभग ९० एम्जीक्युटिव कैडेटों को अप्रैन्टिस स्कीम के अनुसार समुद्र-प्रवेश से पहले के कामों में प्रशिक्षित किया है और लगभग १०० उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा पास करने में सहायता दी है।

नाविकों का प्रशिक्षण

व्यापारिक जहाजों के नाविकों की शिक्षण कमेटी ने सिफारिश की कि नाविकों को भमुद्र में भेजने से पहले प्रशिक्षित करने के लिए तुरंत ही एक ऐसा संगठन बनाया जाय जो जहाज और नट दोनों स्थानों पर उन्हें प्रशिक्षित करे। इस संस्था के लिए आवश्यक जहाज और स्थान प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा है। इस बीच १० जून १९५० से एक योजना छोटे पैमाने पर आरम्भ की गई है जिसके अनुसार कलकत्ता में 'इंडी फ्रेजर' जहाज पर ६० नाविकों को भमुद्र में जाने में पहले का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रकाशन्तरम्

१० प्रकाशन्तरम् में प्रकाश को मुदारने का नियन्त्रण किया गया है। इनमें से पहले अर्नाल्डा, भत्तकल्ल और विजगापट्टम (टोन्डिन नंगा) का मुदार द्वाय में लिया जाएगा।

भारत का नया मानवित्र

भारतीय रियासतों को देश में मिलाने और उनका शासन लोकतान्त्रिक बनाने की प्रक्रिया १९४९-५० में पूरी हो गई। भारत के ५०० से ऊपर के रजवाड़ों को जो कि शेष देश से अलग करे हुए पड़े थे और जिनमें अनेक प्रकार की सामन्ती और निरंकुश शासन प्रणालियां प्रचलित थीं, या तो पहले के प्रान्तों में मिला दिया गया या प्रथक स्वतंत्र इकाइयों में संगठित कर दिया गया। आज भारतीय गणतंत्र की १५ इकाइयां ऐसी हैं जिनमें भूतपूर्व रजवाड़ों को पहचाना जा सकता है, परन्तु वे सब मिलकर ऐसी सम्मिलित इकाइयां बन गए हैं कि उन्हें अन्य लोकतान्त्रिक इकाइयों से सुगमतापूर्वक प्रथक नहीं रखा जा सकता।

भारत के रजवाड़ों के अधिकार विभिन्न थे और उनके साधन इतने अपर्याप्त थे कि वे अपनी प्रजा को आवश्यक सामाजिक सेवाएं और सुविधाएं तो प्रदान कर नहीं सकते थे, शासन के वर्तमान स्तर तक भी नहीं पहुँच सकते थे। राजनीतिक और प्रशासनिक खण्डों की वहुसंख्या के कारण न्याय करने में और कानून तथा अमन की रक्षा में वाधाएं पड़ जाती थीं। भूमि-व्यवस्था की आश्चर्यकारी विविधता के कारण शासन और संविधान में एकता होना संभव नहीं था। रजवाड़ों के भारत में आर्थिक संभावनाओं का समन्वित विकास और किसी प्रकार की वास्तविक उन्नति प्रायः असंभव थी। रियासतों के भारत में विलीन हो जाने से ये उलझनभरी आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं हल हो गयीं हैं। रजवाड़ों में कुछ विशिष्ट

वर्गों को टैक्सों से छूट, अदालती और अर्ध-अदालती विशेषाधिकार और व्यापारिक एकाधिकार आदि देने की जो जागीरी परम्परा पहले प्रचलित थी उनके लिए नई व्यवस्था में कोई स्थान नहीं रहेगा। आज भारतीय संघ की सब इकाइयां एक दूसरे के समान हैं और सबकी संवैधानिक रचना प्रायः एक-सी है।

देश के स्वतंत्र होने पर रजवाड़ों में राजाओं की स्वेच्छाचारिता जारी थी। कुछ एक रियासतों में वह लोकतंत्र की पतली चादर सी ढकी हुई थी। अब सब अधिकार रियासतों की प्रजाओं के हाथों में आ गए हैं। वे न केवल यह अनुभव करती हैं कि शक्ति हमारे हाथ में आ गई है, अपितु उनके जीवन का कम भी बदल गया है और प्रत्यक्ष रूप में पहले से अच्छा हो गया है।

जो रियासतें प्रांतों में विलीन हुयीं थीं उनकी जनता के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध राज्यों की विधान-सभाओं (लेजिस्लेटिव असेम्बलियों आदि में) के लेने की व्यवस्था करदी गई। १९४९ में रियासतों को गवर्नरों के प्रांतों में मिलाने की जो आज जारी की गयी थी उसके अन्य विधान ये थे :

(१) जो रियासतें प्रांतों में विलीन हुई हैं उनका शासन सब प्रकार ऐसे ही किया जायगा मानो कि वे विलयकारी प्रांत का पहले से अंग थीं।

(२) इन ग्नियामनों में प्रनलिन नव कानून, यहाँ तक की नवमटा-प्रोविन्शियल रिप्प्रिंसिपियल १९४७ के अनुमान जारी की गई आजाएँ भी, जब तक कि वे हटाने दिए जायें अथवा मंशोधित न कर दी जाएँ तब तक यथापूर्व जारी रहेंगे।

वाद में २९ नवम्बर १९४९ और ३१ दिसम्बर १९४९ को उत्तरप्रदेश और कूचविहार की रियासतों के विषय में संशोधित आज्ञाएं जारी की गईं।

राज्यों की विधान-सभाओं में विलीन रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित करके उन्हें विस्तृत कर दिया गया। इस प्रकार बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, विहार और पश्चिमी बंगाल की विधान-सभाएं विस्तृत की गयीं। इन सबमें विलीन रियासतों की जनता के १३२ अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए।

गणतंत्र का आरंभ हो जाने पर और नये संविधान के लागू हो जाने पर रियासतों को प्रांतों में मिलाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब विलीन रियासतें अपने प्रतिनिधि राज्यों की विधान-सभाओं में ठीक उसी प्रकार भेज सकेंगी जिस प्रकार पहले के प्रान्तों के अन्य प्रदेश।

चीफ कमिश्नरों के प्रान्त

पहली अगस्त १९४९ से एक अन्य आज्ञा, स्टेट्स मर्जर (चीफ कमिश्नरस प्रौविन्सेज) और्डर १९४९ नाम से, केन्द्र द्वारा शासित रियासतों पर लागू की गयीं। इसके पश्चात इन रियासतों के साथ चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की भाँति व्यवहार किया जाने लगा। जो कानून उक्त आज्ञा आरंभ होने के समय इन प्रान्तों में जारी थे वे सब तब तक जारी माने जायेंगे जब तक कि उनको रद्द अथवा संशोधित न कर दिया जाय। एकस्ट्रा-प्राविन्शियल ज्यूरिडिक्शन ऐकट १९४९ के अनुसार जारी की हुई

आज्ञाओं को भी उनके हटने तक जारी माना जायगा । यह आंज्ञां जारी होने के पश्चात केवल केन्द्रिक संसद (पार्लमेंट) इन चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के लिए कानून बना सकती अथवा किसी कानून को इनमें लागू कर सकती या उसका अधिकार-क्षेत्र बढ़ा सकती है ।

दिसम्बर १९४९ में संसद ने एक कानून पास करके कुछेक अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रिक कानूनों को नए बनाए हुए चीफ कमिश्नरों के प्रांतों पर और इन प्रांतों में विलीन रियासतों पर लागू कर दिया ।

तब से नए बनाए हुए चीफ कमिश्नरों के प्रांतों की शासन व्यवस्था में खासी उन्नति हो चुकी है । इन प्रांतों के न्याय-विभागों का पुनर्गठन किया गया और अब इन राज्यों में ज्युडिशियल कमिश्नरों के आधीन ऐसी अदालतें स्थापित कर दी गयीं हैं जिनके अध्यक्ष न्याय विभाग के योग्य अधिकारी होते हैं । कुछेक पुराने अप्रयुक्त कानूनों को हटा दिया गया और अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रिक और प्रांतिक कानून उनमें लागू कर दिए गए । नाल्कालिक आवश्यकता के कई देहाती मुद्दार किए गए, विशेषतः हिमाचल-प्रदेश और कर्नाटक में आवागमन के नामनों के मुद्दार की ओर विशेष ध्यान दिया गया, विशेषतः हिमाचल प्रदेश और बिहार में ।

केन्द्र द्वारा शामिल प्रदेशों में शासन संसद के प्रति उत्तरदायी है । उनके अनिवार्यीक चीफ कमिश्नर की महायता के लिए नाल्कालिक योगिते मंगठित की गयीं हैं । इन कोगितों में बनाना के प्रतिनिधियों का बहुमत गहना है । ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी न्यायिक रूपदायी गयी हैं । उन प्रकार की

कोंसिले संविधान के भाग 'ग' के अधिकतर सब राज्यों में स्थापित करने का निश्चय किया है।

रियासतों के संघे

रियासतों के संघों में सर्वथा नए शासनों का गठन करना अति कठिन समस्या थी। इस कठिनाई का अनुभव करके भारत सरकार ने इन संघों को विशेषज्ञ मलाहकारों की सेवाएं प्रदान कीं और चीफ सेक्रेटरी, फाइनैन्शल, सैक्रेटरी और इन्सपैक्टर जनरल पुलिस सरीखे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए अ०-भा० सर्विसों के उच्च अधिकारियों को वहाँ भेजा। भारत सरकार ने इन संघों की उन्नति पर निरन्तर ध्यानपूर्ण द्रष्टि रखी और उन्हें यथासंभव सब प्रकार की सहायता दी।

सब संघों में न्याय-व्यवस्था को पुनर्गठित करने के उपाय किए गए। सब संघों में प्रान्तिक हाईकोर्ट के समान हाईकोर्ट संगठित किए गए। उनके कानूनों को प्रान्तों में प्रचलित कानूनों के समान बनाने के लिए पुनः क्रमवद्ध किया गया। हाईकोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन और बोर्ड आफ रेवन्यू बनाने के लिए आडिनैन्स जारी किए गए। आन्तरिक सीमा कर उठा देने और रिश्वत तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी आवश्यक कानून लागू किए गए।

अब सब संघों में पूर्णतया गठित सरकारी दफ्तर सैक्रेटेरियट काम कर रहे हैं। परन्तु अधिकतर संघों की सरकारें अपने कायलियों में विलीन होने वाली रियासतों के सैक्रेटेरियटों के कर्मचारियों से ही काम लेती रहीं। सम्मिलित होने वाली विविध रियासतों के कर्मचारियों के वेतनों और योग्यताओं आदि में बहुत

अन्तर था। इस कारण विविध नौकरियों की श्रेणियां समान वेतनादि के आधार पर बनाना कठिन कार्य था। सैक्रेटरियों के उच्च कार्यकर्ताओं का प्रारंभिक चुनाव करने के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटियां बिठाई गयीं। पेप्सू (पटियाला तथा-ईस्ट पंजाब स्टेट्स मूनियन) और मध्य भारत में नौकरियों का संगठन प्रौद्योगिकीयल सिविल सर्विसों के आधार पर किया गया है।

रियासतों के संघों में जहां कहीं संभव हुआ वहां लोकप्रिय अन्तरिम मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। सीराप्ट, कोचीन-और त्रावनकोर मध्य भारत के संघों में विधान सभाएं काम कर रही हैं और उनके मंत्रिमंडल इन विधान-सभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

मैमूर और जम्मू तथा काश्मीर में लोकप्रिय सरकारें पहले भी काम कर रही हैं। हैदराबाद में हाल में लोकप्रिय प्रतिनिधि भी मंत्रिमंडल में शम्मिलित किए गए हैं।

गजप्रसूओं के राज्यों का संविधान लगभग ऐसे ही हैं जैसे कि राज्यपालों (गवर्नरों) के राज्यों के। और ? अप्रैल १९५० से तो राजस्वी मामलों में भी पूरी समानता पर आवश्यक ही रहा है।

राजाओं की निजी सम्पत्ति

राजाओं की निजी सम्पत्तियों का प्रश्न तब करने की प्रक्रिया दिल्ली की प्रशिक्षा के युद्ध समय पर्यावरण ही आरंभ हो गई। तो

मामले बचे हुए थे उनमें से अधिकतर इस वर्ष तय हो गए । अब बहुत थोड़ी संख्या तय होने से बच गई है ।

रियासत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, सम्बद्ध राजाओं और प्रांतों अथवा संघों की सरकारों के प्रतिनिधियों में परस्पर बातचीत के पश्चात राजाओं की सम्पत्तियों का बंटवारा अन्तिम रूप से हो गया है । सबके लिए सर्वथा एक-सा दर्जा निश्चित कर देना कठिन था । परन्तु सब मामलों में जनता के हितों को सर्वोपरि ध्यान रखा गया । जो मामले तय किए गए उनका संबंध महलों, रहने की इमारतों, खेतियों और वागों, निजी जेब-खर्चों, (प्रिवी पर्सों) लगाई हुई पूँजी, नक़दी, वंश परम्परागत जवाहरात राज-वंश के व्ययों (सिविल लिस्ट), रिजर्व फंड और धर्मदान जायदादों से था ।

रियासतों का शासन हाथ में लेते हुए, नई सरकारों को लगभग ७० करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और लगी हुई पूँजी प्राप्त हुई । निजी सम्पत्ति का प्रश्न तय करते हुए राजाओं ने लगभग साढ़े ४ करोड़ रुपये के निजी दावों को छोड़ दिया ।

राजाओं के निजी खर्च

सब विलीन और सम्मिलित रियासतों के राजाओं के लिए निजी खर्च निश्चित कर दिए गए हैं । इनमें मैसूर और हैदराबाद भी शामिल हैं । इनकी भारत की संचित निधि (कन्सोलिडेटड) फंड से अदायगी की संविधान में गारंटी दी गई है । राजाओं का निजी खर्च तय करते हुए उसका आधार यह रखा गया है कि सम्बद्ध रियासत की औसत वार्षिक आमदनी के प्रथम दस हजार

का १५ प्रतिशत, अगले ४ लाख का १० प्रतिशत और उसके पश्चात् ५ लाख से ऊपर की आमदनी का साड़े सात प्रतिशत। इस राशि का अधिकतर परिमाण १० लाख रुपये नियत किया गया है। इस अधिकतम सीमा का उलंघन केवल कुछ बड़ी रियासतों के मामले में किया गया है। परन्तु उनके लिए नियत राशि केवल वर्तमान राजाओं के जीवन-काल में दी जायगी। जैसा कि भारत के उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कहा था “निजी खर्च उस रक्त-हीन धर्मांति का ढोटा-सा मूल्य है जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों के भविष्य पर पड़ेगा। और यह रियासतों की प्रथक इकाई के रूप में समाप्ति करते हुए राजाओं ने अपने शासन के अधिकारों का जी त्याग किया है उसका एक प्रकार का बदला है”।

रियासतों की सेनाएं

१५ अगस्त १९४७ के पूर्व तक ४८ रियासतों की अपनी सशस्त्र सेनाएं थीं। परन्तु रियासतों के विलय के पश्चात् इन सेनाओं को अन्तिम रूप ने भारत की सशस्त्र सेनाओं में मिला दिया गया।

कच्छ कोल्हापुर, बड़ोदा, और गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश की रियासतों की रियासती फोर्जें पहले ही भारतीय स्वल्प मेना में मिलाई जा नुकीं थीं। अन्य विद्युत रियासतों की सेनाओं को अब मिलाया जा रहा है। मंगूर, हैदराबाद और काश्मीर की रियासती मेनाओं को तुलना ही भारतीय स्वल्प मेना के मामावेश के प्रार्थीने द्वारा निष्ठनय कर दिया गया है।

प्रायः कोर, पठियाला वंशाव रियासत गंध, कोनीन, गजम्बान, मोरादु और पट्टमान वंश मेनाएं अब भी राजप्रमुखों के

आधीन हैं। इनके सिवाय अन्य सब रियासती सेनाएं भारतीय स्थल-सेना के समादेश के सीधे आधीन हो चुकी हैं। उक्त राज्यों में भी राजप्रमुखों का अधिकार भारत सरकार के आदेशों द्वारा नियंत्रित है।

गत दो वर्षों में जो विचार-विनिमय हुए उनमें उनकी स्थिति के विषय में अन्तिम समझौता हो गया। इस समझौते की मोटी मोटी बातें ये हैं।

(१) ये सेनाएं भारतीय स्थल-सेना के एक अधिकारी के आधीन रहेंगी। उस अधिकारी की सेवाएं इसी प्रयोजन के लिए राजप्रमुख को ऋण रूप में दी जायेंगी।

(२) इन सेनाओं की संख्या और संगठन का निश्चय यह देख कर किया जायगा कि देश की रक्षा में उनका भाग कितना है।

(३) इन सेनाओं का पुनर्गठन भारतीय स्थल सेना के नमूने पर होना चाहिए।

(४) इन सेनाओं के अधिकारी भी उसी प्रकार और उसी विधि से चुने जायेंगे जिस प्रकार भारतीय स्थल-सेना के। उनका चुनाव भारत सरकार करेगी और उनकी नियुक्ति अपने अपने संघों में राज प्रमुख करेंगे।

(५) उनकी तरकियां उन्हीं नियमों के अनुसार की जायेंगी जो भारतीय स्थल-सेना में लागू होते हैं।

और (६) भारतीय स्थल-सेना और रियासतों की सेनाओं में अंधिकारियों का आदान प्रदान होता रहेगा।

रियासतों की सेनाएँ, जिस क्षेत्र में संघ स्थित हैं उस क्षेत्र की भारतीय स्थल-सेना के समादेष्टा (कमाण्ड) के आधीन रहती हैं।

पुनर्गठन की प्रक्रिया १९५१ के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है और उसके पश्चात भारतीय संघ और रियासतों की सेनाएँ सब दुष्टियों से भारतीय स्थल-सेना की इकाइयों के समान हो जायेंगी। रियासतों और भारत सरकार में हुए आर्थिक समझौते के अनुसार इन सेनाओं का व्यव भारतीय कोष से किया जायगा।

अ० भा० सेवाओं का विस्तार

भारत के नमस्त शासनों को एकत्र संगठित करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि अ० भा० सेवाओं का विस्तार रियासतों के संघों और रियासतों की अन्य इकाइयों में भी हो गया है। इस योजना के सिद्धांतों का नियचय जुलाई १९४९, में चीक सेक्रेटरियों के एक सम्मेलन में हुआ था और पूरी योजना बाद को गृह-मंत्रालय ने तैयार की थी। इसके अनुसार हैदराबाद, गोवान, मध्यभारत, मैसूर और प्रावनकोर कोनीन के लिए ५ ब्यतंत्र 'कैटर' बनाए गए हैं। विद्युतप्रदेश और मध्यप्रदेश, नौगांव और वस्तर्व और पटियाला रियासत मंघ और पंजाब के लिए तीन नये कैटर।

(८) ये कैटर वर्तमान उम्मीदवार आई० ए० एम० (इन्डियन प्रॉफिलिनिंग्स लिमिटेड) के 'कैटर' में गमिलित लिए जाने यादे हैं उनमें ने श्रीन-

(९) गालाकिंग प्रावनकोर के लिए जो योजना गंवितान में भाग 'र' में दर्शित गयी है पर लागू हो रही है उसके

अनुसार खुले रूप में भरती से की जायगी। इस योजना के मुख्य मुख्य सिद्धांतों का सब संघों और रियासतों ने स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार की एक योजना पर इण्डियन पुलिस सर्विस के लिए भी अमल हो रहा है।

'क' के विषय में रियासतों की ओर से जो सिफारिशें आयीं हैं उन पर भरती का विशेष बोर्ड विचार कर रहा है। वह उम्मीदवारों से इन्टरव्यू करना आरंभ कर चुका है।

बीच में आए हुए भूमि-भागों का विनिमय

रियासतों के जो छोटे छोटे भूमि भाग प्रान्तों के क्षेत्र में विद्यमान थे और उससे उल्टे प्रांतों की जो भूमियाँ रियासतों में थीं अथवा एक रियासत का जो भाग दूसरी रियासत में पड़ जाता था, उनके कारण शासन में विशेषतः कानून और अमन को कायम रखने में और प्रांतों और रियासतों में नियंत्रण (कन्ट्रोल) की जो आज्ञाएं जारी थीं उनका पालन कराने में बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए भारत सरकार ने बीच बीच में आए हुए इन भूमि-भागों को पड़ोस के प्रांतों या रियासतों में सम्मिलित कर देने का निश्चय किया। इन प्रस्तावों पर प्रांतों और संवद्ध रियासतों की सरकारों की प्रादेशिक वैठकों में विचार किया गया। अन्त को संवद्ध सरकारों और रियासती मंत्रालय में विचार के पश्चात अंतिम निर्णय हो गया। इन निर्णयों पर अमल करने के लिए दो आज्ञाएं जारी की गयीं। उनके नाम हैं : (१) द प्रौविन्सेज एण्ड स्टेट एवसौर्झन आफ ऐन्कलेब्ज आर्डर १९५० अर्थात् प्रांतों और रियासतों में बीच बीच में छूटी हुई भूमियों को मिलाने की आज्ञा, १९५० और (२) द इण्डियन एण्ड हैदरावाद एक्सचेन्ज आफ ऐनकलेब्ज आर्डर

१९५० अर्थात् हैदराबाद और भारत में बीच में आई हुई भूमियों को मिलाने की आज्ञा, १९५० इन आज्ञाओं की मुख्य वातें ये हैं : बीच की भूमियां उन इकाइयों का अंग रहेंगी जिनमें वे शामिल की गई हैं। जिन इकाइयों से वे भूमियां ली गई हैं, उनके कानूनों की जगह मिलाने वाली इकाइ के कानून लागू हो जायेंगे, और मिलने वाली भूमियों से सम्बद्ध जायदादें, लेनदारियां व देनदारियां और अधिकार और जिम्मेवारियां मिलने वाली इकाइयों की सरकारों की हो जायेंगी।

संघ का आर्थिक एकीकरण

१९४७ से पहले भारतीय रियासतों को, यथास्थित समझीत द्वारा प्रभावित कुछ मामलों को छोड़कर, कस्टम इन्कम टैक्स, रेलवे, डाक और तार आदि सब आर्थिक और टैक्सों के मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति पर चलने की स्वतंत्रता थी। प्रांतों के विरासीत, नियामनें और उनके संघ, रक्षाभारीने अनेक संघीय घर्यों को अब भी छोड़ दें हैं। उनमें से कई रियासतें आंतरिक राष्ट्रम् एकटियों ने गान्धी आमदनी करती हैं। इन कारण संघ के अधिक एकीकरण में अनेक कठिनाइयां थीं। परन्तु देश की प्रक्रिया के किए गंभीर अर्थ के दाने और शानन में सर्वथा एकता का दोनों अवसर या।

राष्ट्रीय प्रेस १९५० में नियामनों और गंभीर आविष्कार मामलों का प्रक्रियालय प्रस्ताव में आ रहा है। यह प्रक्रियालय श्री शीर्षोदीप राजभास्तरी हे नामांकित में चिरांति सर्व भारतीय नियामन राज्यसभा सभा मर्मिता (इन्हें एट लाइब्रेरी इन्सिटिउट ऑफ़ एक्सामिनरी एम्प्रेस्ट) द्वारा चिरांति के द्वारा दर दिया रखा है। यह अनेकों २२ अक्टूबर

१९४८ को नियुक्त की गई थी और इसने जून और जुलाई १९४९ में पांच रिपोर्ट पेश कीं। भारत सरकार ने उनकी सिफारिशों पर विचार किया और संबद्ध रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ उन पर चर्चा की। इन वातचीतों के पश्चात जो सम्मत निर्णय किए गए उनको अक्तूबर १९४९ में एक संक्षिप्त स्मृति पत्र में लेखबद्ध किया गया।

इस कमेटी ने आर्थिक एकीकरण का आधार निम्न प्रस्तावों को माना:—

- (१) केन्द्रिक सरकार रियासतों में भी उन्हीं कर्तव्यों का पालन करे और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करे जिनका वह प्रांतों में करती है।
- (२) केन्द्रिक सरकार रियासतों में भी प्रांतों की भाँति अपने शासनपालिका (एम्जीक्यूटिव) संगठनों की मार्पितकाम करे।
- (३) प्रांत और रियासतें केन्द्रिक सरकार के कोष में जो हिस्सा अदा करें उसका आधार एक-सा और समान होना चाहिये।
- (४) केन्द्रिक सरकार प्रांतों और राज्यों की संघीय टैक्सों के विभाजन, ग्रांटों, सहायताओं और अन्य आर्थिक तथा टैक्सिकल सहायताओं के रूप में जो सम्मिलित सेवा करती है वह प्रांतों और रियासतों दोनों के लिए समान होनी चाहिए।

इन प्रस्तावों को रियासतों ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। रियासतों के सुझाव पर भारत सरकार ने इस अतिरिक्त विचार को स्वीकार किया: “रियासतों के संघों को अपने शासनों और

(च) यह ठोक है कि रियासतों की सब 'संघीय' आमदनियों को केन्द्रीय आमदनियों के साथ मिला देने से उनकी आर्थिक स्थिति के रद्दोबदल में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगीं। उन्हें हल करने का उपाय यह है कि इस परिवर्तन के कारण जो गड़बड़ हो उस सबका एक अन्दाजा लगा लिया जाय। उसके पश्चात केन्द्र और रियासतों में, संघीय संविधान द्वारा परिवर्तन-काल के लिए, विविध आमदनियों का आवश्यक भुगतान किया जा सकता है।

भारत सरकार ने कमेटी के इस विस्तृत विश्लेषण और सिफारिशों को, रियासतों के साथ किए गए विचार-विनिमय को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया।

संघीय राजस्वी एकीकरण से जो लाभ हुए उनका सुगमता से वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे उन आर्थिक और वित्तीय विरोधों का अन्त हो जायगा जो कि वर्तमान परिस्थिति में बार बार दिखलाई देते हैं। "टैक्सों के लगाने और वसूल करने की नीति, सिद्धांत और व्यवहार में एकता आ जाने के कारण कानून, दरों, संघीय आर्थिक कार्रवाइयों की व्याख्या और शासन में एकता दिखलाई देने लगेगी। जो लोग टैक्स देने से बच जाते हैं उन पर कार्रवाई अधिक प्रभावशाली हो सकेगी। आन्तरिक कस्टम ड्यूटियां उठा देने से देश में व्यापार अधिक स्वतंत्रता से हो सकेगा। व्यापार और टैरिफ की नीति एक सी और समन्वित हो जाने से देश में सर्वत्र उसका प्रभाव एकसा होगा। बन्दरगाह और देश के मार्गों तथा यातायात की व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण

इन इलाकों की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास कर देने के पश्चात अपने हाथ में ले लिया ।

“नये संविधान के अनुसार भारत के न्याय विभाग का समस्त ढाचा सर्वोच्च न्यायालय (सुर्पीम कोर्ट) की आधार शिला पर खड़ा किया गया है । सर्वोच्च न्यायालय कानून की जो व्याख्या करेगा वह भारत के समस्त प्रदेशों में सब न्यायालयों के लिए मान्य होगी । रियासतों के एकीकरण से उनको भी अपने न्याय-विभाग का पुनर्गठन करने में सहायता मिली । इस समय सब रियासतों और रियासत-संघों में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) काम कर रहे हैं । मात्रहत न्यायालयों के पुनर्गठन में भी काफी उन्नति हो चुकी है । जिन रियासतों का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है उनमें ज्यूडिशियल कमिश्नरों के कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं और इस प्रकार का कानून पास कर दिया गया है जिससे कि उनकी अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकें । हाईकोर्ट के जजों के वेतन और कार्यकाल के विषय में अस्थायी प्रकार की व्यवस्था को छोड़ कर संविधान के भाग (ख) के राज्यों के न्याय-विभाग ठीक वैसे ही है जैसे कि भूतपूर्व प्रांतों के । राज्यों के हाईकोर्टों के जजों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) की सलाह से राष्ट्रपति करेगा ।”

संघ सरकार को संविधान अधिकार देता है कि वह भाग (ख) की रियासतों का परिवर्तन-काल में निरीक्षण कर सकती है । इससे केन्द्रिक सरकार को नवसंगठित इकाइयों में एकीकरण की प्रक्रिया के आदेश देने और वहां का शासन सुधारने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इस उत्तरदायित्व के निवाहि के लिए भारत सरकार

सावन, अपने पीछे की भूमियों की सेवा अधिक स्वतंत्रता से कर सकेंगे। राष्ट्रीय और प्रादेशिक आर्थिक योजनाएं अखिल भारतीय आधार पर बनाई जा सकेंगी। इस और अन्य दृष्टियों से रियासतें भी अपना भाग अदा करेंगी और वे उन लाभों की अधिकारी हो जायंगी जो कि केन्द्रिक साधनों और टैक्निकल सहायता द्वारा चलने वाली योजनाओं से होंगे।”

केन्द्र के साथ सम्बन्ध

भारत के नवीन संविधान के अनुसार रियासतें भारतीय संघ की समान इकाइयां हैं।

परिवर्तन काल के अतिरिक्त केन्द्र के साथ रियासतों का संवैधानिक संबंध और उनका आन्तरिक गठन प्रांतों के समान ही है। परन्तु जम्मू तथा काश्मीर के विषय में कुछ विशेष विवाद हैं। उनके अनुसार, केन्द्र का अधिकार क्षेत्र संविधान की संघीय और समर्त्ति सूचियों के उन मामलों तक सीमित हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति रियासत की सरकार के साथ सलाह के बाद प्रवेश-पत्र की घर्तों से संगत घोषित करेगा। हैदराबाद के विषय में निजाम ने एक घोषणा करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया, परन्तु एक घर्तं यह रखी कि उसका यह निर्णय अन्तिम हृष से नभी माना जायगा जब कि रियासत की प्रजा अपनी संविधान-सभा द्वारा केन्द्र के और उनके संविधान के साथ अपने संवंधों के निश्चय की घोषणा कर देनी। झूनागढ़, मानवदार, मांगरोल, दांतवा, वावरियादाट और ज़रदानगढ़ के शासनों को सीराष्ट्र सरकार ने फरवरी १९८८ में उन नियान्तों में जनसत-मंग्रह के और

इन इलाकों की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास कर देने के पश्चात अपने हाथ में ले लिया ।

“नये संविधान के अनुसार भारत के न्याय विभाग का समस्त ढाचा सर्वोच्च न्यायालय (सुर्प्रीम कोर्ट) की आधार शिला पर खड़ा किया गया है । सर्वोच्च न्यायालय कानून की जो व्याख्या करेगा वह भारत के समस्त प्रदेशों में सब न्यायालयों के लिए मान्य होगी । रियासतों के एकीकरण से उनको भी अपने न्याय-विभाग का पुनर्गठन करने में सहायता मिली । इस समय सब रियासतों और रियासत-संघों में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) काम कर रहे हैं । मातहत न्यायालयों के पुनर्गठन में भी काफी उन्नति हो चुकी है । जिन रियासतों का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है उनमें ज्यूडिशियल कमिशनरों के कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं और इस प्रकार का कानून पास कर दिया गया है जिससे कि उनकी अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकें । हाईकोर्ट के जजों के वेतन और कार्यकाल के विषय में अस्थायी प्रकार की व्यवस्था को छोड़ कर संविधान के भाग (ख) के राज्यों के न्याय-विभाग ठीक वैसे ही है जैसे कि भूतपूर्व प्रांतों के । राज्यों के हाईकोर्टों के जजों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) की सलाह से राष्ट्रपति करेगा ।”

संघ सरकार को संविधान अधिकार देता है कि वह भाग (ख) की रियासतों का परिवर्तन-काल में निरीक्षण कर सकती है । इससे केन्द्रिक सरकार को नवसंगठित इकाइयों में एकीकरण की प्रक्रिया के आदेश देने और वहां का शासन सुधारने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए भारत सरकार

ने रियासतों के संघों में प्रादेशिक कमिश्नर नियुक्त किए हैं जो कि केन्द्रिक सरकार के एजेंटों और राजप्रमुखों के सलाहकारों के रूप में काम करते हैं। रियासत-संघों के सरकारों के सलाहकार भी केन्द्र की सलाह से नियत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने रियासत-संघों के महत्वपूर्ण पदों के लिए उच्च अनुभवी अधिकारी क्रृष्ण के रूप देने की व्यवस्था की है। महत्वपूर्ण कानून और वजट अन्तिम रूप में स्वीकार करने से पहले केन्द्रिक सरकार को दिखला लिए जाते हैं। ये सब व्यवस्थायें अस्थायी रूप में हैं। और इनका प्रयोजन यह है कि रियासतें और केन्द्र देश के व्यापक हितों और सुख-मुक्तियों की मिलकर उन्नति कर सकें और रियासत-संघ अपनी उन्नति में न्यूनता को पूरा कर सकें।

ठीक प्रकार देखा जाय तो रियासतों का एकीकरण एक महत्वपूर्ण सफलता होते हुए भी, सफलता की अपेक्षा एक सुयोग ही है। रियासतें अब एकीकरण की अवस्था में आ गई हैं। उनमें शासन की आधुनिक पद्धति का आरम्भ सर्वथा आरम्भ से करना पड़ेगा। एक मुमंगठित शासन पद्धति के अतिरिक्त वहाँ न्योक्तांश्विक उत्तरदायित्व का भी आरम्भ करना होगा। यह कार्य आगम हो चुका है, परन्तु अभी वहुत कुछ करना चाहिए है। “उस काम में हमें निनते वाले नज़ के समान धैर्य की आवश्यकता है उसके लिए योजना-निर्माण की दूर दृष्टि और दृजीनियर की कुम्हन्ना भी अवशिष्ट है”।

न्योक्तांश्विक भारत का प्रानाद नाजाओं और जनता के नम्मनित और समन्वित प्रवक्तनों की नींव पर बढ़ा किया गया है।

श्रमिकों का भविष्य-निर्माण

श्रम-मंत्रालय ने भारत के श्रमिकों की अवस्था सुधारने और मालिकों और मजदूरों के संबंध अधिक अच्छे बनाने के लिए अनेक उपाय किए ।

केन्द्रीय श्रम सलाहकार कौंसिल (सैन्ट्रल एडवायजरी-कौंसिल आफ लेवर) ने एक कमेटी उचित मजदूरी की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियत की थी । इस कमेटी ने कई सफल वैठकों के पश्चात् जो रिपोर्ट पेश की उसे उक्त कौंसिल ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और उस पर अमल करने की सिफारिश की । उन सिफारिशों पर अमल करने के लिए एक विल तैयार किया गया है ।

जिन कारखानों में १०० या इससे अधिक आदमी काम करते हैं उनमें काम की अवस्थाएं सुधारने वाली कमेटियां (वर्क्स कमेटियां) संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया गया । सितंबर १९४९ तक केन्द्रीय सरकार के कारखानों में ३०० से अधिक वर्क्स कमेटियां संगठित की जा चुकी थीं । कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने आधीन क्षेत्रों के कारखानों में वर्क्स कमेटियां संगठित करने के उपाय किए हैं । सैन्ट्रल एडवायजरी कौंसिल इस नतीजे पर पहुँची है कि उत्पादन-सम्बन्धी समस्याओं के हल का काम भी

नोट :—उपर जो उद्धरण दिए गए हैं वे सब रियासतों के विषय में प्रकाशित 'ह्वाइटपेपर' से लिए गए हैं ।

व्यवस्था की गई। उनके नाम हैं : समझौता कराने वाले स्थायी बोर्ड (स्टैण्डिंग कन्सिलिएशन बोर्ड) मजदूरों की अदालतें (लेवर कोर्ट) और अपीलों की अदालतें (अपेलेट ट्रिब्यूनल)। यह विल परिस्थितियों में कुछ कारखानों में मजदूरों की घटनी, मन्द गति से काम करने की रीत और कुछ कारखानों पर कुछ अवस्थाओं में सरकारी नियंत्रण के संबंध में भी व्यवस्था करता है। विल में अदालतों के फैसले पर प्रभावशाली रूप से अमल कराने की भी व्यवस्था है।

ट्रेड यूनियन विल का प्रयोजन असली ट्रेड यूनियनों को विकसित करना और बलवान बनाना है। ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर्ड कराने के नियम अधिक स्पष्ट कर दिए गए हैं, जिससे कि फालतू ट्रेड यूनियन न बन सकें। ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी बाहर के व्यक्ति पहले से कम संभ्या में बन सकेंगे। उनके स्थान पर स्वयं मजदूरों को ही अपनी ट्रेड यूनियनों के मामलों की व्यवस्था करने के लिए उत्साहित किया जायगा। सरकारी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के लिए विशेष नियम रखे गए हैं। चुनावों के बगड़े तय करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं।

१९३६ के मजदूरी समय पर देने के कानून (पेमेन्ट आफ वेजेश एक्ट) और १९४२ के चाय की खेतियों के दलाकों से बाहर जाने वाले मजदूरों के कानून (दी डिस्ट्रिक्टम प्रिमियरेण्ट लेवर एक्ट) को आज की अवस्थाओं के अनुसार बुधारा जा रहा है। बड़ी-बड़ी नेतियों पर काम करने वाले मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी एक कानून बनाने की बात विचाराधीन है। ११ मृत्यु १९५० को एक आठिनेंम जारी करने

१९४८ का न्यूनतम मज़दूरी कानून (मिनिमम वेजेस एक्ट) संशोधित कर दिया गया था। इस आडिनेंस द्वारा उक्त एक्ट की सूची के भाग एक में उल्लिखित रोज़गारों में न्यूनतम मज़दूरी तय करने की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है। संसद के आगामी अधिवेशन में इस आडिनेंस के स्थान पर एक एक्ट पेश करने का विचार है।

खेत-मज़दूरों की अवस्था की जाँच

श्रम-मंत्रालय ने राज्यों की सरकारों के सहयोग से खेत-मज़दूरों की अवस्थाओं की जाँच करने का काम हाथ में लिया है। इस जाँच का प्रधान लक्ष्य यह है कि देश में खेत-मज़दूरों की कमाई, खर्च, रहन-सहन के स्तर और रोज़गार मिलने के अवसरों आदि का ज्ञान प्राप्त हो सके, और यह सोचा जा सके कि उनकी अवस्था एं सुधारने और १९४८ के न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार उनकी न्यूनतम मज़दूरी नियत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्यों की सरकारों, अर्थशास्त्रियों और तज्ज्ञों की सलाह और सहायता से एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई। मंत्रिमंडल के कार्यालय ने अपने विभागों के अर्थ-शास्त्रियों और आंकड़ों के विशेषज्ञों की जो स्थायी समिति नियत की थी उसने सलाह दी कि यह आर्थिक जांच भारत में अपने प्रकार की प्रथम होने के कारण इसे खण्ड-खण्ड करके और क्रमशः उनके क्षेत्र का विस्तार करते हुए करना उचित होगा। उसने सुझाया कि पहले पहल कुछ ग्रामों को चुन कर यह जाँचना चाहिए कि प्रश्नावली का अन्तिम रूप क्या रखा जाय, उनका उत्तर पाने

के लिए कितना समय लग सकता है और इस काम को करने के लिए ग्रामों में किस प्रकार के संगठन की आवश्यकता होगी।


आरंभ में आसाम, पश्चिमी बंगाल, विहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास और मैसूर के २७ गावों में जांच की गई। इस जांच से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर मूल प्रश्नावली में आवश्यक सुधार किया गया। निश्चय किया गया कि आवश्यक जातव्य कृषि के वर्तमान वर्ष के आधार पर एकत्र किया जाय। जांच का व्यय अधिक न बढ़ने देने के लिए जांच के ग्रामों की संख्या दो हजार से घटा कर ८०० कर दी गई, परन्तु जांच का अखिल भारतीय रूप परिवर्तित नहीं होने दिया गया। अब तक आसाम, विहार, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बुर्ग, दिल्ली मध्यप्रदेश, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ग्रावनकोर, कोचीन, उड़ीसा, पंजाब, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों की यूनियन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश, सीरापट्ट, अजमेर, भोपाल, जम्मू तथा काश्मीर और कच्छ में इस कार्य के लिए उकाइयां बनाई जा चुकी हैं।

बगोचे (बगानों) के मजदूर

बगानों के मजदूरों की अवस्थाएं अब तक अनियमित ही हैं। वे प्रत्येक राज्य में ही नहीं, विभिन्न जागीरों में भी विभिन्न हैं। भारत नरकार बगानों के मजदूरों की काम की अवस्थाएं जानने और नुस्खारने के लिए एक विद्युती जानकारीकरण कार नहीं है। बगानों की औद्योगिक कमिटी ने ऐसा कानून बनाने की गिफ्कागियां की हैं कि जिसने उन बगानों के मजदूरों की अवस्था नियमित की जा नहीं और उनके नियंत्रण-भने में दर्यनि वृद्धि की जा रही।


कनाडा की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जरी वटेवार भारतीय वस्त्रों का प्रदर्शन

INDIEN





विहार में अरिया कोयला यदानों के भूली नामक स्थान में गा
मजदूरों के लिए बनाए गए नये मकान



— अधिकारी गणेश विजयन यमिति की पाक बैठक



आम तीर पर यह माना जाता है कि एक ऐसा विस्तृत केन्द्रिक कानून होना चाहिए जो कि समस्त देश की बड़ी खेतियों पर लागू हो सके और उसे पहले-पहल नाय, काँकी, गवर और मिन्कोना की खेतियों पर लागू करना चाहिए। वगानों की अधिकारिक कमेटी इस बात पर सहमत है कि मज़दूरों के मकानों, डाक्टरी सहायता, जच्चा-बच्चों की मदद, वीमारी के भत्ते और सुख-सुविधाओं के लिए कानून बना कर व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार इस प्रकार के एक विल पर विचार कर रही है।

कछार की खेतियों में मालिक और मज़दूरों के संबंधों को अधिक विगड़ने से रोकने के लिए कछार की जिन चाय-खेतियों को नुकसान होता है उनकी अवस्थाओं की जाँच करने और उनमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी नियत की गई थी।

वेगार

एक अधिकारी को विशेष रूप से वेगार के विषय में वर्तमान विविध कानूनों का अध्ययन करने और उनमें सुधार सुझाने के लिए नियत किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों से प्रार्थना की है कि वे वर्तमान कानूनों में से आपत्तिजनक धाराओं को निकालने पर विचार करें। भारत सरकार खेत-मज़दूरों की अवस्थाएं जाँचने के साथ-साथ देश के विविध भागों में प्रचलित वेगार के विषय में भी जानकारी एकत्र कर रही है।

खान-मज़दूरों की सुख-सुविधाएँ

१९४९-५० में लगभग ६३ लाख रुपये कोयला-खानों के मज़दूर-सहायता कोष के साधारण सुख-सुविधा खाते से और

लगभग इतनी ही राशि मकान-खाते से व्यय की गई। यह कोप मजदूरों के लिए मकानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मलेरिया से बचाव और स्त्रियों तथा बालकों की सुख-मुविधाओं आदि के लिए है। खान-मजदूरों के लिए भूली (विहार) में, विजयनगर (पश्चिमी-बंगाल) में और दाल्ता (मध्य प्रदेश) में मकान बनाने की व्यवस्था की गई।

भूली के प्रस्तावित नगर में मजदूरों के लिए लगभग १,५०० क्वार्टर बनाए गए और १ लाख ६४ हजार रुपये प्रवंध संबंधी इमारतों, नगर प्रशासक के मकान और गोदामों तथा चौकीदारों आदि की इमारतों पर व्यय करने के लिए स्वीकार किए गए। घनबाद का हस्पताल पूरा होने वाला है। उसमें ११२ रोगियों को रखने की व्यवस्था है। इस हस्पताल का, चार अन्य प्रादेशिक हस्पतालों का और विहार तथा पश्चिमी बंगाल की कोयला-नानों में जो मानून्नत्याण केन्द्र पहले से विद्यमान हैं उनका निरीक्षण करने के लिए एक मैट्रिकल गुपरिंस्ट्रैट नियुक्त कर दिया गया है। कोयला-नानों के मजदूर-महायना दोष के कानून को तालिकर और तोग्या की कोयला-नानों पर आगे किया गया और कोयला-नानों के महायना नमिनर ने उन दलालों के बरेमान श्रमिक-गुप्त-विधान-गंगठनों की व्यवस्था अपने द्वाय में ले ली। अब उन दो गानों में गुप्त-महायना का दोष १३५० के दरमें दराम के लिए ३ लाख रुपये और विहार के लिए ५ लाख रुपये गा रखा गया है। उम द्वाय में दराम और विहार के अधर्षण-महायनों के लिए इन्हाँओं और मानून्नत्याण को नामाने का व्यवहार भी मन्त्रित है।

मार्च १९५० के अन्त तक लगभग ३ लाख कर्मचारी कोयला-खान प्रौद्योगिक फंड के सदस्य बन चुके थे और मालिकों और मज़दूरों ने मिल कर लगभग १ करोड़ ३० लाख रुपये इस फंड में जमा किए थे। कोयला-प्रौद्योगिक फंड योजना आसाम, तालचर, कोरिया और रीवां की कोयला-खानों पर भी लागू करदी गई है। धीरे-धीरे यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जायगी। लगभग ४० कोयला-खानों के मज़दूरों में तिमाही वोनस के रूप में बांटे गए। अप्रैल १९४९ में श्रम-संत्रालय ने औद्योगिक मज़दूरों के मकानों के लिए एक योजना तैयार करके राज्यों की सरकारों को भेजी। इस योजना में आवश्यक सुविधाओं सहित दो-दो-कमरे-वाले घर बनाने का सुझाव रखा गया है। इस कार्य के लिए केन्द्रिक सरकार पूँजी का दो-तिहाई विना व्याज के ऋण के रूप में और एक तिहाई राज्यों की सरकारें अथवा मालिक लोग ३ प्रतिशत सूद पर ऋण के रूप में देंगे। जब तक मकानों की वर्तमान न्यूनता रहेगी तब तक एक मकान में दो मज़दूर-परिवार रहेंगे और उनमें से हर एक अपनी मज़दूरी का १० प्रतिशत किराए के रूप में देगा। किराए की राशि लगी हुई पूँजी के ढाई प्रतिशत से ऊपर नहीं जाने दी जायगी।

१९४८ के मज़दूरों के सरकारी वीमा कानून (एम्प्लायीज स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट) दिल्ली और कानपुर में शीघ्र ही लागू किया जायगा। इन दोनों क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे देश के अन्य भागों में भी लागू किया जायगा।

थ्रमिक और प्रवन्धकता

थ्रमिकों और प्रवन्धकताओं के संबंधों में जो सुधार हुआ है उसे देख कर कहा जा सकता है कि भारत सरकार की थ्रम-नीति ग्रकल रही है। यह बात कारखानों के अगड़ों की संख्या में कमी में स्पष्ट है। १९३८ में ऐसे १२५९ अगड़े हुए थे जिनमें १० लाख ५९ हजार १२० मजदूर शामिल थे और जिनसे ७८ लाख ३७ हजार १७३ थ्रमिक-दिवसों का नुकसान हुआ था। १९४९ में ऐसे अगड़े केवल ११८ हुए। उनमें ६ लाख ८८ हजार १८८ मजदूर शामिल थे और उनसे ६५ लाख ८० हजार ८८० थ्रमिक दिवसों का नुकसान हुआ।

१९४७ के उघोणों के आंकड़े प्रकथ करने के कानून (उन्डम्डियल नीटिनटिस्म एकट) के अनुगाम चाय, कांकी और रबर की गतियों, द्राघों और बन्दरगाहों के जिन कारखानों पर फैक्टरीज एकट लागू होता है उनमें काम करने वाले मजदूरों के गोक्कार, हाविरी, काम के दृटों और मजदूरियों के मूल्य में आंकड़े प्रकथ करने के लिए नहीं हैं, नियम बना दिया गया है। इन नियमों पर गाझों की समराती और जनता में श्री अद्योतना की है। उमरुं आधार पर उनमें सुधार दिया जा रहा है। श्रीयोगिता और द्वा रानुन के अनुगाम श्रीयोगिता द्राघों के मूल्य में जानूनी आधार पर श्रीयोगिता करने के लिए भी नहीं कि नियमों का गाझा गैंगर द्वारा दिया गया है और उसे गवर्नर जनरल के लिए दर्जों के द्वारा वे प्राप्तप्राप्त गर्गों की समराती की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कांफेसें

इस वर्ष जितनी अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कानफेंसें हुई भारत सरकार ने उन सब में भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (इन्टरनैशनल लेवर आर्गेनेशन) की प्रशासिका-सभा का शरद अधिवेशन मैसूर में हुआ था। इस संगठन की एशिया के देश में यह प्रथम बैठक थी। भारत सरकार ने इस संगठन के तीन निर्णयों को स्वीकार किया। सं० ८१, जो कि औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं में मज़दूरों के निरीक्षण के विषय में हैं। सं० ८९, जो कि रात-पाली में स्त्रियों से काम करवाने के विषय में हैं और सं० ९०, जो कि कारखानों में बालकों से रात का काम करवाने के विषय में हैं। श्रम-मंत्री श्री जगजीवन राम गत जून में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन के जिनेवा अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बन कर गए थे। वह इस सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह द्वितीय भारतीय हैं जो कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय साधारण अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

राज्य और केन्द्र

श्रम-मंत्रियों के सम्मेलन के मैसूर अधिवेशन में विविध राज्यों के श्रमिक संवंधी शासन और नीति के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। भूतपूर्व भारतीय रियासतों का संघ के साथ आर्थिक एकीकरण हो जाने के कारण श्रमिक संवंधी केन्द्रिक कानूनों को उन रियासतों पर लागू करने का उत्तरदायित्व श्रम-मंत्रालय पर आ पड़ा है।

रोजगार दफतरों (एम्पलौयमेंट एक्सचेंज) और विविध राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण-केन्द्रों (ट्रेनिंग सेंटरों) पर होने वाले वार्षिक व्यय का ६० प्रतिशत केन्द्रिय सरकार और ४० प्रतिशत वे राज्य-सरकारें उठाती हैं जिनके यहां ये दफतर या केन्द्र होते हैं।

पुनर्वास और रोजगार

व्यव में कमी करने के कारण मंत्रिमंडल को पुनर्वायि और रोजगार के प्रधान संचालक की सारी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ा था। अगस्त १९४९ में निश्चय लिया गया था कि इस नियन्त्रण को अगस्त १९५२ तक केन्द्र और राज्यों में बर्तमान आधिक व्यवस्था के आधार पर ही जारी रखा जायगा और प्रशिक्षण की योजनाओं को गुदार कर सब प्रोफे नागरिकों के लिए गोल दिया जायगा।

२० किला गोहगार दास्तर उत्तर प्रदेश में, ११ विहार में और १ दुर्ग में स्थित है। इन ममत भान्त में दो गोहगार दास्तर और ५६ विहार दास्तर जाति कहे जाते हैं।

जैसे यही गोपनीय वार्ता वर्ष १८ लाख ६६ रुपयार ३५१
लक्षियों में अड़ता जाए वही कल्पनाया । १२,८८ में ८ लाख
३१ रुपयार १०८ ले कल्पनाया था । १२,८९ में २ लाख ५६ रुपयार
८०३ को यास दिया गया । १२,८८ में २ लाख ६० रुपयार
८०३ को यास दिया गया था । १२,८९ में तिन लोगों ने आपना
वास इसे बदलना चाहे १३ प्रतिशत सेवाओं के निकट ७३४ और
१५ प्रतिशत दिलचस्प जाना है । यिन लोगों को यास
दिया गया उन्हीं २ प्रतिशत लोगों के निकट ३२ लोगों को

प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति थे। १९४८ में ७२१३ स्त्रियों को काम दिलाया गया था। १९४९ में ११ हजार ६९० को दिलाया गया। जिन मालिकों ने इन दफतरों से लाभ उठाया उनकी औसत मासिक संख्या ४५१९ रही।

ट्रैनिंग (प्रशिक्षण)

विस्थापित व्यक्तियों को काम सिखाने की योजना का मार्च १९५० में और सेना से निकले हुओं की योजना का जुलाई १९५० में अन्त हो गया। गत वर्ष के अन्त में उम्मीदवारों को शागिर्द के रूप में टैक्निकल और पेशे के काम सिखाने वाले ३६६ केन्द्र चल रहे थे और इनमें सेना से निकले हुए ५०६६ और विस्थापित ३८४८ व्यक्ति काम सीख रहे थे। इनमें १६३ स्त्रियां थीं। गत वर्ष ७२७२ सेना से निकले हुए और ६०४१ विस्थापित व्यक्तियों ने काम सीखने को परीक्षाएं पास कीं। इनमें से २४२ स्त्रियाँ थीं।

मध्यप्रदेश में कोनी की केन्द्रिक संस्था में प्रशिक्षकों के ३ ग्रुपों ने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया। इन सब का योग २२६ था। १९४९ के अन्त में १४६ प्रशिक्षकों का एक और ग्रुप प्रशिक्षण ले रहा था।

प्रौढ़ नागरिकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना तैयार की गई है। इसके अनुसार दो वर्ष तक टैक्निकल प्रशिक्षण दिया जायगा। इस समय में १८ महीने किसी प्रशिक्षण-केन्द्र या कारखाने में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विताने होंगे। पेशा सीखने के लिए १२ महीने किसी प्रशिक्षण केन्द्र में विताने होंगे।

१०,००० स्थानों की व्यवस्था की गई है, इनमें से ७,००० इंजीनियरिंग और इमारती कामों के लिए है और शेष विविध पेशे सीखने के लिए।

ये स्थान देश भर के ६० प्रशिक्षण केन्द्रों में बंटे रहेंगे। प्रशिक्षण मुफ्त दिया जायगा। प्रत्येक योग्य प्रशिक्षणार्थी को २५ रुपये तक छात्रवृत्ति दी जायगी। ये छात्रवृत्तियां स्वीकृत संख्या के अधिक से अधिक आधे व्यक्तियों को दी जायेंगी।

श्रम-मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में १२ हजार अतिरिक्त स्थान विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रखे गये हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को २५ रुपया सहायता प्रतिमास दी जायगी।

जल, स्थल और आकाश मार्ग

१९४९ में १२ हवाई यातायात कम्पनियां नियमित रूप से काम कर रहीं थीं। एयर-इण्डिया इन्टरनैशनल लिमिटेड के सिवाय इन सब कम्पनियों का स्वामित्व और प्रवंध निजी नागरिकों के हाथ में है। १६ कम्पनियां इस वर्ष अनियमित हवाई यातायात सेविसें चलाती रहीं। इन १६ में वे १२ कम्पनियां भी शामिल हैं जो नियमित सेविसें चलाती हैं।

इस वर्ष हवाई यात्रियों की संख्या में तो थोड़ी ही वृद्धि हुई घरन्तु ढोये गए माल का परिमाण ६० प्रतिशत और हवाई डाक का २१० प्रतिशत बढ़ गया।

१९४७ से १९४९ तक के तुलनात्मक अंकड़े नीचे दिए जाते हैं:

वर्ष	उड़ान के घंटे (०००)	उड़ान की दूरी (१० लाख मीलोंमें)	यात्रियों की संख्या (सहस्रों में)	माल ढोया गया (१० लाख पाँडोंमें)	डाक (१० लाख पाँडोंमें)	आय (१० लाख टन मीलोंमें)
१९४७	५९	९०३६	२५५	३०८६	१०४	१४०३५
१९४८	७८	१२०६४	३४१	८०१५	१०५८	१९०२९
१९४९	९३	१४०९०	३५८	१३०३	४०९	२२०९

१९४९ में हवाई यातायात का लाइसेंस देने वाले बोर्ड ने दीर्घकाल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के १५६ प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया और ३३ मार्गों पर वायुयान चलाने के लाइसेंस दिए। ये लाइसेंस अधिकतर १० वर्ष के लिए दिए गए।

समस्त डाक आकाश मार्ग से ले जाने की योजना

पहली अप्रैल १९४९ से प्रथम श्रेणी की समस्त आन्तरिक डाक बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए वायुमार्ग से ले जाने की योजना आरंभ की गई। इस योजना के अनुसार समस्त आन्तरिक डाक का २८ प्रतिशत वायुयानों द्वारा ढोया जा रहा है। इससे अन्दाज़न ६५ लाख रुपये की आय होने का अनुमान है।

३१ जनवरी १९४९ से दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और वम्बई के बीच में नागपुर के रास्ते हवाई डाक, हवाई पार्सल और अन्य माल वायुमार्ग से ले जाने के लिए रात की उड़ान आरंभ की गयीं।

राज्य-सहायता

पहली मार्च १९४९ से जो हवाई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां, फ्लाईंग क्लबें और अन्य वायुयान चालक भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान को या पाकिस्तान को आते जाते हैं, उनको सरकार ने प्रयोग में लाए गए पेट्रोल के प्रति गैलन पीछे ९ आने की सहायता देना आरंभ किया। हवाई कम्पनियां अधिक वोज़ उठा कर अधिक आमदनी कर सकें इस प्रयोजन से डैकोटा विमानों के लिए वोज़ ढोने का अधिकतम नियत परिमाण २५,००० पौंड से बढ़ा कर २६,२०० पौंड कर दिया गया।

हवाई यातायात

अक्तूबर १९४९ से भारत और ब्रिटेन के मध्य में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लिंग प्रति सप्ताह दो बार के स्थान पर तीन बार

यातायात करने लगी । २१ जनवरी १९५० से वम्बई और नैरोबी के बीच में भी एक पाक्षिक सर्विस अदन के रास्ते चल रही है ।

१९४९ में आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और फ़िलीपिन्स के साथ दुतरफ़ा हवाई यातायात के समझौते किए गए । भारतीय और त्रिटिश हवाई लाइनें भारत और त्रिटेन के मध्य में अपनी सर्विसें इस भाशा से अस्थायी शर्तों पर चला रही हैं कि दोनों देशों में स्थायी शर्तों पर समझौता अन्तिम रूप से हो जायगा । ईरान, थाईलैंड, मिश्र, इथोयोपिया, नार्वे और डेनमार्क के साथ भी ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान के संगठनों में प्रभावशाली भाग लेता रहा और वह आरंभ से ही इसकी कौंसिल का सदस्य है । इस संगठन के मौन्ट्रियल अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार मलिक चुने गए ।

हवाई अड्डे

भारतीय मार्गों पर हवाई सर्विसें पहले-पहल १९३१ में संगठित की गई थीं । उस समय चार नियमित हवाई अड्डे थे—कराची, दिल्ली, इलाहाबाद और कलकत्ता । १९४९ के आरंभ में ४५ हवाई अड्डे थे । उसके पश्चात् ३ हवाई अड्डे और बढ़ाये गए हैं । २० हवाई अड्डे रियासतों में हैं । अप्रैल १९५० के पश्चात् उनका प्रवंध भी सन्देश-वहन मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है । वर्तमान हवाई अड्डों की साज-सज्जा बो बढ़ाने और सुधारने का यत्न किया जा रहा है । विशेषतः उन २० हवाई

अहुओं की जो कि रियासतों से लिए गए हैं। आसाम और उत्तरी बंगाल में नए हवाई अड्डे खोले जायेंगे।

टैकिनकल काम करने वाले आदमियों की कमी होने पर भी ४३ हवाई अड्डों में आधुनिक साज-सज्जा लगा कर यातायात की सुविधाएं आधुनिक कर दी गई हैं।

विकास और अनुसन्धान

अप्रैल १९४६ में नागरिक उद्ययन विभाग ने एक नया छोटा-सा संगठन विकास और अनुसन्धान के कार्यों के लिए बनाया। इस संगठन का काम मुख्यतया वायुयानों और हवाई उड़ानों की इंजीनियरिंग की समस्याओं के विषय में अनुसन्धान करना है। नई दिल्ली में एक प्रयोगशाला अनुसन्धान और परीक्षा के कार्य के लिए बनाई गई है। इण्डियन स्टैण्डर्ड्स इन्स्टीट्यूशन इस संगठन के साथ क्रियात्मक सहायोग दे रहा है और एल्युमिनियम तथा मिश्रित धातुओं के नमूने तैयार करके देता रहा है। इस संगठन के अन्य कार्यक्रमों में वायुयानों में अधिकाधिक 'वी० जी० रिकीर्डर' नामक यंत्रों का लगाना भी है, जिससे की वरसाती अवस्थाओं और रात के उड़ान में सुरक्षा की मात्रा का निश्चय किया जा सके। कॉन्स्टेलेशन हवाई जहाजों के लिए एक सी० जी० डिटरमिनेटर (निश्चेत्र) लगाया जायगा और विशेषतः भारतीय अवस्थाओं में उड़ान पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अनुसन्धान किया जायगा।

नागरिक उद्ययन

मन १९४६ से सहारनपुर में एक सन्देशवहन विद्यालय (कम्युनिकेशन्स स्कूल) खुला हुआ है। इसन १९४९ में ८८ रेडियो ऑपरेटरों को और ८९ टैकिनशनों को तैयार किया।

इलाहाबाद का उड्यन विद्यालय अगस्त १९४८ से आरंभ हुआ था। इसमें अन्य चालकों को काम सिखाने के लिए १८ सहायक चालक-शिक्षक काम सीख कर तैयार हो चुके हैं। १५ विद्यार्थी व्यापारिक चालक का 'वी' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं। एरोड्रोम स्कूल को आशा है कि वह १९५०-५१ में लगभग ६० अधिकारियों को काम सिखला सकेगा।

१५ अगस्त १९४७ को बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना, दिल्ली और लखनऊ में ६ फ्लाइंग क्लबों काम कर रही थीं। उनको सरकारी सहायता दी जाती थी। उसके पश्चात् ३ क्लबों और खुल चुकी हैं। क्लबों को आशा है कि वे कुछ और वायुयान प्राप्त कर सकेंगी। १९४९ में क्लबों में १७९ चालकों को 'ए' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, चार चालकों को 'ए-१' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और ५२ चालकों को 'वी' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया। पहली जनवरी १९५० को इन क्लबों के सदस्य २४७४, प्रशिक्षणार्थी ३६२ और शिक्षक ३५ थे।

भारत सरकार ने बम्बई की वेंजन के वायुयानों (ग्लाइडरों) द्वारा उड़ना सीखने वालों की संख्या भारतीय उड्यन विमान सभा (इण्डियन ग्लाइडिंग असोसिएशन) को ९० हजार रुपये की सहायता दी। यह संस्था ऐसे शिक्षक तैयार करेगी जो कि अन्य फ्लाइंग क्लबों में भी ग्लाइडिंग सिखाने का काम आरंभ करायेंगे।

दिसम्बर १९४८ में वायुयान-चालन की अध्ययन संबंधी भारतीय संस्था (ऐरोनोटिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया) का

आरम्भ हुआ था और उसे भारत सरकार ने ५,००० रुपए की सहायता वायुयान चालन-विज्ञान का तथा हवाई जहाज की एंजीनियरिंग के ज्ञान का प्रसार करने के लिए दी।

हवाई अड्डों सम्बन्धी बड़े काम

इस वर्ष जो बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम आरंभ किए गए उनमें दमदम, इलाहाबाद और मद्रास में विमानों को रखने के लिए लौह-निर्मित विश्राम स्थानों (स्टील हैंगरों) का निर्माण भी शामिल है। दमदम और इलाहाबाद में विमानों के भूमि-भागों (रनवे) को बढ़ाया गया है। मद्रास की इमारतों में वृद्धि और सुधार का काम और सांताकुञ्ज (वर्मई) में हवाई जहाज तक सामान ले जाने वाले ठेलों का मार्ग बदलने का कार्य आरंभ किया गया।

अन्तरिक्ष विज्ञान-विभाग

यह विभाग विविध विभागों और अन्य लोगों के लाभ के लिए क्रृतु की नियमित रिपोर्टों और आंधी, वर्षा, बाढ़ तथा कोहरे आदि की भविष्य वाणियां प्रकाशित करता है। इस विभाग के वैज्ञानिक कर्तव्य कृषि-संवंधी क्रृतु के अध्ययन, जल सम्बन्धी क्रृतु के ज्ञान, आकाशी चुम्बकत्व, भूकम्प-विज्ञान, ज्योतिष और तारा मौलिक विज्ञान से संबद्ध हैं।

स्वदेश में और विदेशों में हवाई यातायात की उन्नति हो जाने से भारत में भी उड़ान-संवंधी हूलचलें बहुत बढ़ गई हैं। इस कारण वर्मई और कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रृतु संवंधी कायलियों में भविष्यवाणी करने वाले कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है।

भविष्यवाणी करने वाले कार्यालय, वायु-सेना के अधिकारियों को हवाई रास्तों और अन्य क्षेत्रों के विषय में भविष्यवाणियां, ऋतु की प्रतिकूलता की सूचनाएं और अन्य रिपोर्टें देते हैं और जल सैनिक अधिकारियों को ऋतु संबंधी पत्रक (वुलेटिन) और अन्य संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं।

कलकत्ता और मद्रास से पूर्वी तट के बन्दरगाहों के लिए और वम्बई से पश्चिमी तट के बन्दरगाहों के लिए आंधी आने की चेतावनी दी गई है।

ऋतुओं के पत्रक (वुलेटिन) आल इण्डिया रेडिओ के १६ केन्द्रों से १२ भाषाओं में किसानों के लिए प्रसारित किए गए और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के स्थानीय समाचारपत्रों में नियमपूर्वक प्रकाशित किए गए।

इस वर्ष २४ स्थानों पर जल-संबंधी ऋतु के अध्ययन के लिए वेधशालाएं (आज्ञवेटरियां) स्थापित की गयीं। १२ सिक्किम, गढ़वाल, जमनोत्तरी और बड़ा लच्छा प्रदेशों के हिमालयवर्ती नदियों के संगमस्थलों में और १२ सावरमती और महानदी नदियों के संगमस्थलों पर।

पूना के कार्यालय में इस विभाग में नवीन प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों को काम सिखाने के लिए एक छोटा केन्द्र चल रहा है। इसमें मलय और लंका के भेजे हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। अब यह जल-सेना के ऋतु-अधिकारियों और जलसैनिकों को प्रशिक्षित करेगा। इसका विचार अपने सब आवश्यक उपकरणों को अपने ही कारखाने में बनाने का भी है।

समुद्र-पार का सन्देश-वहन

समुद्र-पार की संदेश-वहन सेवाओं का प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इस समय निम्न सेवाएं की जा रही हैं :

(क) वेतार की तार सर्विस। इसके सीधे संबंध (१) बम्बई से लण्डन, मैलवौर्न, शंघाई और न्यूयार्क के साथ और (२) नई दिल्ली से लण्डन के साथ हैं।

(ख) रेडियो टेलीफोन सर्विस। यह बम्बई और लण्डन के बीच में सीधी चलती है।

(ग) समुद्री तार की सर्विस। इसकी तीन लाइनें हैं :

(१) यूरोप के देशों के लिए बम्बई से लण्डन को अदन, पोर्ट सूडान और एलैगजैण्डरिया आदि के रास्ते। (२) मुद्ररपूर्व के देशों के लिए मद्रास से पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग आदि को। और (३) पूर्वी और दक्षिणी अफ़्रीका के लिए बम्बई से जंजीवार को अदन के रास्ते।

जनवरी १९५० से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी एक सीधी वेतार की लाइन चलने लगी है। आशा है कि भारत और जापान के बीच में जो लाइन पहले चलती थी वह शीघ्र ही फिर चालू हो जायगी। भारत, ईरान, इण्डोनेशिया और सोवियत सूस के बीच में वेतार की टेलीफोन लाइन आरंभ करने के लिए योजना बनाई जा रही है।

टेलीफोन का कारखाना

बंगलौर का टेलीफोन का कारखाना १९४८ में आरम्भ किया गया था और सन्तोषजनक उन्नति कर रहा है। इसमें अब तक २२,००० टेलीफोन जोड़े जा जुके हैं। शागिर्दों को काम सिखाने की एक योजना भी तैयार हो चुकी है।

रेलवे के इन्स्पेक्टर

रेलवे के इन्स्पेक्टरों के संगठन के कर्तव्य रेलों का निरीक्षण करना, दुर्घटनाओं की जाँच करना, नए इंजिनों को चलाने की इजाजत देना और नियत स्टैण्डर्ड के नापों का उलंघन करने के विषय में प्रार्थना-पत्रों का भुगतान करना आदि हैं। इस संगठन का निरीक्षण का कार्य चार क्षेत्रों में बंटा हुआ है।

भारतीय डाक व तार विभाग

१९४९-५० में भारतीय डाक व तार विभाग की समस्त आय ३३ करोड़ ६५ लाख रुपये हुई और व्यय २९ करोड़ ८८ लाख रुपये रहा। ३ करोड़ ७७ लाख की रुपये की वचत साधारण आय और डाक व तार के विभागों में वरावर-वरावर वाँट दी जायगी। पहली अप्रैल १९५० को इस विभाग में सूद पर लगी हुई पूंजी का योग ३९ करोड़ ४० लाख रुपये था।

टेलीफोन के विकास का कोष

डाक व तार विभाग ने एक नयी योजना आरंभ की है, जिसके अनुसार टेलीफोनों के लिए साधारणतया जो किराया वसूल किया जाता है उसका एक भाग पेशगी ले लिया जाता है। इस राशि

का उपयोग टेलीफोन के सामान पर व्यय होने वाली पूँजी के रूप में किया जाता है।

डाक व तार की व्यवस्थाओं का मेल

रियासतों का राजनीतिक एकीकरण हो जाने के कारण डाक व तार विभाग को डाक, तार और टेलीफोनों की वे सर्विसें अपने हाथ में ले लेनी पड़ीं थीं जो पहले भारतीय रियासतों द्वारा चलाई जाती थीं। केवल ब्रावन-कोर कोचीन के स्थानीय डाक विभाग को केन्द्र ने अपने हाथ में नहीं लिया।

भारतीय डाक व तार विभाग ने १९४९-५० में जो काम किया उसकी विशालता का कुछ अन्दाज़ा निम्नलिखित आंकड़ों से हो सकेगा :

डाक की वस्तुएं ले जायी गयीं	२ अरब ८ करोड़ ८७ लाख
रजिस्ट्रियां	७ करोड़ ७३ लाख
मनिअर्डरों की संख्या	४ करोड़ ७२ लाख
सेविंग बैंक के लेन देन	१ करोड़ ११ लाख ७० हजार
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जारी किए गए	४२ लाख
तार भेजे गए	२ करोड़ ५४ लाख
टेलीफोन के कनेक्शन	१ करोड़ ४० लाख

एक विशेष संगठन शिकायतें सुनने के लिए स्वापित किया गया जिससे कि जनता की शिकायतों और रिश्वतखोरी के आधेष्ठों पर तुरन्त ध्यान दिया जा सके। इस वर्ष ४ लाख ९२ हजार ८७३ शिकायतों का भुगतान किया गया।

कर्मचारी-वर्ग

इस विभाग ने अपने कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं में खासी उन्नति की । नए संगठन और कैन्टीनें संगठित की गयीं । इस समय ७७ सहकारी संस्थाएं (कोऑपरेटिव संस्थाएं), १०१ कैन्टीनें, ९७ टिफिन रूम, २९ रात्रिशालाएं और १७० मनोरंजन क्लबें चल रही हैं । सभी विभागों में सफाई रखने पर अधिक ध्यान दिया गया । बम्बई और कलकत्ता में अन्न की दूकानें पुनर्गठित की गयीं । फरवरी १९५० में डाक व तार विभाग की ओर से एक कला तथा हस्त-कौशल प्रदर्शनी की गई । अब इसे एक स्थायी वस्तु बना दिया गया है ।

डाक की सुविधाएँ

१५ दिसम्बर १९४९ तक ग्रामीण क्षेत्रों में ३७४९ डाकघर खोले जा चुके थे, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस गति को मन्द कर देना पड़ा । नागपुर में जो चलता फिरता रात का डाकघर आरंभ किया गया था वह सफल सिद्ध हुआ और आशा है कि इस परीक्षण को नगरों में भी आरंभ किया जा सकेगा ।

विभाग की नीति यह रही है कि जिन नगरों की आवादी १० हजार या इससे अधिक हो उनमें अतिरिक्त डाकघर खोल दिए जाएं । १ अप्रैल १९४९ से ३१ दिसम्बर १९४९ तक ऐसे २७९ डाकघर खोले गये ।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक-सम्बन्ध

वर्ने में १६ मई १९४९ से २५ मई १९४९ तक विश्व डाक संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन) के कार्यकारी तथा परस्पर-प्रबंध कमीशन का तीसरा अधिवेशन हुआ था। उसमें भारत के प्रतिनिधि भी गए थे। भारत के प्रतिनिधि टैक्सिकल ट्रांजिट कमीशन की प्रथम बैठक में भी गए थे, जो कि इन्टरलेकन (स्विटजरलैंड) में १६ जून १९४९ को हुई थी।

डाक की सेवाओं का विस्तार

जर्मनी (निटिश, अमेरिकन और फ्रैंच भाग), फिलस्तीन, इटली और बल्गेरिया के लिए डाक की साधारण सेवाएं पुनः आरंभ की गईं। फ्रांस, फ्रैंच उपनिवेशों, गिलवर्ट और एलिस द्वीपों, नीरो, न्यू कैलीडोनिया, पपुआ और टोंगा, सउदी अरब और फ़ारस की खाड़ी की निटिश पोस्ट आफ़िस एजेन्सियों के साथ मनिआर्डरों का व्यवहार फिर आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त यूगो-स्लाविया से वीमा किए हुए पत्र भी आने जाने लगे। जंजीवार के लिए नकद भूल्य लेकर पत्र वांटने की सर्विस और भारत तथा निटिश सोमालीलैंड के बीच में तार से मनिआर्डर भेजने की सर्विस आरंभ की गई। १९४९-५० में डाक और तार विभाग ने चार प्रकार के डाक टिकट जारी किए :

१. जनता के प्रयोग के लिए ऐतिहासिक स्मारकों की सीरीज़,
२. सरकारी प्रयोग के लिए सर्विस सीरीज़,
३. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्मारक टिकट, और
४. भार्न का नगरतंत्र आरम्भ होने के स्मारक टिकट।

टेलीफोन

बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और अमृतसर में 'अपने टेलीफोन के मालिक आप वनो' योजना आरंभ की गई। इस योजना के अनुसार जो लोग टेलीफोन लेना चाहते हैं वे कलकत्ता और बम्बई में आरंभ में पच्चीस सौ रुपया और अन्य स्थानों में दो हजार रुपया जमा करवा देते हैं। इसके बाद ग्राहक को टेलीफोन देकर २० वर्ष तक उससे कोई किराया नहीं लिया जाता। जनवरी १९५० के अन्त तक इस योजना के अनुसार अकेले बम्बई में ६ लाख रुपये एकत्र हो गये थे।

१९४९-५० में टेलीफोनों की मरम्मत का काम वहुत विस्तृत प्रदेश में किया गया। २१ नये केन्द्रिक कायलिय (एक्सचेंज), ७२ सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर, ९ ट्रॅक टलीफोन एक्सचेंज और १५ थ्री-चैनल कैरियर सिस्टम (इसमें सन्देश-वहन के लिए तीन प्रथक् तारें रहती हैं, जिससे तीन व्यक्ति एक साथ बात कर सकते हैं) लगाये गये। इसके अतिरिक्त २४ केन्द्रिक कायलियों (एक्सचेंजों) को विस्तृत किया गया जिससे कि लाइनों की संख्या बढ़ा कर ४७३० करना संभव हो गया। जिन स्थानों के एक्सचेंज विस्तृत किए गए उनमें महत्वपूर्ण नई दिल्ली, दिल्ली, इलाहाबाद, पूना और इन्दौर हैं।

लखनऊ, पटना, नागपुर, शिमला और अमृतसर आदि के ३१ एक्सचेंजों के पुनर्नवीकरण और विस्तार का काम प्रगति कर रहा है। इसके सिवाय २४ नए एक्सचेंजों और पांच

ट्रंक एक्सचेंजों के खोलने और सात थ्री-चैनल केरियरों (तीन व्यक्तियों के एक साथ बात करने योग्य तीन तारों की लाइनों) को लगाने का काम हाथ में लिया गया है। कलकत्ता और पटना के बीच में एक १२-चैनल कैरियर सिस्टम (१२ तारों की लाइन जिस पर १२ व्यक्ति एक साथ बात-चीत कर सकेंगे) लगाया जायगा। इसका प्रयोग भारत में प्रथम बार किया जा रहा है।

वम्बई के टेलीफोन जाल में ८१०० लाइनें बढ़ाई जा रही हैं इस काम का कुछ भाग पूरा हो चुका है। कलकत्ते में भी सब टेलीफोन आपसे आप नम्बर मिलाने वाले लगाए जा रहे हैं। मद्रास के टेलीफोन जाल में ३ हजार लाइने और अहमदाबाद के में २७०० लाइने बढ़ाई जा रही हैं। इस काम में अच्छी प्रगति हो रही है।

तार (टेलीग्राफ)

वडे वडे स्थानों के बीच में टेलीग्राफ-तारों के चक्करों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस प्रयोजन के लिए एक साथ बहुत से तारों पर बातचीत करवा सकने में समर्थ तारों की पांच लाइनें ढाली गयी हैं। देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा में तार भेजने की पद्धति लगनज़, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद पटना, गया, नागपुर, जयलपुर, अजमेर, बरेली, इन्दौर, जयपुर, दिल्ली, और नई दिल्ली में आरंभ की गई।

बेतार का तार

कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बेतार से तार भेजने के अनिवार्य यंत्र लगाए गए। मंगलोर में बेतार से तार भेजने का

एक स्टेशन तटवर्ती जहाजों के प्रयोग के लिए बनाया गया। एक और उल्लेखनीय नया काम पटना और काठमांडू के बीच में टेलीफोन की लाइन का खोला जाने वाला था। पटना, लखनऊ, कलकत्ता, नागपुर, मंगलोर और श्रीनगर के मध्य बेतार के तारों का संबंध भी इसी वर्ष स्थापित किया गया।

कारखाने

सन्देश-वहन विभाग की आवश्यकताओं की अधिकतर वस्तुएँ डाक-वत्तार विभाग के अलीपुर और जवलपुर के कारखानों में बनाई गईं। आपसे आप नम्बर मिलाने वाले अनेक टेलीफोन-यंत्र बंगलौर के भारतीय टेलीफोन कारखाने में जोड़े गए।

अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्सें

राष्ट्रमंडल के देशों के दूरवर्ती सन्देश-वहन बोर्ड की जो घैठक अप्रैल १९४९ में लण्डन में हुई थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। वे पेरिस की तार और टेलीफोनों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की कानफरेन्स में भी सम्मिलित हुए। एक अधिकारी को राष्ट्रमंडल के दूरवर्ती सन्देश-वहन बोर्ड का स्थायी सदस्य बना कर उसका मुख्य कार्यालय लण्डन में रखा गया है।

कानपुर, पूना, अमृतसर, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन का मासिक किराया और संदेशों का दर घटा दिया गया। किराया १२ रुपए प्रतिमास से घटाकर १० रुपया प्रतिमास कर दिया गया और संदेशों का दर १४ संदेशों के लिए १ रु० ५ आने से घटा कर १२ संदेशों के लिए १ रुपया कर दिया गया।

१ जुलाई १९५० से विदेशी तारों की “डैफर्ड” श्रेणी उठा दी गई है। साधारण और सांकेतिक (कोड) तारों के दरों को मिला कर सांकेतिक तारों के दर सम्मिलित दरों से आधी रखी गई है।

नवम्बर-दिसम्बर १९४९ में रुड़की में एक अौद्योगिक तथा एंजीनियरिंग प्रदर्शनी हुई थी। उसमें डाक व तार विभाग ने भी भाग लिया। इस प्रदर्शनी में डाक व तार विभाग के कारखानों में बने हुए अनेक सामान दिखाने के अतिरिक्त उनके निर्माण का भी प्रदर्शन किया गया।



लोकमत का शिक्षण

आल इण्डिया रेडियो, सूचना-विभाग (प्रेस इन्फारमेशन च्यूरो) प्रकाशन विभाग, फ़िल्म-निर्माण-विभाग और विज्ञान-पन शाखा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर है।

१९४९ के आरंभ में राज्यों के सूचना-मंत्रियों का एक सम्मेलन, राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रकाशन-कार्य समन्वित करने की योजना बनाने के लिए किया गया था। राज्यों से कहा गया कि वे सम्मिलित होकर सुनने के लिए रेडियो-यंत्रों को लगाने पर अधिक ध्यान दें। सम्मेलन में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि केन्द्र और राज्य फ़िल्में बनाने की योजनाओं पर पहले परस्पर विचार-विनिमय कर लें तो एक ही विषय पर अनेक फ़िल्में नहीं बनने पायेंगी। इस वर्ष राज्यों के सूचना-निर्देशक तीन बार एकत्र हुए और उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषयों के प्रकाशन की योजनाएं बनायीं। उन्होंने इस बात पर भी विचार किया कि योजनाओं और उन्हें कार्यान्वित करने के उपायों में निकट संबंध किस प्रकार रखा जा सकता है।

काश्मीर के संबंध में प्रकाशन-कार्य के लिए इस मंत्रालय के अन्तर्गत एक छोटी प्रकाशन-इकाई प्रथक बनाई गयी।

विदेशी यात्रियों की सलाहकार कमेटी में भी इस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि है। विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रकाशन-कार्य आरंभ किया जा चुका है।

अन्तः-औपनिवेशिक पर्यालोचन

अन्तः-औपनिवेशिक सूचना-मंत्रणा-समिति की बैठक एक बार कराची में और उसके पश्चात नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में अन्तः-औपनिवेशिक समझौते को द्रष्टि में रखते हुए दोनों देशों के समाचार पत्रों, प्रकाशन-कार्यों, प्रसार-विभाग और फिल्म-विभागों के कार्यों पर द्रष्टिपात किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता स्वयं सूचना और प्रसार विभाग के मंत्री महोदय थे।

सिनेमा-सम्बन्धी कानून

सिनेमा संबंधी कानून में सुधार करने के लिए एक विल पास किया गया। इससे फिल्मों का सेंसर करने वाले बोर्डों को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वे दो प्रकार के प्रमाण-पत्र दे सकें। एक प्रमाण-पत्र 'यू' उन फिल्मों के लिये जो कि सब लोगों को दिखाई जा सकती है। और दूसरा प्रमाण-पत्र 'ए' उन फिल्मों के लिए जो कि केवल प्रोड दर्शकों को दिखाई जा सकती है। सिनेमा संबंधी कानून में नुशार करने के लिए एक दूसरा विल पास करने के अधिकार को फिल्मों का मैन्सर करने के लिए एक नायट्रीय बोर्ड नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यह बोर्ड प्रादेशिक बोर्डों के स्वान पर नियुक्त किया जायगा और इसका नाम यह होगा कि देश भर में नेशन का कार्य एक ना टोने लगेगा।

फ़िल्म उद्योग की जांच

सितम्बर १९४९ में फ़िल्म-निर्माण के उद्योग की जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई। यह कमेटी भारत में फ़िल्म उद्योग के विस्तार और संगठन की जांच कर रही है। यह वतलाएगी कि भविष्य में इस उद्योग का विकास किस दिशा में किया जाय। यह उन उपायों पर भी विचार कर रही है जिनका अवलम्बन करने से राष्ट्रीय संस्कृति के शिक्षण व विकास की उन्नति और निर्दोष मनोरंजन के कार्यों के लिए फ़िल्मों को प्रभाव शाली साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा। यह कमेटी कच्ची फ़िल्मों और सिनेमा संवंधी यंत्रों का निर्माण देश में ही किया जा सकने की संभावनाओं की भी जांच कर रही है। यह सलाह देगी कि विदेशों से कच्ची फ़िल्में और सिनेमा संवंधी अन्य उपकरण मंगाने के लिए और नई कम्पनियां संगठित करने के लिए क्या 'स्टैण्डर्ड' नियत किए जाएं।

आल इन्डिया रेडियो

१ जून १९५० को कालीकट में रेडियो स्टेशन खुल जाने से आल इन्डिया रेडियो के सब महत्वपूर्ण भाषा-क्षेत्रों में प्रसारण की सुविधाएं देने की योजना का प्रथम भाग पूर्ण हो गया। इस समय भारत में २१ रेडियो स्टेशन हैं।

प्रसारण हमारे संविधान के अनुसार केन्द्रिक विषय है। इसलिए १ अप्रैल १९५० से मैसूर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और औरंगाबाद के रेडियो स्टेशनों को भी आल इन्डिया रेडियो में मिला दिया गया। इसके साथ ही इन स्टेशनों की टैक्निकल

सामर्थ्य और इनके कार्य-क्रमों का दर्जा उन्नत करने की योजना हाथ में ली गई, जिससे कि कुछ समय पश्चात ये स्टेशन भी आल इण्डिया रेडियो के अन्य स्टेशनों के समान हो जाय।

इस समय देश में लगभग चार लाख लाइसेंस-प्राप्त रेडियो यंत्र हैं। देश के विभाजन के पश्चात रेडियो-यंत्रों में लगभग गत-प्रतिशत वृद्धि हुई है। ग्रामों, ओद्योगिक केन्द्रों और स्कूलों में सम्मिलित होकर सुनने के यंत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मद्रास, बम्बई और उत्तरप्रदेश में ही सम्मिलित रूप से सुनने के यंत्रों से लगभग दो लाख व्यक्ति प्रतिदिन लाभ उठाते हैं।

अगस्त १९८७ में आल इण्डिया रेडियो के समस्त मार्शिक कार्यक्रमों का समय ५७०० घंटे था। जून १९५० में बढ़ते बढ़ते यह समय ९३०० घंटे तक पहुँच चुका था।

आल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रमों में ओसनन ५० प्रतिशत समय सांस्कृतिक विषयों को दिया जाता है। ऐसा यत्न किया जाता है कि एक क्षेत्र के श्रोताओं को किसी अन्य क्षेत्र के नंगीत और नाहिंय का रसान्वादन कराया जाए। इस प्रकार आनाम का श्रोता दक्षिणी भारत के वीणा-वादन का अथवा उड़ीसा का श्रोता पंजाब के जन-नंगीत का आनन्द कर सकता है। प्रायः मध्मी स्टेशनों में मंग्लुत नाटकों के अपक, मंग्लुत कविता का पाठ और मंग्लुत मालिन्य के अंग प्रसारित किए गए। वर्ष में प्रसारित किए गए भाषणों और विद्यार्थी के उच्छ्वासीय विषय भारत का संविधान, सर्वोत्तम योजना, गांधी और कृष्ण, मालिन-मञ्जूरों के नवय, नईदो जादि भी योजनाएं, कला और नाहिंय प्रादि थे।

आल इण्डिया रेडियो ने स्त्रियों और बालकों, स्कूलों और कालिजों, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था भी की। कलकत्ता, वर्मवर्डी, अहमदाबाद, लखनऊ और मद्रास से कारखानों के मजदूरों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किए गए। ७ स्टेशनों ने 'रेडिओ खेती विचार-केन्द्र' नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया। इन विचार-केन्द्रों का तात्कालिक प्रयोजन तो खाद्य-उत्पादन में वृद्धि करना है, परन्तु संभव है कि ये भविष्य में ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण के केन्द्र बन जायं। इस समय ये विचार-केन्द्र देहली, वर्मवर्डी, मद्रास और उत्तरप्रदेश के ८१ ग्रामों में हैं। कुछ स्टेशनों पर देहाती कार्यक्रम का एक अन्य रूप यह हो गया है कि कार्यक्रम किसी ग्राम से स्टेशन के स्टूडियो तक ले जाया जाता और वहां से प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार किसी एक ग्राम के जिस कार्यक्रम में वहां के अनेक ग्रामीण भाग ले रहे होते हैं उसे सभी देहाती श्रोता सुन सकते हैं।

आल इण्डिया रेडियो ने अपने अनेक स्टेशनों से भाषण, विवाद, रूपक और नाटक आदि प्रसारित करके भारत-पाक समझौते को क्रियान्वित करने में भाग लिया।

गत शीतऋतु में साहित्य और विज्ञान आदि सार्वजनिक रूचि के विषयों पर देहली और लण्डन से दुतरफा विवादों का आरंभ किया गया। इन कार्यक्रमों को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक प्रसारित करने की और इनके विषयों की विविधता को शीघ्र ही बढ़ा सकने की आशा है।

इस वर्ष आल इण्डिया रेडियो ने जहाजों को समुद्र में उतारने और अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं के वर्णनों से लेकर भारतीय गणतंत्र के

एतिहासिक प्रारंभ के उत्तरव तक की अनेक घटनाओं को प्रसारित किया। दिसम्बर १९४९ में संसार के शांतिवादियों का जो सम्मेलन शांतिनिकेतन और वर्धा में हुआ था उसके अनेक रिकार्ड बना कर उसका विवरण प्रसारित किया गया। महात्मा गांधी की सेवाग्राम की कुटी से डा० राजेन्द्र प्रसाद और अन्य विदेशी प्रतिनिधियों ने संसार के नाम शांति की जो अपील की थी उसे आल इण्डिया रेडियो ने प्रसारित किया। यह प्रसार छै भाषाओं में और समस्त संसार के लिए किया गया था।

हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का यत्न

आल इण्डिया रेडियो ने तामिल, तिलगू, गुजराती, मराठी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, उड़िया और आसामी भाषाओं में प्रशारण के लिए नाटक-लेखन पर प्रतिस्पर्धा-पारितोषिकों का संगठन किया। जिन क्षेत्रों की प्रधान भाषा हिन्दी है उनके स्टेशनों से प्रसारित किए जाने वाले हिन्दी कार्यक्रमों के परिमाण और विविधता में वृद्धि हुई। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के स्टेशनों से वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं में तीन महीने तक हिन्दी सिखाने के पाठ प्रसारित किए गए। नमाचारों को हिन्दी भाषा में अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के स्टेशनों से भी प्रसारित किया गया। ये सब प्रयत्न हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किए गए, क्योंकि हिन्दी भव भाषा बन चुकी है।

विदेशों के लिए प्रशार-कार्यक्रम

आल इण्डिया रेडियो पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, और मध्य पूर्व के देशों के लिए विशेष

कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी, वर्मी, कुओयू, कैण्टोनी, इण्डोनेशियन, पश्तो, अफगान, फारसी और अरबी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। इन सब देशों में भारतीय वड़ी संख्या में वसते हैं। इस कारण विदेशों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों में हिन्दी, तामिल और गुजराती कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। पश्चिमी यूरोप के श्रोताओं के लिए परीक्षण के रूप में अंग्रेजी भाषा में एक कार्यक्रम का आरंभ किया गया है।

१० मई १९५० से तेहरान रेडियो के साथ ऐसी व्यवस्था की गई है कि वह पक्ष में एक बार आल इण्डिया रेडियो के फारसी कार्यक्रम को प्रसारित किया करे। इसी प्रकार की व्यवस्था ने रोबी, सिगापुर और सूवा (मिजी) के रेडियो स्टेशनों के साथ भी करने का विचार है।

पहली जुलाई १९५० से वेस्ट इण्डीज के लिये भी विदेशी कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम सम्मिलित कर दिया गया है।

आस्ट्रेलियन ब्राउकास्टिंग कौर्पोरेशन आल इण्डिया रेडियो में रिकार्ड करके भेजा हुआ एक कार्यक्रम अपने देश के श्रोताओं के लिए नियमपूर्वक प्रसारित करता है।

अगस्त १९४७ में आल इण्डिया रेडियो से ४५ समाचार-पत्रक १५ भाषाओं में प्रसारित किए जाते थे। अब ६५ समाचार पत्रक २४ भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। आल इण्डिया रेडियो के संवाददाताओं ने कई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के विवरण प्रसारित किए। कोलंबो का राष्ट्रमंडल के विदेशमंत्रियों का सम्मेलन भी इनमें सम्मिलित था।

सलाहकार समितियाँ

प्रत्येक प्रादेशिक-कार्यक्रम-सलाहकार-कमेटी में संसद का एक सदस्य सम्मिलित रहता है, जो कि उसी प्रदेश का निवासी होता है, देहली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्टेशनों पर शिक्षण सलाहकार-समितियाँ बनी हुई हैं। नई दिल्ली और लखनऊ के स्टेशनों पर भाषा-सलाहकार समितियाँ भी हैं। देहली और बम्बई के स्टेशनों पर भारतीय संगीत के विषय में सलाहकार-समितियाँ हैं। देहली, त्रिची, मद्रास और विजयवाड़ा के स्टेशनों पर देहाती-सलाहकार-समितियाँ हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन

मैक्सिको सिटी में एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स इस प्रयोजन से हुई थी कि विविध देशों के लिए रेडियो की लहरों का परिमाण नियत कर दिया जाय। भारत के अतिरिक्त उसमें ६९ देशों ने भाग लिया था। इसमें भारत का भाग ३६६॥ चैनल आवर्स नियत किया गया।

अनुसंधान

आल इण्डिया रेडियो का अनुसंधान-विभाग भारत में प्रसार की सेवा और इसके विकास के विषय में अनुसंधान का महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है। योजना और विकास विभाग संचारण वित्तवाहक (ट्रांसमिशन इन्सुलेटर्स) के डिजायन बनाने और स्वानीय अवस्थाओं के अनुकूल स्टूडियो के डिजायन बनाने और निर्माण के कार्य में लगा रहा।

समाचार पत्र सूचना विभाग

समाचार पत्र सूचना-विभाग का कार्य यह है कि वह भारत सरकार की नीतियों और कार्यकलापों की सूचना समाचार पत्रों द्वारा जनता को देता रहे, भारतीय और विदेशीय समाचारपत्रों में प्रकाशित लोकमत की दिशा से सरकार को सूचित करता रहे और सरकार तथा समाचार पत्रों के मध्य संबंध बनाए रखने में सहायता देता रहे।

यह विभाग साढ़े चौदह सौ से ऊपर भारतीय समाचार पत्रों को सात भाषाओं—अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, वंगला, गुजराती, तामिल, और मराठी—में समाचारों की प्रष्टभूमि, फोटो-चित्र लेखों की और निर्देश की सामग्री वितरित करता है। यह विभाग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, पत्र-प्रतिनिधियों, सैन्ट्रल प्रेस एडवायजरी कमेटी, प्रेस एसोसियेशन और वैदेशिक सम्बाददाताओं के एसोसिएशन के साथ निकट सम्पर्क रखता है।

इस विभाग की शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी हैं। ये शाखाएँ अपने क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यलयों का प्रकाशन-कार्य करतीं और प्रादेशिक समाचार पत्रों को अपने विभाग का सब साहित्य वितरित करती हैं।

इस विभाग के फोटो-पुस्तकालय के पास ३१ हजार फोटो-चित्र हैं। वे ३०० वर्गों में विभक्त हैं। इस विभाग के सब फोटो-चित्र भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों के लिए उपलब्ध रहते हैं।

इस विभाग की एक रक्षा-शाखा है जो शस्त्र सेनाओं के लिए प्रकाशन का कार्य करती है। इसकी ओर से सैनिकों के लिए

दो पत्र भी प्रकाशित होते हैं। एक साप्ताहिक 'फौजी अखबार' छँ भाषाओं में और दूसरा अर्धसाप्ताहिक 'जवान' आठ भाषाओं में। यह विभाग आल इण्डिया रेडियो से प्रतिदिन सेनाओं के लिए कार्यक्रमों के प्रसार की भी व्यवस्था करता है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग अंग्रेजी की २, हिन्दी की ३, उर्दू की १, और अरवी की १ पत्रिका और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में वहुसंख्यक पुस्तकाएं प्रकाशित और वितरित करता है।

"फौरिन रिव्यू" एक अंग्रेजी मासिक है, जिसमें भारतीय द्रष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लेख प्रकाशित होते हैं। "द मार्च आफ इण्डिया" एक द्विमासिक सांस्कृतिक पत्रिका है। यह अंग्रेजी-भाषी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। "आजकल" एक मासिक है जो कि हिन्दी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित होता है। इसमें भारतीय जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं पर लेख प्रकाशित होते हैं। "विश्वदर्शन" "फौरिन रिव्यू" का हिन्दी प्रतिरूप है। "वाल भारती" वालकों का हिन्दी मासिक है। इसमें स्कूल के योग्य आयु के वालकों के लिए सांस्कृतिक रुचि के लेख प्रकाशित होते हैं। "सौतुलशर्क" एक सांस्कृतिक पत्र है, जो कि अरवी भाषा में प्रति दो मास पश्चात प्रकाशित होता है।

इस वर्ष प्रकाशन विभाग ने ४० पुस्तकाएं प्रकाशित कीं। इसने नए भारतीय संविधान पर एक पुस्तका की ८ हजार प्रतियां

१२ दिन में, "आवर फलैंग" नामक एक पुस्तका की ७ हजार प्रतियां उतने ही दिनों में, "द सैकण्ड ईयर" नामक एक पुस्तका, की ५,००० प्रतियां एक महीने में, "अबाउट इण्डिया" की ७ हजार प्रतियां दो महीनों में, और पंडित नेहरू के भाषणों की ९ हजार प्रतियां ४ महीनों में बेची और बांटी। "इण्डिया — ए पिक्टोरियल सर्वे" चित्रों का एक सुंदर, सम्पन्न और सुरुचिपूर्ण संग्रह है, जिसमें कि भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं को प्रत्यक्ष दिखलाया गया है।

वर्ष भर में इस विभाग ने पत्रिकाओं की ६० लाख प्रतियां और पुस्तकाओं की ढाई लाख प्रतियां ३३ देशों में बेची और बांटी। इस विभाग के प्रकाशन स्वदेश और विदेश, दोनों स्थानों पर, वितरण के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। इस बात का अधिकाधिक यत्न किया जाता है कि प्रकाशित पत्रिकाएं और पुस्तकें यथाशक्ति अपना खर्च आप निकाल लें। इसीलिए उनमें से अधिकतर मूल्य से बेची जाती हैं।

इस विभाग का अपना एक छोटा-सा छापाखाना भी है, जिसमें इसका द्यपाई का लगभग ५० प्रतिशत कार्य होता है। इस विभाग के प्रकाशनों के प्रादेशिक भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने की अनुमति निजी व्यापारिक प्रकाशन संस्थाओं को इन शर्तों पर दी गई कि प्रकाशक की राज्य-सरकार सिफारिश करे, अनुवाद पहले दिखला लिया जाय, उसका मूल्य उचित रखा जाय और उस पर कुछ रौयलटी दी जाय। इस विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अंश प्रायः पुस्तकों और निजी पत्रिकाओं में उन्नत करने की अनुमति के लिए अनेक प्रार्थनाएं प्राप्त हुयीं।

फ़िल्म विभाग

फ़िल्म विभाग ने इस वर्ष अच्छी उन्नति की । जून १९४९ से घटना चित्रों और समाचारों की रीलों का वितरण नियमपूर्वक आरंभ किया और २४०० सिनेमा घरों के साथ ठेके किए गए ।

घटना-चित्र और समाचारों की रीलें

इस विभाग ने ४१ घटना चित्र और १७ समाचारों की रीलें तैयार कीं । एक घटना-चित्र काश्मीर के संबंध में रंगीन बनाया गया । कई घटना-चित्र एडिनवरा, प्रेग, वैनिस, ब्रूसेल्स, टोरन्टो, और वर्न के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म उत्सवों और प्रदर्शनियों में दिखलाए गये । फ़िल्में राज्यों की सरकारों को देहाती क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए भी दी गयीं । ये फ़िल्में ३५ और १६ मिलिमीटर, दोनों साइजों में दी गयीं । विदेशों में प्रदर्शन के लिए सब घटना-चित्र फ़िल्मों की प्रतियां १६ मिलिमीटर के साइज में तैयार की गयीं और समाचारों की रीलों का मासिक संस्करण विदेशों के ३४ केन्द्रों को भेजा गया ।

वेल्जियम के सार्वजनिक शिक्षा-मंत्रालय ने अपने व्यय से फ़िल्म विभाग की चुनी हुई फ़िल्मों को फ़ैंच और फ्लेनिश भाषाओं में तैयार करना स्वीकार किया । इन्हें वेल्जियम, हालैड और लक्समर्वर्ग के सिनेमाओं में दिखाया जायगा । इस समझौते के अनुसार एक फ़िल्म वैलजियम भेजी जा चुकी है ।

मित्र-सेनाओं के मुख्य कायलिय (सुप्रीम कमाण्ड आफ अलाइड पावर्स, स्कैप) के अधिकारियों ने इस विभाग की कुछ फ़िल्मों को जापान में व्यापारिक आधार पर प्रदर्शन करने के लिए

जापानी भाषा में तैयार करना स्वीकार किया । तदनुसार 'ट्री आफ वैल्य' नामक फ़िल्म के कुछ 'पुष्प' जापान भेजे गए ।

कुछ फ़िल्में एक व्यापारिक वितरक की मार्फत इण्डोनेशिया के सिनेमाओं को वितरित की गयीं । कुछ घटना-चित्र और समाचारों की रीलें निटेन और अमेरिका के अनेक दूरप्रदर्शक (टेलीविजन) चक्रों में प्रदर्शित की गयीं । इस विभाग ने जो घटना-चित्र तैयार किए हैं उनमें उल्लेखनीय 'शागा इन स्टोन' (प्रस्तर युग) 'गिल्म्पसेज आफ गांधी जी' (गांधी जी के जीवन की झाँकियां) 'टूवर्डेज बैटर अन्डरस्टैन्डिंग' (आपसी मेल का रास्ता) 'इण्डियन आर्ट थू द एजेज' (भारतीय कलाओं के अनेक युग) और 'स्टोरी आफ सींदरी' (रसायनिक खाद) का कारखाना है ।

समाचारों की जो साप्ताहिक रीलें वितरित की गयीं उनमें अखिल भारतीय महत्व की अनेक घटनाएं चित्रित की गयी थीं । के० एल० एम० वायुयान की दुर्घटना और पण्डित नेहरू वी अमेरिका, कैनाडा और इण्डोनेशिया की यात्राओं को चित्रित करने के लिए विशेष संस्करण निकाले गए । विदेशों के लिए एक विशेष मासिक संस्करण निकाल कर कुछ वैदेशिक केन्द्रों को भेजी गयीं ।

विज्ञापन-शाखा

विज्ञापन शाखा का काम भारत सरकार के सब प्रदर्शनात्मक विज्ञापनों को तैयार और वितरित करना है । इस वर्ष लगभग १० हजार विज्ञापन भारतीय भाषाओं के १३७ पत्रों में और अंग्रेजी

भाषा के ३६ पत्रों में प्रकाशित हुए। सब मिलाकर १ लाख ७० हजार कालम-इंच में विज्ञापन दिए गए।

विज्ञापन शाखा ने ४९ पोस्टरों के डिजाइन बनाए और उनकी पौने तौ लाख प्रतियाँ छापीं। इस शाखा ने १३२ सिनेमा स्लाइड बनायीं जो कि समस्त भारत में प्रदर्शित की गयीं। नैशनल सैविंग सर्टीफिकेटों का विज्ञापन करने के लिए लगभग १२ लाख ३० हजार पत्रक स्थाही चूस, कैलेंडर तथा स्टिकर आदि और ५ करोड़ १५ लाख लेबल तैयार किए गए।

द्विसरा खण्ड

समाचार पत्र और लोकमत

इस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों ने अनेक क्षेत्रों में ठोस सफलता प्राप्त की जो कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में समाचारपत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव की सूचक है। इस सफलता का एक बड़ा कारण समाचारपत्रों की इस परिवर्तन काल में राष्ट्रीय कर्तव्य और लक्ष्य की एकता के प्रति जाग्रत भावना है। यह भावना वर्ष के आरंभिक भाग में विशेष रूप से प्रकट हुई जब कि पूर्वी बंगाल की शोचनीय घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के संवंधों में भयंकर तनाव उत्पन्न हो गया था। घटनाएं इतनी उग्र हो गई थीं कि स्वयं दोनों प्रधान मंत्री पं० नेहरू और श्री लियाकत अली खाँ परस्पर मिले और उन्होंने अन्तिम क्षण में भयंकर दुष्परिणाम से बचने के लिए दोनों देशों में मित्रतापूर्ण संवंधों की स्थापना का एक आधार खोज निकाला। इस कठिन और चिन्तापूर्ण समय में नेहरू-लियाकत समझौते की वातचीत के समय और वाद को उसे कार्यान्वित करने के समय भारतीय समाचारपत्रों ने घटनाक्रम में जो भाग लिया वह उन के इतिहास का सदा एक स्मरणीय अध्याय रहेगा।

प्रधान मन्त्री ने १९ अप्रैल को संसद् में समाचार पत्रों की प्रशंसा करते हुए कहा था : “भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों के समाचार पत्रों ने इस समझौते को कार्यान्वित करने का सहायक होने में सम्मिलित रूप से ले०-जी० वी० कृपानिधि, “हिन्दुस्तान टाइम्स”।

स्पष्ट और द्रढ़ निश्चय किया है। भारत-पाक समस्याओं के प्रति उनके रुख में उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया है। आल इण्डिया न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस व पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस की एक सम्मिलित बैठक मई के आरंभ में दिल्ली में करने का विचार है। इसमें सन्देह नहीं कि समाचार-पत्रों ने समझौते को कार्यान्वित करने के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए दृढ़ता और साहस का जो मार्ग अपनाया वह जनता के मन में से शंका और भय का निवारण करने में और भविष्य में उसका विश्वास उत्पन्न करने में अति सहायक सिद्ध हुआ।

स्वयं समाचारपत्रों की द्रष्टि से आल इण्डिया न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस और पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस का गत मई में दिल्ली में संयुक्त अधिवेशन होना एक असाधारण सफलता थी। निस्संदेह दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों को दोनों देशों की समस्याओं पर विचार करने और परस्पर एक दूसरे के द्रष्टिकोण को समझाने के लिए संयुक्त सम्मेलन में एकत्र करने का विचार अति सुंदर था। पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष पीर अली मुहम्मद रशीदी ने कहा था कि, “हम यहां मित्रों की भाँति परस्पर वातचीत करने और अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट उपायों की खोज करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे निर्णय पर भारत और पाकिस्तान के करोड़ों निवासियों का भाग्य और दोनों देशों की भावी समृद्धि निर्भर करते हैं” इसी प्रकार के विचार आल इण्डिया न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री सी० आर० श्रीनिवासन ने भी प्रगट किए थे। उन्होंने कहा था, “इस वात-चीत का महत्व शब्दों में वर्णन करना सरल काम

नहीं है इस के फलों को तत्क्षण अथवा किसी संकीर्ण दृष्टि-कोण से नहीं जांचा जायगा अपितु अंतिम परिणाम और अन्तर-राजिक संबंधों के व्यापक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जायगा। वास्तविक सफलता प्राप्त करने से पूर्व मनोवृत्ति में परिवर्तन होना आवश्यक है। इस परिवर्तन का आरंभ उच्च स्तर पर हो चुका है। अब साधारण जनता को भी उसी मार्ग पर जाना चाहिए। विश्वास और सहयोग की नयी भावना सब वर्गों और जातियों में जागृत होनी चाहिए। अनजान और अन्ध-विश्वासी लोगों के हृदय में भय के जो भाव जड़ जमाए हुए हैं उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए समाचार पत्रों को अपने कर्तव्य का पालन इसी दिशा में करना है।

यह सम्मेलन भारतीय और पाकिस्तानी समाचारपत्रों में मित्रतापूर्ण भावनाएं उत्पन्न करने के लिए अपने ढंग का प्रथम और इसकी सफलता इस वर्ष की एक उल्लेखनीय वस्तु थी। दोनों पक्षों में सौहार्द बढ़ाने का उत्साह और इच्छा इतनी अधिक थी कि दोनों ने अपनी पुरानी शिकायतों और कटुताओं को प्रायः स्वतः प्रेरणा से भुला दिया और परस्पर नये संबंधों की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प के साथ यत्न किया। नेहरू-लियाकत समझौते के पश्चात जो अनेक कठिन समस्याएं सामने आयीं उनको इस सम्मेलन ने तत्परतापूर्वक हल किया। इससे दोनों देशों के पत्रकार नेताओं में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने में बड़ी सहायता मिली। भविष्य के लिए यह एक शुभ लक्षण है।

यह तो सर्वविदित ही है कि दोनों देशों में समाचारपत्रों के पारस्परिक संबंधों को सुधारने और व्यवहार का परस्पर मार्ग निर्धारित करने के लिए पहले भी उनके प्रयत्न किए गए थे। मई

१९४८ में कलकत्ता में जो अन्तर-औपनिवेशिक समझौता हुआ था उसके अनुसार यह तय हो गया था कि दोनों देशों के समाचारपत्र (क) एक दूसरे उपनिवेश के विरुद्ध आन्दोलन में भाग नहीं लेंगे। (ख) ऐसे अत्युक्ति पूर्ण विवरण या समाचार प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे कि जनता में या जनता के किसी भाग में भय अथवा आशंका के भाव उत्पन्न होने की संभावना हो, और (ग) न ऐसी सामग्री प्रकाशित करेंगे जिसका अर्थ उपनिवेश द्वारा दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का समर्थन हो अथवा जिससे यह ध्वनित हो कि दोनों उपनिवेशों में युद्ध का होना अनिवार्य है, इस प्रश्न पर वाद को होने वाली वैठकों में भी विचार किया गया और एक ऐसा अन्तर-औपनिवेशिक बोर्ड संगठित किया गया जिसमें दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधि और प्रधान सम्पादक सम्मिलित थे। यह बोर्ड समय समय पर इन समझौते की प्रगति पर दृष्टिपात करता और वातावरण को सुधारने में सहायता देता रहेगा। परन्तु दुभिग्यवश परिणाम सन्तोषजनक नहीं निकले। इस असफलता का प्रधान कारण दोनों देशों के राजनैतिक संबंधों में तनाव का निरंतर जारी रहना था।

सीभाग्यवश नेहरू-लियाकत समझौते के कारण मनोवृत्तियों में जो परिवर्तन हुआ उससे ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो गयीं कि उन्होंने समाचारपत्रों को तुरंत प्रभावित कर दिया। यह अनुभव करके दोनों देशों का राजनैतिक और आर्थिक भविष्य इस समझौते को हृदयपूर्वक सफल बनाने पर निर्भर करता है, दोनों देशों के उत्तरदायी समाचारपत्रों ने अन्तरराज्यिक सीहार्द को बढ़ाने और परस्पर विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने के सरकार के प्रयत्नों की महायता में अपने आप को पूर्णतया लगा दिया।

यह भावना देहली के संयुक्त सम्मेलन की कार्रवाइयों में और जो सर्वसम्मत निर्णय किए उनमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। इस सम्मेलन के प्रस्ताव अतिमहत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही नये संबंधों का आधार हैं। एक प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन समाचारपत्रों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में उल्लेखनीय भाग लिया था उनका कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह भी है कि वे उस स्वतंत्रता के फलों की रक्षा करें, और इसलिए दोनों देशों के समाचारपत्रों को भविष्य में भारत-पाक समझौते की शर्तों का पालन शब्दशः और अर्थशः करना चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि दोनों देशों के समाचारपत्रों को समाचारों को ठीक ठीक प्रकाशित करने और उन पर निष्पक्षता से टिप्पणी करने के अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों का परित्याग किए विना, इन अधिकारों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह वर्तमान संकट काल में इस प्रकार करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में तथा दोनों देशों की वह संख्यक और अल्प संख्यक जातियों में परस्पर विश्वास, सद्भावना और सहायता की अभिवृद्धि हो।

इस सम्मेलन में आल इण्डिया न्यूज पेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस और पाकिस्तान न्यूज पेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस की एक ऐसी संयुक्त समिति संगठित करने का भी निश्चय किया गया जिसका काम अन्य बातों के अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान में तथा दोनों देशों की वहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जातियों में पारस्परिक संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करना और समाचार स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता देना रहे। इस सम्मेलन का एक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि समाचारपत्रों पर और संचाददाताओं पर जो पावन्दियां लगी हुयीं थीं वे हटा ली गयीं। दोनों सरकारों ने ऐसा करना

में काट छाट करना केवल उस अवस्था में न्यायसंगत माना जा सकता है जब कि राज्य का आधार ही संकटग्रस्त होता हो अथवा उसके उलट जाने का भय उपस्थित हो गया हो” न्यायालय ने यह भी कहा कि “सरकार की आलोचना करना अथवा उसके विस्त्र असन्तोष अथवा कटुभावना को भड़काना अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिवंध लगाने के लिए तब तक न्यायसंगत कारण नहीं माना जा सकता जब तक कि उससे राज्य की सुरक्षा के दुर्बल हो जाने का भय न हो” यह समाचारपत्रों के विकास में अति महत्वपूर्ण वात है, क्योंकि इससे स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। सच तो यह है कि इससे यह क्षेत्र डिना विस्तृत हो गया है कि उसे समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए असीम कहा जा सकता है। एक प्रमुख पत्र ने लिखा भी है कि “न्यायालय और संविधान समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की गासकों के हस्तक्षेप से तो रक्षा कर सकते हैं, परन्तु अन्ततोगत्वा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा उस उद्देश्य पर निर्भर करेगी जिसकी पूर्ति के लिए देश के समाचारपत्र उस स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ समाचारपत्रों का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है, और वे जितना ही उसका उपयोग उत्तरदायित्व की भावना के साथ करेंगे उतना ही वे उस स्वतंत्रता का निरन्तर उपयोग करते रह सकेंगे।”

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारतीय समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। गत मई मास में मीटीविडियो में मंयुक्त-गाल्ट्रीय-मंघ के नूचनाकी-स्वतंत्रता संवंधी उग कमीशन के अधिवेशन में श्री देवदास गांधी भारतीय समाचारपत्रों के प्रतिनिधि बन कर गए थे। अधिवेशन की कार्य-मूच्ची में पत्रकारों और

संवाददाताओं के लिए परीक्षण के रूप में एक प्रयोगात्मक नीति विधान तैयार करना, विविध देशों में समाचारों के स्वतंत्रतापूर्वक आदान-प्रदान में उपस्थित होने वाली वाधाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सैक्रेटरी-जनरल द्वारा तैयार किए हुए एक विस्तृत स्मृति पत्र पर विचार और समाचारपत्रों की रुचि के अन्य अनेक विषय थे। गत जून में ओटावा में एम्पायर प्रैस यूनियन की जो बैठक हुई थी उसमें जो विचार-विनिमय हुआ वह भी समान महत्वपूर्ण था। उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री कामा ने किया था। इन दोनों सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यह विचार प्रगट किया कि स्वतंत्रतापूर्वक समाचार प्राप्त करने के लिए और समाचारपत्रों के कुशलता-पूर्वक संचालन के लिए आवश्यक जो भी अधिकार हों उनके विषय में कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो जाना चाहिए।

आज भारतीय समाचारपत्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकमत का संगठन इस प्रकार किया जाय कि उससे स्वतंत्रता की रक्षा और लोकतंत्र का विकास होता रहे। यह सर्वत्र स्वीकार किया जाता है कि स्वतंत्र शासन को सुरक्षित रखने के लिए जनता में दृढ़ता और स्थिरता की आवश्यकता है। समाचारपत्रों का यह कर्तव्य और विशेषाधिकार है कि वे अपनी स्वतंत्रता का देश की व्यापक स्वतंत्रता के साथ समन्वय करते हुए चलें और जनता को शिक्षित करते हुए उसकी विचार-शक्ति, चरित्र और साहस का स्तर उच्चतर करते रहें, क्योंकि स्वतंत्रता की स्थिरता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन आधारभूत गुणों की नितान्त आवश्यकता है।



वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रगति

भारत की स्वतंत्रता के तीसरे वर्ष की और संगठित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान के हमारे प्रथम दस वर्षों की समाप्ति एक साथ हो रही है। हमने इस काल में क्या कुछ प्राप्त किया?

हमारी सफलताओं में सर्वप्रथम स्थान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की योजना का है। यह योजना युद्धकाल में उपलब्ध सुविधाओं का स्थायी विस्तार करने के लिए बनायी गयी थी। परन्तु इस पर अमल करने का समय भारतीय-स्वतंत्रता-प्राप्ति के लगभग साथ ही आया। विविध कठिनाइयों के बावजूद इस योजना ने निरन्तर प्रगति की है। प्रस्तुत-वर्ष १९५० में तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को साधन-सज्जित करके काम आरम्भ करने के लिए नियमित रूप से खोल दिया गया। चार अन्य प्रयोगशालाएं इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व काम आरम्भ कर देगीं और एक या दो वर्ष में सारी योजना प्रायः पूर्ण हो जान की आशा है।

इन प्रयोगशालाओं की योजना विशाल परिमाण में की गई है। इनका निर्माण आधुनिक यैनी पर हुआ है और इनकी यंत्रादि सज्जा विलकुल आधुनिक है। इनसे जो मुविधाएं उपलब्ध होंगी वे अभी तक देश में उपलब्ध नहीं थीं। इन्हें हल करने के लिए जो समस्याएं सांपी जायंगी उनका अनुसन्धान ये नवीनतम

ले०—टा० पृ० ३० मह० “कौनिल ऑफ मार्किन एण्ड इण्डियल गिर्ज”।

विधियों से करेगी। एक नयी वात ऐसे मार्गदर्शी निर्माण केन्द्रों का खोला जाना है जिनमें कि प्रयोगशालाओं के परिणामों का अर्धव्यापारिक परिमाण सपालता-पूर्वक प्रदर्शन किया जा सकेगा और इस प्रकार जिन प्रक्रियाओं को प्रयोगशाला में विकसित किया जायगा उनमें कारखानों के संचालकों की रुचि उत्पन्न की जा सकेगी। इस समस्त योजना के लिए इमारतें बनवाने और यंत्रादि मंगवाने पर लगभग ३ करोड़ ८० लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

गत १० वर्षों में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान कॉसिल की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान का जो कार्य हुआ उसके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के वोर्ड (वोर्ड आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च) ने विविध यूनिवर्सिटियों और संस्थाओं में मौलिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों की २३० योजनाओं को ६४ लाख रुपये की सहायता दी। अनुसंधान की योजनाओं की सहायता का विस्तृत विवरण संलग्न नक्शे से ज्ञात होगा।

निम्न तालिका बतलाती है कि प्रतिवर्ष कितने पेटेण्ट करने योग्य आविष्कार किए गए।

१९४७ १९४८ १९४९ जन० से जून ५० तक

रासायनिक	४	९	५	६
भौतिक	-	-	३	-
विद्युत-रासायनिक	१	६	-	-
औषधियां	-	२	४	-
कौच	-	-	१	-
धातु-संबंधी	१	-	-	-

अनुसंधान के इस कार्य के प्रसंग में जो आविष्कार किए गए उनमें सें कुछ राष्ट्र के लिए अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। इस समय हमारी प्रारंभिक आवश्यकताओं में से एक मकान भी है। गत वर्ष एक पुस्तिका 'लो कौस्ट हाउजिंग' (कम खर्च से बनने वाले मकान) प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तिका की प्रसिद्ध विटिश वैज्ञानिक प्रौ० जे० डी० वरनील ने भी प्रशंसा की है। वने बनाए मकानों की छतों के लिए ताप रोकने वाले सामान की आवश्यकता पूरी करने के लिए खोई (गब्बे का रस निकालने के बाद वचा हुआ फोक) के ताप निरोधक तख्ते (इन्सुलेशन वोर्ड) तैयार किए गए। हाल में एक और वस्तु 'फोम ग्लास' तैयार की गई है। यह वस्तु कांच के रद्दी टुकड़ों से बनाई जा सकती है, यह वस्तु बजन में हल्की, छेददार और ताप को भलीभांति रोकने वाली है। इसको किसी भी आकृति में काटा और बनाया जा सकता है।

कोयले के विषय में निरन्तर खोज जारी रही और एक निवंध 'इंडियन कॉल्स' नाम से प्रकाशित किया गया। इसके साथ कोयलों को धोने और मिलाने का पहले से जारी अनुसंधान कार्य अब भी जारी रहा। टाटा कम्पनी कोयले धोने के 'प्लान्ट' बना रही है। उसको जो अनुभव प्राप्त हो चुका है वह इस काम को आगे जारी रखने में बहुत सहायक होगा।

डिगवाटीह का इंधन अनुसंधान केन्द्र (फ्यूल ग्रिन इन्स्टी-ट्यूट) भी कोयले के पुरुभाजिक गठन पर प्रकाश ढालने के लिए परीक्षण कर रहा है। नमूने के कोयले को आवश्यक विधियों में अनेक प्रभागों में विभक्त करने के पश्चात उनका प्रकाश किरणों

द्वारा विश्लेषण करके उन्हें समान गुणयुक्त श्रेणियों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात् इन प्रभागों के भौतिक गुणों का निश्चय किया जाता है।

पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (नैशनल केमिकल लैबोरेटरी) ने बनस्पति के अभक्ष्यतेलों के टेक्निकल प्रयोगों की विस्तृत खोज आरंभ की है। जिन तेलों पर यह परीक्षण किए जा रहे हैं उनमें तम्बाखू के बीज का तेल, सेफ़ फ्लावर का तेल और ऐरेन्ड के तेल आदि हैं। यह अनुसंधान भारत के लिए भारी आर्थिक महत्व का है, क्योंकि हमारा देश संसार में तेल के बीजों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। प्रसंगवश यहां इस आविष्कार की चर्चा कर देना भी उचित होगा कि बानस्पतिक तेलों में काली मिर्च, हल्दी, जीरा और सोयादि डाल देने से वे सड़ते नहीं और ये मसाले उन पर हवा का असर रोकते हैं।

नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (नैशनल फिजिकल लैबोरेटरी) सूक्ष्म यंत्रों के बनाने और लगाने का काम कर रही है। यह काम अनुसंधान का कार्य आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इन यंत्रों में 'बीटा रे स्पैक्ट्रोग्राफ' का निर्माण भी शामिल है, जो कि समय के अत्यन्त सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम विभागों का लेखा रखने में सहायक होगा। "क्वार्ट्ज क्लाक" समय का स्टैण्डर्ड नियत करने में और वातावरण में चुम्बकीय आकर्षण के क्षेत्रों का निर्णय करने में सहायक सिद्ध होगी। यह कार्य द्रव्यों में 'अल्ट्रा सोनिक' पदार्थों के घुलते और प्रथक होते समय उनकी सूक्ष्म लहरों के प्रभाव को देख कर किया जायगा। भौतिकी विद्या के प्रयोग के जो अनुसंधान किए गए उनमें दो अनुसंधान

कार्बन वशों तथा अन्य कार्बन से बनी वस्तुओं के निर्माण के विषय में और दुर्लभ मिट्टियों का विश्लेशण करके उन पर चमक के प्रतिक्षेप संबंधी गुणों के अध्ययन के विषय में थे ।

जो प्रक्रियाएं अभी तक अन्वेषणाधीन थीं उनमें से कई अब पूरी हो चुकी हैं और वे व्यापारिक उद्योग के लिए कारखानों को बतलाई जा रही हैं । जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग अभी नहीं हुआ उनमें से कुछ ये हैं : साइट्रिक एसिड, कैल्सियम ग्लूकोनेट, जिलाईन, स्टराइल ड्रव्यों के लिए फिल्टर पैडों (चन्नों) और पानी परखने वाले मसाले आदि का निर्माण ।

डाक टिकड़ों की स्थाही और घापे की स्थाही के निर्माण के मंवंध में विकास का काम आरंभ हो चुका है । जिससे इन वस्तुओं के निर्माण का व्यय जाना जा सके और इनके निर्माण की विधि में मुदार किया जा सके ।

जलनीर के अयनोस्फिर और साइट्रोजेजेटिक्स को नापने के विषय में जो अनुसंधान कार्य हो रहा है वह मौलिक विज्ञान के लिए विगेप उपयोगी होगा । इनमें से पहले कार्य का संसार व्यापी अनुसंधान हो रहा है और उसकी रिपोर्टें प्रति मास प्रकाशित होती हैं । दूसरे का कुछ परिणाम निकल चुका है और उसका व्यापारिक परिणाम में गमीर बनाने पर बड़ा प्रभाव होने की मंभावना है ।

गत वर्ष कॉलिड ने अन्य वैज्ञानिक संगठनों की महायना से गृहन लहरों (माइक्रो वेव्ज) का एक 'गिम्पोजियम' संगठित किया था । इसमें देश के दो भी ने अधिक वैज्ञानिक समिक्षित हूए थे और उन्होंने इस अवगति पर माइक्रो वेव्ज के प्रयोग के

विषय में विचार-विनिमय करने का लाभ उठाया। इस अवसर पर एक दर्जन से अधिक निवंध पढ़े गए और उन पर विचार हुआ।

गत वर्ष के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए एक बोर्ड का प्रारंभ और अनुसंधान का कार्य विकसित करने के लिए एक भारतीय कौर्पोरेशन (नैशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया) की स्थापना भी है। इंजीनियरिंग अनुसंधान का बोर्ड इंजीनियरिंग के कार्यों की विविध शाखाओं के अनुसंधान कार्यों में सम्बन्ध करेगा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की कौसिल को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय अवलंबन करने के विषय में सलाह देगा। इस बोर्ड में बड़े बड़े उद्योगपति और इंजीनियरिंग की विविध शाखाओं में उच्च रैंकने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं।

नैशनल रिसर्च डिवलपमेंट कौर्पोरेशन की स्थापना, अनुसंधानों के विकास में सुविधा के लिए कारखानों में जो औद्योगिक अनुसंधान का कार्य हो उसके परिणामों का उपयोग करने में अधिकाधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए की गई है। कौर्पोरेशन की विस्तृत योजना एक विशेष कमेटी तैयार कर रही है।

एक नैशनल रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसमें एंजीनियरों के विषय में विवरण दिया हुआ है। इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है और दूसरा छप रहा है। अब तक पचास हजार वैज्ञानिकों और टैक्निशियनों के विवरण संग्रह किए जा चुके हैं और उनका विश्लेषण करके उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है।

गत वर्ष 'दी वैल्य आफ इण्डिया' नामक पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक भारत के आर्थिक साधनों और कल कारखानों के विवरण का कोष है। इस पुस्तक की देश और विदेश में अच्छी आलोचना हुई थी। इसका दूसरा भाग छप रहा है और उसके शीघ्र प्रकाशित हो जाने की आशा है।

औद्योगिक विस्तार

गत वर्ष इस द्रष्टि से विशेष उल्लेखनीय रहा कि इसमें राजनैतिक और आर्थिक दो, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असाधारण विकास दिखलाई पड़ा। सबसे प्रमुख राजनैतिक घटनाएं दो हुईं, पहली भारतीय संविधान की रचना और दूसरी उसके अनुसार सर्व प्रभुत्वसम्पन्न भारतीय गणराज्य की स्थापना। आर्थिक क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाएं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारतीय रूपये का अवमूल्यन और राष्ट्रीय योजना कमीशन (नैशनल प्लैनिंग कमीशन) की स्थापना थीं।

तत्कालीन-वित्त-मंत्री डा० जान मथाई ने २८ फरवरी १९५० को अपने बजट भाषण में कहा था : “इस देश की आर्थिक कठिनाइयों पर चाहे जिस दिशा से द्रष्टि पात करें चारों ओर बार बार अधिकाधिक उत्पादन की समस्या ही आपकी आंखों के सामने आएगी। इस कारण स्वभावतः सरकार ने सर्वाधिक महत्व उत्पादन का स्तर ऊँचा उठाने की समस्या को ही दिया है।” प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री ने भी वर्ष में अपने अनेक भाषणों में इसी बात पर बल दिया। भारत सरकार ने जीवन-मान को ऊँचा करने और जीवन व्यय को कम करने के लिए उत्पादन की वृद्धि कम से कम कारखानों में लगी हुई मशीनों की पूरी सामर्थ्य तक कर देना अपना लक्ष्य रखा और इसके लिए भरसक प्रयत्न

किए गए। इससे देश की आर्थिक हलचलों की गति बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। देश की स्वतंत्रता के तीसरे वर्ष में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ उससे आशा होती है कि वह गत वर्षों की अपेक्षा अधिक अच्छा परिणाम प्रकट कर सकेगा। सूती वस्त्र और जूट सरीखे जिन उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ सका उनमें ऐसे कारणों से हुआ जिन पर अपना कोई वस नहीं था। चीनी का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कुछ न्यून रहा। यह उद्योग कई कारणों से एक समस्यापूर्ण उद्योग रहा। चीनी के उद्योग पर टैरिफ वोर्ड ने जो हाल में रिपोर्ट प्रकाशित की है उससे इस विचार की पुष्टि होती है।

उत्पादन की वृद्धि में सर्वाधिक सहायता भारत सरकार द्वारा यह अनुभव कर लेने के कारण मिली कि परिवहन (ट्रांस्पोर्ट) की न्यूनता देश के आर्थिक जीवन को कुंठित कर देती है। १९४८ के अन्त में भारत सरकार ने अपनी यह नीति घोषित की कि कोयले, दृश्यात, वस्त्र और सीमेंट के चार उद्योगों को शतप्रतिशत परिवहन दिया जायगा। इसके साथ ही सरकार ने नई दिल्ली में कर्नाटक परिवहन बोर्ड (सीन्डल बोर्ड आफ ट्रांस्पोर्ट) की समितिया यह जानने के लिए नियुक्त की कि इन चारों उद्योगों की परिवहन की थेसामिक आवश्यकताएं क्या हुआ करेंगी। इस साहसिक नियंत्रण के कारण गंभीर है कि अन्य उद्योगों को दीर्घा भी हुई हो परन्तु परिणाम ने यह नियंत्रण उन्नित ही निश्च हुआ। इन उद्योगों की परिवहन की आवश्यकता शतप्रतिशत पूरी करने का पारा परिणाम नहीं हुआ कि उन्हें उत्पादन में सर्वेत्र उपर्युक्त हो गयी। इसके अनियन्त्रित परिवहन-संबंधित ने अपने सब प्रयत्न द्वारा के माल थोने

के साधनों को उन्नत करने में लगा दिए, जिससे कि इंजनों, डब्बों, रेलवे लाइनों और माल चढ़ाने उतारने की सामर्थ्य आदि की न्यूनताओं के कारण जो वाधाएं होती हैं वे दूर की जा सकें। इससे १९५० के आरंभ तक परिवहन की स्थिति में देश के अधिकतर भागों में इतना सुधार हो गया कि विविध प्रकार के मालों की प्रायमिकता नियत करना आवश्यक समझा जाने लगा और उन क्षेत्रों में यह नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। उदाहरणीय, १९४८ में प्रथम श्रेणी की रेलों पर कोयले के ११ लाख ६४ हजार वैगन लादे गये थे। १९४९ में यह संख्या बढ़कर १२ लाख ४० हजार हो गई अर्थात् इसमें लगभग १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रथम श्रेणी की रेलों पर माल ढोने के टन-मीलों का सर्वयोग १९४८ में १७ अरब ३० करोड़ ९० लाख था। १९४९ में यह लगभग २४ अरब ४० करोड़ हो गया था।

१९४९ में मालिकों मजदूरों के झगड़े भी गत वर्ष की अपेक्षा कम हुए। इस न्यूनता को यदि मालिकों मजदूरों के संबंधों में सुधार का सूचक न भी माना जाय जैसी कि १९४८ के कारखानों में मेल रखने के प्रस्ताव से आशा की गई थी, तो भी इसका परिणाम उत्पादन में वृद्धि तो हुआ ही। १९४८ में ऐसे झगड़ों की संख्या १६४६ थी, जिनमें १२ लाख ६९ हजार मजदूर उलझे हुए थे और उनसे ७८ लाख ३७ हजार १३३ जन-दिनों का नुकसान हुआ था। १९४९ में झगड़ों की संख्या ११८१ रही, जिनमें ९ लाख ४२ हजार मजदूर शामिल थे और उनसे ६३ लाख ४७ हजार ४०३ जन-दिनों की हानि हुई।

एक तीसरा कारण जिसने कि अधिक उत्पादन में सहायता की वह सरकार के विविध विभागों में, विशेषतः केन्द्र में, परस्पर

अधिक समन्वय था। दुर्भाग्यवश यही बात अभी केन्द्र और राज्यों में समन्वय के विषय में नहीं कही जा सकती। परन्तु हाल में आर्थिक वास्तविकताओं ने संवद्ध शक्तियों को अपनी अब तक की वैयक्तिक स्वायंवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया है।

रुई के सामान, जूट के सामान और दियासलाई के सिवाय सभी मालों का उत्पादन १९४८ की अपेक्षा १९४९ और १९५० की पहली तिमाही में अधिक हुआ। रुई और जूट की वस्तुओं का उत्पादन कम होने का एक कारण भारत और पाकिस्तान के व्यापार में गतिरोध था, जो कि दोनों देशों की सरकारों के विभिन्न नियंत्रणों के कारण हुआ। रुई के सामान वो उत्पादन में कमी का मुख्य कारण तैयार माल के स्टोक का जमा हो जाता था, जो कि पाकिस्तान का वाजार हाथ से निकल जाने और रुई की आवश्यक किसीमों के न मिलने के कारण हुआ। दोनों पड़ोसी देशों में गतिरोध के कारण कच्चे जूट की सप्लाई घट गई और भारतीय जूट मिलों को माल का उत्पादन घंटा देना पड़ा। अन्त को ममझ आ जाने के पश्चात अल्पसंग्रहक-समझौता और भारत-पाकिस्तान व्यापार-नमस्तोता किए गए और आया है कि अन्य अनेक आर्थिक शरणे भी पूर्णतया मुलझ जायेंगे।

उत्तर्युक्त अनुकूल कारणों ने देश के आंशिक उत्पादन में किसीना नुस्खार किया यह निम्नलिखित गृनी में एक ही नजर में आँच हो जायगा। युद्ध नुस्खे हृषि उद्योगों के उत्पादन की प्रगति निम्न प्रकार है :—

प्रमुख उद्योग	१९४८	१९४९	१९५० के तीन मास	प्रथम तिमाही के आधार पर
				१९५० के तीन मास उत्पादन का अन्दाज़ा
कोयला (लाख टनों में)	२९८·२२	३२४·५६	४३·४२	३३३·६०
फौलाद (" ")	१२·५५	१३·५२	३·५५	१४·१६
सीमेन्ट (" ")	१५·५२	२१·०३	६·४८	२५·९२
चीनी (" ")	१०·००	१०·४४	७·८८	*
जूट का माल (लाख टनों में)	१०·११	१·४५	२·१४	८·५६
गंधक का तेजाव (टनों में)	८०,०००	११,४५८	२३,३१	—
कागज (टनों में)	१७,२०५	१,०३,११४	२६,४९३	१,०५,१७२
काफ़ी (")	१६,१२५	२२,३८०	१,४५७	३७,०२८
वस्त्र बुनते का सूत (दस लाख पाँडों में)	१४४७·६३	१३६०·१९	३०२·७१	१२००·०८
सूती वस्त्र (दस लाख गजों में)	४३१९·३०	३१०४·२०	९१२·६०	३६५०·६४
चाय (दस लाख पाँडों में)	५७२·४०	५९५	**	—
विजली (दस लाख किलोवाट आवर्षं में)	४,५७८	४,९२०	**	—
दियासलाई के बक्स	५,३३,२४३	१,३४,३२२	१,३०,३८८	५,३३,५५२

* मोसमी उद्योग होने के कारण हिसाब नहीं लगाया । ** आँकड़े उपलब्ध नहीं ।

दियासलाइब्रों के उत्पादन में न्यूनता का एक कारण नरम लकड़ी का पर्याप्त मात्रा में मिलना कठिन हो जाना भी है। भारत में यह वस्तु अण्डमान द्वीपों से आती है। कहा जाता है कि भारत सरकार वहां इस लकड़ी के बड़े परिमाण में उत्पादन की योजना बना रही है। परन्तु राज्यों को भी अपने जंगलों में इस लकड़ी को उत्पन्न करने की योजनाएं बना कर इस वस्तु पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

गन्धक के तेजाव का भी १९५० की प्रथम तिमाही का उत्पादन देखने हुए वर्ष के अन्त में उत्पादन घट जाने की संभावना है। परन्तु यह न्यूनता अस्थायी कारणों से है और इसके कारणानों को वर्ष के अन्त तक लगभग डेढ़ लाख टन माल तैयार करने की आशा है।

उत्पादन में ऊपर उल्लिखित वृद्धियों के अतिरिक्त, १९५० में जहां आवश्यकता समझी गई वहां गज्यों के प्रयत्न और वढ़ावे द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नए उद्योग आरंभ किए गए। उदाहरणात्मक, मैनपुर राज्य में मैटीनटूल बनाने का कारखाना एक स्विस फर्म की नियायता से क्रमणः बढ़ाया जा रहा है। गीचरी का नियायिक गाँव बनाने का कारखाना आगा है कि शीत्र श्री माल तैयार करने लगेगा। इस कारखाने की सामर्थ्य प्रति वर्ष लाख तीन लाख टन अमोनियम मल्केट तैयार करने की है। उसके अतिरिक्त उसमें लगभग ३ लाख टन कैल्यम कार्बनिट सूख भी आय ही बन जाया करेगा, जिसका उद्योग मराठार मीमेट बनाने में बने का विचार कर रही है। इन प्रगति में एक और उल्लेखनीय दिल्ली द्वीपों और उनके पुर्जों आदि के निर्माण की है। मराठार का यह कारखाना मैनपुर में है। यहां अप्रैल १९५० में ट्रेलर्हाई गोड़े शामि लगे थे। कुछ नमय पद्धताव यहां

सभी पुर्जों के बनने लगने की आशा है। उनके लिए आवश्यक मशीनों का आर्डर विदेशों में दिया जा चुका है। कलकत्ता के समीप चितरंजन में रेलवे इंजनों के सरकारी कारखाने ने भी द्रुत प्रगति की है। इस कारखाने में प्रथम इंजन १९५० की अन्तिम तिमाही में तैयार होकर निकलने की आशा है।

सितंबर १९४९ में डालर की तुलना में स्टर्लिंग और रुपये का मूल्य घट जाने पर भारत सरकार ने अपनी आयात-नियर्ति नीति में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि जिससे विदेशी मुद्रा की देनदारियां संतुलित हो जाएं। परन्तु उसने ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा कि इस परिवर्तन का देश के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे। इस नीति के अनुसार दुर्लभ मुद्रा के देशों से अनावश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं और विलास सामग्रियों का आयात बहुत घटा दिया गया। परन्तु यंत्रों और आवश्यक औद्योगिक कृच्छे मालों का आयात उदारता पूर्वक जारी रहने दिया गया। मुद्रा के अवमूल्यन के पश्चात अक्तूबर १९४९ से जनवरी १९५० तक इन दोनों श्रेणियों की वस्तुओं का मूल्य क्रमशः ३५ करोड़ ७४ लाख ८८ हजार रुपये और ५० करोड़ २५ लाख ६ हजार रुपए था। इन संख्याओं की तुलना में १९४८-४९ के इन्हीं महीनों में इन वस्तुओं के आयात का मूल्य क्रमशः २४ करोड़ ३५ लाख ५७ हजार रुपए और ४४ करोड़ ७१ लाख ९६ हजार रुपए था। शराबों, परिधान वस्त्रों और बाद्य-यंत्रों आदि विलास-सामग्रियों का आयात १९४८-४९ के अक्तूबर-जनवरी महीनों के २ करोड़ ३३ लाख २ हजार रुपये की तुलना में, १९४९-५० के अक्तूबर-जनवरी में घट कर ४४ लाख ८७ हजार रुपए रह गया।

अवमूल्यन का एक लाभकारी परिणाम भारत के नियति में विशेषतः तैयार माल के नियति में, उन्नति हुआ। नियति बढ़ाने पर विचार करने के लिए नियुक्त गोरेवाला कमेटी की सिफारिशों पर जो कार्रवाई की गई उसके परिणाम स्वरूप अवमूल्यन के पश्चात प्रथम मास से ही न केवल, प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन की समाप्ति हो गई, अपितु सन्तुलन अनुकूल रहने लगा।

मूती वस्त्र, जूट के सामान, मसालों और तम्बाकू के नियति में, १९४८-४९ के अननुवार से मार्च तक के आंकड़ों का १९४९-५० के इन्हीं महीनों के अंकों से संतुलन बढ़ा मनोरंजक है। जैसा कि पहले उल्लिखित हो चुका है, यद्यपि मूती वस्त्र का उद्योग रुई की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण कठिनाई में रहा तो भी यह उल्लेननीय है कि अननुवार १९४९ से मार्च १९५० तक नियति का मूल्य १३ करोड़ १ लाख २१ हजार रुपये से बढ़ कर ५३ करोड़ २९ लाख १६ हजार रुपए हो गया अर्थात् ३६ करोड़ २७ लाख ०५ हजार रुपये की वृद्धि हुई। मसालों, चाय और तम्बाकू के नियानि का मूल्य अननुवार ४८ में मार्च ८० तक के मार्गों में ३ करोड़ ८९ लाख ३२ हजार रुपये, ३० करोड़ ०८ लाख ६२ हजार रुपए और चाय करोड़ ३३ लाख ३० हजार रुपये की तुलना में अननुवार १९४९ में मार्च १९५० तक क्रमशः १ करोड़ ४७ लाख १३ हजार रुपए, ८२ करोड़ ५२ लाख ३६ हजार रुपए और ५ करोड़ ८९ लाख ५६ हजार रुपए रहा। कच्चा जूट पाकिस्तान ने दृग्दंश मात्रा में निकलने पर भी यह मनोरंजकी बात है कि अवमूल्यन के पश्चात् काल में जूट के तैयार माल का नियानि चाय, यादृच्छा रुप रहा। इसकी बाद अननुवार १९४९ में मार्च १९५०

तक के नियति का मूल्य ६७ करोड़ २५ लाख ६२ हजार रुपए रहा जब कि अक्टूबर १९४८ से मार्च १९४९ तक के अंक ७२ करोड़ ७० लाख १७ हजार रुपए था अर्थात् नियति के मूल्य में न्यूनता केवल ५ करोड़ ४४ लाख ५० हजार रुपये की हुई।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सरकार के प्रयत्नों की सूचना लक्ष्यसमितियों (टार्जेट कमेटियों) की नियुक्तियों से भी मिलती है। केन्द्रिक औद्योगिक सलाहकार कौंसिल (सैन्ट्रल एडवायजरी कौंसिल आफ इन्डस्ट्रीज) की स्थायी समिति के निर्णयानुसार भारत सरकार ने १९५० के आरंभ में रिफँक्टरियों (हीटरों में लगने वाली चीनी) मोटरों और साइकलों के टायरों, पावर अल्कोहल, प्लाईड, डीजल आयल इंजनों, एल्यूमिनियम, कागज और गत्ते, और कांच के उद्योगों के लिए आठ लक्ष्य-समितियां नियुक्त कीं। इन समितियों का काम सम्बद्ध लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करके नियत काल में अधिकतम सम्भावित उत्पादन का लक्ष्य नियत करना था।

केन्द्रिक औद्योगिक सलाहकार कौंसिल (सैन्ट्रल एडवाय-जरी कौंसिल आफ इन्डस्ट्रीज) की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश जिस पर भारत सरकार ने अमल किया यह थी कि सूती वस्त्र, कोयले और भारी यंत्रों के उद्योगों के लिए कार्यकर्ता-दलों (वर्किंग पार्टियां) की नियुक्ति की जाय। इन कार्यकर्ता-दलों में सरकार, कारखानों और मजदूरों के प्रतिनिधि रहते हैं। और ये उद्योग की सब समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके अपनी नियुक्ति के पश्चात छै महीने के भीतर सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश करती हैं। इनसे आशा की जाती है कि ये इन


विषयों पर विचार करके सलाह देंगे : (१) उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि करना, (२) उत्पादन का व्यय घटाना, (३) माल की क्वालिटी में सुधार करना, (४) मजदूरों, प्रबंधकताओं और उद्योगों के संगठन की कुशलता में उन्नति करना (५) अनावश्यक कर्मचारियों को घटाकर और जहां आवश्यकता हो वहां यंत्रादि का प्रयोग करके उद्योगों की व्यवस्था वुद्धिपूर्वक करना और (६) उद्योग के उत्पादन की देश और विदेशों की वाजारों में अधिकाधिक खपत करना ।

इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि तत्कालीन अर्थमंत्री डा० जान मथाई ने आलोच्य वर्ष में कारखाना-मालिकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक उत्साहित किया । उन्होंने अपने बजट की रचना इस प्रकार की जिससे कि पूँजी के एकत्र होने और उद्योगों की उन्नति के लिए उसके उत्पादक व्यवसायों में लगाने का वातावरण उत्पन्न हो सके । दुर्भाग्यवश गत वर्ष की पूँजी की उपलब्धि अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी । उनकी बजट-नीति के परिणामों का अन्दाजा इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता । परन्तु इतना तो विश्वास पूर्वक कहा ही जा सकता है कि अब पूँजीपतियों को शिकायत करने का और पूँजी को रोक लेने का तथा इस प्रकार देश की उत्पादन-वृद्धि में योग न देने का कोई अवसर बाकी नहीं रहा । इसी प्रकार विदेशी पूँजीपतियों को भी प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री दोनों ने विश्वास दिलाया है कि उनको इस देश में पूँजी लगाने से डरना नहीं चाहिए । डा० मथाई ने तो यहां तक कहा था कि विदेशी पूँजी का इस देश में लगाना न केवल हमारे साधनों को बढ़ाने के लिए, अपितु हमारे अपने पूँजीपतियों में विश्वास की भावना

उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है इनमें से चाहे जो बात विदेशी पूँजीपतियों को अपील करे, सरकार ने विदेशी पूँजी लगाने के लिए जो शर्तें प्रगट की हैं वे उन्हें उचित से अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

सरकार ने इन्डस्ट्रीज कन्ट्रोल विल और दो श्रमिक विलों दि लेवर रिलेशन्स विल और अपेलेट ट्रिब्युनल विल के मामलों में जो समझौते की भावना प्रकट की हैं उससे भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए परिस्थिति अनुकूल हो गई है।

निःसंदेह प्रथम दो वर्षों में परिस्थितियां उद्योगों के लिए अन्धेरे में हाथ मारने के समान थीं। तीसरे वर्ष में गलत कदमों को पीछे लौटाने और नीति को स्थिर करने की प्रवृत्ति आरंभ हो गयी है। इससे अब तक के स्वल्प काल में भी जो परिणाम हुए वे उत्साहपूर्वक हैं। परन्तु इन नीतियों के परिणाम स्वरूप जब पूर्ण फल प्रगट होंगे तब वहुत अच्छे परिणाम निकलने की आशा है।



सांस्कृतिक सम्पर्क

इस युग के राष्ट्रों में शिक्षा मंत्रालय का कर्तव्य विशुद्ध शिक्षा संवंधी कार्यों के अतिरिक्त यह भी समझा जाता है कि वह समाज के सांस्कृतिक जीवन को उन्नत और विकसित करे। यह उचित ही है, क्योंकि शिक्षण के वास्तविक अर्थों में मानव जीवन के वह कार्य-कलाप भी शिक्षण में ही समाविष्ट हो जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कला और संस्कृति के नाना रूपों में होती है। यदि शिक्षण से अभिप्राय मानव की अन्तर्निहित प्रतिभा का प्रकटीकरण हो तो निश्चय ही वह प्रक्रिया विद्यालय की कक्षा के कोष्ठक में ज्ञान के आदान प्रदान की संकीर्ण सीमा का उलंघन कर जायगी। सच तो यह है कि अनुभव से प्रकट हो चुका है कि निरा विद्यालय के कोष्ठक का शिक्षण भी, मानव जीवन के इन व्यापक क्रिया कलापों के साथ समन्वित कर देने से, अधिक फलदायक और प्रभाव शाली बन जाता है। यही कारण है कि आज कला को केवल श्रंगार और अलंकार का नहीं, अपितु बालकों के शिक्षण और विकास के लिए एक अनिवार्य साधन माना जाता है। बालकों को यदि अपने भाव स्वयंसेव प्रकाशित करने का अवसर दिया जाय तो उनका विकास बहुत शीघ्र होता है, और इसी का नाम इसके प्रारंभिक रूप में कला है।

अतएव जब भारत सरकार के शिक्षा विभाग को (जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय है) प्रथक रूप में संगठित किया गया तब

इसका नाम शिक्षण और कला का विभाग रखा गया था। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व कुछ कारणों से, जिनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, हमारे देश में साधारण शिक्षण के साथ साथ कला और संस्कृति के विकास के लिए बहुत अवसर उपलब्ध नहीं था। जिनको कला से प्रेम था वे वहां साधारण शिक्षण की धारा से पृथक हो जाते थे और जो वह संख्या साधारण शिक्षण की धारा के साथ साथ चलती थी वह कला की ओर ध्यान नहीं देती थी। इसमें संदेह नहीं कि हमारी नईपीढ़ियों में जो असन्तोष का भाव दिखलाई देता है उसका एक बड़ा कारण उनके जीवन के भावनामय और कलामय पहलू की उपेक्षा किया जाना है।

परन्तु जब गत विश्व-युद्ध के अन्तिम वर्षों में युद्धोत्तर शिक्षण के विकास की योजनाएं तैयार की गयीं तब कला की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को कुछकुछ स्वीकार कर लिया गया। रौयल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के सुझाव पर एक ऐसा सांस्कृतिक (कल्चरल) ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसका काम भारत के सांस्कृतिक जीवन के विविध पहलुओं को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना हो और वह इस काम को साहित्य, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रण और मूर्ति निर्माण आदि के कलाओं के विद्यालय खोल कर करे। इस योजना के निर्माताओं ने बुद्धिमत्तापूर्वक निश्चय किया कि संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन कार्यों का करना आवश्यक है उनको कोई भी विदेशी सरकार भलीभांति और शीघ्रता से नहीं समझ सकती। इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया गया कि यह ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था हो और इसका कोप भी अपना

और स्वतंत्र ही हो । सरकार इसको एक बड़ी धन राशि दान के रूप में दे दे, जो इसके कोष का आधार हो और वह इसके व्याज से होने वाली आय द्वारा अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में समर्थ रहे ।

इन साधारण योजनाओं के अतिरिक्त, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यों की उन्नति के लिए विशेष कुछ नहीं किया गया था । यह ठीक है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और लखनऊ सरीखे कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में आर्ट स्कूल खोले गये थे, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तब तक शिक्षा के क्षेत्र में कला को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था । १९४४ में एक ईरानी सद्भावना मिशन के भारत आने के पश्चात उस देश के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने का यत्न किया गया था । परन्तु मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यकलापों की धारा गैर-सरकारी क्षेत्रों में ही बहती रही ।

१९१३ में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला था । उसके बाद से वह भारत के गैर सरकारी दूत का काम करते रहे । यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका; दक्षिण-पूर्वी एशिया, जापान, चीन, ईरान, और सोवियत रूस की उनकी यात्राएं विजय यात्राओं सरीखी थीं । उनकी यात्राओं के कारण इन देशों के साथ सम्पर्क पुनरुज्जीवित तो हो गए, परन्तु इन यात्राओं का मूल हेतु उनका निर्जी व्यक्तित्व होने के कारण यह भय बना रहा कि उनके व्यक्तित्व की समाप्ति के पश्चात ये सम्पर्क पुनः नष्ट हो जायंगे । सन् १९२० के पश्चात के वर्षों में पंडित नेहरू ने यूरोप की एक विस्तृत यात्रा की और उसका परिणाम

यह हुआ कि उन देशों में भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी । सर सी० वी० रमण और अन्य वैज्ञानिकों ने भी विदेशों में भारत के प्रति रुचि ज्ञागृत की है । वर्तमान संसार पर गांधी जी के व्यक्तित्व की छाप ने सभी देशों में मनुष्य के विवेक वुद्धि को हिला दिया है और संसार के पुनरुद्धार के लिए भारतीय संस्कृति का महत्व समझने की प्रेरणा दी है ।

किन्तु यह मानना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत में संसार की रुचि मन्द थी और वीच वीच में उठ कर शान्त होती रहती थी । भारत के स्वतंत्र होने के साथ संसार ने अकस्मात ही यह मान लिया कि भारत ऐसा देश है जो न केवल स्वतंत्र हो गया है अपितु उसने स्वतंत्रता एक ऐसे सभ्य और संस्कृत उपाय से प्राप्त की है जिसका संभवतः मनुष्य जाति के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है । स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी अनुभव किया कि संसार को भारत की देन मुख्यतया मनुष्य की नैतिक उच्चता और सदाचार की महत्ता के क्षेत्रों में होगी यह अनुभव प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका, कैनाडा और दक्षिण-पूर्वी एशिया की यात्राओं के पश्चात अतिदृढ़ हो चुका है । कई शताब्दियों के पश्चात भारत ने प्रथम बार एक राष्ट्र के रूप में न केवल स्वदेश में अपितु विदेश में भी कला और संस्कृति की उन्नति के कार्य में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया है ।

गत तीन वर्षों में जो सांस्कृतिक कार्य किए गए उनका यहां केवल अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है । १९४४ में ईरानी सद्भावना मिशन के यहां आने की चर्चा पहले हो चुकी है । उसके पश्चात देहली में एक छोटी-सी भारत-ईरान सांस्कृतिक

समिति बनाई गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने अनुभव किया कि इस समिति के कर्तव्यों और कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि न केवल ईरान के साथ अपितु भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। तदनुसार अगस्त १९४९ में सांस्कृतिक संबंधों की एक भारतीय कौंसिल (इण्डियन कौंसिल फौर कल्चरल रिलेशन्स) का संगठन करने के लिए एक प्रारंभिक समिति बनाई गई जिससे कि मध्यपूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ा किया जा सके। इस कौंसिल का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मई १९५० में किया। उन्होंने भारत और संसार के अन्य देशों में सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए इसका अग्रदृत के रूप में स्वागत किया।

इस कौंसिल के कई विभाग होंगे। उनमें से प्रथम विभाग, मध्यपूर्व के देशों और टर्की के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसका संगठन हो चुका है और इसके सदस्यों में यूनिवर्सिटियों ज्ञान-संस्थाओं तथा विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी अधिकारपूर्ण स्थिति के कारण नामजद किया गया है। सब भारतीय यूनिवर्सिटियों को इसमें दो-दो प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया था। उनमें से अठारह ने बत्तीस नाम भेजे हैं। देश भर से ऐसी ४२ संस्थाएं चुनी गयीं थीं जिनकी मध्य-पूर्वी संस्कृति के विविध अंगों में रुचि हो। उन सब का एक एक प्रतिनिधि इस विभाग में लिया गया है। सात विदेशी मिशनों और लेगेशनों से भी ग्यारह सदस्यों को नाम-जद किया है। इनके अतिरिक्त, कौंसिल के अध्यक्ष को अधिकार है कि वह ऐसे तीस सज्जनों को सदस्य बना दे, जिनकी कला,

साहित्य, संस्कृति, सामाजिक और मानवी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थिति हो। मध्य पूर्व का यह विभाग अपना काम आरंभ कर चुका है और इसने एक पुस्तकालय और वाचनालय खोलने के अतिरिक्त अरबी भाषा में एक पत्रिका “थकफ़ात-उल-हिन्द” (भारतीय संस्कृति) का प्रकाशन आरंभ कर दिया है। अब दक्षिण पूर्वी देशों से संवंध रखने वाले दूसरे विभाग की स्थापना विचाराधीन है। इन दोनों विभागों की स्थापना के पश्चात यूरोपियन और अमेरिकन देशों के साथ संवंध रखने वाले विभागों की स्थापना का काम हाथ में लिया जायगा। कौंसिल ने भारत और ईरान में अध्यापकों का आदान प्रदान भी किया है। प्रसिद्ध ईरानी विद्वान प्रौ० नफीसी ने १९४९-५० की सदियों में भारत का भ्रमण किया था और मद्रास यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व अध्यापक डा० कुन्हन राजा को अन्जुमने-ईराने-शनासी के ‘विजिटिंग प्रोफेसर’ के रूप में ईरान भेजा गया है।

शांतिनिकेतन के डा० पी० सी० बागची को नैशनल पेकिंग यूनिवर्सिटी में भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्यापक नियुक्त करके १९४७ में चीन भेजा गया था। वह दिसम्बर १९४८ में भारत लौट आए। इसके अतिरिक्त दो अध्यापकों को तस्मानियां (आस्ट्रेलिया) से मांग आने पर एक वर्ष के लिए वहां भेजा गया था। जंजीवार, अफगानिस्तान, मलय और इथीयोपिया की सरकारों की प्रार्थना पर वहां के लिए एक नियमित आधार पर अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। मंत्रालय ने चीन, ईरान, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों और विद्वानों के भारत पधारने और

विद्यानुरागी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में उनके व्याख्यान कराने की व्यवस्था की है।

स्वतंत्र भारत ने विदेशों के साथ अन्य प्रकार भी अपने सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का यत्न किया है। इण्डोनेशिया, जापान, चीन, टर्की वर्मा और अफगानिस्तान के कुछ विशिष्ट पुस्तकालयों को भारतीय संस्कृति और इतिहास संबंधी पुस्तकों और संस्कृत भाषा तथा साहित्य के कुछ ग्रन्थ भेंट किए गए हैं। भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों के साथ सरकारी प्रकाशनों का नियमपूर्वक परिवर्तन करने के लिए समझौता किया है। भारत के कुछ पुस्तकालयों के सुपुर्द्ध यह काम किया गया है कि वे संयुक्त-राष्ट्र संघ और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों के प्रकाशनों का संग्रह अपने यहां रखें।

विविध देशों में विद्यार्थियों और छान्दोनों का स्वतंत्रतापूर्वक आते जाते रहना सांस्कृतिक सम्पर्क और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस प्रकार की छात्रवृत्तियों का परिवर्तन बड़ी संख्या में करने की व्यवस्था की है। भारत ने फ्रांस, इटली, और ईरान के साथ फेलोशिप्स के आदान प्रदान की व्यवस्था की है। १९४४ में १० चीनी विद्यार्थी भारत सरकार के व्यय पर इस देश में आए थे और १० भारतीय विद्यार्थी चीन सरकार के व्यय पर वहां गए थे। १९४७ में भारत सरकार के व्यय पर और भी भारतीय विद्यार्थी चीन भेजे गये और पूर्वी अफ्रीका के ५ तथा इण्डोनेशिया के ७ विद्यार्थियों को विशिष्ट छात्रवृत्तियां दी गयीं। गंत वर्ष से सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों की एक बड़ी योजना आरंभ

की गई है। इसमें भारत के पड़ोसी सब देश और वे प्रदेश शामिल हैं जिनमें कि भारतीय जाकर वस गए हैं। १९४९ में इस योजना के अनुसार ५३ छात्रवृत्तियां दी गई थीं। १९५० में तथा आगामी वर्षों में और अधिक छात्रवृत्तियां दी जायेंगी।

हाल के वर्षों में भारत ने ईरान, अफगानिस्तान और इण्डो-नशिया को कुछ पुरातत्व मिशन भेजे थे। भारत के प्रधान मंत्री जब इण्डोनेशिया गये थे तो वह अपने साथ भारत के पुरातत्व-विभाग के डायरेक्टर-जनरल (डायरेक्टर-जनरल आफ आर्कियो-लौजी) और एक होशियार फोटोग्राफर को भी ले गए थे, जिससे कि वे मौके पर जाकर वहां के पुरातत्व-संवंधी प्राचीन अवशेषों का अध्ययन कर सकें। भारत सरकार ने अगस्त १९५० में अ० भा० ललित कला व शिल्प समाज (आल इण्डिया फाइन आर्ट्स एण्ड क्रैफ्ट सोसायटी) की सहायता से कावुल में भारतीय कलाओं की एक प्रदर्शनी भी संगठित की थी। हाल में निश्चय किया गया है कि भारतीय कला के चित्रों की एक चलती फिरती प्रदर्शनी कुछ चुने हुए विदेशों को भेजी जाय। भारतीय ललित कला परिषद (आल इण्डिया फाइन आर्ट्स एसोसिएशन) की सहायता से भारत के विविध नगरों में वर्तमान यूरोपियन कला की उच्चतम कृतियों की एक प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन द्वारा आयोजित की गई। भारतीय वालकों की कलाकृतियों का एक संग्रह अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और जर्मनी संरीखे कुछ विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। उसका यहां विशेष निर्देश कर देना उचित है।

१९४९ में राष्ट्रपति के भवन में एक नैशनल म्यूजियम की नींव उन कुछेक दर्शनीय वस्तुओं की सहायता से डाली गई जिन्हें

लण्डन की रौयल एकेडमी ने अपनी भारतीय कला की प्रदर्शनी के लिए एकत्र किया था । इस नैशनल म्यूज़ियम को पूर्णतया प्रतिनिधिक बनाने के लिए भारत सरकार भारतीय कला की विदेशस्थ मूल्यवान दर्शनीय वस्तुओं की सूची तैयार करवा रही है । विचार यह है कि जितनी वस्तुएं अपने मूल रूप में मिल सकें उतनी उनके मूलरूप में और जहां मूल वस्तुएं उपलब्ध न हों वहां योग्य विशेषज्ञों द्वारा उनकी नकलें संग्रहीत करा ली जायें ।

नैशनल म्यूज़ियम की स्थापना के अतिरिक्त भारत सरकार ने कला की मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण के भी उपाय किए हैं । एक ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त किए विना कला की मूल्यवान वस्तुएं भारत से बाहर न जान पावें । धीरे धीरे वर्तमान भारतीय कला की एक चित्रशाला बनाई जा रही है । सरकार महत्वपूर्ण कला की वस्तुओं का क्रय करने के लिए एक स्थायी और राष्ट्र के लिए उनको सरक्षित करने के लिए एक स्थायी कोष स्थापित कर रही है ।

गत वर्ष अगस्त में कलकत्ता में एक कला सम्मेलन किया गया था जिसमें समस्त देश से अनेक विख्यात कलाकार और शिल्पी एकत्र हुए थे । रियासतों और प्रांतों की सरकारें के प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे । उसने भारत में कला को प्रोत्साहन देने और कला से संबद्ध मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए एक संगठन बनाने की विस्तृत योजना तैयार की है । निश्चय किया गया है कि इस वर्ष विख्याति-प्राप्त कलाकारों को इस प्रयोजन से छात्रवृत्तियां दी जायें कि वे कला के विविध रूपों का अध्ययन करें

और उचित संरक्षा के अभाव में जो कला की वस्तुएं जीर्ण तथा क्षीण होती जा रही हैं उनका संग्रह करें।

सांस्कृतिक कार्य का एक अन्य क्षेत्र जिसमें अध्ययन और अन्वेषण की वड़ी आवश्यकता है, वह भारतीय संगीत है। यह सर्व विदित है कि भारतीय संगीत का विकास उत्तर और दक्षिण में समानान्तर दिशाओं में होता रहा है। इस मंत्रालय ने उत्तर-प्रदेश की सरकार के सहयोग से हिन्दुस्तानी संगीत का एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया है। यह विद्यालय भारतीय संगीत की उत्तरी शैली का शिक्षण देगा और उसके अन्वेषण तथा विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। मद्रास सरकार के सहयोग से मंत्रालय ने कर्नाटक संगीत का भी एक केन्द्रिक कालिज संगठित किया है। वह शीघ्र ही कर्नाटक संगीत के राष्ट्रीय शिक्षालय के नियंत्रण में चलाया जायगा। वह सब प्रकार के कर्नाटक संगीत का प्रतिनिधित्व करेगा और दक्षिण भारतीय संगीत के लिए वही कार्य करेगा जो कि लखनऊ का विद्यालय उत्तर भारतीय संगीत के लिए करने का विचार रखता है। भारतीय लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रणालियों का भी प्रतिनिधित्व रूप में संग्रह करने का यत्न किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ स्कूलों में सिखाई जायेंगी। हमारा विचार है कि कला की इस महत्वपूर्ण शाखा को जीवित रखने का सर्वोत्कृष्ट उपाय यही है।

शीघ्र ही दो सम्मेलन बुलाने की योजना है। एक विविध भारतीय भाषाओं के साहित्य-मर्मज्ञों का और दूसरा संगीत, नाट्य और नृत्य के विशेषज्ञों और उपासकों का। विचार यह है कि ऐसी अखिल भारतीय कौंसिलें बना दी जायें जो देश के विविध भागों के कलाकारों में ज्ञान और अनुभव के विनिमय को

की में उसकी सफलताओं से ही नापी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का निश्चय सदा स्वार्थों के आधार पर होता है और यदि ये स्वार्थ सुसंस्कृत हों तो भी उक्त निश्चय सदा सौदेवाजी की भावना से प्रभावित हो ही जाते और अतएव अस्थायी होते हैं। एक देश की उन्नति से अन्य देशों का भी लाभ अवश्य होता है, इसलिए स्वतंत्र भारत का संकल्प है कि वह पुरानी परम्पराओं के साथ नवीन विचारों के विकास का समन्वय करके अपनी शानदार विरासत को समृद्ध करने के अतिरिक्त संसार की सांस्कृतिक विरासत को भी समुन्नत करने में योग देगा।

— * —

प्रोत्साहित करती रहें और सरकार को कला की उन्नति के लिए विशेषज्ञों के रूप में सलाह दिया करें।

अब तक के इतिहासों में केवल भारतीय अथवा केवल यूरोपियन दर्शन-शास्त्रों की चर्चा की गई है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र के इतिहासों में भारतीय दर्शनों का संकेतमात्र करने का यत्न किया गया है। परन्तु अब तक विविध देशों और विविध कालों में मानवी विचार के विकास का विस्तृत विवरण देने का यत्न नहीं किया गया। मौलाना आज़ाद का विचार हुआ कि यदि संसार की विविध जातियों को एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करना हो तो उक्त प्रकार का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये शिक्षा-मंत्रालय ने अपने हाथ में पहला कार्य दर्शनों के इस प्रकार के इतिहास की तैयारी का लिया जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों विचार-धाराओं की चर्चा हो। संसार के विविध भागों के लगभग ६० विद्वानों ने इसे तैयार करने में योग दिया है। यह लगभग तैयार हो चुका है। यह दर्शन शास्त्र का प्रथम इतिहास होगा जिसमें कि भारत, चीन, जापान, ईरान, अरब-भाषा-भाषी संसार, मिश्र, ग्रीस और मध्यकालिक तथा वर्तमान यूरोप और अमेरिका के मानवीय विचार के विकास का विवरण दिया जायगा।

सांस्कृतिक क्षेत्र में इस मंत्रालय के प्रयत्नों का विवरण इस संक्षिप्त स्थान में देने का यत्न करने का फल यह होगा कि वह घटनाओं की एक अनाकर्षक सूची सरीखा लगने लगेगा। इसलिए इस सूची को लम्बा करने के स्थान पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि भारत सरकार को इस बात का पूरा ध्यान है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक योग्यता, सांस्कृतिक क्षेत्र

की में उसकी सफलताओं से ही नापी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का निश्चय सदा स्वार्थों के आधार पर होता है और यदि ये स्वार्थ सुसंस्कृत हों तो भी उक्त निश्चय सदा सौदेवाज़ी की भावना से प्रभावित हो ही जाते और अतएव अस्थायी होते हैं। एक देश की उन्नति से अन्य देशों का भी लाभ अवश्य होता है, इसलिए स्वतंत्र भारत का संकल्प है कि वह पुरानी परम्पराओं के साथ नवीन विचारों के विकास का समन्वय करके अपनी शानदार विरासत को समृद्ध करने के अतिरिक्त संसार की सांस्कृतिक विरासत को भी समुन्नत करने में योग देगा।



महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

भारत के छापेखानों से नए प्रकाशनों की धारा प्रतिवर्ष अनवरत वहती रहती है और इस कारण आलोचक का कार्य सरल नहीं रहता। यह तो और भी कठिन है कि दर्जन भर पुस्तकों की ओर अंगुली उठाकर कोई कहदे कि स्थायी मूल्य की वस्तुएं यही और केवल यही हैं। यद्यपि धर्म और राजनीति पर लिखने वाले लेखक सैकड़ों हैं, परन्तु धर्म पर जो कुछ लिखा जाता है उसमें मौलिक विचार बहुत कम रहते हैं और राजनीतिक साहित्य का रूप बहुधा सामाजिक समस्याओं पर लिखी हुई पुस्तिकाएं होती हैं, और फलतः उनका महत्व अचिरस्थायी होता है। उपन्यास बहुधा विविध भारतीय भाषाओं में लिखे जाते हैं, इस कारण जो उत्कृष्ट उपन्यास एक भाषा में, उदाहरणार्थ बंगला में, लिखा जाता है, वह देश के अन्य भागों में तब तक अज्ञात रहता है जब तक उसका अन्यभाषाओं में अनुवाद नहीं हो जाता।

१९४९ में धार्मिक विषयों पर जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए उनमें असाधारण योग्यता का एक ग्रन्थ रामायण पर स्वर्गीय श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री के व्याख्यान थे। इन व्याख्यानों में इस महान लिखरल विचारक ने इस महाकाव्य के पात्रों पर साधारण मनुष्यों की भाँति विचार किया है और दिखलाया है कि उनके लिए भी भावनाओं का वशवर्ती होना और भूलें करना संभव था। श्री शास्त्री ने रामायण के कुछ

ले०—वी० अप्पा स्वामी “हिन्दू” मद्रास।

सर्वोत्कृष्ट प्रकरणों की परीक्षा और व्याख्या इस प्रकार की है कि उसे साधारण जन समझ सकते और उसकी पंडित प्रशंसा कर सकते हैं। एक और मूल्यवान् ग्रन्थ श्री अर्विद के पत्रों का द्वितीय संग्रह था जिसमें कि इस रहस्यमय विचारक ने अपने बहुसंख्यक शिष्यों के जिज्ञासामय प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। एक तीसरी पुस्तक जो कि हिन्दू और ईसाई धर्मों के मध्य की खाई पाठने का काम दे सकती है वह स्वामी अखिलानन्द की “द हिन्दू व्यू आफ क्राइस्ट” है। इसमें लेखक ने जीसस क्राइस्ट पर एक पूर्वी योगी के रूप में विचार किया है और दिखलाया है कि उसने अपना जीवन अहिंसा की वलिवेदी पर विसर्जित कर दिया। डा० आनन्द कुमार स्वामी ने अपने “लिंगिंग थाट्स आफ गौतम वुद्ध” में वौद्ध धर्म के विषय में एक नवीन द्रष्टिकोण उपस्थित किया है और दिखलाया है कि वुद्ध ने अपनी विचारधारा हिन्दू धर्म से ही ली थी। शुद्ध दार्शनिक ग्रंथों में डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त की “हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलौसफी” का चतुर्थ भाग इसी वर्ष प्रकाशित हुआ। इस भाग में माधव, वल्लभ और वंगाल के वैष्णवों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।

एतिहासिक ग्रंथों में दो उल्लेखनीय प्रकाशन डा० जी० एस० सरदेसाई की “न्यू हिस्ट्री आफ द माराठाज” के द्वितीय और तृतीय भाग थे। लेखक ने इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास के एक अत्यन्त आकर्षक युग का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। डा० जी० एम० डी० सूफी की विस्तृत “हिस्ट्री आफ काश्मीर” विशेष मनोरंजक है, जिसमें उसने सप्रमाण दिखलाया है कि कवि कालिदास का जन्म काश्मीर में हुआ था। बनारस के डा० ए० एस० आल्टेकर ने अपनी पुस्तक “स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन एन्जियन्ट इण्डिया” में बतलाया है कि गुप्त काल से पूर्व भी भारत

उल्लेख किया जा सकता है। टामस की पुस्तक में भारतीय आर्थिक दशा का विशद विवेचन है। धाटे ने एशिया को एक प्रथक और विशिष्ट इकाई मानकर यह प्रतिपादित किया है कि एशिया की अपनी व्यापारिक योजनाएं और संस्थाएं प्रथक होनी चाहिए। भारत में आर्थिक विषयों पर विशुद्ध सिद्धांत की द्रष्टिसे बहुत कम लिखा जाता है। परन्तु श्रीगुरु रांगनेकर ने अपने “इम्परफक्ट कम्पटीशन इन इन्टरनैशनल ट्रेड” में गणित द्वारा जो विवेचन प्रस्तुत किया है वह उनके अतिगूढ़ विषय के योग्य ही है।

१९४९ के प्रकाशनों के इस संक्षिप्त अवलोकन में ललित कलाओं के विषय में कुछ चर्चा नहीं की गई परन्तु लीलाराय की “नृत्य मंजरी” का उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय नृत्य कला के साहित्य का यह एक उपयोगी और नया ग्रंथ है। इसमें भारत-नाट्यम् प्रणाली का विवरण है।

आदिवासियों की प्रगति

१९४१ की जनगणना के अनुसार भारत के मूल निवासी आदिवासियों की संख्या २ करोड़ ४८ लाख है। ये भारत के सर्वाधिक प्राचीन निवासी हैं। जनगणना का काम अब तक राजनीतिक विचारों से इतना प्रभावित होता रहा है कि इंपिड्यन साइन्स कांग्रेस के इस मत को मानना अधिक उचित प्रतीत होता है कि आदिवासियों की संख्या “तीन करोड़ से कम नहीं है”। यह संख्या अपनी गणना में केवल उन लोगों को लेती है जो कि हिन्दुओं और अन्य जातियों की खपा लेने की शक्ति के प्रभाव से बच गए हैं। आज आदिवासियों में केवल उन जातियों की गणना की जाती है जो अभी तक अपने पुराने तरीकों से रहतीं सहतीं और पुराने रीति-रिवाजों तथा प्रारंतिहासिक धर्मों को मानती हैं। भारत पुरानी जातियों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का स्वर्ग है। यहां लगभग २०० विविध जातियां वसती हैं। उनमें से कुछ की संख्या केवल हजारों तक सीमित है और अन्यों की दसियों लाखों तक। प्राचीन भारतीय साहित्य में जिन असुरों का इतना जिक्र आता है उनकी संख्या अब केवल ४,५६४ है। गोंडों की संख्या ३२ लाख है। उनकी जाति सबसे बड़ी है। संथालों की संख्या २७ लाख और भीलों की २३ लाख है। इन दोनों का नम्बर दूसरा और तीसरा है।

भारतीय ऐतिहासिकों का आयों से पूर्व के भारत के समाज के विषय में मौन रहना अर्थवूर्ण है। वे यह प्रभाव डालने का

यत्न करते हैं कि आदिवासियों की अपनी कोई सभ्यता नहीं । हड्डप्पा और मोहन-जो-दड़ो में जो खोजें की गई हैं उनसे असन्दिग्ध रूप से सिद्ध हो जाता है कि सिन्ध घाटी की सभ्यता बहुत उच्च कोटि की थी । वहां कई जातियों के गणतंत्र थे । उनमें कुछ तो बहुत बड़े बड़े थे । यह वात बहुधा इतना बल देकर कही जाती है कि वह अन्धविश्वास सरीखा लगता है कि प्रमुख भारतीय भाषाएं संस्कृत से अधिक प्रभावित हैं । इस सत्य पर प्रायः कुछ ध्यान नहीं दिया जाता कि आदिवासियों की कई भाषाएं, उदाहरणार्थ मुँडारी, असाधारण सम्पन्न हैं और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बाहर से आने वाले आर्य भाषा भाषियों की भाषाओं को प्रभावित किया होगा ।

आदिवासियों ने बाहर से आने वालों के साथ एक इंच भूमि के लिए युद्ध किया था । पराजय का परिणाम उनमें पूरी तरह समा जाना होता । आज आदिवासी पहाड़ियों और घने जंगलों में ही निवास करते दिखाई देते हैं । इससे सिद्ध होता है कि आदिवासियों को आक्रामक आर्यों के सामने पीछे हट जाना पड़ा था । पशु-पालक लोगों के नाते उनकी रुचि मुख्यतः नदियों के तटवर्ती मैदानों में थी । नये आगन्तुकों को कठिन और भयंकर जंगलों का कोई आकर्षण नहीं था । कई शताब्दियों तक पर्वतों और जंगलों की दुर्गमता ने विदेशियों की सभ्यता का प्रभाव और विस्तार रोकने के विरुद्ध गारन्टी का काम दिया । उनके मार्ग दुर्गम थे, और हाल के वर्षों तक आदिवासियों को किसी ने नहीं छेड़ा । देश की राजनीति में उनका कोई भाग नहीं रहा । राष्ट्रीयता के संघर्ष में भी आदिवासियों की ओर ध्यान देना अनावश्यक समझा गया । निटिय शासन काल में, १८ आदिवासी इलाकों के अलग

वेर बनाकर, उनको साधारण शासन-व्यवस्था से अलग कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि आदिवासी इलाकों में साधारण कानून गवर्नरों की विशेष आज्ञाओं और अनुज्ञाओं के पश्चात ही लागू किए जाएंगे। यह सब कुछ उनकी रक्षा के नाम पर किया गया था। प्रांत का गवर्नर सीधा वाइसराय के प्रति उत्तरदायी था। परन्तु वस्तुतः अन्य लोगों के अनुचित उपयोग से आदिवासियों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया गया। विविध सम्प्रदायों के ईसाई पादरियों को आदिवासी इलाकों में धर्म प्रचार के लिए जाने दिया गया और उसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि जंगलों में भी ईसाइयत का प्रचार हुआ और धर्मपरिवर्तन होने लगा।

शिक्षण की द्रष्टि से सब आदिवासी इलाके अनुन्नत नहीं हैं। जहां जहां ईसाई पादरियों ने काम किया वहां वहां उन्होंने अपने अनुयाइयों को साक्षर बना दिया और मिशनों के स्कूलों और कालिजों के द्वारा गैर ईसाइयों के लिए भी खुले रखे गए। यदि पश्चिम के ईसाई पादरी उनमें काम न करते तो आदिवासी सर्वथा अशिक्षित रहते। मिशन क्षेत्रों में शिक्षण के कारण आदिवासी स्त्रियों की बहुत उन्नति हुई है। साधारणतया वे अध्यापिकाओं और नर्सों का पेशा अपनाती हैं। सौभाग्य से आदिवासियों के समाज में स्त्रियों के उद्घार की कोई समस्या नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों का दर्जा सब द्रष्टियों से समान है और कई जातियों में तो स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से अधिक हैं। आसाम में जैतिया और खासी पहाड़ियों की खासी जातियों में मातृ-प्रधान समाज व्यवस्था है। आदिवासी स्त्री को समाज के ऊपर भार रूप कहीं भी नहीं समझा जाता। वह पुरुषों की अपेक्षा अधिक श्रम करती है।

स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज के किसी भी भाग को एक दूसरे से पृथक रखने की गुंजाइश नहीं है। देश की प्रवृत्तियाँ इतनी बदल गई हैं कि सुरक्षाओं और विशेषाधिकारों का विचार अब निन्दित माना जाता है। परन्तु यह मानना पड़ता है कि आदिवासियों और भारतीय समाज के अन्य अनुन्नत वर्गों को साधारण जनता के स्तर तक लाने के लिए तन्मय होकर काम करना पड़ेगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वयस्क मताधिकार से इस समस्या का हल हो जाएगा। निःसंदेह वयस्क मताधिकार के कारण राजनीतिक दलों को आदिवासियों की भी खुशामद करनी पड़ेगी, परन्तु यदि आर्थिक उन्नति और विकास के लिए कुछ भी काम किए बिना केवल राजनीतिक नारे लगाए गए तो उसका परिणाम उथल-पुथल के रूप में प्रकट होगा, जो देश के लिए इष्ट नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि संविधान में आदिवासियों की रक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करदी गई है; परन्तु संविधान की भलाई वुराई उसके लिखित शब्द से नहीं, अपितु उस पर जिस भावना से आचरण किया जाता है उससे जांची जानी चाहिए।

संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो कि उसे समय पर उन कार्यों की रिपोर्ट दिया करे जो कि सरकारें आदिवासियों और अनुन्नत वर्गों की उन्नति के लिए करती हैं। इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति अभी होनी है। प्रश्न इस अधिकारी की सामयिक रिपोर्टों की उपयोगिता का इतना नहीं है जितना कि उन अधिकारों का है जो कि उसे संविधान की हिदायतों पर शीघ्र अमल कराने और विविध नीतियों और उपायों से समन्वय

कराने के लिए दिए जा सकते हैं। सन्तोषजनक परिणामों की प्राप्ति के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्थानों पर एक विशेष विभाग की रचना करनी पड़ेगी। यदि वास्तविक उन्नति करनी हो तो आसाम, उड़ीसा, छोटा नागपुर, गोंडवाना और अन्य इसी प्रकार के आदिवासी इलाकों में आदिवासी मामलों के लिए मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ेगा। अनुन्नत वर्गों में काम करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की एक श्रेणी का संगठन करने के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यह एक विचित्र बात है कि पुरानी जातियों के रीतिरिवाजों का अध्ययन करने वालों (एथोपोलिजिस्टों) ने जो सलाहें दी हैं उनकी अब तक उपेक्षा ही की जाती रही है। सलाहकार कौसिले हल पेश कर सकती हैं, परन्तु उनकी सफलता उन साधनों और सहयोग की उस मात्रा पर निर्भर करेंगी जो कि आदिवासियों की समस्या को हल करने के लिए सरकार और जनता उन्हें देगी। विना धन की सहायता के बहुत प्रगति नहीं की जा सकेगी।

संविधान में व्यवस्था की गई है कि आदिवासियों की भूमि अन्य किसी को नहीं दी जा सकेगी। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। आदिवासी अपनी ही भूमि की सन्तान हैं और वहां वे स्थिरता से रह सकती हैं। जो आदिवासी अपनी भूमि खो चुके हैं उनको उसे पुनः प्राप्त कराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? लगभग दस लाख छोटा नागपुर के आदिवासी आसाम के चाय के वगीचों में काम करते हैं और वे एक वगीचे से दूसरे वगीचे में मारे मारे फिरते हैं। चाय वगीचों में जो मजदूर स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहते हैं उनकी कोई समस्या नहीं है, परन्तु अन्य मजदूरों

की अवस्था सुधारने के लिए उन्हें पुनः जमीन पर लगाना होगा । इसके बिना चाय वगीचों में अवस्थाएं स्थायी नहीं हो सकतीं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आदिवासियों में राजनैतिक जाग्रति जैसी शीघ्रतापूर्वक हुई है वह ध्यान देने योग्य है । आसाम में सभी जातियों ने अपने स्थानीय राजनैतिक संगठन बना लिए हैं और सीमावर्ती राज्य में उनका जो महत्व है उसको वे समझती हैं । विहार में आदिवासियों की आवादी पचास लाख से ऊपर है और उनकी एक अनुशासनपूर्ण राजनैतिक पार्टी है । विहार में आदिवासियों ने आत्मनिर्णय के लिए जो संघर्ष किया उसका प्रभाव भारतवर्ष में दूर दूर तक हुआ और उससे सरकार का ध्यान आदिवासियों की ओर आकर्षित हो गया । छोटा नागपुर खनिज घन की द्रष्टि से सम्पन्न प्रदेश है । और वहां आदिवासियों की आवादी भी सबसे अधिक और धनी है । औद्योगिक उन्नति को आदिवासियों ने प्रसन्नता से अपनाया है, और जब दामोदर घाटी की योजना पूर्ण हो जायगी तब इस बात का अध्ययन करना मनोरंजक होगा कि आदिवासी नवीन उद्योग विस्तार का स्वागत कैसा करते हैं ।

प्रवासी भारतीय

संसार के जिन विविध भागों में भारतीय वसे हुए हैं उनसे आज दुख और पीड़ा की पुकार सुनाई दे रही है। कई देशों में उनको निकाल बाहर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ये प्रयत्न उन देशों में अधिक शोषणता से हो रहे हैं जिनकी उन्नति में हमारे देश के लोगों ने सर्वाधिक सहायता की थी। दक्षिण अफ्रीका, लंका, वर्मा, मलय, फिजी और वेस्टइण्डीज में सर्वत्र भारतीयों ने अपने श्रम और कुशलता से सुख समृद्धि और धन का विस्तार कर दिया परन्तु आज उन सब स्थानों पर वहाँ की पदारूढ़ शक्तियाँ उन्हें निकाल बाहर करने का यत्न कर रही हैं।

भारतीय लोग, जैसा कि ख्याल किया जाता है, घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों को यह एक नई बात जान पड़ेगी कि स्वदेश में रहने वाले प्रति १०० भारतीयों के पीछे एक भारतीय अपनी आजीविका समुद्र पार जाकर कमाता है। आज लगभग ४५ लाख भारतीय उत्तरी ऐटलांटिक से लेकर हिन्द महासागर को पार करते हुए दक्षिण प्रशान्त सागर तक फैले हुए हैं। वे जहाँ कहीं भी हों और उनकी जैसी भी अवस्था हो वे भारत के ही छोटे छोटे अंग हैं। वे जहाँ कहीं रहते हैं वहीं अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परम्परायें और अपनी जीवन-चर्या भी अपने साथ ले जाते हैं। अनेक शताव्दियाँ बीत जाने पर भी और

ले०—डा० एन० बी० राजकुमार, वैदेशिक सेकेटरी, आल इण्डिया कॉर्पोरेशन मेटी।

अपने देश से सर्वथा विछिन्न हो जाने पर भी वे अपने देश के भूतकाल का यश भूले नहीं हैं।

भारतीयों के विदेशों में जाकर वसने का इतिहास अज्ञात और दूरवर्ती भूतकाल में छिपा हुआ है। ईसवी सन से ४०० वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान की संस्कृति, साहित्य और धर्म मलय में पहुँचे चुके थे। सुदूरपूर्व के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्पर्क कम से कम १५०० वर्ष पुराने हैं और आज भी बाली के लोग प्रधानतया हिन्दू हैं। अपने देश के समीप लंका में भारतीय व्यापारी और बौद्ध प्रचारक ईसवी सन से कई शताब्दी पूर्व जाकर वस गये थे। इस प्रकार हमारे बीर देशवासी व्यापार और साहस की खोज में, वास्को-डी-नामा द्वारा पश्चिम के लिए पूर्व की खोज करने से भी पहले अपने जहाज लेकर दूर दूर के देशों में पहुँच चुके थे।

परन्तु यह यशस्वी भूतकाल प्रवासी भारतीयों के इतिहास का एक बहुत मिटा हुआ और कटा हुआ पृष्ठ है। गत शताब्दियों में इन भारतीयों को कट्ट ही हुआ है और उनके जीवन की अवस्थाएं निरन्तर क्षीणतर होती गई हैं। भूतकाल में अपना सिर ऊंचा रखने वाली इस जाति के ह्लास के कारण अनेक हैं और उनमें शायद सबसे प्रमुख वह 'इनडैन्चर' है जिसके द्वारा भारतीय लोग धन और उन्नति के अवसरों के खोजी व्यापारियों और अदम्य साहसियों के स्थान पर, गुलाम मजदूर बनकर अपने देश से बाहर जाते थे। यह अन्यायपूर्ण पद्धति लगभग ८५ वर्ष तक जारी रही और उनके कारण भारतीयों को उन्हीं अधिक कठिनाइयां, पीड़ाएं, असमान और अवमाननाएं सहनी पड़ीं कि उनसे मानव इतिहास के पृष्ठ नदा के लिए कांकित हो गए हैं।

'इनडैन्चर सिस्टम' का परिणाम बड़ा कठोर और भयंकर हुआ। जैसा कि हम अभी लिख चुके हैं, आज विदेशों में भारतीयों की शोचनीय दशा मुख्यतया इस पद्धति के ही बुरे परिणामों के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त यह कारण भी था कि हाल तक भारत स्वयं स्वतंत्र देश नहीं था और इस कारण वह अपनी विदेशस्थ सन्तानों की अत्यन्त कम अथवा कुछ सहायता नहीं कर सकता था। विदेशी शासक प्रत्यक्ष कारणों से इस प्रश्न की उपेक्षा कर देते थे। इस कारण प्रवासी लोगों को, मातृभूमि से विना किसी भीतिक या नैतिक सहायता की आशा किए, अपनी चिंता आप करनी पड़ती थी। इस कठिनाई के बावजूद यदि उन्होंने कुछ उन्नति की है तो उसका श्रेय भारतीय जाति की असाधारण जीवन-शक्ति और संगठन प्रतिभा को है।

यद्यपि प्रवासी भारतीयों में वहुसंख्या मजदूरों की थी तथापि स्वभावतः उनके पीछे बहुत से व्यापारी, महाजन, दूकानदार, फेरी वाले और ठेकेदार भी वहां गए। डाक्टर और वकील भी जीविका करने की आशा से वहां गए। वे सब मिलकर भारतीय समाज के ही एक अंग हैं — उसके दोषों और गुणों का — वहां प्रतिनिवित्व करते थे। एक छोटा भारत ही इन दूरवर्ती तटों पर जाकर वस गया। विदेशों में वसे हुए भारतीयों की यही प्रमुख विशेषता है कि उनका रहन सहन एक विशिष्ट प्रकार का है और वे वहां अपनी प्राचीन परम्पराओं को दृढ़तापूर्वक सुरक्षित रखे हुए हैं। यह ठीक है कि नई पीढ़ियाँ अपने पुरखों से बहुत परे हट चुकी हैं तो भी उनकी नाड़ियों में भारतीय रखत वह रहा है और भारतीय भावना से वे आज भी आकर्षित होते हैं।

जहां वहुत से शर्तवन्द मजदूर भारत को लौट आए वहां वहुत से अपने अपनाए हुए देशों में ही किसान, कारीगर, बढ़ई आदि बन कर वस गए। कुछ ने सफलता प्राप्त की और वे धनी बन गए। अन्य यथापूर्व गरीबी में पिसते रहे और किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते रहे। भारतीय परम्पराओं के रक्षक आश्रय में एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो गई वह धीरे धीरे उन भावनाओं के बंधनों से मुक्त होती गई जो कि उन्हें अपने भारतीय पूर्वजों के साथ बांधे हुए थी। यह नई पीढ़ी नए मार्गों पर चलने लगी। शिक्षण ने उनको अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक नई स्थिति प्रदान करदी और वे सब महत्वपूर्ण पेशों में,—डाक्टर, वकील, ईंविनशियन, और राजनीतिक अथवा सार्वजनिक नेता बन कर भी,—भाग लेने लगे। उनकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं नवीन थीं और उन्होंने अपने आपको अपने जन्म के देश के साथ समन्वित दिया।

भारतीय जाति विविध देशों में विविध वातावरण में पली और बढ़ी है। निसंदेह दक्षिणी अफ्रीका भारतीयों के निर्दयता-पूर्वक पीड़न में सबसे अधिक बदनाम है, विशेषतः जब से वहां मलान सरकार अधिकाराहठ हुई है। एग्रियार्ड लोगों के लिए अन्यायपूर्ण जमीन कानून (एग्रियाटिक लैंड ईन्वोर लौ) ने लेकर विविध जातियों की वन्तियां प्रवक्त प्रवक्त बनाने के नवीनतम ग्रुप एग्रियाज एक्ट तक भारतीयों को यह अनुभव करने के लिए नव उपाय किए गए हैं कि उनकी दक्षिणी अफ्रीका में आगमनकरा नहीं है और यह नव कुछ जानने हुए किया गया है जिसे भारतीय दक्षिणी अफ्रीका की ही प्रजा है। और उन्होंने उस वृत्ति महाद्वीप के विकास के लिए कुछ कम नहीं किया। ग्रिटिंग

पूर्वी अफ़्रीका (केनिया और टांगानिका) में अवस्थाएं अपेक्षाकृत कुछ अच्छी हैं परन्तु वहां भी यूरोपियन अकड़ भारतीयों को वहां के आर्थिक जीवन में से प्रयक्त करने का यत्न कर रही है।

लंका में परिस्थितियां समान रूप में असन्तोषजनक हैं। वर्मा में भारतीयों के लिए अपने रोजगार और व्यापार करना अधिकाधिक कठिन बनता जा रहा है। जब से वर्मा स्वतंत्र हुआ है तब से हजारों सरकारी कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों को वह देश छोड़कर अपनी मातृ-भूमि में लौट आना पड़ा है। भूमि के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव भारतीय भू-स्वामियों पर भी पड़ा है। परन्तु वर्मा सरकार के पक्ष में इतनी वात तो कहनी ही पड़ेगी कि उसने लंका और दक्षिण अफ़्रीका के समान सामुहिक रूप से भारतीयों के प्रति विरोध-भाव प्रकट नहीं किया। ऐसे लक्षणों का अभाव नहीं है कि जिनसे प्रकट होता है कि मलय में भी भारतीयों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इनमें प्रधान वहां के राजनैतिक दंगे हैं, मलय के यूरोपियन प्लान्टर भारतीयों से प्रसन्न नहीं हैं क्यों कि उनमें राजनैतिक चेतनता आ चुकी है और वे किसी भी दिन अपनी सस्ती मजदूरी से अनुचित लाभ उठाने का संगठित विरोध कर सकते हैं। फिजी के ब्रिटिश गवर्नर ने हाल में चेतावनी दी है कि जिस भूमि पर समृद्ध भारतीयों ने अधिकार किया हुआ है उसे उन्हें स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस चेतावनी का भी मूल उद्देश्य बढ़ते हुए भारतीय समाज को उन द्वीपों के शासन का प्रभावशाली अंग बनने से रोकना हो सकता है। वैस्ट इंडीज में भी सब द्वीपों का एक संघ बनाने में अन्तिम लक्ष्य ट्रीनिडाड और अन्य स्थानों से भारतीय प्रभाव को समाप्त कर देने की प्रक्रिया का आरंभ हो सकता है।

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि भारतीयों का ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों की अपेक्षा अधिक अच्छा स्वागत हुआ। फलतः ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों की समस्या अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उलझी हुई है और उनका भविष्य वहां कम आशापूर्ण है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, परन्तु है सत्य ही। दक्षिणी अफ़्रीका में, जो कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में आर्द्ध-राज्य (डोमिनियन) है, अन्यत्र कहीं की अपेक्षा भारतीयों पर अत्याचार अधिक होता है। लंका की तुलना में स्वतंत्र बर्मा उदार है। इतने पर भी भारतीयों ने अपने अपनाए हुए देशों की उन्नति और समृद्धि में योगदान करने में संकोच नहीं किया। यह बात उदारतापूर्वक कही जा सकती है कि भारतीयों ने ब्रिटिश उपनिवेशों और आर्द्ध-राज्यों (डोमिनियनों) की भाँति उन्नति करने में अन्य किसी भी जाति या समाज की अपेक्षा अधिक योग दिया है।

नम्भवतः विदेशों में बसे हुए भारतीयों के विरुद्ध भेद-पूर्ण अवहार करने का सबसे प्रधान कारण यह है कि भारत हाल तक न्यय एक न्यतंत्र देश नहीं था। एक विदेशी शासन के अधीन देश ने गए हुए लोग बाहर जाकर भी स्वतंत्र मनुष्यों की भाँति रहने की आगा नहीं कर सकते थे। जब भारत ही ब्रिटेन के आधीन था तब उसके प्रजाजन अपना निर ऊँचा किं प्रकार रख सकते थे। इसी कारण वे राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक दोहन और ज्ञानीय भेद-भाव के विरुद्ध अपने न्ययमें मातृभूमि ने निती गतायना की आगा नहीं कर सकते थे। दक्षिणी अफ़्रीका, लंका, बर्मा और कल्य ये नव देश ब्रिटिशों द्वारा शानिन थ और वहां भारतीय लोग अपने देश ने अधिक अच्छे अवहार की आगा नहीं कर सकते थे।


अब जब कि हम स्वतंत्र हो गये हैं और दूर दूर के देशों में रहने वाले अपने देश-वासियों की सहायता करने में समर्थ हैं तब हम उनकी अवस्था में सुधार की भी आशा रख सकते हैं। अब तक के जिन तीन वर्षों में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग किया है वे हमारे परीक्षा का काल रहे हैं। भारत स्वयं भी अभी कठिनाइयों से पार नहीं हुआ इस कारण सरकार अपने प्रवासी देश-वासियों की ओर बहुत ध्यान नहीं दे सकी। परन्तु वे यह विश्वास रख सकते हैं कि उनकी शिकायतों और कठिनाइयों की ओर स्वदेश में अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा और उनकी अवस्था सुधारने के लिए यथासंभव सब कुछ किया जायगा।

परन्तु सहायता और सहानुभूति के लिए भारत की ओर देखते हुए भी प्रवासी भारतीयों को जिस देश में वस गए हैं उसमें एक प्रथक इकाई की भाँति व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जिन लोगों के मध्य में वे रहते हैं उनके साथ अपने आपको पूर्णतया हिलामिला दें। उन्हें उन्हीं के सुख-दुख में भाग लेना और सार्वजनिक उन्नति में योग देना चाहिए। जो देश स्वतंत्र हों उनमें उन्हें वहीं की राष्ट्रीयता रवीकार कर लेनी चाहिए, और वहां के पूर्ण अधिकार प्राप्त नागरिकों की भाँति रहना और काम करना चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे भारतीय नागरिक रह कर अपने निवास के देश के नागरिकों के अधिकार पाने की आशा नहीं रख सकते। उदाहरणार्थ, दक्षिणी अफ़्रीका में भारतीयों की अपने अधिकारों के लिए दक्षिणी अफ़्रीकन नागरिक की हैसियत से ही संघर्ष करना चाहिए, भारत के नागरिकों की हैसियत से नहीं। भारत की उनमें और उनके पक्ष की सहायता करने में रुचि इस कारण है कि उनकी जाति

भारतीय है और भारत सिद्धांतः सब प्रकार के जातीय भेद-भाव का विरोधी है। भारत में तो भारतीयों का घर सदा ही रहेगा और यहां लौटने पर कभी भी उनका स्वागत होगा, परन्तु जब तक वे विदेशों में बसे हुए हैं तब तक उन्हें वहीं के देशवासियों के साथ घुल-मिल जाना चाहिए और उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों की प्राप्ति में भी योग देना चाहिए।

विदेशियों के साथ इस प्रकार की एकता का अर्थ यह नहीं है कि वे भारत के साथ अपने सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संबंधों को समाप्त कर दें। ये मृदु वंधन तो हमें सदा एक रखेंगे-ही। इस समय भारतीय प्रायः सर्वत्र वीद्विक और सांस्कृतिक द्रष्टि से भखे ही हैं। हम इन क्षेत्रों में उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सके। परन्तु ऐसा कोई भी भय नहीं करना चाहिए कि वे हमारे नहीं रहेंगे। जहां कहीं भी भारतीय है या रहेंगे वहां उनकी भारतीय भावना नष्ट नहीं होने पायेगी भारत माता के प्रति उनकी भावना और प्रेम शवेचित है। गत वर्ष ही ३०० वृद्ध भारतीय श्रिटिज गायना से अपनी मजदूरी का ठेका समाप्त हो जाने पर भारत छोड़ दें; वर्षों कि स्वयं उनके कथनानुसार के आना शरीर भावन की पवित्र भूमि में समाप्त करना चाहते हैं। यह अद्वय वंधन तब तक रहेगा जब तक कि भारतीय जो कुछ है वो कुछ नहीं होगे। इस समय तो हमारा कर्तव्य यही है कि जो कानूनिक दोष धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं उन्हें हम प्रवातित करें और भावन की शिखण्डन गत्तानों के लिए अपना संगीत और नृत्य, अपना गार्वन्य और दर्शन, दो शब्दों में, अपनी महानी प्रशंसनाएँ मुख्य रखनी चाहें।

विदेशस्थ भारतीयों का भी कुछ कर्तव्य है । उन्हें उन यशस्वी परम्पराओं को जीवित रखना चाहिए जो उन्हें मूल्यवान उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं । उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि उनकी मातृ-भूमि गौतम वुद्ध और महात्मा गांधी की मातृ-भूमि है । हमारे प्रधान मंत्री के शब्दों में जहां तक यह विस्तृत संसार दिखाई देता है वहां सर्वत्र कोई न कोई भारतीय भी दिखाई देगा, उसके साथ भारत का एक लघु खंड जायगा और वह उसको विस्मृत अथवा उपेक्षित नहीं करेगा । भारत की भलाई बुराई उसके ही कामों से जांची जायगी । भारत का यश अपयश फैलाना अथवा मान अपमान कराना उसके ही हाथों में है । यह बात उसे सदा स्मरण रखनी चाहिए और समृद्धि या विपत्ति में समान रूप से उसको अपना आचरण उच्च रखना चाहिए ।



ਤੀਸਰਾ ਖਣਡ

१९४९-५० में खाद (कम्पोस्ट) तैयार करने की एक योजना स्वीकृत की गई और उसकी पूर्ति के लिए एक कम्पोस्ट-विभाग अधिकारी नियुक्त किया गया ।

इस समय ग्रामों में लगभग ६ लाख टन खाद प्रति वर्ष तैयार हो रहा है । आशा है कि इसमें शोध ही ५० प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी ।

विहार

गत वर्ष सिन्चाई और भूमि के पुनरुद्धार की जिस योजना पर अमल किया गया उससे राज्य की अम्म उपजाने की सामर्थ्य में ६२ हजार टन प्रतिवर्ष की स्थायी वृद्धि हो गयी । केवल ग्रामायनिक गादों के उपयोग से ३३ हजार टन अम्म का उत्पादन अधिक वढ़ जाता था; इस लिए सब मिलाकर विहार ने अम्म की उत्पन्नि में १५ हजार टन की उप्रति की ।

कुएं, ३२५ साधारण कुएं और १८ नल-कूप (द्यूव वेल) बनाए। इस विभाग ने ११० लिपट इंजन और पम्प बांटे। विजली से पानी ऊपर उठाने की योजना के अनुसार ५९ कुएं बनावाए गए जिनमें से १९ में विजली लगा दी गई।

विहार-सरकार ने नगरों में ३० हजार टन और ग्रामों में डेढ़ लाख टन खाद तैयार करवाया और १६ हजार टन से ऊपर रासायनिक खाद वितरित किया।

वस्त्रई

चावल, ज्वार, वाजरा, गेहूँ, नगली, चना और मक्का की वडिया किस्में उत्पन्न करने और वितरित करने की १४ योजनाओं पर अमल किया गया और १ लाख ६६ हजार ३१० मन बीज ६ लाख ७४ हजार ९१५ एकड़ भूमि में बोने के लिए बांटा गया।

१९४९-५० में १४४० वंधारे बनाए गए, जिनसे १६ हजार २६२ एकड़ भूमि में सिचाई हुई। आलू, शकरकन्द और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। आलू के बीज शिमला के इलाकों से मंगा कर किसानों को लागत मूल्य पर दिए गए। जरूरतमन्द किसानों को खाद और बीज आदि खरीदने के लिए ३ प्रतिशत व्याज-दर पर तगाई कृष्ण दिए गए। १९४९-५० में ११ हजार १३१ एकड़ अतिरिक्त भूमि में शकर कन्द और ९ हजार ९३१ एकड़ में अन्य सब्जियां बोई गयीं। प्रत्येक तालुके में अधिकतम सद्गी उत्पन्न करके दिखलाने वाले किसानों को इनाम दिए गए।

मवका के दो कलमी धीज तैयार किए गए जिनसे पैदावार अधिक होती है और नगली की भी एक बढ़िया किस्म तैयार की गई।

रत्नागिरी जिले के मीरजोल नामक स्थान पर एक सरकारी कृषि स्कूल स्नोला गया और बड़ौदा, जगूदान और कोल्हापुर के कृषि स्कूलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

बम्बई के यांत्रिक कृषि विभाग के पास २४० ट्रैक्टर हैं। उन्हें जमीन जोतने और गोड़ने के लिए उधार दिया जाता है।

सरकार ने पानी को ऊंचा उठाकर सिचाई करने की १४ योजनाएं स्वीकार की। उनसे ३१ हजार ३३२ एकड़ भूमि निच जाने की आशा है, जिसने ७५०० टन अम्र प्रति-वर्ष अनिरित उत्पन्न होगा।

के लिए और २१ हजार २९४ टन पशुओं को खिलाने के लिए वितरित की ।

कुर्ग

कृषि-विभाग ने इस वर्ष ग्रामों में अच्छे औजार, अच्छा बीज और प्राकृतिक तथा कृत्रिम खाद आदि प्रयोग करने के लिए खूब आन्दोलन किया । छै प्रदर्शनियां की गयीं और १५० स्थानों पर यंत्रों से काम करके दिखाया गया ।

अगस्त १९४९ में एक 'वृक्षारोपण' सप्ताह मनाया गया । इसमें फलों शहतीरों और ईधन के १० हजार वृक्ष बोये गए । कृषि विभाग ने आधे लागत मूल्य पर खाद वितरित की । 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अनुसार १३७५ एकड़ नयी भूमि तैयार की गई और ४० तालाब और १७ बांध व धाराएं बनाई गयीं या मरम्मत की गयीं । ९५०० एकड़ खेतों और २०० टन बीजों पर क्रमिनाशक औषधि छिड़की गयी । इस वर्ष सब मिलाकर १ लाख २ हजार टन खाद तैयार की गई ।

१४ खेतों में खेती की उत्तम विधियों का किसानों के सामने प्रदर्शन किया गया । चावल, रागी, गन्ने और शकरकन्द आदि पर नए जानिक परीक्षण किए गए । फ्रेजरपेठ और वीराजपेठ में क्रमशः शुष्क और तर खेती करने के दो प्रदर्शनात्मक सरकारी फार्म हैं । भरकारा में एक कृषि-प्रयोगशाला भी है, जिसमें स्थानीय समस्याओं को हल किया जाता है । २८ डिपो हैं, जिनमें किसानों में बांटने के लिए औजार और रासायनिक तथा साधारण खाद संग्रह करके रखी जाती हैं ।

हिमाचल प्रदेश

अक्टूबर १९४८ में एक कृपिडायरेक्टर की नियुक्ति मंजूर की गई। राज्य के सद्वीतया फलों के वर्तमान उद्यान मुधारे गए और हरेक जिले में केन्द्रिक नरसरियां बोलने का काम आरंभ किया गया। नरसरियों के वर्तमान स्टाक से विविध फलों की २ हजार से ऊपर कलमें वितरित की गयीं।

भारत सरकार ने आलू की उन्नति करने की योजना स्वीकार की। स्टोटलेट से १ टन ८० पीछे आलू ऐसा बीज तैयार करने के लिए भगवाए गए जिनको रोग नहीं लगता।

प्रत्येक ज़िले में पांच्फी (मुर्गी, बताग आदि) फार्मों का एक एक नेतृत्व गांवा गया और २०० में अधिक पक्षी परिवेश या उत्पन्न निए गए।

हिमाचल प्रदेश

हल्काल (ट्रैक्टर) विभाग ने घास से ढकी हुई १८६८ एकड़ भूमि को जोता। सिचाई की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए बीस नए वोर्सिंग किए गए, जिनकी कुल गहराई ७३१ फीट थी, ८२ आयल इंजन वांटे गये और ८२ पम्पिंग सैट दिए गए।

कृषि-विभाग ने तीन कृषि-अनुसंधान केन्द्रों में १६ वर्ष से कम आयु के किसान बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए किसानों की कक्षाएं आरंभ कीं। इस विभाग ने आयल-इंजन और पम्पों का प्रयोग करना भी सिखलाया। व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षण-विभाग की सहायता से कृषि-विभाग परभणी में एक कृषि हाई स्कूल भी सफलता पूर्वक चल रहा है। यह विभाग एक कृषि कालिज चलाने के लिए उस्मानियां यूनिवर्सिटी को भी सहायता देता है।

काइमीर

इस वर्ष खाद्य की स्थिति सन्तोपजनक रही। मुजाब्जा (जमीन-लगान का कुछ भाग अन्न के रूप में देने की पद्धति) पर इस वर्ष अमल सन्तोपजनक रूप से हुआ। अनेक 'खुश्की देश-घाटों' के खोल देने से जमीदारों को बहुत सहायता मिली और बसूली जलदी जल्दी हो गयी।

१९४९-५० में ६१९३ एकड़ सरकारी पड़ती भूमि भूमिहीन खेती-मजदूरों, छोटे जमीदारों और छोटे जमीन भालिकों को दी गयी। इसमें १७८६ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने की आशा है।

गत वर्ष अनेक सिचाई-योजनाएं हाथ में ली गयीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिन्ध घाटी की पानी, विजली और सिचाई की

योजनाएँ हैं। इससे १२ हजार किलोवाट विजली उत्पन्न होने और १५०० एकड़ भूमि में सिंचाई होने की आशा है।

मध्य भारत

इस राज्य में १९४८ तक ७० हजार टन अन्न की कमी रहती थी। अगस्त १९४९ तक सरकार ने ६९ हजार ७१९ टन गेहूँ और ३३७८ टन अन्य खाद्यान्न एकत्र किए थे। सरकार ने विदेशों से मंगाया हुआ गेहूँ जनता को सस्ते दाम पर वेचने के लिए २२ लाख रुपये की सहायता दी।

सवा लाख एकड़ नई भूमि हल के नीचे आई। किसानों को बैलों, पम्पों, कुओं, बीजों और खाद आदि के लिए सरकार ने ३० लाख रुपए कृत्रिम दिए।

कांस से ढाई हुई ५ हजार एकड़ भूमि ट्रूटरों द्वारा तैयार की गई। इस वर्ष इस प्रकार की ४० हजार एकड़ भूमि और साफ किए जाने की आशा है।

सरकार ने लगभग १० लाख ८३ हजार रुपए सिंचाई के कामों और मत्स्यालयों के विस्तार, मुधार, संरक्षण और निर्माण पर व्यय किए। अनुमान है कि अब साढ़े नी लाख एकड़ सिंचित भूमि में खेती हो सकेगी।

चम्बल जल-विजली योजना से एक लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने की आशा है।

टन अन्न अधिक उत्पन्न हुआ। इस वर्ष २ लाख १६ हजार २८९ टन अन्न अतिरिक्त प्राप्त हुआ।

सरकार ने इस वर्ष ४९७६ टन चावल का बढ़िया बीज बांटा जो कि १ लाख ११ हजार ३९० टन एकड़ में बोया गया। उससे ३३४१ टन अन्न उत्पन्न होने की आशा है। मूँगफली के २३९२ टन बीज बांटे गए जो कि ५३ हजार ५८२ एकड़ में बोए गए। सरकार ने किसानों को १८ हजार ५२५ रुपए नकाद तक़ावी खरीफ फसल में आलू के बीज खरीदने के लिए बांटे।

गेहूँ के मैडूर निरोधक किस्म के बीज बांटने और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए एक नयी योजना का आरंभ किया गया।

१९४९-५० में ७५१ टन खली वितरित की गई, जो कि १ लाख ३७ हजार ४४८ एकड़ में प्रयुक्त हुई और उससे ९ हजार ७३७ टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न हुआ। सरकार ने ६७८ टन खाद ३०८१ टन अमोनियम सल्फेट, ११७० टन अमोनियम फौस्फेट और ४२१ टन फौस्फैटिक खाद भी बांटा।

१९४९-५० में सरकार का विचार ९ हजार कुएं बनवाने का है, जिनसे २७ हजार एकड़ में सिंचाई होकर ५४०० टन अन्न उत्पन्न होगा। सरकार १९४४ से अब तक ५०२० पुराने कुओं की मरम्मत करा चुकी है। खेतों में बांध बनाने के लिए ऋण दिए गए, जिससे कि किसान खी के खेतों को दो-फसली खेतों में परिवर्तित कर सकें।

... तिर्मण विभाग ने ५२०० एकड़ में सिंचाई करने योग्य सिंचाई के बड़े बांध बनवाएं हैं। सिंचाई में सुधार करने के

लिए अन्य काम, नक़दी सहायता देना और रहठों और पावर से चलने वाले पम्पों का वितरण आदि है।

१९४९-५० में कांस से छाई हुई २१,३४८ एकड़ भूमि को साफ करके उसमें गेहूँ बोया गया, जिससे ३,५२२ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ।

सरकार ने ट्रैक्टरों के चार नए केन्द्र खोले हैं। उनमें ३० ट्रैक्टर चलते हैं। १९४९-५० में ५८५१ एकड़ भूमि में खेती की गई, जिससे २९९ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ।

मद्रास

अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिला-खाद्य उत्पादन-समितियां संगठित की गयीं। खाद्य-उत्पादन योजनाओं को शीघ्र स्वीकार करने के लिए एक मंत्रिमंडल समिति का भी संगठन किया गया।

एक त्रिवर्षीय योजना के अनुसार सरकार पानी को ऊंचा उठा कर सिचाई करने के लिए रेयतों को आइल इंजन और विजली के मोटर पम्प भी देती है। इस योजना से १० हजार ८५ एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा है और इससे ५०४२ टन अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है। ट्रैक्टरों से ४३ हजार २५० एकड़ पड़ती और जंगली भूमि हलों के नीचे लाई गई है। इससे १० हजार ८१३ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने की आगा है। १९४९-५० में ४६ हजार १५० टन अमोनियम सल्फेट और ११ हजार ११८ टन फोस्फेटिक खाद वितरित किए गए, जिनका १८ लाग १० हजार टन एकड़ भूमि में उपयोग हुआ। इस

वर्ष ३५ हजार ७२३ टन अतिरिक्त चावल उत्पन्न हुआ। हरी खाद को तैयार करने और प्रयोग में लाने को बहुत महत्व दिया गया है। मार्च १९५० के अन्त तक ३ लाख २० हजार एकड़ में धान, १९ हजार एकड़ में बाजरा आदि और ८७ हजार एकड़ में हरी खाद बोई गई थी।

सरकार ने ५१ हजार ३२२ टन शहरों का और ३५ हजार ४२५ टन गांवों का खाद (कम्पोस्ट) वितरित किया, जिससे ९०० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ।

छिड़कने की क्रिमिनाशक दवा किसानों को लागत-मूल्य के ५० प्रतिशत पर दी जाती है। भूमि की रक्षा के लिए खेतों के किनारे किनारे खाइयां और वांध बनाए जा रहे हैं। खेती के काम की अति आवश्यक वस्तुएं बांटने के लिए अनेक काम करने वाली सहकारी संस्थाएं संगठित की जा रही हैं।

कुओं के लिए सहायता देने की योजना के अनुसार १ लाख ७ हजार ४०१ कुएं खादे गए, जिन पर सरकार को ५ करोड़ ४१ लाख १२ हजार ७७४ रुपए लागत आई। ये कुएं लगभग १ लाख २८ हजार ४१८ एकड़ में सिचाई करते हैं और उनसे ६४ हजार ५६० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होता है।

सरकार ने १० करोड़ रुपये पांच वर्ष में ३५ हजार तालाबों की मरम्मत करने के लिए और ५३ लाख ७९ हजार रुपए ३७ अन्य सिचाई योजनाओं के लिए स्वीकार किए। इससे ७६६६ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने लगेगा।

मैसूर

मैसूर सरकार ने एक खाद्य-उत्पादन कमिशनर के आधीन एक प्रथक विभाग 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन से संबद्ध विविध विभागों की कार्रवाइयों को समन्वित करने और खेती को बढ़ाने के लिए संगठित किया है। त्रिवर्षीय खाद्य-उत्पादन योजना पर अमल किया जा रहा है। 'अधिक अन्न उपजाओ' की कार्रवाइयों का निरीक्षण करने के लिए और नयी योजनाएं बनाने के लिए सब विभागों के अध्यक्षों को मिलाकर एक केन्द्रिक समन्वय समिति संगठित की गई है।

उड़ीसा

उड़ीसा की सरकार ने किसानों को पड़ती भूमियों को तैयार करने और उनमें खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए २५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया। सरकार ने मुकिन्दा में २६०० एकड़ पड़ती भूमि तैयार करने का काम हाथ में लिया।

जिन जमीनों में पानी बहुत कम है उनमें सरकार सिचाई के छोटे छोटे १५१ काम करवा रही है।

कृषि-विभाग ने अधिक पेंदावार देने वाली चावल की किस्में निकाली। वीजों के ८ घेतों में चावल के वीज तैयार किए गए और उन्हें कुछ चुने हुए किसानों को बांटा गया।

१५०० टन अमोनियम नल्केट और ३२०० टन गल्डी, ४२ हजार पृष्ठड़ चावल की गेनी के लिए और ३४३५ टन अमोनियम नल्केट तथा २५३१ टन गल्डी अन्य फसलों की ८१ हजार पृष्ठड़ भूमि में प्रदोग के लिए बांटने की व्यवस्था की गई।

खेती के क्रिमियों व रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा पीढ़ा-रक्षक संगठन बनाया गया। किसानों को आधे लागत मूल्य पर बेचने के लिए खेती के बढ़िया औजार प्राप्त किए गए। आलू, सब्जियां, मूंग, और रखी की अन्य फसलें बोने के लिए किसानों को ३३ पर्मिंग सेट किराए पर दिए गए।

आशा है कि आगामी तीन वर्षों में बढ़िया किस्म के गन्ने की खेती कम से कम ५५०० एकड़ बढ़ जायगी।

गत वर्ष उड़ीसा को फलों में आत्म-निर्भर बनाने की योजना पर जोर शोर से अमल किया गया।

पटियाला पंजाब रियासत संघ

कुल ९ लाख पड़ती भूमि में से २ लाख एकड़ से कुछ ऊपर भूमि में खेती की जायगी। इसके पुनरुद्धार का काम आरंभ हो चुका है और प्रतिमास ५०० एकड़ भूमि तैयार की जा रही है।

गाय बैलों और भैसों की देशी नस्ल सुधारने के लिए प्रति-वर्ष २५ पशु चिकित्सालय खोलने और बैल पालने के फार्म आरंभ करने का विचार है। पशु-पालन को प्रोत्साहित करने और पशुओं का क्रय-विक्रय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में पशुओं के मेले नियमपूर्वक लगाए जाते हैं।

सरकार ने एक विस्तृत योजना आरंभ की है जिसमें भूमि का पुनरुद्धार, कम गहरे कुओं की खुदाई, पर्मिंग सेटों और ट्यूब बैलों का लगाना, कम्पोस्ट और हरी खाद का तैयार करना, बीज-वितरण केन्द्रों का खोलना, ट्रैक्टरों की खेती, पशु-चिकित्सालय

खोलना, और आधुनिक औजारों का वितरण सम्मिलित है। इस योजना पर पांच वर्ष में १ करोड़ ६० लाख रुपए व्यय होने का अन्दाजा है।

रियासत संघ सरकार की एक और योजना सिंचाई के संबंध में है जिस पर १५ लाख रुपया व्यय होने की आशा है।

ਪंजाब

कृषि-विभाग राज्य को खाद्यान्नों में आत्म निर्भर बनाने का यत्न कर रहा है। अनेक फसलों की उन्नत किस्में निकाली गयीं हैं, जिससे उत्पत्ति और उत्कृष्टता दोनों का दरजा साधारण नमूनों से, आगे बढ़ जायगा। ५० हजार एकड़ का क्षेत्र बीजों के सुधार के लिए अलग कर दिया गया है। विना मिलावट के बीजों का कानून (प्योर सीड एक्ट) लगभग २०० गांबों में लागू किया गया है। इसके सिवाय ७१४३ टन गेहूँ का शुद्ध बीज राज्य में बांटा गया। ज्वार, मक्का, चावल और बाजरे के भी शुद्ध बीज बड़ी मात्रा में बांटे गए।

हाल में एक कानून लागू किया गया है और किसानों ने कहा गया है कि वे अपने पशुओं का गोवर गढ़ों में इकट्ठा कर दिया करें। म्युनिसिपल एक्ट में भी सुधार किया गया है जिससे कि म्युनिसिपल टिकियों को कृषि का नाद बनाने के लिए मजबूर किया जा सके।




शासन-कानून को बाक करने और गेनी के कृमियों तथा गोंगों गों नियंत्रित करने का काम द्वाय में लिया गया है।



सभ्य परिधान में एक आदिवासी कन्या


कृषि उत्पादन

क्षेत्र व उपज




भारत का व्यापार सन्तुलन

(स्टॉलिंग क्षेत्र)




कठोर मुद्रा क्षेत्र



1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिपद

अनुसंधान शालाओं के स्थान



देश के विभाजन के पश्चात् १२३५ कुएं बनाए गए, और ५५७ बन रहे हैं। इस आर्थिक वर्ष में ५० नलकूप (द्यूवेल) लगाने का विचार है।

कृषि-विभाग पहले से मंजूर सुदा डिजाइन के खेती के औजार बनाने वालों को लोहे का 'कोटा' देता है। तैयार औजार नियत दर पर बेचे जाते हैं।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को तीव्र करने के लिए ज़िला-खाद्य-समितियाँ बनायी गयी हैं। हाल में एक खाद्य कमिशनर भी नियुक्त किया गया है। ४ लाख रुपए की रकम उन किसानों को इनाम देने के लिए स्वीकार की गई है जो कि प्रति एकड़ में अधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न करके दिखलायेंगे।

राजस्थान

एक द्विवर्षीय योजना वीजों और खादों को बांटने, पशुओं और कुओं को तैयार करने और खेती के अधिक अच्छे तरीके प्रयोग में लाने के लिए बनाई गई है।

वीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में कृषि-विद्यालय खोले गए। राज्य की २०५ तहसीलों में से प्रत्येक में एक पशु चिकित्सालय खोलने के विचार पर अमल हो रहा है। मत्स्यालयों, मुर्गियों के फार्मों और पशुपालन केन्द्रों की व्यवस्था सुधारी जा रही है।

सिंचाई के लिए ३० लाख रुपए की राशि स्वीकार की गई थीं, जिससे २० हजार टन अधिक अन्न उत्पन्न हुआ। आशा है कि

१९५०-५१ में ६० हजार एकड़ रखी की खेती को सींचा जा सकेगा। जोधपुर और उदयपुर डिविजनों में सिंचाई की बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सिंचाई के अन्य काम ये हैं: मंगलगढ़ तहसील में एक बांध; मेवाड़ की टोडी योजना; बांसवाड़ा में चांद-सरोवर की योजना और जयपुर की मोरल योजना। राज्य के विविध भागों में १७५ अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन सब योजनाओं के परिणाम स्वरूप १९५१-५२ में खाद्यान्नों की उत्पत्ति में २४ हजार टन की वृद्धि होने की आशा है।

त्रावनकोर-कोचीन

खाद्य का उत्पादन बढ़ाने की एक विशाल योजना के परिणाम स्वरूप ३२ हजार ८ सौ एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती आरंभ की गई है। इससे ८ हजार टन धान और ३ हजार टन अन्य अन्न अतिरिक्त उत्पन्न होने की आशा है। १९५०-५१ में ५१ हजार ३०० एकड़ में और भी गेती करने का विचार है।

कृषि विभाग ने गेती के गृहियों और रोगों के विशद लड़ाई आरंभ की। धान के गेतों पर बड़े परिमाण में ग्रीमैक्सीन और ट्री० ट्री० ट्री० छिक्क कर उनसी रक्षा की गई।

नरसंगम ने अनावृति का भी मामला किया और निर्चाई के लिए निर्चिन्ता के नमम पानी देने की अवश्यकता की।

लिमानों को गरमारी मरायना में गाढ़ दी गई। इनमें पंद्रालाल में २० से ३० प्रतिशत गरमारी होने की आशा है। गाढ़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये गरमायना और अन्य गृहियान्नों द्वारा प्रोत्साहन किया जाया।

१९४९-५० में लगभग ७०० छोटे सिचाई के काम पूरे किए गए। १९५०-५१ में भी सिचाई के लिए इतना ही काम हो जाने की आशा है। इस सब पर साढ़े तीन लाख रुपया व्यय होगा परन्तु इससे धान के एक लाख एकड़ में सिचाई की ऐसी व्यवस्था हो जायगी कि पानी कभी टूटेगा नहीं।

सरकारी सिचाई की जो बड़ी योजनाएं हाथ में ली हुई हैं वे तीन हैं: दक्षिण व्रावनकोर में कोडयार सिचाई योजना, कोचीन में पीसी सिचाई योजना और चालाकुड़ी सिचाई योजना। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर १ लाख ८० हजार एकड़ में सिचाई होने लगेगी और धान के उत्पादन में ३५ हजार टन की वृद्धि हो जायगी। राज्य पानी ऊंचा उठा कर सिचाई करने की एक दर्जन से अधिक योजनाएं पूरी कर चुका हैं। १९५०-५१ में ९ बड़ी योजनाएं और आरंभ करने का विचार है।

उत्तर प्रदेश

उत्तरप्रदेश की सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी। खेती, पशुपालन और सिचाई के कामों के लिए किसानों को दिए गए क्रृणों और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्य कामों पर सब मिलाकर बजट के गत वर्ष में साढ़े दस करोड़ रुपया खर्च हुआ।

उत्तर प्रदेश में राशन के क्षेत्रों में अन्न की वार्षिक आवश्यकता लगभग ७ लाख टन की रहती है। गत वर्ष संग्रहीत अन्न का परिमाण साढ़े चार लाख टन था। ढाई लाख टन की कमी रही थी।

यदि १९४८-४९ को आधार माना जाय तो १९५१-५२ तक ६ लाख ८९ हजार टन कुल अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने की आशा है।

४८ लाख रुपये तकावी कृष्णों के रूप में और १२ लाख रुपये जमीन के पुनरुद्धार एवं भूमि सुधार, खेलों और ओजारों की स्थरीय और कुएं बनवाने के लिए दिए गए।

उ० प्र० सरकार ने तहसीलों में २२७ बीजों के स्टोर खोले और उनके द्वारा १७ हजार ६५७ टन बढ़िया बीज वितरित किया। बीज तैयार करने और खेती के नए तरीके प्रदर्शित करने के लिए चार फार्म (ग्रुपि क्षेत्र) नए खोले गए।

फल और सब्जी विभाग ने २० लाख से ऊपर पीथ तैयार की। लगभग १० हजार एकड़ भूमि में नए बाग लगवाए और लगभग ८ हजार एकड़ पुनर्नवे बागों को फिर जारी करवाया।

एक छिस्म की मूग टी० आर्ड० पर परीक्षण किए गए और आगे त्रै टि० १९५० के अन्त तक इसमें इनसे बीज तैयार हो जायेंगे फिर उन्हें १० लाख एकड़ में बोया जा सके।

१९३६-३७ में उनकर प्रदेश की सरकार के पान केवल २० द्वृक्षेत्र थे, परन्तु इन तर्थ उनकी संख्या बढ़कर ४३१ हो गयी। संसाधनादर में १० हजार एकड़ और गर्वड में २० हजार एकड़ उभीन या पुनरुद्धार किया गया।

दिलानी और दिली के नवीनतम विद्युतिका दिलानी के परिवारों में विद्युति उत्पन्न का दब्ल नियम लगा रहा है।

राज्य के बाहर से पशुओं की बढ़िया नस्लें खरीदी गयीं और कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले गए। राज्य के अनेक फार्मों में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

सरकार ने अब एकत्र करने की 'कर लगाने की' पद्धति के स्थान पर ठेकेदार की पद्धति आरंभ की। इससे न केवल अब का मूल्य सस्ता हो गया अपितु संग्रह में ३० लाख रुपए की वज्रत भी हुई।

विन्ध्य प्रदेश

सरकार ने कीमतों को ऊंचा जाने से रोकने के लिए और फसलों को हानि न पहुंचने देने के लिए विशेष प्रयत्न किए। गन्ने की नयी फसल की अवस्था सन्तोषजनक है और चावल की पैशावार भी खूब हुई है। भारत सरकार ने इस राज्य की वज्रत में से १२ हजार टन चावल वर्मई और मद्रास को देने का निश्चय किया।

पश्चिमी बंगाल

जनवरी से १८ जुलाई १९५० तक ३ लाख ७८ हजार ४७० टन अब एकत्र किया गया।

१९४९-५० में अब्ज-उत्पादन का लक्ष्य ९१ हजार ५०० टन रखा गया था। राज्य को आत्म निर्भर बनाने के लिए जो प्रयत्न किए गए उनके कारण पहले ही इस लक्ष्य से भी आगे प्रगति हो चुकी है। समस्त उत्पादन १ लाख ७ हजार ६८५ टन हुआ।

जहरों को फिर से खोदने और बांध और मेंड बनाने आदि की सिचाई की छोटी छोटी योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रकार की २४५ योजनाएं पूर्ण करके १ लाख १० हजार एकड़ भूमि को लाभ पहुँचाया गया और उससे ३४ हजार टन अतिरिक्त फसल तैयार हुई। ४६८ तालाबों की फिर से खुदाई करके ३४ हजार एकड़ भूमि में ६७०० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न किया गया। सरकार न लोगों को ट्रैक्टर किराए पर दिए हैं और उनसे उन्होंने ३३२८ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया है। निजी ट्रैक्टरों ने भी ५ हजार एकड़ भूमि जोती है। इस वर्ष का लक्ष्य १५ हजार एकड़ था। फसलों की रक्खा के लिए जो विशेष उपाय किए गए उनमें २५ हजार मन चावल के बीजों की बचत हुई।

जिनाओं को रासायनिक गाद, गली और हड्डी का चूरा विनिर्मित किया गया। कल्पकता कार्पोरिशन से प्राप्त की हुई गाध पा द्वारा ना में प्रयोग किया जा रहा है और ३० म्युनिशपलिटिया गाद नैयार कर रही है। मांगम और भूमि का लिताज रखते हुए कुछ जानों की बीज नैयार करने के लिए चुना गया है।

लगभग ३३० एकड़ निवी मनिलल के नालाबों को गुआर रख उनमें मर्दानिया गर्दी और उनमें लगभग २०० टन मर्दानी उत्पन्न हुई। मर्दानी नर्मादियों में लगभग ३० लगभग मर्दानी दो दो बड़ी इन जानों में मर्दानिया नैयार रखने के लिए उत्पन्न किया गया। गोल्डार्ड के मर्दानियों के जारी में गाई ८ लगभग लग नैयार मर्दानी, ११ टन मर्दानी का चुग और गाई जार लगभग लग नैयार मर्दानी के लिये जा ओपरेशन गिर कर ३१ टन लगभग मर्दानी उत्पन्न की गयी।

सिंचाई और जलमार्गों के विभाग ने सिंचाई और जलमार्गों के विकास की १६ दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं। उनमें सबसे बड़ी योजना मध्यूराक्षी के जलाशय की है। इस पर लगभग साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इससे लगभग ६ लाख एकड़ में सिंचाई होकर ३ लाख टन अतिरिक्त धान और ५० हजार टन रवी की फसलें तैयार होगीं, जिनका मूल्य लगभग ४ करोड़ ६० लाख रुपए वार्षिक होगा।

सिंचाई की ३६ छोटी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उनसे लगभग ८२ हजार ५०० एकड़ खरीफ की और २० हजार एकड़ रवी की फसलें सींची गयीं, जिससे खरीफ की फसलों का ९ हजार टन और रवी की फसलों का १० हजार ३०० टन अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन हुआ।

कृषि-भूमि सुधार

विहार

मई १९४८ में विहार ने ज़मीदारी समाप्त करने का विल पास करके इस दिशा में सबका मार्ग प्रदर्शन किया। परन्तु इस विल के स्थान पर एक अधिक विस्तृत कानून विहार भूमि सुधार विल के नाम से बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल ज़मीदारी को समाप्त करना है अपितु उनमें से कुछ भूमियों की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करना भी है। इस बीच सरकार ने बड़ी जायदादों का प्रवंध सरकार के हाथ में साँपने वाले कानून (स्टेट मैनेजमेंट आफ स्टेट्स एण्ड टैन्योर्स एक्ट) के अनुसार कुछ ज़मीदारियों के नियंत्रण और प्रवंध का काम अपने हाथ में ले लिया है। विहार टेनेसी एक्ट और छोटानागपुर टेनेसी एक्ट में कुछ संशोधन करके किसानों को उन ज़मीनों पर कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं जो कि पहले से उनके हाथ में थीं। सन्थाल परगनों में काश्त के अधिकारों के संवंध में प्रचलित विविध नियमों को एक कानून में बांधा गया। इस जिले में किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए एक अधिक सरल विधि लागू की गई।

बम्बई

१९४९ में रेयतों के कास्तकारी अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून पास किए गए वे ये थे: बम्बई भागीदारी और मारवादारी भूम्याधिकार उन्मूलन कानून; बम्बई मलेकी भूम्याधिकार उन्मूलन कानून; पंच महल मोहवासी भूम्याधिकार उन्मूलन कानून; बम्बई ताल्लुकेदारी भूम्याधिकारी उन्मूलन कानून और बम्बई खोती उन्मूलन कानून। इन कानूनों द्वारा सरकार पर विना अधिक व्यय डाले विविध प्रकार के ऐसे ज़मीन भालिकों के

कृषि-भूमि सुधार

आसाम

इस वर्ष ज़मीदारियों पर राज्य द्वारा अधिकार करने का विल (स्टेट एक्वीजिशन आफ़ ज़मीदारीज विल १९४८) हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। ज़मीदार काश्तकारों पर लगान के रूप में जो अधिक अन्न लेते हैं उससे उनकी रक्षा करने के लिए सब ज़िलों में १९४८ का अधियार प्रोटोकशन एण्ड रैग्युलेशन एक्ट लागू किया गया। जिन पड़ती ज़मीनों पर अब तक माल-गुज़ारी नहीं ली जाती थी उन सब पर एक रूपया प्रति एकड़ का समान दर लागू किया गया, इससे साढ़े चार लाख रुपए वार्षिक अतिरिक्त आमदनी हुई। सरकार ने चाय बगीचों की फालतू भूमि को बाढ़ पीड़ित, भूमि-हीन और शरणार्थी लोगों के पुनर्वास के लिए ले लिया। काकी के रिजर्व ज़ंगलात में ऐसे १७०७ व्यक्तियों को १९ हजार ६२० एकड़ ज़मीन दी गयी। जिन ज़मीनों में पहले चर्गड़ होती थी वे भी उन्हें बांट दी गयीं। न्यायपाद्धा और कामन्त्र में पड़ी हुई विस्तृत भूमियां उन लोगों में अन्यायी रूप में बांट दी गयीं जो सेती कर लकने थे।

राज्य में काश्तकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियत कर दी गई है।

जम्मू और काश्मीर

जम्मू और काश्मीर की सरकार ने १९४९ में जागीरदारी समाप्त करने और टैनेन्सी एक्ट पर अमल करने की दिशा में बहुत प्रगति की। काश्तकार को अधिकार दिया गया कि ज़मीदार उसकी खेती में दखल न दे। यदि उसकी खेती साढ़े आठ एकड़ से अधिक हो तो पैदावार में उसका भाग दुगना कर दिया गया। भूमि के बंटवारे की दरखास्तों का शीघ्र फैसला होने की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था शामिलात के इलाकों में भी लागू की गई। इन उपायों से काश्तकार की उन अनेक सामाजिक और आर्थिक वुराइयों से रक्षा हो गयी जिनके कारण वह देर से पीड़ित होता चला आया है।

मध्य भारत

मध्य भारत की सरकार ने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया है। लेजिस्लेटिव असेम्बली में ज़मीदारी और जागीरदारी समाप्त करने के विलों पर विचार हो चुका है और वे सिलैक्ट कमेटियों के सिपुर्द कर दिए जा चुके हैं। जागीरदारों से न्याय और पुलिस के अधिकार ले लिए गए हैं।

मध्य प्रदेश

१९५० के मध्य प्रदेश एग्रीकलचरल रैयत्स एन्ड टैनेन्स ऐक्विविज़िशन आफ प्रिविलेजेज एक्ट अर्थात् रैयतों और काश्तकारों

विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए जिन्होंने कि जमीनों पर जवरदस्ती कब्जा कर रखा था। अब इन सब इलाकों में काशत की एक-सी पद्धति जारी कर दी गई है। परगनों और कुलकर्णी वतनों को समाप्त करने के लिए भी एक विल तैयार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

वेगार और वेट सरीखी जागीरदारों द्वारा वसूल की जाने वाली लागें राज्य भर में समाप्त करदी गयी हैं। उनके स्थान पर सर्वत्र समान रूप से जमीन लगान का २५ प्रतिशत लोकल रेट के रूप में और पांच प्रतिशत पंचोत्तरा के रूप में लगाया गया है।

राज्य में काश्तकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियत कर दी गई है।

जम्मू और काश्मीर

जम्मू और काश्मीर की सरकार ने १९४९ में जागीरदारी समाप्त करने और टैनेन्सी एक्ट पर अमल करने की दिशा में बहुत प्रगति की। काश्तकार को अधिकार दिया गया कि ज़मीदार उसकी खेती में दखल न दे। यदि उसकी खेती साढ़े आठ एकड़ से अधिक हो तो पैदावार में उसका भाग दुगना कर दिया गया। भूमि के बंटवारे की दरख्वास्तों का शीघ्र फैसला होने की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था शामिलात के इलाकों में भी लागू की गई। इन उपायों से काश्तकार की उन अनेक सामाजिक और आर्थिक वुराइयों से रक्षा हो गयी जिनके कारण वह देर से पीड़ित होता चला आया है।

मध्य भारत

मध्य भारत की सरकार ने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया है। लेजिस्लेटिव असेम्बली में ज़मीदारी और जागीरदारी समाप्त करने के विलों पर विचार हो चुका है और वे सिलैक्ट कमेटियों के सिपुर्द कर दिए जा चुके हैं। जागीरदारों से न्याय और पुलिस के अधिकार ले लिए गए हैं।

मध्य प्रदेश

१९५० के मध्य प्रदेश एग्रीकलचरल रैयत्स एन्ड टैनेन्ट्स एक्विविज़िशन आफ प्रिविलेजेज एक्ट अर्थात् रैयतों और काश्तकारों

को भूमि प्राप्ति के अधिकारदिलानेवालेकानूनसे राज्य के काश्तकारों के लिए भूमि पर मालिक मकवूजा अधिकार पाने का और वरार के हस्तांतरित गांवों के काश्तकारों के लिए मीरुसी अधिकार पाने का मार्ग साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश अबीलीशन आफ प्रोप्राइटरी राइट्स् विल अर्थात् भूमि पर स्वामित्व के अधिकारों की समाप्ति के विल के कानून बन जाने पर काश्तकारों और रेयतों को उचित मूल्य देने पर अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जायगा। वर्तमान कानून के अनुसार एक नियत धन राशि देने पर काश्तकारों को ज़मीन लगान की अगली किश्त में लगान या मालगुजारी में कुछ कमी प्रदान करदी जायगी और उन्हें ज़मीन से वेदव्वल नहीं किया जा सकेगा।

वरार के गांवों में जो काश्तकार दस वर्षी काश्तकार कहलाते हैं वे भी वरार टैनन्सी ली अमैन्डमेंट एकट १९५० के अनुसार इन अधिकारों को पाने के अधिकारी बन जायेंगे।

इन विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेने पर जब काश्तकारों को मान्यक मकवूजा अधिकार दिए जायेंगे तब उन्हें और रुपया नहीं देना पड़ेगा। जमीदारों को भी अनिरिम काल में कोई हानि नहीं पहुँचेगी। उनके ज़मीन लगान में जो कमी होगी वह आगामी निमाही में दी जाने वाली मालगुजारी में घटा दी जाएगी।

मद्रास

मद्रास गवर्नर ने भूमि वितरण के विषय में एक नियन्त्रित उपनियासी नीति का प्रारंभ किया है। भविष्य में भूमियां नियन्त्रित दस में दी जायेंगी:

१. राजनीतिक पीड़ितों को ।

२. उन भूतपूर्व सैनिकों को जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अथवा आजाद हिन्द फौज में सेवा कर चुके हों और जिनके पास पांच एकड़ सिंचाई की या १० एकड़ सूखी जमीन न हो ।

३. गरीब वेज़मीन व्यक्तियों को , इनमें हरिजन और अन्य अनुग्रह वर्गों के आदमी भी शामिल किए जायंगे ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४८ में ज़मीदारी समाप्त करने के संबंध में ज़मीदारी एवौलीशन एण्ड लैंड रिफॉर्म विल विधान सभा में पेश किया । इस विल का उद्देश्य ऐसी सरल तथा सर्वत्र एक सी नवीन भूमि पद्धति को आरंभ करना है, जिसमें स्वशासनकारी गांव पंचायतों के विकास साथ साथ किसानों को मालिक बनाने की सब अच्छी वातें भी शामिल होंगी । इसको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज़मीन के संबंध में विचवालियों के सब अधिकारों को उन्हें हरजाना देकर उनसे ले लिया जायगा । आर्थिक और कानूनी कठिनाइयों को हल करने के लिए काश्तकारों से कहा गया है कि वे अपने वार्षिक लगान का दस गुना मूल्य स्वैच्छापूर्वक अदा कर दें । इससे ज़मीदारी समाप्त करने के लिए मुद्रा स्थिति को रोकने के लिए और काश्तकारों की वचत को उत्पादक कामों में लगाने के लिए एक कोष एकत्र हो जायगा । जो काश्तकार यह मूल्य अदा कर देंगे उनको अपनी ज़मीनें बेचने खरीदने का और वर्तमान लगान का केवल आधा अदा करने का अधिकार प्राप्त हो जाप्रगा । काश्तकारों से इस अदायगी का संग्रह २ अक्टूबर १९४९ को आरंभ किया गया था और अब तक २७ करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है ।

जो काश्तकार यह दस गुना लगान दे देंगे वे भूमिधर कहलायेंगे। जो काश्तकार इसे अदा नहीं करेंगे वे सीरदार कहलाएंगे। उन्हें अपनी भूमियों पर अस्थायी वंश परम्परागत अधिकार रहेगा परन्तु वे अपनी भूमि का उपयोग खेती, सब्जी बोने या पशु पालन से अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं कर सकेंगे।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस वर्ष 'द वैस्ट बंगाल वर्गादास ऐक्ट' नामक एक महत्वपूर्ण कानून पास किया जिसका उद्देश्य जमीदारों और बरगादारों में पैदावार का बंटवारा करके वर्गादारों की जमीन पर खेती करने के अधिकार को नियमित करके और आपसी झगड़े तय करने के लिए भाग चाश कन्सिलिएशन बोर्ड स्थापित करके जमीदारों और वर्गादारों के संवंधों को अधिक नीहादंपूर्ण बनाना है।

- * * * -

ग्राम पंचायत

भोपाल

भोपाल में ५७७ ग्रामपंचायतें हैं। उनमें से हरेक में ४ पंच और एक सरपंच हैं, जिनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है। प्रत्येक पंचायत एक हजार व्यक्तियों की आवादी के इलाके में काम करती है। ये पंचायतें अनेक प्रकार के नागरिक और म्युनिसिपल कर्टव्यों का पालन करती हैं।

विहार

विहार सरकार ने इस वर्ष विहार पंचायत राज्य एक्ट पास किया। इसके अनुसार विहार सरकार अब तक ६६२ पंचायतों को स्वीकार कर चुकी है। ६७९ पंचायतें अभी तक स्वीकार नहीं की गयीं।

लगभग १० हजार आवादी के प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत है। छोटे ग्रामों को मिलाकर उनकी सम्मिलित पंचायतें बनाई जाती हैं।

उक्त एक्ट का आधारभूत सिद्धांत यह है कि गैर सरकारी पंचायतें बनाकर उनके सुपुर्दु कुछ उपयोगी और रचनात्मक काम कर दिए जायं और जब वे अपना काम सन्तोषजनक रूप में करने लगें तब उन्हें सरकार स्वीकार कर लें। किसी भी पंचायत को विना परीक्षा के स्वीकार किया जाता। अन्दाजा लगाया गया है

कि इस प्रकार प्रतिवर्ष १३०० पंचायतें सरकार द्वारा स्वीकार की जायगी।

बम्बई

बोम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एकट १९०१, बोम्बे म्युनिसिपल बोरोज एकट १९२५, बोम्बे लोकल बोर्ड एकट १९२३, और बाम्बे पंचायत एकट १९३३ में इस प्रकार संशोधन किए गए कि उनके निर्वाचितों का आधार वयस्क मताधिकार हो जाय।

१९४९ में ग्राम पंचायत आन्दोलन में अच्छी प्रगति हुई। एक हजार या इससे अधिक आवादी के प्रत्येक ग्राम में एक एक पंचायत स्थापित की गई। जनवरी १९५० के अन्त तक ऐसी पंचायतों की संख्या ३५०० हो चुकी थी। इन पंचायतों को गुले स्थानों, पड़ती जमीनों, खली जमीनों, चरागाहों, वृक्षों और आम शस्त्रों आदि रेवन्यू विभाग के आधीन सरकारी मंपत्ति पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश बनने के पश्चात् यहां पंजाब का म्युनिसिपल एकट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एकट, रमील टाउन एकट और पंचायत एकट लागू कर दिए गए हैं और उन के अनुमान यहां नहीं मानिए गंभीरों का मंदिर दिया जा रहा है।

दो दश दंसायने विद्यमानी जा रही थी उन्होंने तुनांचित रोने में गलाकरा की गयी। कोकोरेंगिन गोतादारों के गिरफ्तार की गई दिया गया है जिनके पंचायतों को पंजाब

पंचायत ऐक्ट के अनुसार स्थायी रूप से संगठित करने के प्रश्न पर विचार करें।

मध्य भारत

एक वर्ष पूर्व जो 'मध्य भारत पंचायत ऐक्ट' पास किया गया था उसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण पंचायत का सदस्य होगा। इस प्रकार की कई पंचायतों को मिल कर एक केन्द्र पंचायत बनेगी। इन केन्द्र पंचायतों के मुखियाओं से मिल कर मंडल पंचायत बनेगी। पंचायतों के सदस्य व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे। केन्द्र, मंडल और न्याय पंचायतों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा। मंडल पंचायतें जिला बोर्ड के समान और न्याय पंचायतें देहाती अदालतों के समान कार्य करेंगी।

मध्य प्रदेश

ग्राम पंचायत ऐक्ट में ऐसे प्रत्येक ग्राम के लिए एक पंचायत की व्यवस्था है जिसकी आवादी एक हजार से कम न हो। पंचायतें सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, पानी की सप्लाई, गलियों में रोशनी और स्कूलों का खोलना आदि अनेक काम करती हैं। इन कामों के लिए उन्हें मालगुजारी पर अनिवार्य उपकरण लगाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामपंचायतों का न्याय का काम न्याय-पंचायतों के सुपुर्द किया गया है। अब तक ११०० न्याय-पंचायतें बन चुकी हैं।

मद्रास

मद्रास विधान सभा में 'विलेज पंचायत ऐक्ट' पास हो जाने के बाद से राज्य के देहाती शासन में एक नये युग का आरंभ हो

गया है। इस कानून का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को आत्म-निर्भर और स्वशासित स्थानीय इकाइयों में विकसित करना है। उन्हें देहाती जीवन और अर्थ-व्यवस्था से संबंध रखने वाले प्रायः सब मामलों के लिए बहुत से स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं। पंचायत पद्धति के आरंभ हो जाने पर ग्रामों में बाहर का नियंत्रण कम हो जायगा।

उक्त कानून पांच सी और उत्तर से अधिक आवादी के प्रत्येक ग्राम में पंचायत बनाई जाने की व्यवस्था करता है। पंचायतों का संगठन गुप्त मत-पत्रों द्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से मिल कर बनेगा। पंचायतों ग्राम में आम रास्तों का निर्माण भूम्भूत और रुदान का, उनमें रोयनी कराने का, नालियां बनवाने का और सावंजनिक व्याप्त्य की रक्षा आदि का काम करेंगी।

पंचायतों दीवानी और फौजदारी मुकदमों के फैराने करने वीर कागजान की रजिस्ट्री करने का काम भी करेंगी। पंचायतों का संगठन १९५१ के अंत तक ही जायगा।

उद्दीप्ता

"उद्दीप्ता ग्राम पंचायत एवं १९८८" को लागू करने के पश्चात् ५२८ ग्राम पंचायतों और १३३ अदालती पंचायतों ने दूसरे गायों में संमति की जा चुकी है।

सामर्थ्यान

सामर्थ्यान में स्थानीय संस्थाएँ हे नियंत्रण के लिए योग्य संस्थाएँ का नियाय स्वीकार दिया जा चुका है। सामर्थ्यान

पंचायत एकट का मसविदा तैयार हो चुका है और उसके शीघ्र ही पेश किए जाने की आशा है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को उठा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश

प्राचीन भारत के लोक-तंत्र के अंगों — पंचायतों — का पुनरुज्जीवन देहाती शासन में एक नए युग के आरंभ का सूचक है।

गांव सभाओं का संगठन गांव के सब वयस्क निवासियों से— वे चाहे साक्षर हों या निरक्षर, गरीब हों चाहे अमीर—मिल कर होता है। ये सभाएं ही गांव का शासन करतीं और गांव पंचायतों तथा अदालती-पंचायतों का निर्वाचिन करती हैं। ये सभाएं गांव पंचायतों द्वारा तैयार किए हुए बजट को पास करती, हिसाब किताब देखतीं, पंचायतों के काम की द्विवार्षिक रिपोर्ट स्वीकार करतीं और नये टैक्स लगाने का सुझाव पेश करती हैं।

इस राज्य के गांवों की आवादी ५ करोड़ ४० लाख ७ हजार ७१४ है। हाल में देहातों में जो चुनाव हुए थे उनमें मतदाताओं की समस्त संख्या २ करोड़ ७० लाख २० हजार ७९० थी। १ लाख १४ हजार २१५ ग्रामों ने ३४ हजार ७५५ गांव पंचायतों और ८ हजार १९० अदालती पंचायतों का निर्वाचिन किया था। गांव पंचायतों और अदालती पंचायतों में निर्वाचित पंचों की संख्या १४ लाख से ऊपर थी।

खर्चीली मुकदमेंवाजी से किसानों की रक्षा करने के लिए पंचायत राज के आधीन न्याय के शासन की एक सस्ती और शीघ्र फलदायिनी पद्धति आरंभ की गई है। राज्य में ८ हजार १९०

निर्वाचित अदालती पंचायतें हैं। ये सब ग्रामों में ही हैं और उनके अधिकारी भी स्वयं ग्रामीण लोग हैं।

उन अदालती पंचायतों को जाव्हा फीजदारी और जाव्हा दीवानी तथा राज्य के अनेक कानूनों के अनुसार बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। जिस किसी आदमी से शांति भंग होने की आशंका हो उसमें ये पंचायतें १०० रुपये तक का जमानती या विना जमानती वीड १५ दिन के लिए भरवा सुकृति है। ये पंचायतें साँ रुपये तक जुर्माना भी कर सकती हैं।

प्रजिडेंट ८०७, वाईसप्रेजिडेंट १७१८ और गांव सभाओं के हरिजन सदस्य २ लाख ५० हजार ७६ और अदालती पंचायतों के पंच ८ हजार १९९ हैं।

पंचायतों के निर्वाचन में स्त्रियों का भी अच्छा भाग रहा। गांव सभाओं की प्रजिडेंट २४ और वाईसप्रेजिडेंट १५ स्त्रियां चुनी गयीं। गांव-पंचायतों के सदस्यों में १ हजार और अदालती पंचायतों के पंचों में ३६ स्त्रियां निर्वाचित हुयीं।

पश्चिमी बंगाल

१९५०-५१ में ५०० पंचायतों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की गयी। सीमाओं के जिलों में कठिनाइयां होते हुए भी ९० क्षेत्र चुन लिए गए हैं और उनमें ३५ पंचायतों की स्थापना हो चुकी है।

इन पंचायतों के सदस्य ५०० वयस्क ग्रामीण हैं और इन्हें वयस्क व्यक्तियों के शिक्षण, गांवों की सड़कों के निर्माण, तालावों की खुदाई, वृक्षों की बुवाई और गांवों की स्वास्थ्य-रक्षा की ज़िल्हा गया है।

स्वास्थ्य और सफाई

आसाम

सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के विभागों को मिला कर एक कर दिया गया। डिस्पन्सरियों का सुधार किया गया और चिकित्सा के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सहायता बढ़ाई गई।

इस वर्ष के मुख्य मुख्य काम ये रहे।

(१) दो सार्वजनिक स्वास्थ्य औषधालय (डिस्पेन्सरियां) दो कालाआजार प्रशिक्षण केन्द्र और दो मलेरिया-निरोधक केन्द्र खोले गए;

(२) गारो पहाड़ियों में काला-आजार को रोकने के लिए दो चलती फिरती इकाइयों की मंजूरी दी गयी;

(३) मलेरिया पीड़ित कुछ पहाड़ी ज़िलों में मलेरिया की परिस्थितियों का अध्ययन किया गया;

(४) हैंजा रोकने के लिए सामूहिक रूप में टीके लगाए गए;

(५) दो कुष्ट-चिकित्सा के केन्द्र खोले गए;

(६) दस नगरों में बी० सी० जी० के टीके लगाने का काम किया गया;

(७) बड़े बड़े नगरों में नेत्र-परीक्षा के केन्द्र खाले गए;

(८) १९४९ के आसाम काला-आजार चिकित्सा कानून को लागू किया गया; और

(९) लोकल बोर्डों को सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा की सेवाएं उन्नत करने के लिए अधिकाधिक आर्थिक सहायता दी गयी।

सरकार ने एक आयुर्वेदिक कालिज खोला है और उसके लिए ५० हजार रुपए मंजूर किये हैं।

बिहार

१९४५-४६ के बजट में चिकित्सा-कार्य के लिए ४७ लाख ५२ हजार ८५७ रुपए की राशि रखी गयी थी। यह बढ़ते बढ़ते १९४९-५० में ९७ लाख रुपए की हो गयी।

चिकित्सालयों की व्यवस्था राज्य की सरकार के हाथ में सौंपने के कार्य में निरन्तर उन्नति हुई। जो चिकित्सालय पहले से सरकार के हाथ में थे उनमें सुधार किया गया। दरभंगा मैडिकल स्कूल को कालिज बना दिया गया। पटना मैडिकल कालिज में चार नये विशेष रोगों की चिकित्सा के विभाग विदेशों में प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के आधीन खोले गये।

राज्य भर में क्षय रोग के विरुद्ध नियमित आन्दोलन आरंभ किया गया। विहार, समस्तीपुर, गिरिडिह और देवघर के स्व-डिविजनल चिकित्सालयों और प्रान्त के प्रत्येक सदर चिकित्सालय में दस दस रोगियों को रख कर चिकित्सा करने के लिए टी० बी०

वार्ड खोलें गये । इटकी सैनिटोरियम में कुछ और रोगियों को मुफ्त रखने की व्यवस्था की गयी और राज्य की सरकार ने बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन किया । दिघा में एक आयुर्वेदिक टी० बी० सैनिटोरियम खोलने की स्वीकृति दी गयी । सहरसा, दरभंगा और मुंगेर जिलों में वाढ़ पीड़ित इलाकों में स्वास्थ्य-केन्द्र खोलने की कोसी योजना संतोषजनक प्रगति कर रही है । प्रसारक रोगों के डाक्टरों की संख्या बढ़ा कर ८० और हैल्थ एसिटेंटों और टीका लगाने वालों की संख्या ५०० कर दी गयी । बहुत बड़े क्षेत्र में प्लेग को रोकने के उपाय किए गए और स्थानिक संस्थाओं को मलेरिया रोकने के लिए दी जाने वाली सहायता बढ़ा कर २ लाख रुपया करदी गयी ।

बम्बई

बम्बई सरकार ने औंध में एक क्षय-चिकित्सालय खोला । उसमें १२५ रोगियों को रखने की व्यवस्था है । क्षय रोग का विस्तार रोकने के लिए सरकार ने बी० सी० जी० के टीकों का लगाना भी आरम्भ किया ।

हाल में सरकार ने बम्बई के सैण्ट जौर्ज हस्पताल को शिक्षण चिकित्सालय में परिवर्तित कर दिया ।

इस वर्ष सरकार ने कनाड़ा जिले में दो फौरेस्ट डिस्पेन्सरियां खोलीं और जिला व लोकल वोर्डों व म्युनिसपैलिटियों द्वारा संचालित आयुर्वेदिक व युनानी डिस्पेन्सरियों को सहायता देना स्वीकार किया । कई जिलों में ९ कुटीर अस्पताल आरंभ किए गए ।

पूना, रत्नागिरी, पुर्व (जिला कोलावा) वडोदा और अहमदाबाद के सरकारी कुप्ट-चिकित्सालयों का समस्त व्यय उठाने के अतिरिक्त सरकार ने निजी संस्थाओं द्वारा संचालित कुप्ट-चिकित्सालयों को सहायता देना भी स्वीकार किया। एक विशिष्ट कुप्ट-अधिकारी और एक औनरेरी आन्दोलन कर्ता अधिकारी नियमित किए गए। पूना के कोणद्वा कुप्ट-चिकित्सालय का विस्तार किया गया। और वडोदा के अनुभूया कुप्ट आश्रम और कोल्हापुर की शेंडा पार्क कुप्ट वस्ती की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली। नसिंग की सेवाओं में सुधार किया गया। वेलगांव के सिविल अस्पताल में कर्मचारियों को काम सिखाने की व्यवस्था की गई। मुफसिसल के हस्पतालों में रिफेशर कोर्स आरंभ किए गए।

सरकार ने दिल्ली के तिव्विया कालिज में यूनानी का अध्ययन करने के लिये चार छात्रवृत्तियां देना स्वीकार किया। भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों के विषय में योध कर्मटी की रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार ने उन सिद्धांतों का निश्चय किया जिनके अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षण-संस्थाओं को स्थायी और अस्थायी सहायता दी जायगी।

सरकार ने एक ग्राम-समूह में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को संयुक्त केन्द्र खोल कर मातृ-कल्याण सेवा, शिशुमंगल और सफाई में सुधार की व्यवस्था की। तीन चलते-फिरते चिकित्सालय स्वीकार किए जा चुके हैं।

तीन चलती-फिरती यूनिटों को ट्रॉकों, अन्य आवश्यक सामग्री तथा कर्मचारियों से सज्जित किया गया। ये यूनिटें इन इलाकों

में रोगों को फैलने से रोकने का काम जम कर करेंगी जिनमें छूत की वीमारियां बहुत फैलती हैं।

सरकार ने जिलों में मलेरिया के फैलाव का अध्ययन करने के लिए पांच मलेरिया अध्ययन दलों की स्वीकृति दी।

कुर्ग

डी० डी० टी० छिड़कने वाले दस्तों ने गांवों में एक यह दवा छिड़कने के अतिरिक्त घर घर जाकर चेचक के टीके भी लगाये। इससे वर्ष के अन्त में चेचक का फैलाव कम हो गया। सीमा के गांवों में हैजे का विस्तार सब गांवों के पानी में क्लोरीन मिलाकर रोका गया। चूहों के बिलों में सायनो गैस फूंक कर उन सब गांवों में प्लेग का फैलना रोक दिया गया जिनमें कि यह गत वर्षों में फैला करती थी। सरकार ने हुक्वर्म का फैलाव रोकने के लिए भी उपाय किए। व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और मेलों द्वारा स्वास्थ्य का आन्दोलन दूर दूर तक किया गया।

मई १९५० के अन्त तक मलेरिया रोकने के लिए ३८५ गांवों में औषधि छिड़की जा चुकी थी। इन सब गांवों के घरों की संख्या २६ हजार ७१३ और पशुओं के छप्परों आदि बाहर के घरों की संख्या १२ हजार ३४६ थी।

इन उपायों का फल यह हुआ कि तिल्ली की वीमारियां १० प्रतिशत से भी कम रह गयी हैं। मलेरिया के रोगी २०७ प्रति हजार से घट कर ५९ प्रति हजार रह गये हैं।

हिमाचल प्रदेश

१९४९ में एक उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्य-सेवाओं का डायरेक्टर, एक चीफ लेडी मेडिकल आफिसर, तीन जिला मेडिकल आफिसर, एक लेडी डाक्टर और ८ सब असिस्टेंट सर्जन नियुक्त किए गए। जिन एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों का प्रवंध हिमाचल प्रदेश के संगठन से पहले कम्पाउण्डरों के हाथ में या उनकी व्यवस्था अब सब-असिस्टेंट सर्जनों के सुपुर्द की गई। इन हस्पतालों की साज सज्जा में सुधार करके उनमें एक्सरे यंत्र लगाए गए और द्वाइयां भी पहले से अधिक रखी गयीं।

रेड क्रॉस ने गांवों की सहायता के लिए एक चलती-फिरती डिस्पेन्सरी का दान किया। रघुवीर स्वाधीनता स्मारक हस्पताल को 'इनडोर' विभाग में परिवर्तित किया गया और उसमें १० रोगियों के रहने की व्यवस्था की गयी। मंडी की रानी कुसुम-कुमारी हस्पताल में और सोलन के सिविल हस्पताल में भी रोगियों के रखने की व्यवस्था बढ़ाई गयी।

विश्व स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाईजेशन) की सहायता से यौन-रोगों की चिकित्सा के लिए एक संगठन का आरंभ किया गया। इसका मुख्य-परीक्षा केन्द्र शिमला की गवर्नरजनरल की डिस्पेन्सरी में है। एक गुप्तागों के रोगों का चिकित्सक, एक निदानज्ञ और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। जिले के प्रत्येक सदर हस्पताल में एक एक क्षय-रोग परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार है।

हैदराबाद

१९४९-५० में सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग ने रियासत के ८२ हजार ५९८ वर्ग मील गैरसरकारी क्षेत्र में ४० प्रतिशत स्थान पर कर्मचारियों का नियंत्रण और शासन करने के अधिकार अपने हाथ में ले लिए।

८ स्थायी प्लेग निवारक दस्तों के अतिरिक्त १० अस्थायी दस्तों और पांच अस्थायी हस्पतालों की मंजूरी दी गई। छूतछात के रोगों का क्रान्ति लागू किया गया। जन्म और मृत्युओं की रजिस्ट्री करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गयी।

क्षय रोग का नियंत्रण करने के लिए एक संगठन केंद्र स्थापित किया गया। एक टी० बी० व्यूरो आरंभ किया गया और बी० सी० जी० के टीके लगाने की व्यवस्था की गई। हैदराबाद और सिकंद्राबाद नगरों के लिए एक द्विर्षीय बी० सी० जी० टीका योजना स्वीकार की गयी।

अर्रमनुमा टी० बी० हस्पताल में एक्सरेयंट्र और प्रयोगशाला की सुविधाएं देने और रोगियों के रहने की व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए सुधार किया गया। कदम घाटी मैनेयर, पी० डबल्यू० डी० कैम्पों और कुछ चुने हुए ग्रामों में मलेरिया-निरोधक उपाय लागू किए गए। तुंगभद्रा योजना के लिए भी एक संशोधित योजना स्वीकार की गयी।

सिकन्द्राबाद और हैदराबाद के कुष्ट-रोग-परीक्षा-केन्द्रों की व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथ में ले ली। वर्तमान प्रयोगशालाओं की सुविधाओं को एक केन्द्र के आधीन कर दिया गया।

मन्त्रिक हैल्थ डायरेक्टर के आधीन केन्द्रिक प्रयोगशालाओं की एक योजना सरकार ने स्वीकार की।

जम्मू और काश्मीर

हैजे और टाइफस का विस्तार रोकने के लिए इस वर्ष रोगियों को अलग रखने के एक हस्पताल का संगठन किया गया, जिससे मृत्यु संख्या घट गयी। प्रसारक रोगों की एक प्रयोगशाला संगठित की गयी, जिससे कि डायटर टाइफस के विविध प्रकारों का निदान भली भांति करके निवारक उपायों का अवलंबन कर सकें। इस वर्ष लगभग दो लाख व्यक्तियों को टीके लगाए गए।

क्षय के सब रोगियों को रजिस्टर करने का आन्दोलन किया गया। इस समय लगभग १० हजार रोगियों की चिकित्सा की जा रही है। बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। श्रीनगर के हस्पताल में एक्सरे और विद्युत-चिकित्सा के अन्य उपकरण मंगा कर रखे गए हैं। वारामूला के हस्पताल में भी एक्सरे का उपकरण मंगवाया गया। २ लाख रुपए की ओपियों मंगवाई गयीं। सरकार ने तीन डाक्टरों को शारीर-चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा की ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलैण्ड भेजा।

मध्यभारत

१९४९ में १०० नये आयुर्वेदिक ओषधालय आरंभ किये गए। ग्वालियर के आयुर्वेदिक विद्यालय को पूरे कालिज में परिणत कर दिया गया है।

जच्चाओं और माताओं को सूखा दूध और विटामिनों की गोलियां बड़ी मात्रा में बांटी गयीं।

विश्व स्वास्थ्य संघ के आधीन एक मलेरिया-निरोधक प्रदर्शक दल जयपुर के पहाड़ी इलाकों में काम कर रहा है। भारतीय अनुसंधान-कोष संघ (इण्डियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन) के आधीन यह देखने के लिए एक अनुसंधान केन्द्र आरंभ किया गया कि “फिलैरिएसिस” नामक रोग की चिकित्सा में हैट्रैजन औषधि का प्रभाव कैसा होता है। कटक, सम्बलपुर और वहरामपुर में स्कूल जाने वाले बालकों को बी० सी० जी० के टीके लगाने का यत्न किया गया।

पटियाला पंजाब रियासत संघ

राज्य के सब चिकित्सक और स्वास्थ्य विभागों को एकत्र संगठित करके स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के डायरेक्टर के आधीन किया गया। शासन की सुविधा के लिए दोनों विभागों को एक सिविल सर्जन के नियंत्रण में रखा गया है।

यूनियन सरकार ने स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। पटियाला में एक आयुर्वेदिक कालिज भी खोला जा रहा है।

पंजाब

अमृतसर के ग्लैंसी मैडिकल कालिज को नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से सज्जित किया गया है। कालिज में एक निदान विभाग (पैथोलॉजिकल व्लौक) बढ़ाया गया है। गुज्जरमल

केसरदेवी क्षय रोग सैनेटोरियम का प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और उसमें क्षय के चिकित्सकों को शिक्षित करने का काम आरंभ किया। डैनिस रेडकाट और अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट निधि के आधीन विदेशी विशेषज्ञों का एक दल राज्य में आया और उसने सरकार के चार दलों को बी० सी० जी० का टीका लगाने का काम सिखलाया।

शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीस देहाती और सबह सहायता पाने वाली डिस्पेन्सरियां आरंभ की जायंगी। अन्तिम लक्ष्य यह है कि सौ वर्गमील के तथा तीस हजार आवादी के प्रत्येक क्षेत्र में एक एक डिस्पेन्सरी हो जाय।

राजस्थान

रियासतों के राजनीतिक पुनर्गठन के पश्चात् चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को मिलाकर एक ही नियंत्रण के आधीन कर दिया गया। जिस सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति को स्वास्थ्य के क्रान्तीनों पर पुनर्विचार करने का काम सौंपा गया था। उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी।

नयी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने के लिए ६० हजार रुपए की राशि स्वीकार की गयी।

त्रावनकोर-कोचीन

सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवा में सुशिक्षित व्यक्तियों की कमी दूर करने के लिए त्रिवेन्द्रम में एक मैडिकल कालिज खोलने की तैयारी की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय वाल संकट निधि की सहायता से बी० सी० जी० के टीके लगाने का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। त्रिवेन्द्रम में एक क्षय-रोग-परीक्षा-केन्द्र खोलने की भी तैयारी की जा रही है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनान के लिए त्रावनकोर यूनिवर्सिटी शीघ्र ही एक आयुर्वेदिक विभाग खोलेगी। भविष्य में आयुर्वेद के विद्यार्थी एलौपैथिक हस्पतालों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया करेंगे।

इस वर्ष खाद्य में मिलावट रोकने का क्रान्तुन (द त्रावनकोर प्रिवैन्शन आफ एडल्टरेशन एक्ट) और कोचीन का सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रान्तुन (कोचीन पब्लिक हैल्थ एक्ट) पास किए गए। एक स्वास्थ्य बोर्ड का भी संगठन किया गया।

उत्तर प्रदेश

१९४९-५० में ५० नयी एलौपैथिक डिस्पेन्सरियां खोली गयीं। स्त्रियों के १८ हस्पतालों को और ४ अन्य हस्पतालों को सरकार ने अपने हाथ में लिया। देशी चिकित्सा पद्धति की १५ देहाती डिस्पेन्सरियों के अतिरिक्त लखनऊ में एक आयुर्वेदिक फार्मसी और लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से एक आयुर्वेदिक कालिज का आरंभ किया गया।

विशेषज्ञों की एक समिति आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं का निरीक्षण करके उनके पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशों पेश करने के लिए नियुक्त की गयी है।

तराई भावर इलाके में विश्व स्वास्थ्य संघ की सहायता से मलेरिया के निरोध के लिए एक विशेष आन्दोलन आरंभ किया

गया है। चालू वर्ष में ही सरकार का विचार बीस नए आयर्वेदिक दवाखाने, १६ यूनानी दवाखाने और १०० रोगियों के लिए एक टी० वी० सैनिटोरियम खोलने का है।

विन्ध्य प्रदेश

इस वर्ष दो नए हस्पताल और छँ दवाखाने खोलने की योजना बन चुकी है। कम्पाउण्डरों को काम सिखाने की योजना भी स्वीकार की जा चुकी है।

पश्चिमी बंगाल

राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए ३५ देहाती स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। शीघ्र ही २८ केन्द्र और खोले जाने की आशा है और ६० केन्द्रों के लिए इमारतें बन रहीं हैं। कई बड़े हस्पतालों में रोगियों के रखने की व्यवस्था बढ़ाई गयी है और अन्य कइयों में अन्य प्रकार के सुधार किए गए हैं। टी० वी० के अधिक रोगियों को रखने की व्यवस्था करने का विशेष यत्न किया जा रहा है। एक नया टी० वी० हस्पताल खोला गया है, जिसमें ४०० रोगी रखे जा सकेंगे। गोरीपुर में एक कुष्ट-रोग-चिकित्सालय खोला गया है जिसमें ५०० रोगी रखे जा सकेंगे। सात दलों ने वी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन किया।

चिकित्सा संबंधी शिक्षा को उन्नत करने के लिए कैम्पवल स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया और दो निजी मैडिकल स्कूल मिलाकर उनका दर्जा ऊंचा कर दिया गया। “लाइसेन्शिएट” की पाठ विधि को समाप्त करके कलकत्ता मैडिकल कालिज में पढ़ाई की दो पालियां करदी गयीं हैं, जिससे कि अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें।

जनता का शिक्षण

आसाम

तीस से ऊपर चुने हुए क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षण आरंभ किया गया। उसका लाभ ८२८ गांवों और ८ नगरों ने उठाया।

नागा, लुसाई, उत्तरी कछार, बबोर और मिश्मी पहाड़ियों में ७० सरकारी प्राइमरी स्कूल आरम्भ किए गए और 'वैन्चर' स्कूलों को बड़ी संख्या में चालू रखने के लिए सहायता दी गयी। मैदानी जिलों के प्रत्येक सबडिविजन में पांच नमूने के स्कूलों को चुन कर उन में गांव की 'सुताई', दीवारों पर पलस्तर करना, गांव के रास्तों को साफ करना और खाद के गढ़े खोदना आदि काम आरंभ किए गए। आठ सौ नए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

सरकार ने आदिवासी जातियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। लुशाई पहाड़ियों में मीजो हाई स्कूल को और १५ मिडिल स्कूलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया।

प्रौढ़ों के शिक्षण की एक योजना इस विचार से आरंभ की गई कि राज्य में कम से कम ५० प्रतिशत लोग साक्षर हो जायं। दो नयी गाड़ियां चित्र दिखला कर और व्याख्यान सुनाकर शिक्षा का प्रसार करने के लिए खरीदी गयीं।

गोहाटी यूनिवर्सिटी को ५ लाख रुपए इमारतें बनाने के लिए दिए गए। तीन सहायता-प्राप्त कालिजों को अपनें विज्ञान विभाग बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता दी गयी।

भोपाल

भोपाल के हमीदिया कालिज का दर्जा बढ़ा कर उसे स्थायी रूप से डिग्री कालिज बना दिया गया। ग्रामों में वीस नए प्राइमरी स्कूल खोले गए। वैरागढ़ तथा गांधीनगर कैम्पों में दो दो स्कूल शरणार्थी बालकों और बालिकाओं के लिए खोले गए। हाई और मिडिल स्कूलों की ५वीं और ६ठी कक्षाओं में हिन्दी को पाठविधि का अनिवार्य अंग बना दिया गया।

विहार

१९४९-५० में वुनियादी तालीम के विस्तार के कार्यक्रम पर ८८ लाख रुपया खर्च होने का अन्दाजा है। १९४९-५० की योजना में ६ वुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों का, २० वुनियादी तालीम के बाद के स्कूलों का और ४३५ वुनियादी स्कूलों का खोलना शामिल है। आशा है कि ६ वुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों में ६०० अध्यापकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

नए प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में खोले गए हैं। विशेषतः आदिवासियों और अन्य अनुनृत जातियों से आवाद इलाकों में।

अनुनृत इलाकों में हिन्दी-भाषी लोगों के शिक्षण के लिए ८ लाख ८५ हजार २२८ रुपए की अनुबर्ती (वार वार दी जाने वाली) और ६३ हजार ४८० रुपए की निरनुबर्ती (एक ही वार दी जाने वाली) सहायता से एक योजना स्वीकार की जा चुकी है। राज्य में नयी सम्मिलित की गयी रियासतों में से सरायकेला और खरसावां के शिक्षण-विभागों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है।

अनुब्रत मुसलमानों के लाभ के लिए उर्दू के स्कूल भी बड़ी संख्या में आरंभ किए गए हैं।

१९४९-५० में लड़कियों के १७ मिडिल और १० हाई स्कूलों को सरकारी व्यवस्था में लिया गया। लड़कों के २४ सहायता प्राप्त स्कूलों में विज्ञान और कृषि का शिक्षण आरंभ करने की स्वीकृति दी गयी।

पटना के आर्ट्स् स्कूल को सरकारी व्यवस्था में मिला लिया गया। हिन्दी में विविध विषयों पर स्टैण्डर्ड पुस्तकें लिखने और प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना की गयी।

नैशनल कैडेट कोर और्गनाइजेशन के निरीक्षण में विद्यार्थियों को सैनिक और शारीरिक शिक्षण देने के लिए एक योजना का आरंभ किया गया। इसके अनुसार इस समय कालिजों के १३०० विद्यार्थी और स्कूलों के ३१६५ विद्यार्थी प्रशिक्षित हो रहे हैं।

प्राइमरी स्कूलों से लेकर कालिजों तक के सब अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की गयी जिससे लगभग सबा करोड़ रुपए वार्षिक का खर्च बढ़ गया। इस वर्ष आदिवासी विद्यार्थियों को कालिजों में १०० और स्कूलों में ६५ छात्रवृत्तियां देने के लिए २ लाख ८५ हजार रुपए की व्यवस्था की गयी। उनके लिए १२ होस्टल बनाए गए हैं और ३५ होस्टल किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं।

कई नए स्कूलों को जारी रखने के लिए सरकार ने २ लाख ८६ हजार रुपए की सहायता दी।

इसके अतिरिक्त आदिम जाति सेवा मंडल और संथाल-पहाड़िया सेवा-मंडल ने २४१ स्कूल और १६ होस्टल खोले। सरकार ने इन संस्थाओं को २ लाख ८५ हजार ९९८ रुपए की सहायता दी।

बम्बई

सरकार ने बुनियादी तालीम की योजना सब प्राइमरी स्कूलों में आरंभ करने के लिए ये उपाय किए हैं: (१) जितने प्राइमरी स्कूलों में हो सके उतनों में दस्तकारी का सिखाना; (२) जिन स्कूलों में दस्तकारी आरंभ हो जाए उनमें धीरे धीरे बुनियादी पाठविधि का अपनाना; और (३) ट्रैनिंग संस्थाओं में दस्तकारी के काम, समाज-सेवा और स्वास्थ्य-शिक्षण का आरंभ करना।

प्राइमरी अध्यापकों को सभी जिलों में दस्तकारी सिखाने का काम आरंभ हो चुका है। राज्य की तीन भाषाओं के क्षेत्रों में ग्रेजुएटों के लिए तीन वेसिक ट्रैनिंग कालिज खोले गए हैं। नयी मिलाई हुई और विलीनीकृत रियासतों में भी सरकार न प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए दो ट्रैनिंग कालिज खोलने का निश्चय किया है। इनमें से प्रत्येक में एक या दो दस्तकारियां सिखलाई जायंगी। यह निर्णय किया जा चुका है कि वर्तमान प्राइमरी ट्रैनिंग कालिजों को शहरों और जिले के सदर स्थानों से उठा कर देहातों में ले जाया जाय जिससे कि उनकी पृष्ठ-भूमि देहाती हो जाय।

१९४९-५० में प्राइमरी और सेकेन्ड्री अध्यापकों के लिए ८ कैम्प संगठित किए गए। सरकार ने स्कूलों के लिए कैम्प

लगाना अनिवार्य विषय बना दिया। कैम्पों के कार्यों में निरक्षरता का निवारण, सड़कें बनाना और भूमि का पुनरुद्धार आदि सम्मिलित है।

१९४९-५० में सरकार ने गैर सरकारी आर्ट और साइंस कालिजों के लिए ६ लाख रुपए की सहायता देना स्वीकार किया। सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए मेडिकल कालिजों में अतिरिक्त निःशुल्क स्थानों का और टैक्निकल शिक्षण के लिए १५ छात्र-वृत्तियों का प्रबंध किया।

१९४९-५० में सरकार ने धनवाद के भारतीय खान स्कूल (इण्डियन स्कूल आफ माइंस एण्ड एप्लाइड जियोलौजी) के लिए एक छात्रवृत्ति, कानपुर के चीनी-टैक्नोलौजी-संस्था (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शूगर टैक्नोलौजी) के लिए दो छात्रवृत्तियां और वंगलौर के विज्ञान विद्यालय (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस) के लिए ५ छात्रवृत्तियां स्वीकार कीं। १० हजार रुपए की वार्षिक सहायता भी स्वीकार की गई। इससे वर्मर्ड की समाज सेवा विज्ञान की टाटा इन्स्टीट्यूट अपने विद्यार्थियों को वाल मनो-विज्ञान का कार्य सिखाने के लिए परीक्षा-केन्द्र खोल सकेगा।

सर्वोदय योजना के संबंध में सरकार ने निश्चय किया कि राज्य की तीनों भाषाओं के क्षेत्रों में समाज-सेवक कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय।

आदिवासियों की उन्नति के लिए जून १९४९ में उम्बरगांव पेटा में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षण शुरू करने और इस प्रयोजन के लिए ३८ स्कूलों की इमारतें बनाने की योजना आरंभ की गयी।

प्रौढ़ व्यक्तियों को नागरिक शिक्षा, साम्प्रदायिक मेल और वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य व सफाई में प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना का आरंभ किया गया ।

कुर्ग

जून १९४९ में इस राज्य का प्रथम कालिज मरकारा में खोलकर उसे मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया । कालिज की इमारत बनाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृत आ चुकी है । यह काम शीघ्र ही आरंभ किया जायगा । एक नया हाई स्कूल खोला गया और तीन ग्रेजुएट अध्यापकों को विनियादी तालीम में प्रशिक्षित किया गया । मद्रास के प्रारंभिक शिक्षण कानून (१९२०) के आधार पर यहां भी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षण आरंभ करने के लिए एक विल की रचना की गयी । भारत सरकार से इस विल को पेश करने के लिए आवश्यक इजाजत मिल चुकी है । हिन्दी को सभी स्कूलों में प्रथम कक्षा से अनिवार्य विषय बना दिया गया है ।

हरिजनों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हरिजन विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन, कपड़े, पुस्तकें और स्टेशनरी आदि मुफ्त देना आरंभ किया और उनके लिए स्कूल की फीस भी माफ करदी । कुछ छात्रवृत्तियाँ दी गयीं ।

स्कूलों के अध्यापकों को दो सप्ताह तक कृषि और नागरिकता का रिफ़ेशर कोर्स दिया गया । हाई स्कूलों में योग्य व्यायाम शिक्षक रखे गए हैं ।

हिमाचल प्रदेश

तीन इन्स्पेक्टरों को वुनियादी तालीम और शिक्षण की नवीन विधियों का अध्ययन करने के लिए देहली, विहार और उत्तरप्रदेश भेजा गया। जामियामिलिया के प्रिन्स्पल और ६ अध्यापकों ने ५० अध्यापकों के लिए ६ सप्ताह तक वुनियादी तालीम का पाठ्य-क्रम संचालित किया। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को ललित कलाएं सिखलाने के लिए शांति-निकेतन से तीन विशेषज्ञ बुलवाए गए।

कुमार सेन के मिडिल स्कूल को और मंडी और चम्बा के लड़कियों के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया है।

हंदरावाद

१९४९-५० में शिक्षण विभाग को पुनर्गठित किया गया और सरकार ने २५ लाख ९० हजार रुपए की रिकॉर्सिंग (प्रतिवर्ष बार बार देय) तथा ४ लाख रुपए की नानरिकॉर्सिंग (एक ही बार देय) सहायता दी। सरकार ने सम्मिलित किए गए जागीरी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्गठित करने के लिए १५ लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी। इन इलाकों में परीक्षणार्थ ६५० देहाती प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार है। राज्य के दीवानी इलाकों में २०० दो-दो अध्यापकों वाले प्राइमरी स्कूल और ६०० एक-एक अध्यापकों वाले प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी।

निम्न माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थियों की मातृभाषा द्वारा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी। हिन्दुस्तानी भाषी लोगों

के लिए सभी संकन्डरी स्कूलों में प्रथक कक्षाएं खोलने का विचार है। इसी वर्ष से चीयी कक्षा तक हिन्दुस्तानी की पाठ्य पुस्तकों पढ़ानी आरंभ करदी गयी है।

कुछ नए मिडिल स्कूल खोले गए और कुछ प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों को कमशः मिडिल और हाई स्कूल बना दिया गया।

सरकार का विचार १३ नए प्रौढ़ स्कूल खोलने का है। प्रौढ़ शिक्षण के लिए एक स्पैशल इन्स्पेक्टर नियत किया गया है। वहरों, गूंगों और अन्धों के स्कूल को स्थायी रूप से पुनर्गठित करने की एक योजना स्वीकार की जा चुकी है। स्थानीय भाषाओं में एक परीक्षा आरंभ करने की व्यवस्था हो चुकी है। उसे पास कर लेने पर मैट्रिक्युलेटों को अध्यापक होने का प्रमाण पत्र दे दिया जायगा। हिन्दी को मिडिल स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में, हाई स्कूलों में ऐच्छिक भाषा के रूप में और सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की स्वीकृत दी जा चुकी है। सरकार ने रियायती छावनी-वृत्तियों के लिए दो लाख रुपए स्वीकार किए। ४५ हजार रुपए उन विद्यार्थियों को छावनी-वृत्तियों के लिए स्वीकार किए गए जो कि हैंदरावाद में पुलिस कार्रवाई के पहले या पीछे अनाथ हो गए।

जम्मू और काश्मीर

प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की समस्त पाठ्यविधि में परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार सुधार किया गया। एक एडवायजरी बोर्ड के नियंत्रण में नयी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की

गयीं। प्राइमरी स्कूलों में काश्मीरी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाया गया। काश्मीरी लिपि को, विशेषतः इसी कार्य के लिए नियुक्त एक विशेष कमेटी ने, बहुत सुधार दिया और पाठ्य पुस्तकों काश्मीरी में ही लिखी गयीं।

६० विविध स्थानों पर गोद के बालकों के स्कूल आरंभ किए गए और राज्य में अनेक स्थानों पर सामाजिक शिक्षा के केन्द्र आरंभ किए गए। प्रौढ़ों को आकर्षित करने के लिए जन-संगीत और कला को भी इस कार्यक्रम का आवश्यक भाग बनाया गया। नगरीटा कैम्प में लोक संगीत और लोक नृत्य का एक मेला किया गया। २ हजार से अधिक लोगों ने इन केन्द्रों से लाभ उठाया। प्रौढ़ शिक्षण का विस्तार करने के लिए सरकार का विचार कुछ सामाजिक केन्द्र आरंभ करने का है, जिनमें इन सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य करेंगे।

सैकेन्ड्री स्कूलों में नियमित शिक्षण के साथ साथ कला और दस्तकारी भी सिखलाई जायगी और मैट्रीकुलेशन में भी इन विषयों को ऐच्छिक रूप में लिया जायगा। कुछ हाई स्कूल विविध काम सिस्तानें के लिए खोले गए। लड़कियों के हाई स्कूलों में औद्योगिक कक्षाएं आरम्भ की गयीं।

शिक्षण विभाग ने राज्य की सांस्कृतिक परमपराओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए “पुस्तक सप्ताह” मनाए।

२४ सितम्बर १९४९, को जम्मू और काश्मीर की यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत उत्सव हुआ। उसमें दीक्षांत भाषण भारत के प्रधान-मंत्री ने दिया। जम्मू और काश्मीर यूनिवर्सिटी की

परीक्षाओं को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान करदी और यह यूनिवर्सिटी भी भारत के इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की सदस्य बन गयी।

मध्यभारत

मध्य भारत ने विविध जिलों के ग्रामों में एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने का निश्चय किया। इनमें से ९८६ स्कूल खोले भी जा चुके हैं। १६३ अपर प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया जा चुका है। सरकार ने निश्चय किया है कि मध्य भारत यूनिवर्सिटी को पहले उज्ज्वेन में आरंभ किया जाय। इन्दीर में एक इन्जिनियरिंग कालिज और ग्वालियर में एक कृषि कालिज खोलने का निश्चय किया गया है।

शीघ्र ही एक विल पास करके हाई स्कूल और इन्टरमिजिएट शिक्षा का बोर्ड स्थापित किए जाने की आशा है। चार हजार प्रौढ़ों को प्रशिक्षित करने के लिए सामाजिक शिक्षण के लगभग २०० केन्द्र खोले गए।

शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक और सैनिक शिक्षा को धीरे धीरे अनिवार्य किया जा रहा है। ग्रैजुएटों और अन्डर ग्रैजुएटों के लिए अलग अलग दो ट्रेनिंग कालिज आरंभ किए गए।

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में सामाजिक शिक्षण की योजना का आरंभ मई १९४८ में किया गया था। १९५० के ४८४ ग्रीष्म कैम्पों के स्कूलों में डेढ़ लाख व्यक्तियों के सम्मिलित होने की आशा है। अब तक पांच लाख प्रौढ़ व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा चुके हैं।

पिछली गर्मियों में इन कैम्पों में काम करने के लिए ६ हजार ३३३ पुरुषों और १६९९ स्त्रियों ने अपनी सेवायें अर्पित कीं।

इस वर्ष के बजट में तीन सौ नए प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी है। जबलपुर में एक टैक्निकल हाई स्कूल और एक इंजिनियरिंग कालिज आरंभ किए गए हैं।

मद्रास

वुनियादी तालीम, ट्रेनिंग और प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के अनेक स्कूल खोले गए। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के काम के लिए देहाती कालिज खोले गए। नागरिकता की शिक्षा देने का काम संगठित किया गया और समाज सेवा के कार्यकर्ताओं के लिए कैम्पों का संगठन किया गया।

सरकार ने १० लाख की एक मुश्त सहायता प्राइवेट प्रवंधकताओं की आरंभिक स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए दी।

फीस माफ करने की सुविधा के कारण हजारों निरक्षर आदिवासियों और पहाड़ी जातियों के विद्यार्थियों ने संकन्डी शिक्षण का लाभ उठाया। ये सब विद्यार्थी अधिकतर राज्य के दूरस्थ कोनों के निवासी थे। शरणार्थी विद्यार्थियों को भी यही सुविधाएं दी जाती हैं।

स्थानीय संस्थाओं और ग्राम संघों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक लाख रुपए की सहायता दी गयी।

मेसूर

गत वर्ष लड़कियों के सात हाई स्कूलों में गृह-विज्ञान का शिक्षण आरंभ किया गया। हिन्दी को सब हाई स्कूलों में अनिवार्य विषय

वना दिया गया। कुछ मिडिल स्कूलों में दर्जीगीरी, लाख का काम, कृपि और बुनाई का सिखाना आरंभ किया गया। इस वर्ष चार सौ प्राइमरी स्कूल खोले गए। सरकार ने मैसूर राज्य प्रौढ़ शिक्षण कॉसिल को ५ लाख रुपए की सहायता दी। हल्नहल्ली में अध्यापकों को सेवाग्राम विधि से प्रशिक्षण देने के लिए कक्षाएं खोलने की व्यवस्था की गयी।

फिल्मों द्वारा चित्र दिखलाकर शिक्षा देने की एक योजना सरकार ने स्वीकार की। गर्भियों की छुट्टियों में समाज सेवा के कैम्प संगठित किए गए। बंगलौर, मैसूर, देवभगिरि, हसन और चिन्तामणि के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट उपयोगी काम कर रहे हैं। एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट भद्रावती में भी खोलने का विचार है।

उड़ीसा

अध्यापकों के वेतन और वेतन-दरों में सुधार किया गया। शिक्षण पर १९३७-३८ में २६ लाख ५ हजार रुपए व्यय होता था। १९५०-५१ में यह राशि बढ़ते बढ़ते १ करोड़ ५१ लाख ७७ हजार रुपए हो गई। सभी शिक्षण संस्थाओं में ६ ठी से ९वीं कक्षा तक हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया।

वहरों और गूंगों की संस्थाओं को सरकारी सहायता दी जाती है। शांतिनिकेतन और कलकत्ता के आर्ट स्कूल में प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं। राज्य से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष दस पुरुषों और दो स्त्रियों को १२ छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मुसलिम विद्यार्थियों को दस विशेष छात्रवृत्तियां दी गयीं। मुस्लिम लड़कियों को ७वीं कक्षा तक फीस नहीं देनी पड़ती।

पटियाला पंजाब रियासत संघ

चालू वर्ष के बजट में राज्य में एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ५ लाख रुपए की एक आरंभिक राशि रखी गयी है। इसकी योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बिठाई जा चुकी है।

लड़कियों का एक कालिज खोलने के अतिरिक्त लड़कियों को प्राइमरी और यूनिवर्सिटी शिक्षण में सहशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है।

पटियाला में लड़कों को चोथी कक्षा तक और लड़कियों को १०वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। हरिजनों और अन्य अनुन्नत जातियों को मैट्रिकुलेशन तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। राज्य को हिन्दी भाषी और पंजाबी भाषी दो भागों में विभक्त किया गया है। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है और प्रारंभिक श्रेणियों से ही पंजाबी का प्रादेशिक भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजाबी-भाषी क्षेत्रों में शिक्षण का माध्यम पंजाबी है परन्तु राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखना प्राइमरी कक्षाओं से ही अनिवार्य रखा गया है।

पंजाब

पंजाब सरकार ने सभी विस्थापित शिक्षण संस्थाओं को फिर वसा दिया है और एक नयी यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर दी है। हाल में उसने देहाती क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षण की योजना आरंभ की थी। १०८ केन्द्र पुरुषों के लिए और ५४ केन्द्र स्त्रियों के लिए योग्यने का निश्चय किया गया है।

पिछड़ी जातियों के शिक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए आदिवासी विद्यार्थियों के लिए ८ आश्रम स्कूल खोले गए। मिडिल स्कूल तक साधारण शिक्षण के अतिरिक्त इन स्कूलों में बढ़ईगीरी, कृषि, कताई और बुनाई और अन्य दस्तकारियों का काम भी सिखलाया जाता है। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों के खाने-पीने, रहने-सहने, कपड़े-लत्ते और पढ़ने-लिखने का सब खर्च सरकार उठाती है। १४० सेवाश्रमों (दिन के प्राइमरी स्कूलों) में पिछड़ी-जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई और हिसाव-किताब के अतिरिक्त कताई वागवानी, ग्रामीण स्वास्थ्य-रक्षा और खेल सिखाने की भी व्यवस्था की गयी। इनके अतिरिक्त समाज-सेवकों के लिए एक ट्रेनिंग सेन्टर और बालकों के लिए ६२ रात्रि शालाएं आरम्भ की गयीं। अनुन्नत जातियों के बालकों को स्कूलों और कालिजों में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए मासिक सहायता दी जाती है। आठ आदिवासी स्त्रियों को विविध दस्तकारियों और गृहस्थों के कर्तव्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने ५८ सार्वजनिक वाचनालय खोले।

राजस्थान

राजस्थान में शिक्षण का व्यय गत वर्ष की अपेक्षा तीस लाख रुपया अधिक होने की संभावना है। प्रथम, द्वितीय और पछ्य कक्षाओं में संशोधित पाठ्यविधि आरम्भ की गयी है। सामाजिक शिक्षण और साधारण विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रथम से अष्टम श्रेणियों तक के लिए कोई एक दस्तकारी सीखना अनिवार्य कर दिया जायगा। मिडिल स्कूलों को श्रेणियों के लिए अंग्रेजी भाषा का पढ़ना विद्यार्थियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

गत जुलाई में ५०० नए प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र खोले गए ।

राजस्थान सरकार ने ५०० नए प्राइमरी स्कूल खोलने, ५० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने, २० मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने और एक हाई स्कूल को इन्टरमिजिएट कालिज बनाने की योजना तैयार की है । गर्भियों की छुट्टियों में लगभग दो हजार अध्यापकों को ८ स्वल्पकालिक टीचर्स ट्रेनिंग कैम्पों में प्रशिक्षित किया गया ।

राजपूताना यूनिवर्सिटी एकट में नयी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया जा रहा है ।

आवनकोर कोचीन

सरकार ने चेरपू में सेवाग्राम की पद्धति से एक वुनियादी तालीम का ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलने का निश्चय किया ।

नयी पाठ्यविधि तीसरी और छठी श्रेणियों में लागू करदी गयी और दोनों रियासतों के लिए उसे एकसा कर दिया गया । अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षण की योजना आवनकोर के दो और भी तालुकों में लागू की गयी । निजी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का युद्धकालिक भत्ता और स्कूलों की सहायता वडादी गयी ।

शिशुओं के लिए आठ और स्कूल बोर्डने की अनुमति दी गयी और उन्हें आवश्यक सहायता भी दी गयी । भूतपूर्व सैनिकों को नियमित न्यूनों की पाठ्यविधियों का अध्ययन करने के लिए नक्काश और गुवियाएं दी गयी ।

उत्तर प्रदेश

१९४७ से १९५० तक उत्तरप्रदेश में ११ हजार १३५ नए स्कूल खोले गए। इनमें ८ लाख वालक शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। शहरों में प्रारंभिक शिक्षण पहले ही अनिवार्य था। १९४९-५० में राज्य में स्कूलों की संख्या २१ हजार ६०८ थी। इनमें ३ लाख से ऊपर वालक पढ़ रहे थे। भारत सरकार ने ११ लाख रुपया सहायता दी। उसका उपयोग समाजसेवा के शिक्षण को लोक-प्रिय बनाने में किया गया। इस वर्ष तीन जिलों में सैनिक शिक्षण भी आरंभ किया जा रहा है।

इस वर्ष अलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटियों को अधिक सहायता देकर उन्हें बी० एस० सी० श्रेणियों में पहले से अधिक विद्यार्थी भर्ती करने के लिए और अपने वैज्ञानिक अनुसंधान विभागों के लिए अधिक अच्छी सामग्री मंगाने के लिए कहा गया।

विन्ध्य प्रदेश

शिक्षण विभाग के अधिकारियों का पुनर्गठन करके जिला इन्सपैक्टरों, डिप्टी इन्सपैक्टरों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गयी। वघेलखंड में ५६ और वुन्देलखंड में ४४ नए प्राइमरी स्कूल खोले गए।

छतरपुर के महाराजा इन्टरमिडिएट कालिज को बढ़ा कर डिग्री कालिज कर दिया गया और टीकमगढ़ के हाई स्कूल को इन्टरमिडिएट कालिज बना दिया गया। दरवार कालिज के आर्ट और साइंस विभागों में एक संकरान बढ़ाया गया।


पश्चिमी बंगाल

प्रारंभिक शिक्षण के लिए सरकारी सहायता निरन्तर बढ़ती रही है और अब वह ८५ लाख रुपए तक पहुँच चुकी है। १९४९-५० में पाठ्विधि को सुधार कर, ट्रेंड अध्यापकों की भर्ती करके और निरीक्षण को अधिक चुस्त बना कर शिक्षण का दर्जा ऊंचा किया गया। प्राइमरी एजूकेशन एकट में सुधार करके शिक्षण कर और टैक्स अधिक मात्रा में एकत्र किया गया। प्रतिवंध लगे हुए क्षेत्रों में भी अनिवार्य शिक्षण आरम्भ किया गया। प्राइमरी स्कूलों के विषय में सरकार की नीति यह है कि उन्हें धीरे धीरे वुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाय। सरकार ने ४२ जूनियर वेसिक स्कूल खोले और दो वेसिक ट्रेनिंग कालिजों में सुधार और विस्तार किया। वुनियादी तालीम पर साड़े सात लाख रुपए खर्च किए गए।

राज्य में माध्यमिक शिक्षण को उन्नत करने के लिए कानून बनाया गया और एक सैकेन्ड्री एज्यूकेशन बोर्ड की स्थापना की गयी।

एंजिनियरिंग और टैक्निकल शिक्षण के लिए एक स्टेट कॉसिल का संगठन किया गया है।

प्रौढ़ों के शिक्षण के लिए ५०८ केन्द्र आरंभ किए गए। इनमें प्रति तिमाही में १२ हजार प्रौढ़ पढ़ने आते हैं। ४०० वुनियादी प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र निजी संस्थाओं द्वारा खोले गए। लगभग १०० पुस्तकालयों को सहायता दी गयी और जनता के शिक्षण के लिए निजी संगठनों को प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने कलकत्ता के बहरों और गूँगों के स्कूल, अन्धों के स्कूल और अन्धों के प्रकाशगृह (लाइटहाउस) को अतिरिक्त सहायता दी। इसी प्रकार मानसिक शक्तियों में हीन विद्यार्थियों के लिए संचालित वोधना इन्स्टीट्यूट को भी सहायता दी गयी। संस्कृत कालिज का पुनर्गठन किया जा रहा है और उसमें एक अनुसंधान विभाग भी खोला जायगा। इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए मदरसा को पुनः खोल कर उसमें सुधार किया जा रहा है।



अन्य प्रवृत्तियाँ

आसाम

व्यापार में सहकारी आन्दोलन ने इस वर्ष और भी उन्नति की। इन संस्थाओं की सदस्य-संख्या, पूँजी और व्यापार के परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। ९१ विद्यार्थियों को सहकारी कार्य में प्रगिक्षित किया गया। पहाड़ी इलाकों में कई सरकारी संस्थाओं का संगठन किया गया और उनका काम निर्विघ्न चला।

सड़कों पर चलने वाली मोटरों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति को १९४९ में ओरहाट-डिनूगढ़ सड़क पर भी लागू किया गया। राज्य की गाड़ियों की समस्त संख्या १० पैसेन्जर कारें, ५ पैसेन्जर बसें, ११५ माल ढोने की गाड़ियाँ, १४ लगेजवैन और ४ अन्य गाड़ियाँ थीं।

गया। वडे तालाबों में मछली पकड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए। दो तालाबों में नरसरियाँ आरम्भ की गयीं। इन नर्सरी-तालाबों में मछलियों के अण्डे चार कुनिका और छोटी मछलियाँ ८ हजार तैयार की गयीं।

राज्य में लाख तैयार करने के इलाके की पैमायश करके उसमें लाख तैयार करने का काम आरंभ हो चुका है। लगभग १५ हजार वृक्षों में लाख लगाने के लिए उनकी कलमें की गयीं। बुदनी में २५ एकड़ जमीन में चीड़ के वृक्ष लगाए गए। १९४९-५० में महकमा जंगलात की आमदनी गत वर्ष की अपेक्षा ३ लाख ९० हजार ७५९ रुपए अधिक हुई। सिहोर में ताड से गुड़ बनाने का काम नया आरंभ किया गया है।

कपड़े, चीनी और गत्ते आदि के वडे कारखानों में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरियाँ निश्चित करके महंगाई के भत्ते का परिमाण भी तय कर दिया गया। आस-पास के इलाकों में जो भत्ता दिया जाता है उसकी अपेक्षा यह अधिक है। श्रम-विभाग को परस्पर वातचीत और समझौतों द्वारा हड़तालें रोकने में सफलता हुई। कारखानों के मजदूरों की अनेक मांगें आपसदारी से पूरी करदी गयीं और चीनी तथा कार्ड वोर्ड के कारखानों में काम की कमेटियाँ संगठित करदी गयीं।

विहार

राज्य की सड़कों को सुधारने पर ४८ लाख ३८ हजार ६७७ रुपए और उन्हें ठीक रखने पर २३ लाख ८० हजार ११४ रुपये खर्च हुए। आम रास्तों और पुलों को सुधारने पर २७ लाख ८८ हजार

रूपए और उनकी मरम्मत और रक्षा पर १९ लाख ६० हजार रूपए खर्च आए ।

कई शहरों और गांवों में विजली लगाने का कार्यक्रम स्वीकार करके उस पर अमल आरंभ हो चुका है ।

१९४७ से १९५० तक सरकार ने दो नये पशु चिकित्सालय, १२ नयी डिस्पेन्सरियाँ और २२५ नयी फील्ड डिस्पेन्सरियाँ खोली । एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी तैयार की गयी है । इस वर्ष कोसी के इलाके में ५ हजार पशुओं की ऐसे प्राणहर रोगों के लिए चिकित्सा की गयी जिनसे पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है । कोसी के इलाके में पशुओं की बड़ी संख्या में सामूहिक रूप ने टीके भी लगाए गए । चमड़ों और खालों की जो हानि होती है उसे वैज्ञानिक उपायों से रोका जा रहा है । विहार पशु-चिकित्सा कालिज का शीघ्र ही पटना यूनिवर्सिटी से संबंध कर दिया जायगा ।

की सहकारी संस्थाएं संगठित की गयी हैं और अनेक सहकारी संस्थाएं विविध पेशों के लिए चलाई गयी हैं।

प्रीविन्शियल कोऑपरेटिव वैंक लि० ने और अन्य कई सहकारी संस्थाओं ने वस्त्र, नमक और चीनी आदि नियंत्रित वस्तुओं का वितरण किया। कुछ इलाकों में अन्न भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा वंटवाया गया।

फरवरी १९५० में गन्ना बोने वालों की सहकारी संस्थाओं की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १ लाख ६४ हजार ५२९ थी।

१९३० के कारखानों को सरकारी सहायता देने के कानून (स्टेट एड टु इंडस्ट्रीज एक्ट) में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि छोटे गृह उद्योगों को भी अधिक आर्थिक सहायता दी जा सके। सरकार ने एक खादी उत्पादन योजना स्वीकार की और खादी-समिति के लिए १२ लाख रुपए मंजूर किये। यह संस्था ९ महीनों में ढाई सौ व्यक्तियों को कातने और बुनने का और समाज-सेवा का काम सिखलाएगी।

सरकार ने विहार प्राइवेट फारेस्ट एक्ट के अनुसार लगभग १० हजार एकड़ निजी जंगलों का प्रबंध अपने हाथ में लिया।

ट्रेड यूनियनों के संगठन को प्रोत्साहित किया गया और परस्पर समझौते द्वारा और पंचों द्वारा फैसला कराने की व्यवस्था को बलवान बनाया गया। १९४६ में हड्डतालों के कारण ९ लाख ४१ हजार ९०६ जन-दिनों का नुकसान हुआ था। १९४९ में यह संख्या घट कर केवल ३ लाख रह गयी।

रूपए और उनकी मरम्मत और रक्षा पर १९ लाख ६० हजार रूपए खर्च आए ।

कई शहरों और गांवों में विजली लगाने का कार्यक्रम स्वीकार करके उस पर अमल आरंभ हो चुका है ।

१९४७ से १९५० तक सरकार ने दो नये पशु चिकित्सालय, १२ नयी डिस्पेन्सरियाँ और २२५ नयी फील्ड डिस्पेन्सरियाँ खोली । एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी तैयार की गयी है । इस वर्ष कोसी के इलाके में ५ हजार पशुओं की ऐसे प्राणहर रोगों के लिए चिकित्सा की गयी जिनसे पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है । कोसी के इलाके में पशुओं की बड़ी संख्या में सामूहिक रूप ने टीके भी लगाए गए । चमड़ों और बालों की जो हानि होती है उसे वैज्ञानिक उआयों से रोका जा रहा है । विहार पशु-चिकित्सा कालिङ्ग का शीघ्र श्री पटना यूनिवर्सिटी ने मंवंध कर दिया जायगा ।

की सहकारी संस्थाएं संगठित की गयी हैं और अनेक सहकारी संस्थाएं विविध पेशों के लिए चलाई गयी हैं।

प्रीविनियायल कोऑपरेटिव बैंक लि० ने और अन्य कई सहकारी संस्थाओं ने वस्त्र, नमक और चीनी आदि नियंत्रित वस्तुओं का वितरण किया। कुछ इलाकों में अब भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा वंटवाया गया।

फरवरी १९५० में गन्ना बोने वालों की सहकारी संस्थाओं की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १ लाख ६४ हजार ५२९ थी।

१९३० के कारखानों को सरकारी सहायता देने के कानून (स्टेट एड टु इन्डस्ट्रीज एक्ट) में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि छोटे गृह उद्योगों को भी अधिक आर्थिक सहायता दी जा सके। सरकारने एक खादी उत्पादन योजना स्वीकार की और खादी-समिति के लिए १२ लाख रुपए मंजूर किये। यह संख्या ९ महीनों में द्वाई सौ व्यक्तियों को कातने और बुनने का और समाज-सेवा का काम सिखलाएगी।

सरकार ने विहार प्राइवेट फारेस्ट एक्ट के अनुसार लगभग १० हजार एकड़ निजी जंगलों का प्रवंध अपने हाथ में लिया।

ट्रैड यूनियनों के संगठन को प्रोत्साहित किया गया और परस्पर समझौते द्वारा और पंचों द्वारा फैसला कराने की व्यवस्था को बलवान बनाया गया। १९४६ में हड़तालों के कारण ९ लाख ४१ हजार ९०६ जन-दिनों का नुकसान हुआ था। १९४९ में यह संख्या घट कर केवल ३ लाख रह गयी।

जमशेदपुर और कटिहार में कारखाना-मजदूरों के लिए एक वैलफेयर आफिसर की आवीनता में वैलफेयर सेन्टर खोले गए। जमशेदपुर में एक स्त्री-वैलफेयर आफिसर को भी नियुक्ति किया गया। विविध कारखानों में मजदूरी का स्तर नियत करने के लिए परिस्थितियों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया और कुछ उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरियां नियत करके उनकी घोषणा करदी गयी।

बन्धुई

नडियाद (ज़िला खेड़ा) में एक हरिजन वस्ती वसाने की योजना आरंभ की गयी। मजदूरों की अवस्थाएं सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में सरकार को पर्याप्त सफलता हुयी है। उसने स्वस्थ ट्रैड यूनियनों के विकास और मालिक मजदूरों के संवंधों को मित्रतापूर्ण बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। १९४९ में २५ हजार २०८ जन-दिवसों को नष्ट होने से बचाया गया।

प्रधान औद्योगिक नगरों में वेकार मजदूरों को काम में खपाने के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखने की परम्परा को समाप्त करने की योजना आरंभ की गयी। सरकार ने श्रम-संवंधी समस्याओं के हल में सलाह देने के लिए एक श्रमि सलाहकार बोर्ड संगठित किया है।

५६ लैंबर वैलफेयर सेन्टर पहले से ही थे। इस वर्ष १४ और खोले गए। ये सैन्टर मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें और उनके परिवारों को शिक्षण, संस्कृति और मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

कुर्ग

इस समय ३६० सहकारी संस्थाएं हैं, जिनके सदस्य ५० हजार और पूँजी लगभग ५० लाख रुपए हैं। ये संस्थाएं राज्य की प्रायः सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। २०० विविध काम करने वाली संस्थाएं हैं और ९ महिला समाज हैं, जिनमें से तीन 'नरसरियाँ' और हिन्दी तथा दर्जीगीरी के वर्ग चलाती हैं। तीन हरिजन सुधार सोसायटियाँ हैं, और आठ बचत तथा जीवन सुधार सोसायटियाँ हैं। शहद, सन्तरों और दालचीनी को बेचने

में पर्याप्त प्रगति हुई। उत्तर गोदावरी नहर की सिंचाई-योजना पर काम आरंभ हो चुका है।

तीन बड़े ओद्योगिक कारखानों में वकर्स कमेटियां आरंभ की गयीं और १६ में से १७ ज़िलों में वैलफेयर कमेटियां संगठित की गयीं।

१९४३ में अनेक कारखानों में २३ कैन्टीन और १८ शिशु-पालन गृह (क्रीच) चलते रहे।

ट्रेड यूनियनों ने अपनी शिकायतों और मांगों के विषय में ९६ प्रारंभना पत्र दिए और उन सब पर उचित कारंवाई की गयी। इस वर्ष १० मामले समझीना बोर्ड और ५ ओद्योगिक अदालतों के मुपुर्दं किए गए।

काश्मीर की कारीगरी और दस्तकारी का माल बाजार में खपाने के लिए कोओपरेटिव डिपार्टमेंट में ५२ इन्डस्कोस (इन्डस्ट्रियल कोओपरेटिव सोसायटियों अर्थात् औद्योगिक सहकारी संस्थाओं) को संगठित किया। इन्हें सरकार ने दो लाख रुपए ऋण दिया।

एक पूर्णतया साधन संपन्न परिवहन विभाग संगठित किया गया और बनिहाल के दरें को यथाशक्ति अधिकतम काल तक खुला रखने का यत्न किया गया। स्थानीय उद्योगों का माल सड़क और आकाश के रास्ते बाहर भेजा गया।

काश्मीर आर्ट इम्पोरियम की शाखाएं देहली, वर्मई आदि अनेक नगरों में हैं और यह गृहोदयोगों का माल बाजार में खपाता है।

हाथकरघा वुनकरों के एसोसिएशन में ३५७४ पौंड कच्चा रेशम जुलाहों में बांटा गया। सरकार ने रही रेशम से मटका धार्न (धागा) और वस्त्र बनाने की एक योजना स्वीकार की। रेशमी कपड़ों को बाजार में अधिक अच्छी प्रकार खपाने के लिए सरकार ने ७५ हजार रुपए खर्च करके रेशम छापने का काम आरंभ करने की एक योजना स्वीकार की।

सरकारी कारखानों के थोड़ी मजदूरी पाने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का एक तिहाई भत्ता दिया गया। भोहरा का विजली तैयार करने का कारखाना फिर से बनाया गया और वह अपना काम करने लगा।

यात्रियों के लिए आने जाने की सुविधाओं में सुधार किया गया, ठीक जानकारी प्राप्त करने की सुव्यवस्था की गयी और बसों को नियत समय पर चलाया जाने लगा।

इम वर्ष जंगलों से ३८ लाख रुपए की आमदनी हुई। गत वर्ष केवल साढ़े सत्रह लाख की हुई थी। “अधिक इंधन उपजाओ” आन्दोलन करके विलो की सात लाख कलमें बोयी गयीं।

पहली अप्रैल १९५० से रियासत की जल-धाराओं में ट्राउट मछली पकड़ने की इजाजत देंदी गयी है।

मध्य भारत

चम्बल नदी की जल-विजली योजना का काम आरम्भ हो चुका है। इस नदी पर बांध बन जाने के पश्चात लगभग १० लाख एकड़ में सिनाई होने लगेगी और ३२ हजार किलोवाट विद्युती उत्पन्न होगी।

मध्यप्रदेश

सरकार ने कोल्ड स्टोरेज' (खाद्य वस्तुओं को ठंडे स्थान में रखना) उद्योग को सहायता देने का निश्चय किया और सैन्ट्रल हिन्दुस्तान औरेन्ज एण्ड कोल्ड स्टोरेज कम्पनी को ५ लाख रुपए का ऋण दिया। राज्य में उत्कृष्ट कोयले और बढ़िया वौक्साइट की बड़ी बड़ी खानें हैं। इसलिए सरकार ने कामटी और कोरवा की कोयला-खानों को स्वयं चलाने का और कोरवा में एलमोनियम का एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है। अन्य जिन उद्योगों को सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं विकसित करने का निश्चय किया है उनमें कपड़ा, लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुएं, रुसा धास का तेल और हड्डियों का चूरा बनाना आदि हैं।

सरकार ने कारखानों में मालिक मजदूरों में झगड़ा न होने देने और अधिकतम उत्पादन करने का यत्न किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रांतिक श्रमिक सलाहकार बोर्ड संगठित किया गया था। उसने सब मिलाकर ७६ झगड़ों का फैसला किया। सरकार ने स्वास्थ्य ट्रैड यूनियनों की उन्नति को प्रोत्साहित किया और श्रमिकों की अवस्था सुधारने के लिए कई कानून पास किए।

छत्तीसगढ़ और मकडाई में सड़कों के सुधार का अल्पकालिक कार्यक्रम बनाया गया और इन इलाकों में सड़कों का जाल विस्तृत किया जा रहा है।

मद्रास

करनूल में सरकार जो केन्द्रिक थर्मल स्टीम इलैक्ट्रिक स्टेशन बना रही है उसे अन्ततोगत्वा तुंगभद्रा के हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्टेशन

में मिला दिया जायगा और जिस मौसम में सिंचाई का काम नहीं होगा उसमें वह तुंगभद्र योजना की सहायता करेगा।

४ लाख ४८ हजार रुपए खर्च करके अनन्तपुर के बिजली के म्युनिस्पल कारखाने को अपने हाथ में लेने और इस इलाके में बिजली उत्पन्न करने के अतिरिक्त कारखाने खोल कर बिजली की सप्लाई को सुधारने की एक नई योजना बनायी गयी है।

इस वर्ष रेडियो प्रोग्रामों को सामूहिक रूप से सुनने के लिए १३०० से ऊपर केन्द्र खोले गए।

रासायनिक खाद बनाने के लिए मिट्टी के फौस्फेटिक ढेलों के प्रयोग की सम्भावना का अनुसंधान किया गया। शीघ्र ही पेण्ट (रंग रोगन) बनाने का एक बड़ा कारखाना काम आरंभ कर दिया जायगा। पल्प और कागज, रासायनिक खाद और क्रिमिनाशक औपचियों, पेण्टों, वार्निशों और सावुन के निर्माण में बहुत वृद्धि हो जाने की आशा है। सरकार कपड़ा, चीनी, सीमेंट, बनस्पति, रासायनिक वस्तुओं और मोटरों आदि के बड़े कारखाने खोलने के लिए उपाय कर रही है।

मद्रास के समीप सरकार ने मोटर कारें जोड़ने के दो कारखाने खोलने की इजाजत दी है।

मंसूर

राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या ५१३१ और उनकी सदस्य संख्या ४ लाख २२ हजार ९०६ है। देहातों की विकास योजना के अनुसार तालुकों और सर्कलों में क्रमशः ८२ और ७४३ विविध काम करने वाली संस्थाएं आरंभ की गयी हैं।

विजली पहुँचाने के लिए तारों का एक विशाल जाल विद्धाने का काम आरंभ हो चुका है। राज्य में मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए अनेक कानून पास किए गए।

बस सर्विसों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सड़कों पर १३० बसें चलाई गयीं।

उड़ीसा

हीराकुँड और मच्चकुँड में पानी से विजली उत्पन्न करने की दो बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं और अन्य चार स्थानों पर अतिरिक्त कारखाने खोले गए हैं।

जोवडा (जिला कटक) में सरकार ने एक कारखाना साढ़े सात सौ किलोवाट का लगाया है। चौड़िवार में एक कारखाना ५ हजार किलोवाट का बन रहा है।

बीध चमलिय में पेड़ों की छाल से चमड़ा तैयार करने का काम सिखलाया जाता है। यह महकमा छोटे पैमाने पर हड्डियों का चूरा, चर्वी और गोंद तैयार करता है। प्राइवेट कारीगरों द्वारा लकड़ी और वेत का फर्नीचर, गोटा किनारी और तिल्ले का काम आदि उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के काम को संगठित करने का यत्न किया जा रहा है। जहां आवश्यकता होती है वहां टैकिनकल और आर्थिक सहायता दी जाती है।

पटियाला पंजाब रियासत-संघ

गांवों को बड़े बड़े शहरों और मंडियों से मिलाने के लिए नई सड़कें बनाने का काम हाथ में लिया गया। हाल में राजपुरा को

कालका से मिलाने के लिए १९ मील लम्बी एक सड़क तीन महीने के स्वल्प काल में बनायी गयी थी। दो अन्य सड़कें, भटिण्डा से फिरोजपुर तक और दमदमा साहिव से व्यापार उद्योग के अन्य प्रमुख केन्द्रों तक, बनाई गयी।

पंजाब

गत दो वर्षों में कारखानों की संख्या ५४७ से बढ़ कर ८०० हो गयी। लगभग २६० नयी कम्पनियां ८ करोड़ रुपए की अधिकृत पूँजी से संगठित की गयीं और १३३९ फार्मों की भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार रजिस्ट्री हुईं।

सरकार ने राज्य में काम के कई नए केन्द्र खोलने का निश्चय किया है और दस नगरों में शैड बनाये जा चुके हैं। ४ लाख रुपये कच्चा सामान खरीदने पर खर्च किए जा चुके हैं। २५११ आदमियों को काम पर लगाया जा चुका है। ६५० आदमी काम सीख रहे हैं। इनके अतिरिक्त उद्योग विभाग ने दस केन्द्र और १८ उप केन्द्र कपास कातने और बुनने के लिए और चार केन्द्र तथा दो उपकेन्द्र ऊन कातने और बुनने के लिए खोले हैं। इन केन्द्रों में १५ हजार ३५५ व्यक्तियों को कातने और १५९१ व्यक्तियों को बुनने का काम दिया गया है।

पंजाब ओद्योगिक झगड़ों से मुक्त रहा। सरकार ने हाल में ६७ कारखानों में से ४६ में वक्स कमेटियां संगठित करने का निश्चय किया है।

राजस्थान

ओद्योगिक विकास के लिए एक नयी नीति का आरंभ किया गया। योजना-समितियां संगठित की गयीं और कारखानों के

मालिकों को अनेक रियायतें दी गयीं। गृहोद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताड़ से गुड़ बनाने और बेचने के लिए १० केन्द्र खोले गए। १०० से अधिक आदमियों को यह काम सिखलाया जा रहा है।

भरतपुर, जैसलमेर, फलोदी, पोकरण और लूनकरणसर में नमक का उत्पादन पुनः आरंभ किया जा रहा है। खस का इत्र निकालने के लिए नयी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है और आधुनिक यंत्र लगाए गए हैं। एरनपुरा (जिला जोधपुर) में ९ लाख रुपए की लागत से एक रंगने का कारखाना खोला गया है। जयपुर और बीकानेर में कोल्ड-स्टोरेज प्लान्ट (खाद्यवस्तुओं को शीतल रखने वाले यंत्र) कम्पनियां खोली गयी हैं। विजली के नए कारखानों के लिए यंत्र मंगाने और पुरानों की मरम्मत करने का यत्न किया जा रहा है।

इस वर्ष लिगनाइट अन्नक, सीसे, चाँदी और सावून के पथर आदि की खुदाई के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। राजस्थान में खानों की संख्या लगभग १५०० है। इस वर्ष लगभग ५० लाइसेंस खानों को खोदकर देखने के लिए दिए गए। विहार की रासायनिक खाद फैक्टरी को प्रतिदिन ५०० टन जिप्सम भेजा जाता है।

बहुत से मामलों में मालिकों और मजदूरों के पारस्परिक संबंधों को ठीक किया गया। बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों में कच्चे माल के समय पर पहुँचने, मजदूरी और काम के घंटों को नियमित रखने और मकानों तथा मनोरंजन की सुविधाओं को बढ़ाने का यत्न किया गया।

सड़कों के विकास का काम निरन्तर उन्नति कर रहा है। १२० मील लम्बी नई सड़कें बनाने के लिए १३ लाख ४५ हजार रुपये की मंजूरी दी गयी और ७१४ मील लम्बी अच्छे मौसम में चलने वाली कच्ची सड़कें बनाने के लिए ३ लाख ७३ हजार रुपए मंजूर किए गए। उदयपुर और जयपुर जिलों में महत्वपूर्ण रेल लाइनें खोली गयीं।

सरकार ने नैशनल प्लैनिंग कमीशन की योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं का समन्वय करने के लिए एक योजना समिति संगठित की है।

२०० से ऊपर नयी सहकारी संस्थाएं संगठित की गयीं। इनमें विविध काम करने वाली, कर्ज देने वाली, माल को बाजार में खपाने वाली और भेड़ों का पालन करने वाली आदि संस्थाएं भी हैं।

व्रावनकोर कोचीन

राज्य में परिवहन का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है और इसे विस्तृत करके उसकी लम्बाई ६०० मील करदी गयी है। सड़कों पर बहुत सी नयी वसंत चला कर यात्रियों की सुविधाओं में भी उन्नति की गयी है।

इस समय राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या २६५० और उनके मदस्यों की संख्या साढ़े तीन लाख है। इनमें से ५० प्रतिशत से अधिक संस्थाएं कृषि-संबंधी हैं। लगभग एक हजार संस्थाएं खाद्य और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही हैं। सरकार ने एक कोऑपरेटिव कालिज सहायता देकर आरंभ

किया है, जिसे प्रसिद्ध मैन्चेस्टर कोऑपरेटिव कालिज की भाँति एक केन्द्रिक सहकारी संस्था चला रही है।

केन्द्रिक गृहोदयोग संस्था गृहोदयोगों के माल को देश के अन्य भागों में लोकप्रिय बनाने का कार्य करती है।

राज्य में खनिज पदार्थों के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने का यत्न किया जा रहा है। सरकार ने चावरा की कई खनिज कम्पनियों का काम अपने हाथ में ले लिया है। जनवरी १९५० से राज्य में पारदर्शक कागज बनाया जा रहा है। सरकार ने एक अस्थायी औद्योगिक अदालत स्थापित की है।

उत्तर प्रदेश

जर्मन विशेषज्ञों के एक दल को नौकर रखा गया है और उन्होंने लखनऊ के टैक्सिकल इन्स्टीट्यूट की इमारतों में एक छोटा सा कारखाना शुरू किया है। पीपरी में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए भूमि प्राप्त करली गयी है और आवश्यक यंत्रों का आर्डर दिया गया है। उद्योग विभाग गृहोदयोगों को उत्साहित करने के लिए बहुत काम कर रहा है।

सरकार की एक दीर्घ कालिक योजना यह है कि विजली के लगे हुए कारखानों की सामर्थ्य डेढ़ लाख किलोवाट से बढ़ाकर दस लाख किलोवाट करदी जाय।

राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या १९४६ में २१ हजार ८७५ थी। वह बढ़ कर १९४९-५० में ३७ हजार १०० हो गयी। इन संस्थाओं की सदस्य संख्या अन्दाज़न २५ लाख से ऊपर है और

इनकी समस्त पूँजी १४ करोड़ से ऊपर है। सहकारी संस्थाओं का प्रमुख कार्य बीजों का और कपड़े का वितरण और उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं तथा दूध यूनियनों का संगठन रहा।

विन्ध्य प्रदेश

विन्ध्य प्रदेश की हीरे की खानों का १५ मार्च १९५० से पन्ना में नीलाम किया जा रहा है।

खानों और पत्थर की खानों में मालिक मजदूरों के संबंध और मजदूरों के सुख-स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने सिर ले लिया। जब राज्य का शासन चीफ कमीशनर को दिया गया तब चूना बनाने वाले कारखानों को सलाह दी गयी कि वे दुर्घटनाएं रोकने के लिए चीकीदारों को अनावश्यक संख्या में बढ़ा दें। उमरिया की कोयला-खानों में जो हड़ताल हुई थी उसे भारत सरकार के समझौता अधिकारी ने सुलझाया।

पश्चिमी बंगाल

इस वर्ष कलकत्ता में राज्य द्वारा संचालित वस सर्विस आरंभ की गयी। इसमें २०० इकमंजिला पैट्रोल-चालित वसें और २ दुमंजिला डीजल-चालित वसें चलती हैं। तीस दुमंजिला वसें और खरीदने का विचार है। इन वसों की मरम्मत आदि के लिए दो पूर्णतया संजित कारखाने भी खोले गये।

विविध काम करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या ५० से बढ़ कर १५०० हो गयी। सरकार ने इन संस्थाओं को १ लाख २० हजार रुपये दिए। २१ संस्थाओं को जिलों में अन्न आदि

एकत्र करने के लिए एजेंट नियुक्त किया गया और उन्हें मकान बनाने के लिए २ लाख २७ हजार रुपए के अतिरिक्त १० लाख ६३ हजार रुपए का ऋण व्यापार के लिए दिया गया। सरकार ने गृहोद्योग सहकारी संस्थाओं, जुलाहों की सहकारी संस्थाओं, ऊन की सहकारी संस्थाओं, स्त्रियों की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं और शरणार्थी कारीगरों की सहकारी संस्थाओं को भी ऋण देकर प्रोत्साहित किया।

कलकत्ता के उत्तर में ७५० वर्गमील के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती विजली पहुँचाने के लिए उत्तरी कलकत्ता-देहाती विजली योजना बनाई गयी थी। उसने संतोषजनक उन्नति की। दक्षिणी और पूर्वी कलकत्ता-विजली-योजनाएं क्रमशः ४०० और ५६० वर्गमील में देहाती क्षेत्रों को सस्ती विजली पहुँचाने के लिए बनाई गयी हैं। राज्य में २६ महत्वपूर्ण म्युनिसपल इलाकों को प्राइवेट कम्पनियों द्वारा विजली देने के लिए आवश्यक उपाय किए गए।

वर्तमान वस्त्र मिलों का सुधार करने के लिए और १५ नयी मिलें खोलने के लिए ३ लाख २० हजार तकुए वांटे गए।

राज्य में इस समय एक लाख ७० हजार ८५७ टन नमक की कमी रहती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कौन्टाई के समुद्रतट पर एक नमक का आधुनिक कारखाना खोलने की योजना बनाई है। अन्दाजा है कि उसमें १ लाख ९६ हजार टन नमक बन सकेगा।

विजली से कलई करने, चमड़ा कमाने, अरकबीचने, रासायनिक उद्योगों, चीनी के वर्तन और खपरैले बनाने और फीते

वटन और बिस्कुट वनान आदि के उद्योगों को २ लाख ९३ हजार ३७५ रुपए की आर्थिक सहायता दी गयी। २१ औद्योगिक संस्थाओं को ३ लाख ३३ हजार ८३१ रुपए की बार बार देय (रिकरिंग) और १५ हजार रुपए की केवल एक बार देय (नौन-रिकरिंग) सहायता दी गयी।

रेशम के व्यवसाय को राज्य और केन्द्रिक दोनों सरकारों की ओर से सहायता देकर विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया।

खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र खादी बोर्ड का संगठन किया है। इस वर्ष ४६६२ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके २३८ ग्रामों में भेजा गया।

